खण्ड-243, अंक-9
सोमवार, 25 अग्रहायण, शक संवत् 1885
(16 दिसम्बर, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 243 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	११५९–११६३
प्रश्नोत्तर	११६३–१२१०
प्रश्नों के उत्तर न मिलने की शिकायत	१२१०
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	१२२०–१२१२
रिहन्द बिजली घर को सम्भावित क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	१२१२–१२१३
कक्षा ३ तथा ४ में अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर मासिक शुल्क लगाये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	१२१३–१२१४
मथुरा जिले के पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों की यूनियन के अध्यक्ष और उनकी पत्नी को जेल आदि भेजने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ।	१२१४
रामपुर में रजा हाकी टूर्नामेंट के टिकट सरकारी अधिकारियों द्वारा बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	१२१४–१२१६
सदन का आगामी कार्यक्रम	१२१६–१२२१
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ (जारी)	१२२१–१२२८
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	१२२८
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ (जारी)	१२२८–१२२९
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ (पुनःस्थापित किया गया)	१२२९–१२३०
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ (जारी)	१२३०–१२३७
जिलाधीश, मेरठ द्वारा श्री बलवानसिंह की गिरफ्तारी की सूचना न दिये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	१२३७–१२३९
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ (प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया)	१२३९–१२६५
उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३ (मेज पर रखा गया) ..	१२६५
कानपुर जिले में हुयी राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की हत्याओं के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	१२६५
श्री बलवानसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पूछताछ	१२६५
कानपुर जिले में हुई राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की हत्याओं के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा	१२६६–१९८३
नत्थियां	१२८४–१३२३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १६ दिसम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५७

अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी. श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले,श्री (उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गर्गसिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद. श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी,श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्ता, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
बलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अग्रवार, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूर्नलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री

फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बल्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूब हसन खां, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री

रामप्रवध, श्री
रामप्रासरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
राम ली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (बेनीपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लाल हादुरसिंह, (जौनपुर)
लाल हादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री

विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव,' श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सरदारसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री

सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धूसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १६ दिसम्बर, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गुड़ तथा खांडसारी सम्बन्धी नीति

**१—श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार गुड़ तथा खांडसारी के सम्बन्ध में अपनी नवीन नीति सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

२३ नवम्बर, १९६३ के प्रेस नोट द्वारा राज्य सरकार की गुड़ तथा खांडसारी संबंधी नीति घोषित की जा चुकी है और उसमें निर्दिष्ट नीति सीजन १९६३–६४ के लिये अपनायी जा रही है ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले २ दिन जो विचार विधान सभा में माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये उन्हें देखते हुये सरकार इस नीति में कोई परिवर्तन करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो बातें आवश्यक थीं उनका जवाब मैंने दे दिया था ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि गुड़ और खांडसारी से प्रतिबन्ध हटा लिया जाय ताकि दूसरे प्रदेशों में जाकर भाव गिरें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आवश्यकतानुसार दूसरे प्रदेशों को ले जाने की आज्ञा दी जायगी ।

देहरादून में नित्यानन्द स्वामी वकील के मामले में न्यायिक जांच की मांग

**२—श्री शारदा भक्त सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २६ अक्तूबर, १९६३ को देहरादून कोतवाली में एक प्रतिष्ठित वकील की पिटाई हवालात में किये जाने के सम्बन्ध में जनभावनाओं का आदर करते हुये क्या न्यायिक जांच कराने की कृपा करेंगी ?

**३—यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

शासन को प्राप्त सूचनानुसार देहरादून कोतवाली हवालात में कोई प्रतिष्ठित वकील नहीं पीटे गये, अतः न्यायिक जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त तिथि पर देहरादून में नित्यानन्द स्वामी वकील को चोटें पहुंचीं ? यदि हां, तो कितनी ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

जेल में मुआयना होने पर उनके बदन पर २८ चोटें मिलीं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

सरकार ने यह जानने की चेष्टा की कि उनको चोटें कैसे लगीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वहां रामलीला में एक बड़ा भारी प्रोसेशन लेकर वह कोतवाली के सामने गये और मांग की कि कोतवाल को १५ मिनट के अन्दर सस्पैंड किया जाय वरना सब लोग कोतवाली में घुस जावेंगे । घंटों तक उन्हें समझाया गया, वह नहीं माने । कोतवाली में जब वे घुस गये तो वहां मैजिस्ट्रेट ने लाठी-चार्ज का हुक्म दिया । वह टांगे पर थे, वहां से एलान कर रहे थे । उनका घोड़ा चमक गया और टांगा उलट गया, उसमें उनको चोटें लगीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार ने उसमें जांच और जानकारी हासिल करने की कोशिश की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मुकदमा चल रहा है अदालत में, उसमें कोई जांच नहीं हो सकती ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

क्या वहां की विभिन्न संस्थाओं द्वारा शासन से यह मांग की गयी है कि इस मामले की जुडिशल इनक्वायरी कराई जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, और कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि पुलिस ने ठीक किया ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी उनको चोटों का ब्योरा बताने की कृपा करेंगे जिससे यह जाना जा सके कि उनकी पिटाई जानबूझ कर की गई या टांगा उलटने से चोटें आईं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

चोटें कैसे आईं, यह प्रश्न अदालत के सामने है ।

श्री अध्यक्ष—

चोटें कैसी हैं, यह बतला दें ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

Injury Nos. 1, 2 & 3 under observation, and the rest are simple caused by blunt object. Duration half a day. Contusion, diffused swelling, abrasion.

यानी रगड़ मामूली घाव हैं । कुल २८ चोटें हैं ।

श्री दीपनारायणसिंह—

चोटें किस वाइटल पार्ट पर हैं ? कैसी चोटें हैं ?

श्री अध्यक्ष—

किस किस्म की चोटें हैं, इसकी कोई गम्भीरता नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त माथर (जिला सहारनपुर)—

उनके चोटें कैसे आईं, यह भी किसी अदालत के विचाराधीन है, वह मुलजिम हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उनके प्रोसेशन में बहुत से लोगों के पास लाठी और बल्लम भी थे, दोनों तरफ के लोग उलझे थे । मैं यह नहीं बता सकता कि उनके चोटें कैसे लगीं ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या उन वकील की भी कोई शिकायती चिट्ठी सरकार को मिली है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसके लिये नोटिस चाहिये, लेकिन जहां तक मेरा खयाल है, सरकार के पास उनका कोई पत्र नहीं आया है ।

जिला भ्रष्टाचार विरोधी समितियों के अधिकार

**४—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है तो क्या कारण है कि प्रत्येक जिले में जो भ्रष्टाचार विरोधी समिति सरकार की ओर से स्थापित है उसको यह अधिकार क्यों नहीं दिया गया है कि वह स्वयं अपने सदस्यों द्वारा, जोकि जिले के माने हुये व्यक्ति होते हैं, किसी भ्रष्टाचार की शिकायत की तहकीकात करा सकें ? क्या सरकार ऐसे अधिकार जिला भ्रष्टाचार विरोधी समितियों को देने पर विचार करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस प्रश्न पर कई बार विचार हो चुका है । जिला भ्रष्टाचार विरोधी समितियां परामर्शदात्री संस्थायें हैं, जिनका कार्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनमत पैदा करना तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों की अधिकारियों या विभागाध्यक्षों द्वारा जांच करवाना है । अतः समिति को तहकीकात करने का अधिकार देना आवश्यक नहीं है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस बात को देखते हुए कि जिलों में भ्रष्टाचार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार समितियों को तहकीकात के अधिकार देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इंक्वायरी करने के अधिकार के साथ कई चीजें हैं, जैसे फाइल्स या कान्फीडेंशियल कागजात को देखने का अधिकार। इसके अलावा उनके प्रोटेक्शन का इन्तजाम। इसलिये क्योंकि वे पब्लिक सर्वेन्ट नहीं हैं उनको इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं दिया गया है, केवल परामर्शदात्री ही रखा गया है।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि समिति अपना परामर्श घूस देने वालों को देती है अथवा घूस लेने वालों को ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

जहाँ-जहां भ्रष्टाचार विरोधी समितियां बनी हुई हैं, क्या वहां से मंत्री जी के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि उन शिकायतों के निबटारे में महीनों लग जाते हैं और इसका कारण यह है कि अधिकारियों के पास काम ज्यादा है। तो क्या सरकार इसका कोई प्रबन्ध करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमारे पास ऐसी कोई शिकयत नहीं आयी कि शिकायतों के निपटारे में देर होती है लेकिन हमारे आदेश यह हैं कि उनकी जल्दी से जल्दी जांच की जाय।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि इन कमेटीज को स्टेशनरी आदि के लिये पहले ८०० रुपया दिया जाता था ? वह अब क्यों बन्द कर दिया गया है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

८०० रुपया तो नहीं लेकिन ४७५ रुपया दिया जाता था। जब छटनी हुई, तो यह बन्द कर दिया गया।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो शिकायतें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैड्स को भेजी जाती हैं उनमें डिपार्टमेन्ट्स की यह कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह से उनको बचाया जाय, इसलिये सही तरीके से उनके बारे में रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है और जिसके कारण भ्रष्टाचार बराबर बढ़ता जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल नहीं करते हैं, बहस करते हैं। सवाल स्पष्ट होना चाहिये। माननीय मंत्री बहस को छोड़ कर प्रश्न का उत्तर दें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह बात नहीं है। शिकायतें उनको भेजी भी नहीं जाती हैं।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि इन भ्रष्टाचार समितियों की साल में मुश्किल से एक बैठक होती है जिससें भ्रष्टाचार का निवारण बिलकुल नगण्य हो रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी जानकारी नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि बहुत सी समितियों की बहुत सी मीटिंग्स होती हैं।

श्री चन्द्रजीतयादव (जिला आजमगढ़)—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जो जिलों की समितियां बनी हुई हैं उनके बारे में एक यूनिवर्सल फीलिंग है कि वे प्रभावक री ढंग से काम नहीं कर पाती हैं तो क्या जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने कमीशन बनाने का निर्णय किया है यह सरकार भी कोई स्थायी कमीशन बना कर उसके द्वारा भ्रष्टाचार की जांच करायेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उसका एक ही मुख्य उद्देश्य था कि ऐसा जनमत पैदा करें जिससे भ्रष्टाचार रुके और जैसा कि मैंने उस दिन अपने एक भाषण में कहा भी था कि यह हम सब लोगों का काम है जो इस सदन के अग्रगण्य सदस्य हैं उन से मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे जनमत को पैदा करने में सहायक करें।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

इस जनमत वाली बात से काम नहीं चलेगा, पंडिताई से काम नहीं चलेगा.....।

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल कीजिये।

श्री लखी सिंह—

श्रीमन्, पहले हर जिले में एक कम्पलेंट आफिसर रहता था, तो क्या हर जिले में मंत्री जी कम्पलेन्ट आफिसर रखेंगे ताकि वह १५ दिन के अन्दर भ्रष्टाचार की सही इन्क्वायरी करा के उस कमेटी के पास जिला अधिकारी भेज दिया करें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इस तरह की इन्क्वायरी का जो जरिया था वह जरा कनफ्यूजन वाला था, उस को सफल नहीं पाया गया इसलिये वह स्कीम बन्द कर दी गई।

बिन्दकी नगरपालिका की अध्यापिका, श्रीमती रामदुलारी का स्थानान्तरण न हो सकना

**५—श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने दिनांक ३० सितम्बर, १९६३ को यह आदेश दिया था कि नगरपालिका बिन्दकी, जिला फतेहपुर की किसी हरिजन वर्ग की अध्यापिका की स्थायी सेवायें नगरपालिका फतेहपुर के लिये स्थानान्तरित क' जाती हैं ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री का उक्त आदेश अब तक जारी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री जी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रामदुलारी, हरिजन अध्यापिका का नगरपालिका बिन्दकी से फतेहपुर नगरपालिका को स्थानान्तरण करने की फाइल और जिलाधीश की रिपोर्ट, दोनों महापालिका के अध्यक्षों की सहमति के सम्बन्ध में उनके कार्यालय में मौजूद हैं? क्या उन्हों ने उसको देखा है?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस सम्बन्ध में यहां कार्यालय में जो पत्रावली है मैंने उस को देखा है, श्रीमती रामदुलारी, अध्यापिका, बिन्दकी म्युनिसिपल बोर्ड में थीं और फतेहपुर महापालिका के अध्यक्ष ने उनको अपने यहां नगरपालिका में नियुक्त कर लिया और उन्होंने इस बात की प्रार्थना की कि उन की सेवा स्थानान्तरित कर दी जाय। विधि विभाग की राय यह है कि जब तक इस सम्बन्ध में दोनों नगरपालिकाओं में प्रस्ताव पास न हो जाय तब तक उन की सेवायें स्थानान्तरित नहीं हो सकतीं।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो निर्णय किया गया है क्या इसकी सूचना दोनों बोर्डों के अध्यापकों को दे दी है? यदि नहीं, तो फिर उन्हें आदेश दे कर कहेंगे कि फिर से प्रस्ताव पास कर के भेजें?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं यह तो आवश्यक नहीं समझता कि यहां से दोनों बोर्डों को इस तरह के आदेश दिये जांय। हां, माननीय सदस्य दो बार मुझ से मिल चुके हैं और मैंने सहानुभूतिपूर्वक इस प्रश्न पर विचार करने के लिये विधि विभाग को दो बार भेजा और उन्होंने अपनी राय दी, जो मैंने आप को बतायी। माननीय सदस्य ने मुझसे कहा था कि यदि ऐसा कोई विचार हो तो उन्हें सूचित कर दिया जाय। तो पत्र द्वारा मैं उन्हें सूचित कर चुका हूं कि विधि विभाग ने यह राय दी है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

श्रीमन्, माननीय आचार्य जी का उस फाइल में फाइनल आदेश है। मंत्री जी बता दें। कि आदेश है कि नहीं....

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने आप को बता दिया। अगर आचार्य जी ने आदेश किया भी है तो विधि विभाग का यह कहना है कि कोई ऐसा आदेश नहीं दे सकते। सिवाय प्रस्ताव के और तरीका नहीं। इसलिये सवाल नहीं उठता।

हरैया बाजार में बस पर बन्दूक से हमला

**६—सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), गंगाप्रसाद (जिला गोंडा), मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर), विक्रमशाह (जिला शाहजहांपुर), सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती), लाल चौधरी (जिला सीतापुर), रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर), ज्वाला प्रसाद, (जिला कानपुर), गिरधारी लाल (जिला बाराणसी) तथा काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे जिला बस्ती, थाना छावनी में हरैया बाजार में तारीख ५ दिसम्बर, १९६३ को सरे आम जब सरकारी बस आई तो उस पर बन्दूक से हमला किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दि० ५-१२-६३ की शाम को हरैया बाजार में एक सरकारी रोडवेज बस पर बंदूक द्वारा फायर हुआ था।

**७—सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम, गंगा प्रसाद, मुहम्मद रफी खां, विक्रमशाह, सोहनलाल धुसिया, गनेसीलाल चौधरी, रामनाथ पाठक ज्वाला प्रसाद, गिरधारीलाल तथा काजी जलील अब्बासी—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जिस आदमी ने गोली मारी थी वह उसी रात में थानेदार के पास ही लेटा हुआ जिले के कोतवाल द्वारा गिरफ्तार किया गया ? क्या यह भी सच है कि धारा १४४ लगी थी और उसे बन्दूक भर कर सरेआम चलने में रोक थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि बस्ती के कोतवाल ने बस पर गोली चलाने वाले व्यक्ति को थानेदार के साथ सोता हुआ गिरफ्तार किया। उक्त घटना के समय हरैया बाजार में न तो धारा १४४ लागू थी और न किसी शस्त्र का ले जाना ही वर्जित था।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

मंत्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में कितने लोग गिरफ्तार किये गये और किस-किस तारीख में गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

छावनी पुलिस ने श्री चन्द्र भूषण सिंह को ६-१२-६३ को गिरफ्तार किया।

श्री गंगाप्रसाद—

मंत्री जी बतायेंगे कि थाने से बस स्टेशन कितनी दूर है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाना छावनी है और वाकया हरैया बाजार का है। दोनों में कितना अन्तर है, यह मैं नहीं बता सकता।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)—

मंत्री जी बतायेंगे कि छावनी थाने में वह अभियुक्त गिरफ्तार किया गया या छावनी थाने के किसी गांव में गिरफ्तार किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

वह अपने घर पर गिरफ्तार किया गया।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी इस बात की जांच सी० आई० डी० से करायेंगे कि वह अभियुक्त गांव के अन्दर गिरफ्तार हुआ न कि गांव के अन्दर ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह कोई बड़े महत्व की बात नहीं है। वह गिरफ्तार हो गया। सी० आई० डी० से जांच कराने की जरूरत नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह--

मंत्री जी कहते हैं महत्व की बात नहीं है। यह तो काफ़ी महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष--

आप ठीक कहते हैं, लेकिन बहस का मौका नहीं है। आप कहते हैं कि सी० आई० डी० से जांच करायेंगे, वह कहते हैं नहीं करायेंगे।

श्री मैनेजरसिंह—

उन्होंने कहा महत्व नहीं रखता।

श्री अध्यक्ष--

यह तो राय है।

श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)—

मंत्री जी बतायेंगे कि बस्ती जिले के पेशेवर हत्या करने वाले गुन्डे कुछ राजनीतिक पार्टी से सांठ गांठ करके किसी विधायक की हत्या करने का षडयंत्र कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री शीतलप्रसाद--

क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वहां बस आई तो पुलिस मौजूद नहीं थी, तो कितने बजे पुलिस वहां स्टैन्ड पर आई ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह सूचना नहीं है। हरैया बाजार में शाम को बस बहराइच को जा रही थी उस पर गोली चली। उस बस के कन्डक्टर ने कोतवाली थाने में शिकायत की। उसी समय एक रिपोर्ट थाने में चन्द्र भूषण ने की। बाद में पता चला कि चन्द्र भूषण सिंह ने ही यह गोली चलायी थी। इसलिए वे गिरफ्तार कर लिए गये हैं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो शख्स पकड़ा गया है उससे कोई बयान लिया गया है और उसके साथ कौन-कौन लोग थे ? क्या इस प्रकार की कोई सूचना माननीय मंत्री जी के पास है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं।

श्री गंगाप्रसाद—

सवाल तो यह था कि हरैया बाजार और थाना छावनी, ये कितनी दूर के फासले पर थे? जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया वह थाना छावनी में बैठा हुआ था या गोली चला रहा था?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने इस का उत्तर दे दिया कि मुझे सूचना नहीं है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के खिलाफ इससे पहले कोई शिकायत दर्ज की गयी थी?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस वक्त इस की कोई सूचना नहीं है।

कोटद्वार में सेलर मिल लगाने का विरोध

**८—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार को विदित है कि गढ़वाल डेफिसिट एरिया है और ७५ फीसदी अनाज गढ़वाल के अन्दर बाहर से और कोटद्वार (गढ़वाल) भावर से जाता है और इस कारण ही दो साल पहले कोटद्वार में सेलर प्लांट, धान कूटने की मशीन लगाने की इजाजत हरिलाल अगरवाल मिल को नहीं दी गई?

रसद मंत्री के सभासचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गढ़वाल जिला डेफिसिट नहीं है।

यह सत्य नहीं है कि दो साल पहले श्री हरि लाल अगरवाल का सेलर प्लांट धान कूटने की मशीन लगाने के लिये प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिया गया।

**९—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

क्या यह सही है कि जब हाल में मिश्री लाल को कोटद्वार में सेलर मिल प्लांट लगाने की इजाजत सरकार देने जा रही है या दे दी गई है और इसका घोर विरोध करने को २४ तारीख को कोटद्वार में एक बड़ी भारी सभा हुई जो चार घंटे रही और जिस में सब राजनैतिक दलों के लोग सम्मिलित थे और सेलर मिल के विरोध में उनके भाषण हुये? २७ तारीख को कोटद्वार में हड़ताल हुई यहां तक कि पान व मिठाई और चाय की दुकानें भी बन्द रहीं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां, श्री मिश्री लाल तथा दो अन्य पारटीज को सेलर मिल लगाने का परमिट दे दिया गया है। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कोटद्वार में एक सभा २४ नवम्बर, १९६३ को, उत्तर प्रदेश चावल प्राप्त (उगाहने) का आदेश, १९६३, को तराई भावर क्षेत्र में लागू करने के विरुद्ध हुई तथा २७ नवम्बर, १९६३ को हड़ताल भी हुई।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि गढ़वाल के अन्दर, बाहर से २ लाख ५० हजार मन गल्ला आढ़तियों के जरिए और ७ लाख जो गवर्नमेन्ट का सप्लाई डिपार्टमेन्ट है, उसके जरिए और ३० हजार मन धान आता है? इस प्रकार से ३ लाख ४० मन गल्ला आता है तो इसको कैसे सरप्लस मान लिया?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

यह क्षेत्र सारे गढ़वाल पर लागू नहीं है. बल्कि भाबर पर नीचे के हिस्से पर है, उसमें १, २३,८०० मन पैडी पैदा होता है और आबादी लगभग ४०–५० हजार है। सारे जिले का इससे ताल्लुक नहीं है। गढ़वाल की आबादी लगभग ६ १ २ लाख है। जितना हिसाब आप बताते हैं अगर सही है तो बहुत खराब बात है और ये सारी दुनिया को खा जायेंगे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं आगा कोटद्वार लैंसडाउन तहसील का एक भाग है या नहीं ? और अगर है, तो उसे गढ़वाल से बाहर कैसे मान लिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह गवर्नमेन्ट स्टेट जो है उसका क्षेत्र अलग है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

क्या यह सही है कि सन् १९६०–६१ में गढ़वाल में सिर्फ ७५ हजार मन गल्ला पैदा हुआ तो अब सरकार ने उसे सवा लाख मन कैसे बतला दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पहले खेती नहीं होती थी लेकिन ज्यों-ज्यों नहरें आईं खेती बढ़ती गयी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गोंडा जिले के कृषि उत्पादन कार्य में हरिजन

*१—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में सन् १९६२ से लेकर ३१ जुलाई १९६३ तक कितना धन कृषि उत्पादन बढ़ाने में खर्चा हुआ है ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

गोंडा जिले में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सम्बन्धित विभागों द्वारा सन् १९६२ से लेकर ३१ जुलाई, १९६३ तक कुल ९७,२६,६५३.७८ रु० व्यय हुये।

*२—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में कितने कर्मचारी गोंडा जिले में काम पर लगे हैं, उनके पद क्या-क्या हैं और उनमें हरिजन कितने हैं और किस पद पर ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

गोंडा जिले में सम्बन्धित विभागों के १,४२६ कर्मचारी कृषि उत्पादन बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं, जिनमें ६१ हरिजन हैं। उनके पद आदि का ब्यौरा संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२८४–१२८६ पर)

श्री गंगाप्रसाद---

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि कृषि पर ९७, २६, ६५३ रुपये खर्च किये गये तो उससे उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)---

इसके कोई आंकड़े मैं नहीं दे सकता कि इतने खर्चे के बाद कितना उत्पादन बढ़ा। यह संभव नहीं है बतलाना।

श्री गंगाप्रसाद---

इतने रुपये खर्च होने पर इस साल कितना उत्पादन बढ़ने की आशा है ?

श्री चरणसिंह---

जो काम पहले हो चुका है उसके बाद मैं आंकड़े नहीं दे सकता और आगे इस सिलसिले में होने की आशा क्या है यह मैं माननीय मित्र की बुद्धि पर छोड़ता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

इस बात को देखते हुए कि जितने पैसे खर्च किये गये कृषि उत्पादन में और जिस रूप से खर्च किये गये उस से कुछ प्राप्ति नहीं हो सकी। जितना लक्ष्य था उस लक्ष्य के नीचे पैदावार हुई। तो क्या माननीय मंत्री जी कोई विशेष व्यवस्था करेंगे जिससे कि उत्पादन बढ़ सके और इसकी जांच करायेंगे कि क्या कारण है कि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है इतना खर्चा करने के बाद भी ?

श्री चरणसिंह---

मेरे माननीय मित्र एक बात फर्ज कर लेते हैं। किसी वकील ने गवाह से पूछा कि आपने अपनी स्त्री को कब से पीटना शुरू कर दिया है ? हां में जवाब दें तो मुश्किल और नहीं में जवाब दे तो मुश्किल। मैं यह अर्ज करूंगा कि मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि उत्पादन नहीं बढ़ा है, जो गवर्नमेन्ट कर रही है उसकी वजह से नहीं बढ़ा है और न मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि इसकी वजह से नहीं बढ़ा है।

एक बात और साफ कर देना चाहता हूं कि यह केवल एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट का खर्चा नहीं है। एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट के जरिये से जो खर्चा हो रहा है वह बहुत कम है। यह सब खर्चा एग्रिकल्चर प्लानिंग इरीगेशन तथा रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट का मिला हुआ खर्चा है। एग्रिकल्चरल में ६,८४,१४७.१५ रुपये प्लानिंग डिपार्टमेंट में १३,१९,४४५.८० रुपये प्लानिंग (सी) डिपार्टमेंट जिसमें इर्रीगेशन मायनर स्कीम भी शामिल है उसमें ४२,०९,७२१.५१ रुपये इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में २२,५७,९४८.३२ रुपये और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में १२,५५,३९१.०० रुपये खर्च है। इस तरह से कुल खर्चा का १५-१६ परसेंट खर्च करने के लिये कृषि विभाग जिम्मेदार है।

इसके अतिरिक्त किस वजह से स्टेट का कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है उसकी वजह दो दफा मैं अपनी स्पीच में जिक्र कर चुका हूं और अब जब मौका आयेगा तो यह बात फिर साफ हो जायगी।

श्री उग्रसेन---

जिस अवधि की चर्चा यहां की गयी है उसमें गेहूं, धान, चना आदि जो मुख्य-मुख्य फसलें हैं उनका जो पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था उस लक्ष्य की किस प्रतिशत तक पूर्ति हुई ?

श्री चरणसिंह---

कुल स्टेट के ऐग्री कल्चरल प्रोडक्शन का तो यह सवाल है नहीं। केवल गोंडे का सवाल है। जहां तक गोंडे की बात है उनके लिये नोटिस की जरूरत होगी कि उस जिले का कितना लक्ष्य था और कितनी गल्ले की पैदावार हुई?

श्री शीतलप्रसाद---

क्या सरकार कृषि उत्पादन की महत्ता को देखते हुये कोई ऐसा आंदोलन चलाने की कृपा करेंगी जिससे जन भावना में जागृत पैदा हो कि कृषि उत्पादन के लिये प्रयास करने की आवश्यकता है?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं बुलाया गया)

श्री गंगाप्रसाद---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने कर्मचारी इस विभाग में नियुक्त हैं उनमें हरिजनों का कोटा पूरा है या नहीं और यदि नहीं, तो माननीय मंत्री जी उसे पूरा कराने की कृपा करेंगे?

श्री चरणसिंह---

कोटा पूरा है या नहीं यह तो हिसाब का सवाल है १८ परसेंट का कोटा होता है हिसाब लगा लें कि कोटा पूरा हुआ या नहीं। जहां तक ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का सम्बन्ध है उसमें जो राज्य कर्मचारी हैं वे जो स्पेशल ट्रेनिंग प्राप्त हैं उन्हीं को लिया जाता है उस तरह के हरिजन हमें कम मिलते हैं। उनकी कोशिश सुपरवाइजर, स्टाक-मैन या खेती की तरफ जाने की कम है जिन महकमे जिनमें आकर्षण है हरिजन नौजवान भी उन्हीं में ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं फिर भी कृषि महकमे की तरफ से दो साल पहले यह आदेश जारी हुआ था ताकि हरिजन लड़के ट्रेंड हो कर निकल सकें गवर्नमेन्ट ऐग्रीकल्चर कालेज, कानपुर में जो लड़के दाखिल होते हैं वे इन्टरमीडियट पास होते हैं तो उनमें हरिजन लड़के इंटरमीडियट में जितने मार्क्स हासिल किये होते हैं उनमें ५ परसेंट हम और बढ़ा दें ताकि हरिजनों के लड़के ज्यादा आ सकें लेकिन उनकी वहां एप्लीकेशन ही बहुत कम आती है और ऐग्रीकल्चर स्कूल्स के लिये हमने यह कर दिया है कि १०० मार्क्स में इम्तहान होता है। मान लीजिये किसी हरिजन लड़के के ४६ नम्बर आयें तो १० और बढ़ा देंगे और ५६ से कम्पिटीशन करायेंगे। लेकिन इस तरह ५६ अगर हुये तो ५७ या ५६ वाला ही लिया जायगा जो गैर हरिजन हैं वरना एफिशियेन्सी गिर जाने का अन्देशा है।

श्री चन्द्रजीत यादव---

जो माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिये कि ६७ लाख रुपये खर्च हुये जिनमें से ६ लाख रुपये कृषि विभाग ने खर्च किये तो क्या जो कृषि की पैदावार कम हो रही है हमारे प्रदेश में उसका मुख्य कारण यह है कि कई मंत्री इस विभाग को संभालते हैं जिसकी वजह से को आर्डिनेशन नहीं हो पाता है। इसलिये कृषि की पैदावार बढ़ाने की जिम्मेदारी किसी एक मंत्री के हाथ में होनी चाहिये और चूंकि आप, यहां के मंत्रिमंडल की उपसमिति जो बनी है उत्पादन बढ़ाने के लिये, उसके चेयरमैन भी हैं उस हैसियत से क्या कोई योजना सरकार ने तैयार की है जिससे इस कमी को भविष्य में दूर किया जा सके?

श्री चरणसिंह---

यह राय का प्रश्न है कि एक मंत्री के हाथ में जिम्मेदारी होना अधिक अच्छा है या कई मंत्रियों के हाथ में। इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह सकता। जहां तक दूसरी बात का ताल्लुक है मैं गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं। ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन सब-कमेटी का मैं चेयरमैन नहीं हूं, चीफ मिनिस्टर साहब चेयरमैन हैं।

श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे उत्पादन कम होने का एक कारण चकबंदी है और हमारे क्षेत्र में चकबंदी हुई है वहां गूलें अभी तक नहीं बनीं तो क्या मंत्री जी ऐसी तेजी लायेंगे जिससे सिंचाई की गूलें बन जायं और उत्पादन बढ़ सके ?

श्री अध्यक्ष—

पहले हिस्से का तो नहीं दूसरे का जवाब दे दीजिये क्योंकि सदन ने तय कर दिया है कि चकबंदी होना जरूरी है। गूल के बारे में आप जानते हों तो बता दीजिये, (मंत्री से) वैसे इसका इरीगेशन से सम्बन्ध है ।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, चकबंदी के बाद जो ओसराबंदी है यह डिसटर्ब हो जाती है। यह बात ठीक है ट्यूबवेल पर भी और नहर पर भी और दूसरी बात यह है कि जो नाली पहले से बनी हुई हैं उनको तब्दीली करने की जरूरत पेश आ जाती है। इस सिलसिले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इरीगेशन डिपार्टमेंट का कोआर्डिनेशन है। अगर उसमें कुछ कठिनाई हो तो राजस्व मंत्री जी से माननीय सदस्य बात कर लें।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जहां तक टेक्निकल हैंड्स का ताल्लुक है उनको छोड़कर क्लर्क, चौकीदार, चपरासी, माली तथा भिश्ती वगैरा की जगहों पर हरिजनों का कोटा पूरा करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मित्र का सुझाव माकूल है। जहां तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का संबंध है इस मसले पर गौर करेंगे कि आगे जितने इस किस्म के कर्मचारियों की जगह हों उन पर हरिजन लिए जांय, जब तक उनका कोटा पूरा न हो जाय।

[१६ दिसम्बर, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]
उचित मूल्य ग्रहण आदेश

*१—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अप्रैल, सन् १९६३ से अगस्त, सन् १९६३ तक किन-किन वस्तुओं की कीमत निर्धारित मूल्यांकन से अधिक बढ़ी है और कितनी कितनी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जिन वस्तुओं की कीमत निर्धारित हैं वे तो निर्धारित मूल्य पर ही बिक रही हैं।

*२—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीनी काले बाजार में ऊंचे भाव में बिक रही है ? यदि हां, तो इसे रोकने का कौन सा प्रयास किया गया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

कभी-कभी इस प्रकार की शिकायतें सरकार को मिली हैं चोर बाजारी रोकने के लिये राज्य सरकार ने भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शक्कर (नियंत्रण) आदेश, १९६३ जारी किया है। इसके अलावा भारत सरकार के शुगर कन्ट्रोल आर्डर के अन्तर्गत भी अधिकारियों को अधिकार हैं।

*३—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतें अब इससे ज्यादा ऊपर न जाने पावें और इनको क्रमशः नीचे लाया जाय, इसके लिये वह कौन सा उपाय करने जा रही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों को आगे न बढ़ने देने हेतु राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश उचित मूल्य ग्रहण आदेश, १९६३ और भारत सरकार ने ऐसेन्शियल आर्टिकिल्स प्राइस कन्ट्रोल आर्डर, १९६३ पहले ही से लागू कर रखा है। इसके अलावा शुगर व गुड़ कन्ट्रोल आर्डर व अनाजों के सिलसिले में भी डी० आई० आर० के अन्तर्गत आदेश जारी हुये हैं। खाद्यान्नों (food grains) के भाव बढ़ने न पायें इसके लिये आवश्यकतानुसार सस्ते गल्ले की दुकान खोलने के आदेश भी फिर से दुहरा दिये गये हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, थर्ड प्लान में प्राइस पालिसी के ऊपर मंत्री जी का ध्यान गया है या नहीं ? अगर गया है, तो प्राइसेज ऊपर न जायं उसके तहत में सरकार ने कौन-सी कार्यवाही की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, तीसरे प्लान का जो आपने जिक्र किया कि सीमेन्ट इत्यादि जो काम में लगते हैं उनके रेट वही हैं सिवाय टेक्सेज और ट्रान्सपोर्ट चार्जेज बढ़े हैं बाकी नहीं बढ़े हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यह अर्ज किया कि क्या मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि तीसरी प्लान में जो प्राइस पालिसी दी हुई है, जिसको सरकार को एक्जीक्यूट करना है, मैं सीमेन्ट और लोहे की बात नहीं पूछ रहा हूं बल्कि समूचे एसेंशल कमोडिटीज के बारे में सरकार की क्या पालिसी है, मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

आप का सवाल यह था कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में एक प्राइस पालिसी ले डाउन है उसकी तरफ आप का ध्यान गया है या नहीं गया है? अगर गया है, तो उसको कार्यान्वित कर रहे हैं या नहीं ?

श्री कल्पनाथसिंह—

डी० आई० आर० के लगाने की वजह से भी तो कीमतें ऊपर जा रही हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्राइस लाइन को होल्ड करने का गवर्नमेन्ट का इरादा है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इस चीज पर करती है। रेलवे का बढ़ाया तो वह बढ़ा है या टैक्सेज बढ़ाये हैं तो बढ़े हैं। बाकी कंट्रोल्ड है।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि स्टेट में पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी क्या है और सेकंड फाइव इयर प्लान में क्या थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह भी एक राय का सवाल है, सीरियल्स कितने हों । उसमें फल कितने हों, कितना क्या हो, यह तो अलग-अलग रायें हैं ।

श्री उग्रसेन---

मैं स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री और उनकी सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में दामों की लूट बन्द हो, इसलिये क्या मंत्री जी और उनकी सरकार सोशलिस्ट पार्टी की 'दाम बांधो' नीति मानेंगे कि किसान की दो फसलों के बीच में एक सेर में कुछ आने से ज्यादा उनके भाव में फर्क न हो और कारखानों की जो बनायी हुई वस्तुएं हैं उन का डयोढ़े से अधिक बाजार में दाम न हो । इस मोटे सिद्धान्त को मान कर इस प्रदेश की जनता को करोड़ों दामों की छुट्टी दिलाएगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

हम तो वही करेंगे जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है ।

श्री कल्पनाथसिंह---

क्या यह सही है कि फूडग्रेंस का चूंकि टार्गेट थर्ड फाइव इयर प्लान में पूरा नहीं हुआ इस वजह से कीमतें बढ़ रही हैं ? अगर यह सही है तो मंत्री जी अपनी केबिनेट में इस बात को पेश करेंगे और फूडग्रेन्स की पैदावार बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यों तो गवर्नमेन्ट एक है । लेकिन मेरा काम डिस्ट्रीब्यूशन का है । हम अपने प्लान को पूरा कर रहे हैं । नैचूरल कैलेमिटीज की वजह से कुछ कमी हो गयी है लेकिन अन्त में प्लान का पूरा टारगेट अचीव करने की पूर्ण आशा रखते हैं, आपका सहयोग होना चाहिए ।

नगरपालिका मैनपुरी को निलम्बित करने पर विचार

*४---श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सत्य है कि नगरपालिका मैनपुरी को सरकार ने ऋणी बोर्ड घोषित कर दिया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभासचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---

जी हां ।

*५---श्री गणेशचन्द्र काछी---

यदि हां, तो उसके कौन-कौन से कारण हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

नगरपालिका, मैनपुरी को जल सम्भरण योजना को कार्यान्वित करने के लिये दिये गये शासकीय ऋण की किस्तों तथा व्याज की अदायगी न करने के कारण ऋणी घोषित किया गया है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी की नगरपालिका को कितना ऋण दिया गया था और उसमें से कितना बाकी है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

मैनपुरी नगरपालिका को ८ लाख ६२ हजार ९ सौ रुपये दिये गये जिसमें से जो उसकी अदायगी हुई है अब तक ५६ हजार १३३ रुपये हुई है ।

अब मूल धन में ८ लाख ४९ हजार ९१२ रुपये और व्याज में ८० हजार ३४७ रुपये १९ नये पैसे बकाया है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऋणी बोर्ड होने के कारण कर्जा तो मिलेगा नहीं सरकार से और धन मिलेगा । क्या सरकार इस बात पर विचार करने जा रही है कि वहां की नगरपालिका को मुअत्तल कर दे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह सब विषय विचाराधीन है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

*६—८ [हटा दिये गये ।]

मुख्य नगराधिकारियों के स्थानान्तरण तथा नगर प्रमुख सम्मेलन

*९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की पांचों महापालिकाओं में कितने कितने मुख्य नगर अधिकारियों के तबादले कितने-कितने समय के बाद हुये और उनके तबादले के क्या कारण थे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

प्रदेश की पांचों महापालिकाओं में जिन २ मुख्य नगर अधिकारियों के स्थानान्तरण जितने २ समय पश्चात् हुए उसकी सूचना संलग्न तालिका में दी है । ये तबादले शासकीय सुविधा के अनुसार किए गए हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १२८७—१२८८ पर)

*१०—श्री कल्याण चन्द मोहिले (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के महापालिकाओं के नगर प्रमुख तथा उप नगर प्रमुख की कान्फ्रेन्स जो लखनऊ तथा वाराणसी में हुई थी, उसमें जो प्रस्ताव पारित हुये उनमें से सरकार कौन-कौन से प्रस्ताव मानने का विचार कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

नगर प्रमुख तथा उप नगर प्रमुख के जो सम्मेलन लखनऊ तथा वाराणसी में हुए थे उनमें कोई प्रस्ताव नहीं पास हुए थे बल्कि कुछ सामान्य रुचि के विषयों पर बातचीत हुई थी ।

खाद्यान्नों का मूल्य

*११—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में खाद्य पर नियन्त्रण लागू करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

जी नहीं, ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है न कोई नई योजना बनाने की इस समय आवश्यकता प्रतीत होती है ।

श्री चन्द्रजीत यादव ---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई इस प्रकार की सलाह दी थी कि जो स्थिति है खाद्य की, उसको देखते हुए राज्य सरकारें इस बात के लिये तैयार रहें कि खाद्य के ऊपर किसी वक्त भी नियंत्रण लगाया जा सकता ह और अपनी मशीनरी को इस प्रकार से तैयार रखें कि जब भी आदेश ऐसा हो तो उसको कार्यान्वित किया जा सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इस तरह का सीधा आदेश कोई न दे सकते हैं और न दिया है, मगर मैं अर्ज करूं कि तकरीबन ६ तो हमारे कंट्रोल आर्डर्स हैं फूड ग्रेन्स के ऊपर और ८ में रेगुलेटरी मेजर्स हमने ले रखे हैं। तो ऐसा जकड़ रखा है कि खाद्यान्नों की कीमत बढ़ ही नहीं सकती ।

पूर्वी जिलों में सस्ते अनाज की दूकानें, व देवरिया जिला पूर्ति कार्यालय में छटनी

*१२---श्री उग्रसेन---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया, गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ जनपदों में, जोकि बाढ़-पीड़ित जिले हैं, सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों को क्यों समाप्त किया जा रहा है तथा संबंधित कर्मचारी क्यों निकाले जा रहे हैं जब कि देवरिया जनपद में गल्ले की निकासी की मात्रा मार्च-अप्रेल, १९६२ की अपेक्षा मार्च-अप्रेल, १९६३ में कहीं ज्यादा है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

उक्त जिलों में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों को समाप्त नहीं किया जा रहा है। परन्तु वहां निर्धारित भाव से कम पर गल्ला वितरण करने की योजना (seheme of subsidised sales of foodgrains) को वहां अभाव की स्थिति न रहने के कारण समाप्त किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप १४ कर्मचारी निकाले गये ।

*१३---श्री उग्रसेन---

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जो नोटिसें जिला पूर्ति कार्यालाय के कर्मचारी को दी गई हैं, उसे राज्य सरकार ने जारी किया है या जिला अधिकारियों ने ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

जिला पूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों को छटनी की नोटिसें जिला अधिकारियों ने राज्य सरकार के आदेशानुसार दी थीं ।

*१४---श्री उग्रसेन---

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जिला पूर्ति कार्यालय कर्मचारियों की छटनी किस आधार पर की जा रही है, इस छटनी में निकाले गये व्यक्तियों के क्या नाम हैं और उनकी जगह पर जो दूसरे व्यक्ति रखे गये हैं क्या वे इन स्थानों के लिये उचित योग्यता रखते हैं ? यदि हां, तो वह योग्यता क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

छटनी करने का आधार यह है कि जो कर्मचारी डिवीजन भर में सब से जूनियर होता है उसकी छटनी पहले होती है। इस छटनी में निकाले गये कर्मचारियों के नाम, तथा उन के स्थान पर रखे गये व्यक्तियों का ब्योरा तथा उनकी नियुक्ति का आधार माननीय स्वास्थ्य की मेज पर रखी हुई सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२८९-१२९० पर)

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन बातों को ध्यान में रखते हुए वह बता रहे हैं कि गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ में अभाव की स्थिति नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह जिस वक्त सबसिडी दी थी स्केर्यासिटी डिपार्टमेंट ने उस वक्त फ्लड का असर था। अब सबसिडी देने की जरूरत नहीं है, वह स्केर्यासिटी डिपार्टमेंट की चीज थी, उनके कहने से हमने ऐसा किया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

देखिए, उधर बातें बहुत हो रही हैं। माननीय नेकराम जी, जरा बातें न करें।

श्री उग्रसेन---

इस बात को देखते हुए कि गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया इन जिलों में इतनी बड़ी भीषण बाढ़ आयी थी और अब भी वहां अभाव की स्थिति बनी हुई है, तो क्या माननीय माल मंत्री या उनका अभाव विभाग जब यह अभाव में दी हुई मदद हटाने लगा, तो माननीय मंत्री जी ने उस पर एतराज किया या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

हमने कोई एतराज नहीं किया। जब तक सबसिडी देते रहेंगे तब तक हम तो उसे वर्षों चलाते रहेंगे।

श्री उग्रसेन---

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो १४ कर्मचारी निकाले गए हैं उनकी ज्येष्ठता का आधार क्षेत्रीय है या प्रदेशीय ? अगर क्षेत्रीय है, तो प्रदेशीय क्यों नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह तो अक्सर में हर रीजन में आर० एफ० सी० रहते हैं उन्हीं के रखे हुए हैं।

श्री मैनेजरसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी को इस प्रकार की सूचना है कि देवरिया, गोरखपुर, के क्षेत्रों में सुरक्षा कोष की वसूली के समय बहुत सारी दूकानें सस्ते गल्ले की वहां मंजूर की गयी हैं और उन दूकानों के बारे में ऐसी शिकायत है कि वहां से गल्ला नेपाल होकर तिब्बत स्मगिल हो रहा है ? तो क्या ऐसी दूकानों को रद्द करने की व्यवस्था वह करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---

यह जो फ्लड एफेक्टेड एरिया थी वहां के लोगों ने खुद कहा कि हमारे यहां गेहूं नहीं चल सकता, हमारे यहां पीसने की दिक्कत है, इसलिए चावल या आटा का इन्तजाम कर दीजिए। अब उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए विड्ड्रा हो गई।

श्री अध्यक्ष—

वह पूछ रहे थे की कुछ दूकानों में भ्रष्टाचार होता है, गल्ला वहां से उठकर तिब्बत चला जाता है....

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वैसे तो हमारा स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा भारी कड़ा प्रबन्ध है। अगर कोई ऐसा करता है तो शिकायत दीजिए, हम देखेंगे।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि किसने उनको लिखकर दिया कि हमारे यहां बहुत गल्ला हो गया है तो उसको बन्द किया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने यह नहीं कहा कि वहां की हालत बहुत अच्छी हो गई है। मैंने यह कहा है कि जितने दिन के लिये स्केयरसिटी थी फ्लड के असर से उतने दिन के लिये सबसिडी देने की बात थी।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन जिलों में इस स्कीम के अन्तर्गत कितनी दूकानें समाप्त की गईं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह दूकानें खत्म नहीं की गईं, जैसा कि आपने फरमाया, तो इन १४ कर्मचारियों को निकालने के लिये क्या जरूरत पड़ी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वह उसी काम के लिये उसी पैसे से रखे गये थे। अब जब बजट में उनके लिये पैसा स्वीकार नहीं किया गया तो अपने आप खत्म हो जायगी।

फतेहपुर जिले में ईंटों के मूल्य में वृद्धि

*१५—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में जून, सन् १९६२ ई० के पहले प्रथम व द्वितीय व तृतीय श्रेणी की ईंटों के दाम क्या थे, और इस समय उनके दाम क्या हैं ? उक्त ईंटों के दामों में वृद्धि कब किस सप्लाई अफसर द्वारा व किस आधार पर की गई ? क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस वृद्धि को हटाने की भी कृपा करेगी ?

श्री हरोदत्त काण्डपाल—

प्रश्न के प्रथम भाग में मांगी गयी सूचना संलग्न सूची "क" में दी गयी है।

कोयले के दाम और रेल भाड़ा बढ़ने के कारण ईंटों के दाम में भी वृद्धि १ अप्रेल, १९६३ से करनी पड़ी। उस समय सप्लाई आफिसर श्री आर० डी० सक्सेना थे।

जब तक रेल भाड़ा और कोयले के दाम में कमी नहीं होती ईंटों के दाम कम करना भी संभव नहीं है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२९१ पर)

*१६—श्री दीपनारायण सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की रेल-कोल व रोड-कोल के द्वारा पकाये जाने वाली विभिन्न श्रेणियों की ईंटों के दामों में क्या अन्तर है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

वांछित सूचना संलग्न सूची "ख" में दी गयी है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२९१ पर)

*१७—श्री दीपनारायण सिंह—

क्या सरकार सी० आई० डी० द्वारा या अन्य प्रकार से यह जांच कराने की कृपा करेगी कि ईंटों के भट्ठा वालों ने जिला फतेहपुर के अधिकारियों को मिलाकर गत सवा वर्ष से अब तक (यानी जून, सन् १९६२ से १५ सितम्बर, १९६३) तक रेल से आने वाला कोयला रोड से आने वाला दिखा कर रेल कोल से पकी हुई अपनी ईंटों को रोड कोल से पकी हुई दिखा कर ऊंचे दामों में बेच कर कितना रुपया अधिक कमाया और कितनी ईंटें ब्लैक से बेची ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

समस्त भट्ठे वालों को रोड-कोल व रेल-कोल तथा उससे पकी हुई ईंटों का हिसाब अलग-अलग रखना पड़ता है जिसका पाक्षिक ब्योरा वे सप्लाई आफिसर के यहां भेजते हैं जो उन ईंटों का परमिट अलग-अलग काटते हैं जिससे कोई गड़बड़ी न हो सके ।

प्रमाण सहित कोई शिकायत किसी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध प्राप्त होने पर जांच की जा सकती है ।

श्री दीपनारायण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार १ अप्रैल, १९६३ से जिला फतेहपुर में ईंटों के दाम बढ़े हैं वह अन्य जिलों में भी बढ़े हैं रेल का किराया बढ़ जाने के कारण या केवल फतेहपुर में ही बढ़े हैं और यदि अन्तर है तो और जगह के मुकाबले कितना अन्तर है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

यह तो इस बात पर मनहसर करता है कि वह कोलियरी जिले से कितनी दूर है ? कहीं ज्यादा बढ़े हैं और कहीं कम ।

श्री दीपनारायण सिंह—

आपकी सूची में यह है कि रेल-कोल से जिले में ईंटों का दाम २८ के स्थान पर ३० हो गया है और रोड ३० की जगह ३७ हो गया है । यह जो दाम बढ़े हैं मेरी निजी जानकारी है कि फतेहपुर जिले में जो रेल-कोल आया है उसको कम दिखाया है और उसको रोड-कोल में परिवर्तन किया गया और रिश्वतखोरी के आधार पर उसकी सप्लाई हो रही है । इसकी सी० आई० डी० से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

इस प्रश्न का इससे संबंध नहीं था । यदि आप मुझे लिखकर देंगे तो मैं उसकी जानकारी कर लूंगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करने को जा रहे हैं या उन्होंने केन्द्रीय सरकार से कोई बातचीत की है कि रेल-कोल और रोड कोल में जो फर्क हो रहा है, ईटों के बनाने में जो फर्क हो रहा है वह इसलिये हो रहा है कि उनको रेल से माल ले जाने में कठिनाई पड़ती है या रेल से डिब्बे मिलने में कठिनाई पड़ती है ? तो कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार से उनकी बातचीत का क्या परिणाम निकला जिससे माल बाहर जा सके और डिब्बे मिल सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस साल गत वर्ष की अपेक्षा कोल की बहुत अच्छी पोजीशन है और अब तो रेल से भी बहुत आ गया है और लोग उठा भी नहीं रहे हैं ।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिले के सदर मुकाम में ईटों का क्या रेट है और अन्य कस्बों में क्या रेट है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस के लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जिले में जो कोयला मंगाया जाता है वह हेडक्वार्टर से ट्रंकों द्वारा दूसरे स्थानों को भेजा जाता है और इसलिये मंहगा पड़ता है, तो क्या उसे उन रेलवे स्टेशनों पर ही उतरवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कोयला तो स्टेशन पर ही उतरेगा ।

श्री मैनेजरसिंह—

एक भट्टे में १६ से १८ टन तक कोयला लगता है और दामों में बढ़ोत्तरी हुई है ७ रुपये और ९ रुपये हजार । इस तरह से एक लाख ईंट पर ७०० और ९०० रुपया अधिक दाम लगता है । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दामों में इतनी बढ़ोत्तरी क्यों हुई जब कि कोयले का दाम इतना नहीं बढ़ा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह दाम तो जिले में निर्धारित होते हैं । आप हमें लिख कर दें तो हम मालूम करा लेंगे कि ऐसा क्यों है ।

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

नोट—तारांकित प्रश्न १७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

बाराबंकी जिले में शकर वितरण के लाइसेंस

*१८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कितनी ऐसी अदालती पंचायतें हैं, जहां शकर वितरण हेतु एक लाइसेन्स से अधिक लाइसेन्स दिये गये हैं और हर अदालत क्षेत्र में कितने-कितने लाइसेंसदार हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

६१ न्याय पंचायतों में एक से अधिक शक्कर के फुटकर विक्रेता हैं। बाराबंकी जिले की प्रत्येक न्याय पंचायत में शक्कर के फुटकर विक्रेताओं की संख्या संलग्न सूची में दी है।

(देखिए परिशिष्ट 'घ—१' आगे पृष्ठ १२९२-१२९९ पर)

१९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिले में शकर के लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र देने की घोषित तिथि के अनुसार प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कितने लोगों को लाइसेन्स दिये गये और कितने लाइसेंस ऐसे हैं, जिनके संबंध में आवेदन-पत्र देने की तिथि विज्ञापित नहीं की गई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

शकर के फुटकर विक्रेता नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन-पत्र भेजने के लिये घोषित तिथि ३० अप्रैल, १९६३ थी। इस तिथि के अन्दर १११ फुटकर शकर विक्रेता नियुक्त किये गये तथा इसके बाद आवश्यकतानुसार ३१५ फुटकर विक्रेता और नियुक्त किये गये, इनमें से ९० की नियुक्ति बाद में या तो निरस्त कर दी गई या उन्होंने स्वयं त्याग-पत्र दे दिया। इस समय नगर और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर ३३६ फुटकर शकर विक्रेता हैं।

*२०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिले में दिये गये शकर वितरण के लाइसेन्स किन-किन बातों को ध्यान में रखकर दिये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

शकर के फुटकर विक्रेताओं की नियुक्ति निम्नलिखित आधार पर की गई है :

(१) वे व्यक्ति जो पूर्व १९५९-६१ शकर नियंत्रण काल में फुटकर शकर विक्रेता थे और जिनकी आज भी ख्याति अच्छी है।

(२) वे व्यक्ति जो पूर्व नियंत्रण के पश्चात् से शकर का फुटकर व्यापार कर रहे हैं और उनकी ख्याति अच्छी है।

(३) वे व्यक्ति जो फुटकर विक्रेता संबंधी जमानत जमा करने को तैयार थे जिन्हें इस कार्य के लिये ठीक समझा गया।

(४) उन व्यक्तियों को भी जो कि न्याय पंचायत के अकेले प्रार्थी थे और जहां पर कोई फुटकर शकर विक्रेता नियुक्त नहीं हुआ था या एक से अधिक फुटकर विक्रेता की आवश्यकता थी ।

मोहम्मदी नगरपालिका चुनाव

*२१—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खीरी जिला की मोहम्मदी नगरपालिका की गत आम चुनाव के समय प्रत्याशी होने के लिये जिन लोगों ने सिक्योरिटी का रुपया जमा किया था, उनमें से कितने लोगों ने धन वापस लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और कितनों का धन प्रार्थना-पत्र देने के बाद भी अभी तक वापस नहीं किया जा सका है जबकि कानूनन धन वापस हो जाना चाहिये था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मोहम्मदी नगरपालिका के गत आम चुनाव के समय कुल ४७ लोगों ने जमानत का रुपया जमा किया था, इनमें से ५ की जमानत जब्त हो गई थी, शेष ४२ की जमानत का रुपया फरवरी, १९६३ तक वापस कर दिया गया था । अब किसी की जमानत का रुपया वापस होना शेष नहीं है ।

*२२—श्री रामचरण शाह—

क्या यह सच है कि श्री राम स्वरूप ने अपना धन वापस लेने के लिये आवेदन-पत्र दिया था और उस पर चुनाव अधिकारी का आदेश हो गया और वाउचर बनने के बाद भी अभी तक धन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों और धन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्री रामस्वरूप ने अपना धन वापस लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था और वह भी अपना रुपया १६-११-६२ क. ले चुके हैं।

भूतपूर्व बनारस स्टेट के किसानों के जंगल सम्बन्धी अधिकार

*२३—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी के अन्तर्गत जो अधिकार भूतपूर्व बनारस स्टेट के जमाने में किसानों को जंगल के थे, क्या वही अधिकार अब भी प्राप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

शकर वितरण में असमानता

*२४—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि झांसी शहर में प्रति व्यक्ति १ किलो शकर दी जाती है, लेकिन देहाती जनता को सिर्फ आधा किलो एक परिवार पर दी जा रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की भिन्न नीति बरतने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रदेश के सभी नगर क्षेत्रों में शक्कर कार्ड पर एक किलो प्रति यूनिट प्रतिमास के हिसाब दी जाती है। देहातों में एक व्यक्ति को एक बार में आधा किलो शक्कर मिलती है। वर्तमान शक्कर वितरण व्यवस्था नगर और ग्राम क्षेत्रों में भेद करने के उद्देश्य से नहीं वरन् व्यावहारिकता की दृष्टि से अपनाई गयी है।

टाउन एरिया, बहजोई में पथ-कर

*२५—श्री बिशन लाल यादव (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया बहजोई, जिला मुरादाबाद में चुंगी लगाने के सम्बन्ध में जिलाधीश मुरादाबाद ने कुछ कागजात सरकार को २५ जून, सन् १९६३ ई० को भेजे? यदि हां, तो अब तक उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

चुंगी (Octtoi) लगाने के सम्बन्ध में जिलाधीश मुरादाबाद से कोई कागज शासन को प्राप्त नहीं हुये हैं। टाउन एरिया कमेटी बहजोई द्वारा पथकर आरोपण का प्रस्ताव व नियमावली अवश्य प्राप्त हुई थी जो शासन के द्वारा विचार के बाद २७ सितम्बर, १९६३ को शासकीय विज्ञप्ति द्वारा दावे तथा आपत्तियों के लिये गजट में छपाई जा चुकी है। दावे तथा आपत्तियों की प्राप्ति की तिथि (१५-१०-१९६३) के उपरान्त इन पथकर नियमों को गजट में अंतिम रूप से छपाने के लिये विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

*२६—श्री बिशनलाल यादव—

क्या सरकार टाउन एरिया बहजोई में शीघ्रातिशीघ्र चुंगी लगवाने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

शासकीय स्तर से पथकर लगवाने की कार्यवाही सम्पूर्ण की जा चुकी है। गजट में पथकर नियमों के अन्तिम प्रकाशन के बाद जिस तिथि से पथकर टाउन एरिया कमेटी बहजोई द्वारा लगाये जायेंगे, उस तिथि का जिलाधीश स्वयं गजट में प्रकाशन करेंगे। अतः अब जिला स्तर पर ही कार्यवाही सम्पूर्ण होनी है जिसे शीघ्र सम्पन्न कराने के आदेश जिलाधीश को दिये जा चुके हैं।

मथुरा नगरपालिका के चेयरमैन का इस्तीफा

*२७—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मथुरा नगरपालिका के चेयरमैन ने २ माह पहले इस्तीफा दे दिया है? यदि हां, तो आज तक सरकार ने स्वीकृति क्यों नहीं दी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। राज्य सरकार ने शासकीय आदेश सं० ४००७-ए/११-ए-७८२/६३, दि० २५ सितम्बर, १९६३ द्वारा इस्तीफे को स्वीकार कर लिया।

*२८—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या मथुरा नगरपालिका में ३ साल से वाइस चेयरमैन का भी चुनाव नहीं हुआ है? क्या सरकार शीघ्र वाइस चेयरमैन का चुनाव कराने का प्रबन्ध करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं। मथुरा नगरपालिका में सीनियर व जूनियर वाइस प्रेसीडेन्ट के पद पर क्रमशः सर्वश्री गोविन्द उर्फ रूसी पंडा व बसंतलाल यादव ने १५ अप्रैल, १९६२ तक काम किया। इसके पश्चात् नगरपालिका ने कोई चुनाव नहीं किया और दोनों स्थान रिक्त पड़े रहे। अध्यक्ष द्वारा अपने पद से दिए गये इस्तीफे की सरकार द्वारा स्वीकृति होने के पश्चात् जिलाधीश मथुरा ने वाइस प्रेसीडेन्ट के चुनाव के लिए २८ अक्टूबर, १९६३ को बोर्ड की मीटिंग बुलायी थी लेकिन कोरम के अभाव में चुनाव न हो सका और मीटिंग स्थगित कर दी गई।

लखनऊ के हलवाइयों का स्मृति-पत्र

*२९—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को लखनऊ के हलवाइयों का शक्कर के कोटे की कटौती के सम्बन्ध में कोई स्मृति-पत्र मिला है? यदि हां, तो सरकार इस कटौती को पूरा करने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। सभी उपभोक्ताओं के कोटे ठीक से निर्धारित होने के लिये जिला अधिकारीगण-जांच कर रहे हैं।

फर्रूखाबाद जिले में सीमेंट की कमी

*३०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले में कई माह से सीमेंट की भारी कमी है, और कुओं व अन्य विकास के कार्यों के लिए भी सीमेंट नहीं मिल रहा है जिससे अधूरे काम पड़े हैं और अगर यही दशा रही, तो जो कार्य आधा बन पाया है, वह भी नष्ट हो जायगा?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। अक्तूबर, १९६३ से सीमेन्ट की सप्लाई में कमी हुई है जिसको पूरा करने के लिये सक्रिय कदम उठा लिये गये हैं।

*३१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही फर्रुखाबाद जिले में सीमेंट की ठीक से व्यवस्था करने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार ने इसके लिये उचित व्यवस्था कर दी है।

भूमि-भवन-कर का विरोध

*३२—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की कौन-कौन महापालिका, नगरपालिका, नोटीफाइट एरिया तथा टाउन एरिया कमेटी ने भूमि भवन कर न लगाये जाने का प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

नगर महापालिका, वाराणसी, लखनऊ तथा आगरा, नगरपालिका, मेरठ, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, धारापुर, बिलसी, देवरिया, अल्मोड़ा, वृन्दावन, आजमगढ़, नोटीफाइड एरिया बनौरा और टाउन एरिया, गोला (गोरखपुर) इत्यादि ने भूमि और भवन कर न लगाये जाने का प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा है।

***३३---श्री रघुवीर---**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूमि भवन कर लगने के कारण जनता में असन्तोष है तथा इनके विरोध में कहां-कहां हड़ताल एवं सभाएं कर प्रस्ताव पास किया गया और सरकार के पास भेजा गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

सरकार को प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या से ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि जनता में भूमि और भवन कर लगने के कारण असंतोष है। जहां तक सरकार को ज्ञात है केवल टाउन एरिया कुन्दरकी (मुरादाबाद), बहादुरगंज (गाजीपुर) और रुद्रपुर (देवरिया) की जनता ने और नगरपालिका गौरीबरहज (देवरिया) के व्यापारिक संघ ने कर के विरोध में सभाएं कीं और उनके प्रस्ताव सरकार के पास भेजे।

शिकोहाबाद का कोल-डम्प

***३४---श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा), श्री खेमचन्द (जिला आगरा) तथा श्री भूपसिंह (जिला अलीगढ़)---**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कांच उद्योग के लिये कोयले की पूर्ति का ध्यान रखते हुये, सरकार की ओर से एक "कोल-डम्प", कांच उद्योग के प्रमुख केन्द्र फीरोजाबाद में न बनवाकर, शिकोहाबाद, जो वहां से लगभग १५-१६ मील पर है, में बनाये जाने का विचार हो रहा है ? यदि हां, तो ऐसा करने के कारण क्या हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

शिकोहाबाद में जो कोल डम्प बनाया गया है वह मैनपुरी, आगरा तथा इटावा जिलों के निकटवर्ती क्षेत्रों में भट्ठे का कोयला तथा घरेलू प्रयोग के कोयले की पूर्ति के लिये है।

फीरोजाबाद के कांच उद्योग तथा अन्य उद्योगों के लिये कोयले की पूर्ति जैसे अब तक रही है वैसे ही रहेगी।

***३५---श्री भगवानदास यादवेन्दु, श्री खेमचन्द तथा श्री भूपसिंह---**

क्या सरकार कांच उद्योग के कारखानेदार एवं मजदूरों की दिक्कत को दूर करने के लिए इस "कोल डम्प" को फीरोजाबाद में ही किसी उचित स्थान पर स्थापित करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

प्रश्न नहीं उठता।

इटावा जेल का रजिस्टर

***३६---श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)---**

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इटावा जिला जेल का पुराना रजिस्टर जिसमें कैदियों का विवरण रहता है, फट गया है और इसके कारण पुराने राजनीतिक पीड़ितों को बड़ी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस रजिस्टर को पुनः बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। कुछ ऐसे पुराने रजिस्टर फट गए हैं। सम्भव है पुराने राजनीतिक पीड़ितों को इससे कुछ असुविधा हो रही हो। किन्तु वे रजिस्टर अब फिर से नहीं बनाए जा सकते।

विकास खण्ड, वर्डपुर का बीज भण्डार

*३७—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विकास खण्ड वर्डपुर के कृषि बीज भण्डार से जो बीज १९६१-६२ में वितरित किया गया था, उस का पैसा अमीन के आने के पूर्व ही उक्त बीज भण्डार के इंचार्ज ने वसूल करके गबन कर लिया? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच करायी है तथा उस पर क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गयी?

श्री चरणसिंह—

साधारण नियम यह है कि बीज का दाम सीड स्टोर इंचार्ज समय पर वसूल करके खजाने में जमा कर देता है। जो बकाया रहता है वह अमीन के द्वारा बाद को वसूल होता है। बर्डपुर बीज भंडार से भी इन्चार्ज ने ऐसे ही रुपया वसूल करके खजाने में जमा किया। गबन का प्रश्न नहीं उठता।

बदायूं जिले में चीनी के कोटे

*३८—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में चीनी पर कन्ट्रोल होने के बाद अब तक कितनी चीनी का कोटा दिया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना निम्नलिखित है—

कब से कब तक	मात्रा
	मी० टन
१५-४ से १५-५-६३	१००
१६-५ से १६-६-६३	२००
१६-६ से १५-७-६३	२५१
१६-७ से ३१-७-६३	१५०
१-८ से ३१-८-६३	२५०
१-९ से ३०-९-६३	३२२
१-१० से २१-१०-६३	२४०
२२-१० से ३१-१०-६३	१८०
१-११ से २२-११-६३	१२५
२३-११ से २२-१२-६३	२९२
योग ..	२,११०

*३९—श्री जुगलकिशोर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में प्रत्येक तहसील तथा प्रत्येक ब्लाक को कितना-कितना चीनी का कोटा दिया गया और उसका वितरण किस आधार पर किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी है। वितरण आवश्यकता व दुकानों पर चीनी उठने के आधार पर किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १३००–१३०४ पर)

जिला कृषि अधिकारी तथा फार्म मैनेजमेंट आफिसर के पदों पर हरिजन

*४०—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष जिला कृषि अधिकारी एवं फार्म मैनेजमेंट आफिसर के पदों के लिए अलग-अलग कितने हरिजन चुने गये हैं ?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*४१—श्री चन्द्रशेखरसिंह (जिला देवरिया)—

[१८ दिसम्बर, १९६३ के लिए प्रश्न १५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मेसर्स करमचन्द थापर एण्ड कम्पनी के साथ कोयला आयात सम्बन्धी समझौता

*४२—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सही है कि सरकार ने मई या जून, १९६३ में M/S करम चन्द थापर ऐन्ड कम्पनी आफ गोरखपुर के साथ ऐसा agreement किया है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में Barvine Railway Station के रास्ते जितना कोयला आयेगा, वह सब उन्हीं की सप्लाई आ सकता है अर्थात् उन्हें Sole and only Supplier of Coal बना दिया है ? यदि हां, तो क्या उस agreement की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

ऐग्रीमेन्ट जून, सन् १९६३ में हुआ। इसकी† प्रतिलिपि संलग्न है। इस ऐग्रीमेन्ट में सर्वश्री करम चन्द थापर एन्ड ब्रादर्स को Sole and only Supplier of Coal नहीं बनाया गया है।

*४३—श्री तेजसिंह—

क्या सरकार के पास यह शिकायत पहुंची है कि इस तरह की monopoly देने से transport के rates बढ़ गये हैं और कोयले का movement कम हो गया है, जिससे consumer को बहुत असुविधा हो रही है ? क्या सरकार इस agreement को रद्द देने पर विचार करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं। ऐग्रीमेन्ट (agreement) की अवधि ३१ मार्च, १९६४ तक है। अतः इसके हटाने का प्रश्न इस तिथि के बाद ही उठ सकता है।

---

†छापी नहीं गई।

नगरपालिका सीमा में दुधारू जानवरों पर लाइसेन्स सम्बन्धी योजना

*४४—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह किसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अनुसार नगरपालिकाओं की सीमा में दुधारू जानवरों पर लाइसेन्स फीस लगायी जायगी ? यदि हां, तो वह पूर्ण योजना क्या है तथा वह कब से कार्यान्वित होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अभी ऐसी कोई योजना तैयार नहीं है परन्तु इस प्रश्न पर विचार हो रहा है।

*४५-४७—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

[हटा दिये गये।]

धान कूटने की छोटी मशीन

*४८—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या खाद्य मंत्री को यह ज्ञात है कि धान कूटने वाली छोटी मशीन नं २ पर रोक लगायी गयी है और उन्हें चलाने के लिए लाइसेन्स नहीं दिया जाता ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

धान कूटनेवाली छोटी मशीन (हलर) का लाइसेन्स साधारणतः देने की नीति नहीं है, यद्यपि नियमों में यह पूर्णतः वंचित नहीं है। इसका कारण यह है कि इस छोटी मशीन से चावल की काफी मात्रा में टूट-फूट होती है जिससे गल्ले की राष्ट्रीय क्षति होती है।

*४९—श्री मन्नालाल—

यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बड़ी मशीनों की अनुमति दी जाती है तो छोटी मशीनों पर पाबन्दी लगाने से कुटीर उद्योग समाप्त हो जायेगा, सरकार उक्त पाबन्दी हटाने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इससे कुटीर उद्योग धंधों की क्षति नहीं होती बल्कि हाथ कुटे चावल से उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है।

झांसी जिले में साफ्ट कोक की दूकानें

*५०—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोठ, जिला झांसी जिसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है व जिसके आस-पास समथर चिरगांव, बड़ा गांव इत्यादि बड़े बड़े ग्राम हैं इनमें कोई साफ्ट कोल की दुकान न होने का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि सरकार को शीघ्र साफ्ट कोल की दुकान खोले जाने के प्रार्थनापत्र कुछ व्यापारियों ने भेजे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रदेश में कोयले की आयात स्थिति अनुकूल न होने के कारण मोठ, जिला झांसी में कोई कोयले का डिपो न खोला जा सका था। यह सत्य है कि इस विषय का प्रार्थना पत्र सरकार को प्राप्त हुआ तथा कोयले की स्थिति में सुधार होने पर अब मोठ में एक कोल डिपो की स्वीकृति दे दी गयी है।

*५१—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी शहर में साफ्ट कोल व अन्य कोल के लाइसेन्स किन-किन व्यक्तियों के पास हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

झांसी शहर के साफ्ट कोक व अन्य कोल के लाइसेन्सीज के नाम निम्नलिखित हैं :—

साफ्ट कोक .. १—सर्वश्री जुगल किशोर नेमी चन्दी
२—लक्ष्मन प्रसाद साहू
३—विश्वास राव कदम
४—जैराम शर्मा
५—श्रीमती लीलावती पान्डे

स्संक कोल .. १—सर्वश्री भार्गव विल्डर्स कारपोरेशन
२—वासदेव प्रसाद अग्रवाल ।

सुपर फास्फेट का क्रय

*५२—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में चालू वित्तीय वर्ष में कितने टन सुपर फास्फेट खरीदने का निश्चय किया था और उसके लिए किन किन कम्पनियों से कोटेशन मांगे गये थे और उन कम्पनियों ने क्या रेट दिये थे ?

श्री चरणसिंह—

१९६३-६४ में लगभग १५,००० टन सुपरफास्फेट खरीदने का निश्चय था। भारत सरकार ने दो फर्मों के नाम और रेट स्वीकार किये थे। एक मेसर्स डी० सी० एम० और दूसरे रैलिस इंडिया। कोटेशन मांगने का काम उद्योग निदेशक का है। जब उन से परामर्श किया गया कि कोटेशन मांगे जायं या नहीं तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि चूंकि कीमतें भारत सरकार के द्वारा निश्चित कर दी गयी हैं, इन दोनों फर्मों से खरीदारी की जा सकती है। अतः इस खरीदारी के लिये उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। बाद को जब एक और फर्म मेसर्स यूनीवर्सल ट्रेडर्स का रेट आया जो कि इन दोनों फर्मों से कुछ कम था तो भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया और उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया कि भारत सरकार की स्वीकृति होते हुये भी जहां सस्ता मिल सके वहां से खरीदारी करने का सरकार को अधिकार है। खरीफ की फसल के लिये सुपर फास्फेट के लिये आर्डर दिये जा चुके थे और जिलों में माल पहुंच रहा था। अतः उसको बीच में बन्द करना सम्भव न था क्योंकि इससे खरीफ अभियान को धक्का लगता था। फिर भी रबी के लिये जो सुपरफास्फेट चाहिये उसके लिये टेन्डर मांगे जायं। उद्योग निदेशक से सूचना प्राप्त होने के अनुसार ५,००० टन की खरीदारी का टेन्डर रैलिस इंडिया का तथा ३,००० टन की खरीदारी का डी० सी० एम० का स्वीकार हुआ। इस टेन्डर के लिये मेसर्स यूनीवर्सल ट्रेडर्स ने कोई कोटेशन नहीं दिया। चूंकि टेन्डर तय करने का पूर्ण अधिकार उद्योग निदेशक का है इस लिये यह विभाग उन टेन्डरों में किन-किन अन्य फर्मों ने क्या रेट दिये इसके बारे में पूछ-तांछ करना उचित नहीं समझती ।

*५३—श्री भीखालाल—

क्या यह सही है कि जिस कम्पनी ने कम रेट पर सुपरफास्फेट देने का कोटेशन दिया था उसको आर्डर न देकर एक अन्य कम्पनी को सप्लाई का आर्डर दिया गया था जिसके रेट ज्यादा थे ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री चरणसिंह—

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि मैसर्स यूनीवर्सल ट्रेडर्स ने कम दाम पर सरकार को सुपरफास्फेट देने के लिये कहा था, चूंकि भारत सरकार ने दो अन्य फर्म तथा रेट की स्वीकृति दी थी और सब प्रबन्ध हो चुका था इस लिये इस फर्म से खरीदारी खरीफ में न की जा सकी। रबी के लिये जो टेन्डर मांगा गया वह खुला टेन्डर था, जिसमें रैलिस इंडिया और डी० सी० एम० का ही रेट उद्योग निदेशक ने स्वीकार किया है।

*५४—श्री भीखालाल—

क्या यह सही है कि रैलिस इन्डिया लिमिटेड को २१५ रुपया प्रति टन की दर से सप्लाई करने का आर्डर कृषि विभाग ने दिया जब कि इसी कम्पनी ने उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन को २०० रुपया प्रति टन पर सप्लाई करने का वचन दिया था। यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया और इससे सरकारी कोष को कितने का घाटा उठाना पड़ा है ?

श्री चरणसिंह—

रैलिस इंडिया का रेट जो उद्योग निदेशक ने स्वीकृत किया था वह २१५ रु० फी टन था। निजी तौर से पता चला है कि फर्म ने कोआपरेटिव फैडरेशन को भी इसी रेट पर दिया था। परन्तु उन्हें ५ रु० प्रति टन का सप्लाई का फौरन पेमेन्ट करने के लिये खास रिबेट दिया है। फर्म ने सरकार को भी इस बारे में लिखा है। फर्म का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, सरकार को सुपरफास्फेट खरीदने व बेचने में कोई घाटा नहीं हुआ।

पीलीभीत जिले में चावल की बिक्री

*५५—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा जिला पीलीभीत में चावल (गजराज) के उत्पादन पर ५० प्रतिशत, १६ रुपये ७५ नये पैसे प्रति मन के हिसाब से खरीद लेने के पश्चात बकाया ५० प्रतिशत चावल की भी कोई कीमत निश्चित की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वर्तमान लागू राइस (उत्तर प्रदेश) प्राइस कन्ट्रोल आर्डर, १९६३ के अनुसार पीलीभीत जिले में ६० प्रतिशत गजराज अरवा चावल की खरीदारी रु० ४७.५६ न० पै० प्रति क्विन्टल या लगभग १७ रुपये ७५ न०पै० प्रतिमन के हिसाब से की जाती है। उक्त आदेश के अन्तर्गत बाकी ४० प्रतिशत चावल थोक मात्रा में इसी भाव पर बेचना अनिवार्य है। चावल के भाव को बढ़ने से रोकने के लिये ऐसा करना आवश्यक समझा गया।

टोड़ी फतेहपुर को टाउन एरिया बनाने की प्रार्थना

*५६—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले में टोड़ी-फतेहपुर की आबादी लगे हुये ग्रामों को मिला कर पांच हजार से अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कस्बे में टाउन एरिया बनाने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

प्रथम भाग—
जी नहीं ।

द्वितीय एवं तृतीय भाग—
प्रश्न ही नहीं उठता है।

चावल उगाही निर्देश

*५७—श्री रामप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश सरकार को कोई निर्देश चावल के प्रोक्योरमेन्ट के सम्बन्ध में दिया है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है तथा सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

भारत सरकार ने निम्नलिखित सुझाव दिया था :—

चावल की खरीदारी में वृद्धि की जाय तथा अतिरेक चावल भारत सरकार के सुरक्षित भंडार हेतु एवं वर्तमान उपभोग के लिये दिया जाये ।

प्रदेशीय सरकार ने इस विषय में निम्नलिखित कार्यवाही की है :—

(१) चावल की उगाही का प्रतिशत लाइसेन्स प्राप्त धान कूटने के व्यवसायियों तथा खाद्यान्न व्यापारियों पर, श्रेणी १ और १ स्पेशल के चावल के लिये १० से २५ तथा २, २ ए, २ स्पेशल, ३, ३ ए, ४ और ५ के लिये ५० से ६० कर दिया गया है ।

(२) निम्नलिखित क्षेत्रों को भी चावल उगाही भाव नियंत्रण आज्ञा के अन्तर्गत लाया गया है ।

१—जिला अलीगढ़,

२—जिला बुलन्दशहर की खुरजा तहसील ,

३—जिला गढ़वाल का तराई भावर क्षेत्र ,

४—जिला जालौन का माधोगढ़ क्षेत्र और

५—जिला गाजीपुर की जमानियां तहसील ।

मिट्टी के तेल पर कण्ट्रोल

*५८—श्री शिवेन्द्र प्रताप—

क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश को छोड़ कर किसी अन्य राज्य में मिट्टी के तेल पर कन्ट्रोल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कन्ट्रोल का क्या कारण है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी —

जी नहीं । भारत सरकार का किरोसीन (प्राइस कन्ट्रोल) आर्डर, १९६३ [kerosene (Price control) order, 1963] सब राज्यों में लागू है ।

*५९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[२ दिसम्बर, १९६३ में प्रश्न १६१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

मत्स्य पालन

*६०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मत्स्य पालन के बड़े-बड़े केन्द्र कहां-कहां हैं और उन पर वार्षिक व्यय कितना होता है तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन मत्स्योत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित है और क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री चरणसिंह—

इस समय प्रदेश में मत्स्य पालन के बड़े-बड़े केन्द्र झांसी पीलीभीत, मिर्जापुर मोंडा, आगरा, हमीरपुर तथा वाराणसी जिलों में हैं। उक्त केन्द्रों पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन अब तक हुये वार्षिक व्यय का विवरण तालिका 'अ' में संलग्न है। इन केन्द्रों पर तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में ४६, ५०० मन मत्स्योत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है तथा इस वर्ष तक ४,००० मन मत्स्योत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है। इस साल अब तक २,०७१ मन मत्स्योत्पादन हो चुका है। उक्त जिलों में बड़े-बड़े जलाशयों की मात्रा काफी है और मत्स्योत्पादन का कार्य यहां अच्छे रूप से बढाया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १३०५ पर)

देवरिया जिले में सस्ते गल्ले की दुकानें

*६१— श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कुछ सस्ते गल्ले की दुकानें ऐसी हैं जो अपने निर्धारित सेन्टरों पर नहीं चलती हैं और खास तौर से भाटपार रानी में ? यदि हां, तो वे दुकानें कौन-कौन सी हैं और किराया किस हिसाब से दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

देवरिया जिले में इस समय जो दूकानें अपने केन्द्रों पर न चल कर दूसरे स्थानों पर चल रही हैं उनके नाम माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में अंकित हैं। जिस हिसाब से इन दूकानों को किराया दिया जाता है उससे संबंधित सूचना भी उक्त सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १३०६ पर)

भूमि–भवन कर

*६२—सर्वश्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ) रघुवीर (जिला गाजीपुर), रामसुन्दर शास्त्री झिलमिटराम (जिला आजमगढ़), सरदार सिंह यूसुफ (जिला कानपुर) ऊदल (जिला वाराणसी) छागुर राम (जिला आजमगढ़) विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी) तथा श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) —

क्या स्वायत शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नागर-क्षेत्रों में लागू होने वाले "भवन-कर को, वापस करने पर विचार कर रहे हैं ?

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नागर क्षेत्रों में लागू होने वाले 'भूमि–भवन कर' को वापस करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं। ऐसा कोई विचार नहीं है।

[१७ दिसम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न १२५ अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६३—सर्वश्री झारखण्डे राय आदि—

*६४—श्री रामसुन्दर पांडेय —

[६ठें सोमवार के लिए स्थगित किया गया।]

*६५—श्री रामसुन्दर पांडेय —

[६ठें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६६—६७ श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[६ ठें सोमवार के लिए स्थगित किये गये।]

कृषि बीज भण्डार, रामसनेही घाट के विरुद्ध शिकायतें

*६८— श्री गिरजा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि बीज भंडार रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम सोहासा, सकतपुर, इलाहीमाबाद, डिंासरी भीखरपुर, सूर्यपुर के किसानों ने शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक २१–२२–२४ अगस्त, १९६३ को कृषि-मंत्री ,उप कृषि संचालक मुख्य मंत्री तथा जिलाधीश को दिया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह —

जी हां मुझे उप कृषि निदेशक, फैजाबाद तथा जिलाधीश, बाराबंकी द्वारा कृषकों के शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं जिसमें उन्होंने रासायनिक खाद को निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचने तथा गल्ला व्यापारियों के हाथ बेचने के सम्बन्ध में शिकायत की है। इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच हो रही है तथा सम्बन्धित बीज भंडार के इंचार्ज का स्थानान्तरण कर दिया गया है। विशेष आडिट को भी आज्ञा दे दी गई है।

*६९–७१—श्री चन्द्रबली सिंह—

[६ ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

फतेहपुर जिले में टीन का वितरण

*७२—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर को सन् १९६३ में टीन (पनालीदार) का कितना कोटा कब –कब प्राप्त हुआ तथा उसमें से कितने व्यक्तियों को वितरित किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

१९६३ ई० मे जिला फतेहपुर में ४४.७१ टन पनालीदार टीन का कोटा ६ मार्च, १९६३ को प्राप्त हुआ जो कि ३८५ व्यक्तियों को वितरित किया गया।

रायबरेली जिले में बांटों की जब्ती

*७३—श्री रतीपाल (जिला राय बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिलें में पुराने बांटों को जब्त करने के लिये कौन –कौन से आदेश दिये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

इस जिले के पुराने बांटों को जब्त करने के लिये कोई अलग आदेश नहीं दिया गया है। १ अप्रैल, १९६२ के उपरान्त भी जब व्यापारियों ने पुराने बाटों का प्रयोग बन्द नहीं किया तब सरकार को बाध्य हो कर पुराने बाटों को उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ की धारा १६(४) तथा नियमावली की धारा २२ (१) के अन्तर्गत जब्त करने के लिये नियंत्रक बाट तथा माप को आदेश देना पड़ा, जो समस्त प्रदेश के लिये था।

*७४—श्री रतीपाल—

क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश दिया है कि आदमियों के घर से जबरदस्ती बांट एवं तराजू निकाले जायं ? यदि हां, तो ऐसी कितनी घटनायें जिला रायबरेली के अन्तर्गत हुयीं और उन व्यक्तियों के प्रति सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

मोहम्मदी नगरपालिका की भूमि तथा भवन-कर सम्बन्धी सूची

*७५—श्री मन्नालाल—

क्या सरकार को इसकी सूचना है कि भूमि तथा भवन कर के संबंध में असेसमेन्ट की जो सूची खीरी जिले की मोहम्मदी नगरपालिका के लिये तैयार की गई है उजरदारी के लिये देखने हेतु वह लखनऊ में रक्खी गई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह कहना सही नहीं होगा कि भूमि और भवन कर के संबंध में मोहम्मदी नगरपालिका की असेसमेन्ट की सूची लखनऊ ही में रखी गई । वास्तव में उक्त सूची नगरपालिका, मोहम्मदी के कार्यालय में उजरदारी के लिये रखी गई थी और उसकी एक प्रति लखनऊ में संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय में रखी गई थी ।

*७६—श्री मन्नालाल—

क्या सरकार जनता की इस असुविधा को देखते हुए कि मोहम्मदी से लखनऊ को कोई सीधी ट्रेन का संबंध नहीं है तथा लखनऊ आने जाने में दो दिन तथा लगभग १५ रुपये व्यय करना पड़ता है, कोई ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि जिससे वह सूची लोग मोहम्मदी में ही देख सकें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

चूंकि उक्त सूची मोहम्मदी में भी देखी जा सकती थी, अतः लखनऊ आने, जाने और धन व्यय करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*७७—श्री मन्नालाल—

यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसका प्रश्न नहीं उठता ।

अमीनाबाद स्थित माताबदल पन्सारी बिल्डिग का एलाटमेंट

*७८—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि अमीनाबाद में राम कृष्ण मिशन के पीछे माताबदल पन्सारी बिल्डिंग जो रेंट कन्ट्रोल के अधीन है, जून, १९६३ में पुराने किरायेदार ने खाली की थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां ।

*७९—श्री रामलखन वकील—

यदि हां, तो उक्त बिल्डिंग के खाली होते ही कई लोगों ने दरख्वास्तें दीं, किन्तु अभी तक किसी को अलाट क्यों नहीं हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रश्न गत मकान कानूनी कार्यवाही के पश्चात् श्री बालेश्वर प्रसाद को एलाट किया जा चुका है ।

*८०—श्री रामलखन वकील—

क्या यह सत्य है कि उक्त बिल्डिंग एक बड़े धनी व्यक्ति की है इसलिये अभी खाली पड़ी है और किसी को उसके असर के कारण अलाट नहीं होती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं ।

*८१—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*८२—श्री उल्फतसिंह यादव—

[६वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बुलन्दशहर जिले में ईंटों का आकार

*८३—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बुलन्दशहर में आमतौर से ईंटों के भट्ठों पर कन्ट्रोल आर्डर के अनुसार जो ईंटों का स्टैन्डर्ड साइज है, उससे छोटी ईंटें बनाई जाती हैं ? क्या इस विषय में जिला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा हाल में जिला सप्लाई आफिसर से मौखिक शिकायत की गई है ? क्या सरकार पूरी जांच करने की कृपा करेगी और भविष्य में सही साइज की ईंटें बनवाने पर भट्ठे वालों को आदेश देगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

इस प्रकार की लिखित शिकायत जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई । परन्तु २६ सितम्बर, १९६३ को अध्यक्ष, जिला परिषद् बुलन्दशहर ने जिला पूर्ति अधिकारी का ध्यान इस ओर मौखिक रूप से दिलाया । उस पर जांच की गई । लेकिन ईंटों के उत्पादन का समय (Season) समाप्त होने के कारण भट्ठों पर ईंटें उपलब्ध नहीं थीं । इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये व भविष्य में इसकी रोकथाम के लिये जांच की जा रही है और समस्त भट्ठे वालों को आदेश दे दिये गये हैं कि वह सही साइज की ईंटें बनावें ।

*८४—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार ने जिला बुलन्दशहर में ऐसे भट्ठे वालों के विरुद्ध जो कि स्टैण्डर्ड साइज से छोटी ईंटें बनाते हैं कभी कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपरोक्त उत्तर के बाद यह प्रश्न नहीं उठता ।

*८५—श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती) तथा श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ)—

[१९ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न संख्या १६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

खाद्य तथा पूर्ति विभाग से हिन्दी में पत्र-व्यवहार

*८६—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खाद्य तथा पूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश ने सन् १९६२-६३ में कितने पत्र अपने कार्यालय से सेंट्रल गवर्नमेन्ट को हिन्दी तथा अंग्रेजी में भेजे हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस विभाग में केन्द्रीय सरकार को भेजे गए पत्रों का अलग ब्यौरा नहीं रक्खा गया है। अतः सन् १९६२-६३ में ऐसे पत्रों की संख्या तथा इनमें से कितने पत्र हिन्दी में थे और कितने अंग्रेजी में, यह बताना संभव नहीं है।

*८७—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय के खाद्य तथा पूर्ति विभाग में पूरे प्रान्त से १९६२-६३ में कितने पत्र हिन्दी में आये हैं और उनमें कितनों पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजे गये हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस विभाग में १९६२-६३ में जो पत्र प्रान्त से आए उनमें से कितने हिन्दी में थे इसका ब्यौरा नहीं रक्खा गया है।

*८८—श्री सुखदेवप्रसाद—

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर जो अंग्रेजी में दिये गये हैं, उनका क्या कारण है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रश्न नहीं उठता।

*८९-९० श्री शुगन चन्द मजदूर—

[६वे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

नगरपालिका बस्ती के मेहतरों की मांगें

*९१—श्री जमादारसिंह—

क्या सरकार को मालूम है कि नगरपालिका बस्ती के महतरों की हड़ताल २ रुपया वेतन तथा ५ रुपया मकान का व ५ रुपया महंगाई को ले कर महीनों से हो रही है और १ मार्च, सन् १९६२ तथा ३१ जुलाई, १९६२ को राजाज्ञा द्वारा दी गयी रकम भी मेहतरों को नहीं दी गयी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

नगरपालिका बस्ती के मेहतरों की हड़ताल २० सितम्बर, १९६३ से चल रही है। उनकी मांगों में प्रश्न में उल्लिखित मांगें भी सम्मिलित हैं। इन मांगों के संबंध में स्थिति यह है कि क्रमशः शासकीय आदेश दिनांक १ मार्च, १९६२ तथा शासकीय आदेश दिनांक ३१ जुलाई, १९६२ द्वारा नगरपालिकायें अपने कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में २ रुपये की वृद्धि तथा ५ रुपये का विवेक भत्ता (Di cretionary All wan e) उसी अवस्था में दे सकती हैं जब कि उनकी आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक हो। नगरपालिका बस्ती की आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होने के कारण वह उक्त वेतन वृद्धि तथा भत्ता देने में असमर्थ है।

जहां तक मेहतरों को मकान भत्ता देने का प्रश्न है शासन द्वारा ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये हैं, जिसके अनुसार नगरपालिका यह भत्ता दे सके।

*९२—श्री जमादार सिंह—

[हटा दिया गया।]

जिला पूर्ति एवं रसद कार्यालय, फर्रुखाबाद के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*९३—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या फर्रुखाबाद जिला पूर्ति एवं रसद कार्यालय की जांच पिछले २-३ मास में किसी उच्च अधिकारी द्वारा किये जाने के पश्चात् उक्त कार्यालय के किन्हीं कर्मचारियों के स्थानान्तरण का आदेश दिया गया ? यदि हां, तो वह अब तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। स्थानान्तरित कर्मचारियों के स्थान पर आने वाले कर्मचारियों ने अभी तक कार्यभार नहीं लिया है।

*९४-९५—श्री श्रीराम—

[६वे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९६-९८—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

[६वे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

अमरोहा नगरपालिका में अनियमितताएं

*९९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय जनसंघ अमरोहा मण्डल की ओर से कोई प्रतिवेदन उन्हें अमरोहा नगरपालिका में व्याप्त अनियमितताओं के बारे में अक्तूबर मास १९६३ के मध्य में प्राप्त हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां।

*१००—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिलाधीश मुरादाबाद को लिखा गया है कि वह उक्त शिकायत में लगाये गये आरोपों की जांच करें और शासन को आयुक्त रुहेलखण्ड मण्डल के माध्यम से रिपोर्ट शीघ्र भेजें।

*१०१-१०२—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

[६वे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१०३-१०४—श्री ऊदल—

[१९ दिसम्बर १९६३ के लिये प्रश्न संख्या १६७-१६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

महानगरपालिकाओं के द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र

*१०५—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार महानगरपालिकाओं के द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाने का है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं ।

जेल के गल्ला गोदाम का निरीक्षण

*१०६—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नान-आफिशल जेल निरीक्षक के लिये इन्स्पेक्टर जनरल, जेल का कोई इस तरह का आदेश है कि वह जेल के गल्ला गोदाम का निरीक्षण नहीं कर सकता ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं । नान-आफिशल जेल निरीक्षक के लिये कारागार महानिरीक्षक का कोई इस तरह का आदेश नहीं है जिसके अन्तर्गत वे जेल के गल्ला गोदाम का निरीक्षण न कर सकें ।

*१०७—श्री सन्त सिंह यूसुफ—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ५वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मिर्जापुर जिले की पेय जल समस्या

*१०८—श्री रामप्यारे मिश्र (जिला मिर्जापुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले का विशेषकर जो पिछड़ा तथा पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें पेय जल के कुवें बनाने की जो जनता से लागत का १० प्रतिशत खर्च लेकर योजना है उस योजना के अन्तर्गत कितने बनाने निश्चय हुए है और कितने कुओं के लिये किन-किन क्षेत्र समितियों से जनता द्वारा १० प्रतिशत खर्च हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

३० नवीन कुवें बनाने तथा २८३ पुराने कुओं को गहरा करने अथवा जीर्णोद्धार करने की योजना है । अभी तक किसी भी क्षेत्र समिति से जनता का अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है ।

*१०९—श्री रामप्यारे मिश्र—

क्या यह देखते हुए कि इस क्षेत्र में विशेषकर निर्धन तथा आदिवासी हरिजन जनता निवास करती है और लागत का १० प्रतिशत खर्च जनता देने में असमर्थ है, उसे जनता से लेना समाप्त करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जनता की गरीबी को देखते हुए शासन ने अंशदान को ५० प्रतिशत से घटाकर १० प्रतिशत कर दिया है । अतः इतने कम अंशदान को समाप्त करना उचित नहीं है ।

*११०—श्री रामप्यारे मिश्र—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी कस्बा (मिर्जापुर) की जल-कल व्यवस्था हेतु उनके अभियन्त्रण विभाग ने सर्वेक्षण किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार दुद्धी की पेय जल की समस्या को देखते हुए जल-कल योजना को तत्काल कार्यान्वित करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । २,१६,२०० रु० की एक योजना बना कर भारत सरकार के आयोजना आयोग को स्वीकृति के लिये भेज दिया है ।

*१११--श्री बद्री प्रसाद पालीवाल--

[१८ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न १६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*११२-११३--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले के लिए सीमेंट का कोटा

*११४--श्री कैलाश--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में जिलेवार सीमेंट का कोटा उसकी जनसंख्या विकास व निर्माण-कार्य तथा बाढ़ की दशा को देखते हुए दिया जाता है? यदि हां, तो देवरिया जिले का कोटा उक्त नीति के अनुसार क्यों नहीं है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां। प्रदेश में सीमेंट के जिलेवार कोटे का वितरण जिले की जनसंख्या, नियोजन के अन्तर्गत निर्माण कार्यों आदि को दृष्टि में रखकर किया जाता है। देवरिया जिले को भी अन्य जिलों की भांति उक्त आधार पर ही सीमेंट का कोटा दिया गया है।

*११५--श्री कैलाश--

क्या सरकार इस जिले में इस वर्ष बाढ़ ग्रस्त होने तथा कार्य को देखते हुए अधिक सीमेंट देने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वर्षा एवं बाढ़ द्वारा हुई क्षति-ग्रस्त मकानों की संख्या के आधार पर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को अधिक सीमेंट का कोटा दिया गया परन्तु देवरिया जिला उक्त प्रकार के क्षति ग्रस्त जिलों में इस वर्ष नहीं आया। अतएव इस जिले को इस वर्ष बाढ़ सम्बन्धी अतिरिक्त कोटा नहीं दिया गया।

*११६-११७--श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री बनवारीलाल विप्र--

[१७ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न १२३-१२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*११८-१२०--श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

[५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १२६-१२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

लखनऊ, नगरमहापालिका की विकास योजनाएं

*१२१--श्री मेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब से वर्तमान मुख्य नगर अधिकारी ने कार्य भार संभाला है, उस वक्त से लखनऊ नजूल की कितनी जमीनों पर विकास की स्कीमें बनाई गई हैं और विकास विभाग नगरमहापालिका लखनऊ ने नजूल को कितना-कितना रुपया कब-कब और किस-किस स्कीम के लिये दिया?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जब से वर्तमान मुख्य नगर अधिकारी ने कार्यभार संभाला है उस वक्त से लखनऊ नजूल को ११ बीघा ६ बिस्वा १७ ६ स्वान्सी तथा ३ कचवान्सी जमीन पर विकास की दो स्कीमें बनाई गई हैं। उन में से एक स्कीम "ऐशबाग रोड पर आरा मशीन प्लाट योजना" नजूल की अपनी योजना है, अतः इस योजना के लिये नगर महापालिका द्वारा नजूल को मूल्य देने का प्रश्न नहीं

उठता। दूसरी योजना "हाता सरजू प्रसाद गन्दी बस्ती सुधार योजना" नगर महापालिका की योजना है। इसके अन्तर्गत अभी भूमि अर्जन की कार्यवाही नहीं आरम्भ हुई है अतः अभी से नजूल को मूल्य देने का प्रश्न नहीं उठता।

*१२२—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार यह बतायेगी कि सरकार ने ऐसी स्कीमों की मंजूरी कब दी और क्या सरकार ने कभी विकास विभाग, महापालिका, लखनऊ को नजूल की बकाया रकम को दिलाने के लिये कोशिश की? यदि हां, तो ऐक्ट या उसके मातहत नियम में से किस नियम के मातहत ऐसा किया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ऐशबाग रोड पर आरा मशीन प्लाट योजना की स्वीकृति सरकार ने २४ अक्तूबर, १९६३ को दी थी। हाता सरजू प्रसाद गन्दी बस्ती सुधार योजना की स्वीकृति उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ३६० (१) के अन्तर्गत नगर महापालिका लखनऊ द्वारा की गई थी क्योंकि इस योजना का प्रोजेक्ट मूल्य १० लाख रुपये से कम है। विकास विभाग महापालिका लखनऊ द्वारा नजूल की बकाया रकम देने का प्रश्न नहीं उठता।

*१२३—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि विकास की स्कीमें ज्यादातर नजूल की आराजी पर काबिज लोगों को तंग करने और उनसे रुपया वसूल करने के लिये बनाई जाती हैं? क्या इसकी कोई जांच सी० आई० डी० से कराई गई? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब ऐसी जांच करायेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं, बिना शिकायत आये किसी प्रकार की जांच का प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद में भूमिहीन किसानों को सुविधाएं

*१२४—श्री तेजसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद (Regulated Area) में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तथा स्टेट इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन ने ३० सितम्बर, १९६३ तक कितनी जमीन का कितने किसानों से कब्जा लिया है? उनमें से कितने ऐसे हैं जो बिलकुल भूमिहीन हो गये हैं या जिसके पास एक एकड़ से कम भूमि रह जाती है और इनको रोजगार पर लगाने के लिये क्या सरकार ने कोई विस्तृत योजना बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गाजियाबाद रेगुलेटेड एरिया में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद तथा यू० पी० स्टेट इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड ने ३०-९-१९६३ तक २,८०१ एकड़ भूमि का कब्जा लगभग २,००० व्यक्तियों से लिया है। उनमें से लगभग १५० व्यक्ति ऐसे होंगे जो भूमिहीन हो गये हैं या जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि रह गई है। शासन द्वारा जिलाधीश मेरठ को आदेश दिये जा चुके हैं कि जो किसान किसी कालोनाइजेशन एरिया में बसना चाहें उन्हें इसको सुविधा दी जाय। जिलाधीश मेरठ भी भूमिहीन हो गये व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिये उन्होंने कोशिश करके सहायक इम्प्लायमेंट एक्सचेंज अधिकारी गाजियाबाद को आदेश दिलवा दिये हैं कि ऐसे सभी भूमिहीन व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में प्राथमिकता दी जाय। गाजियाबाद के स्पेशल लैंड एक्वीजीशन आफिसर को उन्होंने आदेश दे दिये हैं कि भूमिहीन किसानों को रोजगार दिलाने के लिये इस सिफारिश के साथ प्रमाणपत्र दें कि अमुक व्यक्ति की भूमि अर्जित कर ली गई है।

स्वर्णकारों का सत्याग्रह

*१२५--श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ में प्रदेश के स्वर्णकारों का कोई सत्याग्रह चला है ? यदि हां, तो उक्त सत्याग्रहियों की मांगें क्या थीं ?

*१२६--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वर्ण नियन्त्रण कानून के लागू होने से प्रदेशीय सरकार के वित्तीय पहलू पर क्या असर पड़ा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय बीज भंडार, असन्दरा में खाद की कथित चोरी

*१२७--श्री गिरजाप्रसाद---

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र अधिकारी सिद्धौर, जिला बाराबंकी ने राजकीय बीज भण्डार, असन्दरा ब्लाक, सिद्धौर का निरीक्षण दिनांक २९ अगस्त, १९६३ को किया और रंगे हाथों चोर बाजारी की खाद पकड़ी थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह--

जी नहीं। स्थिति यह है कि श्री मोहम्मद याकूब, निवासी समरावां के नौकरों को कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट खाद ले जाते समय रास्ते में क्षेत्र विकास अधिकारी, सिद्धौर ने पकड़ा तथा उनके पूछने पर नौकरों ने बतलाया कि यह खाद असन्दरा बीज भण्डार से १८ रु० बोरी में मिली है। उक्त बीज भण्डार के इंचार्ज ने अपने बयान में बताया है कि उन्होंने २९ अगस्त, १९६३ को कोई भी खाद श्री मोहम्मद याकूब के हाथ नहीं बेची है। बीज भण्डार के अभिलेख में भी उक्त तिथि में बिक्री का उल्लेख नहीं मिला। जो खाद श्री याकूब के नौकरों से पकड़ी गई थी वह स्थानीय प्रधान डाक्टर पुरुषोत्तम शरण की सुपुर्दगी में जांच होने तक के लिये रख दी गई, जो अब भी उन्हीं के यहां सुरक्षित है। श्री याकूब ने अब तक कई बार कहने पर भी न तो किसी प्रकार का अपना लिखित बयान ही दिया है और न सुरक्षित खाद की मांग ही की है। इसलिये अभी तक किसी निश्चित परिणाम पर जांच नहीं पहुंच पाई है।

अतारांकित प्रश्न

महाराजगंज बाजार-हरैया सड़क

१--श्री सुखदेवप्रसाद---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौवापुर रेलवे स्टेशन से महाराजगंज (तराई) बाजार, जिला गोंडा से जाने वाली सड़क जो हरैया तक जाती है, उसे जंगल विभाग ने ले लिया है ? यदि हां, तो सरकार उसे पक्की कब तक बनायेगी ?

श्री चरणसिंह--

कौवापुर रेलवे स्टेशन से महाराजगंज (तराई) बाजार, जिला गोंडा से जाने वाली सड़क जो हरैया तक जाती है उसे वन विभाग ने अभी नहीं लिया है। यह सड़क जिला परिषद् गोंडा की है। इसको हस्तान्तरित करने के लिये वन विभाग ने जिला परिषद् से १७ जनवरी, १९६३ को प्रार्थना की थी, परन्तु १ दिसम्बर, १९६३ तक उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है अतएव इस सड़क को वन विभाग द्वारा पक्का कराने का प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में जाली राशन कार्डों की जांच

२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कानपुर में सरकार द्वारा जाली राशन कार्डों की जांच कराने के लिये कोई अभियान कुछ दिन पूर्व लिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या-क्या अनियमिततायें पाई गयीं तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। १७ अगस्त, १९६३ से ८ सितम्बर, १९६३ तक प्रत्येक फुटकर चीनी की दुकान पर राज्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई थी। जनता को सूचना दी गई कि वे आकर अपने कार्ड पर "वैलिड" की मोहर लगवा लें अन्यथा उनके कार्डों पर चीनी नहीं मिलेगी। इस प्रकार जो लोग कार्ड लाये उनकी जांच के उपरान्त उन पर "वैलिड" की मोहर लगा दी गई। इस जांच का लक्ष्य रेकार्डों (Records) को ठीक तरह से तैयार करना व हर दुकान पर उचित संख्या में कार्डों का लगाना था। लेकिन कुछ लोगों ने जिनके पास जाली कार्ड होंगे जांच के लिये प्रस्तुत नहीं किये होंगे, कुछ ने किये वे कैन्सिल हो गये।

बदायूं जिले के ब्लाकों में चीनी की दूकानें

३—श्री सूरजपालसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के ब्लाकों में चीनी की कितनी दुकानें खोली गई हैं और इसमें गुन्नौर व जुनामई व इस्लामनगर व विसोली व आसफपुर ब्लाक में अलग-अलग कितनी दूकानें चीनी की खोली गई हैं और वे किस-किस ग्राम में हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला बदायूं में २८ ब्लाक हैं जिन में (म्युनिस्पल बोर्ड, टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया के अतिरिक्त) कुल १५३ दुकानें चीनी की स्वीकृत हो चुकी हैं। सरकारी आदेश के अनुसार एक न्याय पंचायत में एक दुकान खुलनी चाहिये। आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १३०७–१३०८ पर)

४—श्री सूरजपालसिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं के जुनामई ब्लाक में चीनी बेचने की दुकान के लाइसेन्स के जो प्रार्थना-पत्र दिये गये थे, उन पर आज तक क्यों आदेश नहीं हुए, जबकि उस क्षेत्र में ६–७ मील तक दुकान नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जुनावई ब्लाक में कुल १० न्याय पंचायतें हैं जिन में से ९ न्याय पंचायतों में दुकानें स्वीकृत की जा चुकी हैं। शेष एक न्याय पंचायत में भी शीघ्र ही दुकानें खोलने के आदेश जारी किये जा रहे हैं। दुकानों के खुलने में देरी इस लिये हो गई कि उनके जांच करने में समय लगा और कुछ न्याय पंचायतों के प्रार्थना-पत्र देरी से प्राप्त हुए। जुनामई ग्राम पंचायत रिवाड़ी न्याय पंचायत के अन्तर्गत है और इस न्याय पंचायत में एक दुकान चीनी का वितरण कर रही है जो ग्राम जुनामई में ही है।

उप-नगराधिकारियों के पदों का निर्माण

५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३ अक्तूबर, १९६३ को स्वायत्त शासन विभाग के सचिव द्वारा कोई ऐसा जी० ओ० प्रदेश की महापालिकाओं के पास भेजा गया है, जिसमें कि पालिकाओं को यह आदेश दिया गया है कि वह दो उप-नगराधिकारियों के पदों का निर्माण करें ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। शासन नगर प्रशासन की दक्षता के हित में प्रत्येक महापालिका के अन्तर्गत उप नगर अधिकारी के कम से कम दो पद अत्यावश्यक समझता है। महापालिकाएं दो से कम पद सृजित न करें इसलिये प्रश्नगत आदेश जारी करना आवश्यक समझा गया।

खीरी-पीलीभीत उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों की मांगें

६—श्री रामचरण शाह—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खीरी-पीलीभीत उपनिवेशीय क्षेत्र के किसानों का कोई प्रतिनिधि मण्डल राज्य के कृषि मन्त्री से ७, ८ अथवा ९ अक्तूबर, १९६३ को मिला ?

यदि हां, तो—

(क) प्रतिनिधि मण्डल की मांगें क्या थीं,

(ख) सरकार उनको पूरा करने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां।

(क) प्रतिनिधि मंडल की निम्नलिखित मांगें थीं:—

(१) पीलीभीत उपनिवेशन योजना के उपनिवेशन अधिकारी श्री अब्दुल वहीब खां वारसी का स्थानान्तरण किया जाये,

(२) उपनिवेशन अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की जाये।

(ख) श्री वारसी का स्थानान्तरण कर दिया गया है। उनके विरुद्ध आरोपों की जांच का प्रश्न विचाराधीन है।

हायर सेकेंडरी स्कूल, करखिया का ईंट का भट्ठा

७—श्री रामाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के हायर सेकेण्डरी स्कूल, करखिया की ईंट के भट्ठे का लाइसेन्स किस सन् में दिया गया और किस सन् में और क्यों कैंसिल किया गया ?

८—क्या यह सच है कि लाइसेन्स कैंसिल होने के बाद भी जिला पूर्ति कार्यालय के अधिकारियों ने किसी व्यक्ति विशेष से बिना लाइसेन्स के भट्ठा चलवाया, जिसका प्रमाण हा० से० स्कूल, करखिया के तत्कालीन हिसाब रजिस्टर है, जिसमें भट्ठे से ईंटें खरीदने का भुगतान किया गया है ?

९—यदि उक्त बातें सत्य हैं तो क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बिना लाइसेन्स के भट्ठा चलाने से बिक्री-कर आदि को मिलाकर सरकार को कितने रुपये की क्षति उठानी पड़ी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ वार्डन, खीरी द्वारा व्यय तथा शूटिंग ब्लाक

१०—श्री केशवसिंह (जिला शाहजहांपुर) तथा राजा विक्रमशाह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर सन् १९६२ से जून सन् १९६३ तक "असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ वार्डन", खीरी ने कितने मामले पकड़े, जिनमें शिकार नियमों का उल्लंघन किया गया था और इस अवधि में A.W.L.W, खीरी ने कितना पेट्रोल खर्च किया और कितना भत्ता (T.A.,D.A.) लिया ?

श्री चरणसिंह—

खीरी जिले में दो असिस्टेण्ट वाइल्ड लाइफ वार्डन के अतिरिक्त एक वाइल्ड लाइफ वार्डन भी नियुक्त है । अक्तूबर, १९६२ से जून १९६३ तक अवैध शिकार के ५० मामलों के चालान किये गये । इस अवधि में उक्त अधिकारियों के पेट्रोल तथा भत्ते पर निम्नलिखित रुपया खर्च हुआ :

	रु०
(अ) पेट्रोल पर—	
(१) वाइल्ड लाइफ वार्डन	२,११५.६३
(२) असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ वार्डन	..
(ब) भत्ते पर—	
(१) वाइल्ड लाइफ वार्डन	६९३.५९
(२) असिस्टेन्ट वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तरी खीरी ..	४१३.३५
(३) असिस्टेन्ट वाइल्ड लाइफ वार्डन दक्षिणी खीरी ..	६६९.७३
योग ..	३,८९२.३०

११—श्री केशवसिंह तथा राजा विक्रमशाह—

क्या वन मंत्री को यह भी पता है कि A.W.L.W. खीरी ने पीलीभीत जिले के मुस्तफाबाद "शूटिंग ब्लाक" को अप्रैल, १९६३ में अपने शिकार के लिये सुरक्षित कराने का प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री चरणसिंह—

असिस्टेन्ट वाइस्ड लाइफ वार्डन ने नहीं, बल्कि वाइल्ड लाइफ वार्डन खीरी ने अप्रैल, १९६३ के लिये मुस्तफाबाद शिकार ब्लाक सुरक्षित करने की प्रार्थना की थी । शिकार नियमों के अनुसार लाटरी निकालने पर यह ब्लाक श्री एस० बी० सिंह, एम० एल० ए०, शाहजहांपुर के नाम सुरक्षित हो गया । वाइल्ड लाइफ वार्डन ने इस ब्लाक का अपने नाम आवण्टन इण्डियन वेटेरिनेरी इन्स्टीट्यूट मुक्तेश्वर के पैरासाइटोलोजी के प्रोफेसर डाक्टर सुरेशसिंह के साथ वन्य जन्तुओं में जन्तु पैरासाइट के अध्ययन के आशय से कराना चाहा था ।

लखनऊ में असिस्टेंट रेण्ट कंट्रोल ऐण्ड एविक्शन आफिसर का पद

१२—श्री रामलखन वकील—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च, १९६१ में लखनऊ में असिस्टेन्ट रेण्ट कंट्रोल ऐण्ड इविक्शन की पोस्ट थी या नहीं ? यदि उत्तर नहीं में है, तो किस आदेश के अन्तर्गत उक्त नियुक्ति हुई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मार्च, १९६१ में लखनऊ में एरिया राशनिंग आफिसर (रेन्ट कंट्रोल) की पोस्ट थी। प्रश्न नहीं उठता।

१३—१५—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

१६—१७—श्री कोतवाल सिंहभदौरिया—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

राजकीय कृषि निर्माण शाला, तालकटोरा लखनऊ के स्टोर की चेकिंग

१८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि राजकीय कृषि निर्माण शाला, ताल कटोरा, लखनऊ के स्टोर की ७ या ८ वर्षों से चेकिंग नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं। यह बात सही नहीं है।

१९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि उक्त स्टोर का लाखों रुपयों का सामान गायब कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं।

मुजफ्फरनगर जिले में सीड स्टोर क्लर्कों का कथित स्थानान्तरण

२०—श्री शुगनचन्द मजदूर—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले के कितने सीड स्टोर क्लर्कों का ट्रांसफर कहां-कहां अगस्त व सितम्बर, १९६३ में किया गया है ? क्या उनकी लिस्ट सदन की मेज पर रक्खेंगे और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वे कितने दिनों से उक्त स्थानों पर थे ?

श्री चरणसिंह—

उक्त अवधि में किसी भी सीड स्टोर क्लर्क का ट्रांसफर नहीं किया गया। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

२१—श्री शुगनचन्द मजदूर—

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त क्लर्कों में कौन-कौन क्लर्क ऐसे हैं जिन्होंने काफी पहले से अपनी छुट्टी की दरख्वास्त दे रक्खी थी और कौन-कौन छुट्टी पर थे ?

श्री चरणसिंह—

उक्त अवधि में कोई भी बीज भंडार लिपिक छुट्टी पर नहीं था। केवल एक क्लर्क श्री महेन्द्र कुमार जैन ने दिनांक २५ जुलाई १९६३ को ६ अगस्त से १९ सितम्बर, १९६३ तक अवकाश पर रहने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था।

मिर्जापुर नगरपालिका का आगामी आम चुनाव

२२—श्री भगवानदास बरनवाल (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर नगरपालिका में आगामी होने वाले आम चुनाव में विन्ध्याचल, गनेशगंज, बुन्देलखंडी, डंकनगंज आदि वार्डों में सदस्यों की संख्या ३ से घटा कर २ कर दी गयी है, जब कि कुछ वार्डों की संख्या पूर्ववत् ३ ही रक्खी गयी है ? यदि हां, तो सदस्यों की संख्या किस आधार पर कुछ वार्डों में कम की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हां, मिर्जापुर नगरपालिका परिसीमन आज्ञा १९६३ के अनुसार तीन कक्षों चेतगंज, कोतवाली और दक्षिणी बे नेजलीगंज में सदस्यों की संख्या ३ है तथा शेष सभी कक्षों में सदस्यों की संख्या २ है । नगरपालिका में सदस्यों की संख्या १९६१ की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है तथा कक्षों में सदस्यों की संख्या इस नियम से नियत की गई है कि कक्षों के सदस्यों की संख्या तथा कुल सदस्यों की संख्या में लगभग वही अनुपात रहे जो कक्षों की जनसंख्या का नगरपालिका की कुल जनसंख्या से है । २ अथवा ३ सदस्य कक्षों की जनसंख्या के अनुसार रखे गये हैं ।

२३—श्री सुखदेवप्रसाद—

[५ वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

दहगवां ब्लाक में गोवध

२४—श्री उल्फतसिंह यादव—

विधान सभा के प्रथम सत्र १९६२ के १० वें मंगलवार (१८ सितम्बर, १९६२) के प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर के क्रम में मेरी इस सूचना को सच मानकर कि हड्डियों से लगे जिन्दा-मुर्दा पशुओं के गोश्त के सड़ने से वहां चारों ओर का वातावरण दुर्गन्धपू र्ण हो गया है, वह स्थान आबादी से बिल्कुल सटा हुआ होने के कारण बीमारी फैली रहती है तो क्या सरकार इस की पुनः जांच कराकर हड्डियों का ढेर वहां से हटवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चरणसिंह—

जिला परिषद्, बदायूं ने ३१-८-६३ को सूचित किया है कि हड्डियां वहां से हटा दी गई हैं। जिलाधीश इस बात की जांच कर रहे हैं कि जिला परिषद् ने अपने ठेकेदार को पुनः हड्डियां एकत्रित करने से रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है या नहीं ।

२५—श्री उल्फतसिंह यादव—

इसी तिथि के प्रश्न संख्या ५८ के उत्तर से सम्बन्धित मेरी इस सूचना को सही मानकर कि अभी भी गोहत्या बराबर हो रही है क्या सरकार पुलिस द्वारा उसे बन्द कराने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

कानून के द्वारा गोवध निषेध है अतः सूचना प्राप्त होने पर पुलिस कार्यवाही करती है । जिला बदायूं में अवैध रूप से गोहत्या करने के सम्बन्ध में पुलिस ने सितम्बर १, १९६२ से नवम्बर ३०, १९६३ के अवधिकाल में ९ मुकदमें चलाये जिसमें एक मुकदमें में एक अभियुक्त को सजा हुई, दो मुकदमों के अभियुक्त छूट गये और ६ मुकदमे न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

२६---श्री उल्फतसिंह यादव---

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

२७---२८---श्री कृष्णा (जिला देवरिया)---

[५ वे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रश्नों के उत्तर न मिलने की शिकायत

श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फर नगर)---

मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला आज तक....

श्री अध्यक्ष---

शुगनचन्द जी, मैं यहां तो कोई जवाब नहीं दे सकता । या तो इसके लिये आप कार्यालय में पूछिये अथवा मेरे कमरे में आ जाइये अगर आपको तकलीफ न हो तो ।

श्री रघुवीर (जिला एटा)---

प्रश्नों के सम्बन्ध में मुझे भी कुछ निवेदन करना है ।

श्री अध्यक्ष---

आपके लिये भी वही जवाब है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष---

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी कार्यस्थगन प्रस्ताव के लिये यह परम आवश्यक है कि जिस घटना के संबंध में वह प्रस्ताव हो उसमें सरकार का प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिये । कोई गिरफ्तारी किसी मौके पर होती है तो प्रश्न यह होता है कि उसके लिये सरकार ने किसे आदेश दिया । अगर कानून के अन्तर्गत हुई है, तो वह प्रश्न कार्य-स्थगन में नहीं आ सकता । मेरे पास आज दो कार्यस्थगन प्रस्ताव आये थे जिनको मैंने अस्वीकार कर दिया है इसलिये कि मैं समझता हूं कि उनका सरकार से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है और जो माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी का है उसके लिये मैंने आदेश दिया है कि वह अविलम्बनीय नहीं है

श्री अध्यक्ष---

यह सूचना जिस सूरत में है वह मैं स्वीकार नहीं करता । अगर आप सबूत रखेंगे तो मैं विचार करूंगा ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

आप मेरी इत्तला गलत मान कर क्यों चलते हैं ? आप चेम्बर में चलें तो जानकारी आपको करा दी जायगी ।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)---

किसी रूप में इसकी सफाई करा दीजिये ।

[× × × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

मुझे भी सुन लें, मेरा विषय ३० अक्तूबर के एजेंडे से संबंधित है, मैंने पहले भी सूचना दी थी ....

श्री अध्यक्ष—

यह किस सिलसिले में आप बोल रहे हैं ? क्या प्रश्नों के विषय में ?

श्री उग्रसेन—

जी हां, प्रश्नों के संबंध में बोल रहे हैं वे ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्नों से तो दो स्टेप में आगे आ गया हूं, पहले नियम ५२ समाप्त कर लूं ।

श्री नंकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मिस्टर स्पीकर, प्वाइंट आफ आर्डर । श्रीमन्, रोजमर्रा सदन में यह आपकी आदत सी पड़ गयी है कि जो आदरणीय सदस्य कुछ कहें उसको आप एक्सपंज करा देते हैं । प्रोसीजर के नियम ३०४ में आपको अधिकार है केवल :

"If the Speaker is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent, or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion, order that such word or words be expunged from the proceedings of the House."

आगे लिखा हुआ है कि यह निकाले नहीं जायेंगे, बल्कि अंडरलाइन हो जायेंगे । श्रीमन्, डिबेट के संबंध में अगर कोई बात कही जाय और असंसदीय हो या अनडिग्निफाइड हो तो बात दूसरी है, लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करे और आपने यह परम्परा डाली है, तो उसे कर देना चाहिये, काम रोको प्रस्ताव आया । आप उसको पढ़ते या न पढ़ते यह आपको अधिकार था, आप स्वीकार करते या न करते यह भी आपको अधिकार था, लेकिन कोई माननीय सदस्य उस संबंध में, जब आपने कहा कि उसका गवर्नमेंट से संबंध नहीं है, अपनी बात कहना चाहते हैं जैसे माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी बतलाना चाहते थे कि उसके गवर्नमेंट का क्या संबंध है तो आपने कहा कि वह सब रिकर्ड से एक्सपंज हो जायगा । माननीय सदस्यों को अधिकार है हर वस्तु कहने का, और आप हर वस्तु को एक्सपंज नहीं करा सकते, यह आपको अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

यह बात गलत है कि मैं एक्सपंज कर रहा हूं । अगर कोई माननीय सदस्य बगैर मेरी आज्ञा के बोलते हैं तो यह अनियमित है और जितनी भी बात वह कहेंगे वह रिकर्ड में नहीं आ सकती इस वास्ते कि वह बगैर मेरी अनुज्ञा के बोलते हैं । माननीय टम्बेश्वर प्रसाद बगैर मेरी आज्ञा के बोल रहे थे । मैं यह बतला रहा था कि किस कारण से मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं । वह पूरा कारण सुन लेते और फिर मेरी आज्ञा से वह कहते । बगैर इजाजत लिये माननीय सदस्य बोलेंगे तो बिलकुल अनियमित है और जो अनियमित है वह रिकर्ड में नहीं आनी चाहिये ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

पहले मैं समाप्त कर लूं । आप लोगों को अवसर मिलेगा ।

श्री दीपनारायण सिंह—

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है । श्रीमन्, मैंने २८ मार्च, १९६३ को केवल यह लिखकर दिया था कि "आपकी व्यवस्था अवैधानिक है और गलत है" मुझे विशेषाधिकार समिति के

[श्री दीपनारायणसिंह]

सुपुर्द कर दिया गया । आज वही प्रश्न माननीय नेकराम जी ने किया है आपकी रूलिंग के बारे में । सदन के सामने दोनों घटनायें हुई । तो मुझे जिस प्रकार से विशेषाधिकार समिति में भेजा गया था, क्या उसी प्रकार से माननीय नेकराम जी को विशेषाधिकार समिति में भेजा जायगा ?

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

मेरा भी एक निवेदन है । व्यवस्था का प्रश्न मैं भी रखूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

एक व्यवस्था के बीच में दूसरी व्यवस्था नहीं पैदा होती ।

माननीय दीपनारायण जी को जरा गलतफहमी हो रही है । उनके मन में एक प्रश्न उठा कि मैंने यह आर्डर कैसे दे दिया । उन्होंने सिर्फ यह कहा कि आप करते चले आ रहे हैं । यह दूसरी बात है कि भाषा बहुत अच्छी न हो । उन्होंने कहा कि आपकी आदत पड़ी हुई है । दूसरा होता तो यह कहता कि आप ऐसी व्यवस्थायें देते हैं लेकिन उनका कोई मोटिव नहीं था ।

श्री दीपनारायणसिंह—

मोटिव तो मेरा भी नहीं था । मैंने तो आपके पद को गरिमामय भी कहा था ।

श्री अध्यक्ष—

खैर, वह तो अब समाप्त हो चुका है ।

श्री श्यामलाल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी आपने रूलिंग दी कि जब तक कोई सदस्य आपके आदेश से बोलेगा उसका कथन एक्सपंज नहीं होगा तो क्या जो बगैर आपके आदेश के बोलेगा उसको आप प्रोसीडिंग्ज से एक्सपंज करवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

It is not expunged but it will not be recorded at all.

श्री श्यामलाल—

उस अधिवेशन में जिस समय मैं बाहर चला गया था और आपने कहा था कि श्याम लाल रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नहीं है और जब ५ मिनट के बाद में आया तो मैंने आपकी इजाजत से यह कहा कि मैं रिपब्लिकन पार्टी का सेक्रेटरी हूं । मैंने तो आपकी आज्ञा से अपनी बात कही थी, लेकिन आपने उसको भी निकलवाने का आदेश दिया था और उसको एक्सपंज करवा दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे याद थोड़े ही है ।

रिहन्द बिजली घर को सम्भावित क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरीशकुमार गंगवार और माननीय रामकिशोर जी की नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें आयी थी जिनको मैंने स्वीकार किया है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैंने भी एक नियम ५२ में नोटिस दिया था ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

और मैंने जो नियम ५२ में नोटिस दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

मैं पहले खत्म तो कर लूं उसके बाद आप कहियेगा अगर आपको शिकायत हो कि मैंने ठीक नहीं किया है तो आप कह लीजियेगा, सचिव पढ़ कर सुना देंगे ।

सचिव, विधान सभा—

प्रस्ताव इस प्रकार है—"४६ करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रिहन्द बांध के लिए बने बिजलीघर के नष्ट होने की हालत पैदा हो गई है । बांध की सिल्ट मिट्टी निकालने वाले स्लूइश गेट काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि सिल्ट जमा होना प्रारम्भ हो गई है जिससे कि थोड़े ही दिनों में बिजलीघर की मशीनें नष्ट हो जायंगी । यह संकट उत्पन्न होने का कारण स्लूइश गेट के कुछ हिस्से को काट देना बताया जाता है । विदेशी अभियन्ताओं ने भी अब उक्त गड़बड़ी ठीक करने से असमर्थता प्रकट कर दी है ।

सरकार के नियंत्रण में चलने वाले इतने बड़े संस्थान में राजकीय अधिकारियों की अकुशलता से भारी संकट उत्पन्न होने से सरकार के प्रति जनता में उत्तेजना तथा रोष व्याप्त हो गया है ।

उक्त बिजलीघर के नष्ट होने की संभावना से जनता बहुत परेशान है । सरकार की अकर्मण्यता से ४६ करोड़ रुपये की बरबादी की संभावना से जनता में बहुत बड़ा रोष है ।

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं ।"

श्री अध्यक्ष—

इसको मैंने स्वीकार किया है । इस पर मंत्री जी १९ को अपना वक्तव्य देंगे ।

कक्षा ३ तथा ४ में अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर मासिक शुल्क लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

३ सूचनाएं और हैं जिनको मैंने स्वीकार तो नहीं किया है, लेकिन महत्व का होने से उनको मैंने वक्तव्य के लिये रख लिया है । एक श्री मनेजर सिंह, राम सुन्दर पांडेय जी, भीमा प्रसाद जी तथा माननीय केशरी प्रसाद पांडेय जी का है । वह इस प्रकार है—

"प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा ३ एवं ४ में अंग्रेजी ले कर पढ़ने वाले लाखों छात्रों के ऊपर क्रमशः ५० नया पैसा एवं ७५ नया पैसा मासिक शुल्क केवल अंग्रेजी पढ़ने के कारण लगाये जाने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के लाखों छात्रों एवं अभिभावकों में सरकार के इस आदेश के कारण असंतोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है और लाखों निर्धन छात्रों का अध्ययन बन्द होने जा रहा है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं ।"

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

इसको १९ तारीख के लिये रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर १९ तारीख को शिक्षा मंत्री जी वक्तव्य देंगे ।

मथुरा जिले के पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों की यूनियन के अध्यक्ष और उनकी पत्नी को जेल आदि भेजने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक और माननीय लखीसिंह जी का है उसको भी मैंने वक्तव्य के लिये रख दिया है । वह इस प्रकार है—

"२४ नवम्बर, १९६३ समय ४ बजे दिन को मथुरा जिला पी० डब्ल्यू० डी० के कुछ कर्मचारी अपनी शिकायतों को शीघ्रतम सुचारुरूप से हल कराने के लिये श्री आर० पी० मित्तल, अधिशासी अभियन्ता के मकान पर गये थे और अपने साथ यूनियन के अध्यक्ष को भी ले गये थे। संबंधित अधिशासी अभियन्ता ने कोई सतोषजनक वार्ता तो की नहीं और मकान छोड़कर चले गये और राशस्त्र पुलिस को आतंक जमाने के लिये और उनको भयभीत करने के लिये भेज दिया। समस्त कर्मचारी निराश होकर अपने अपने निवास स्थानों को चले गये ।

दिनांक २५ नवम्बर, ६३ के शाम के साढ़े सात बजे अकस्मात् घरों में बलपूर्वक घुसकर यूनियन के अध्यक्ष और उनकी पत्नी जिस पर २ साल की गोद में लड़की तथा खुशालो मेट को पकड़ कर जेल भेज दिया गया । भयभीत होकर कर्मचारी अपने कार्य से वंचित हैं । इस घटना की वजह से लगभग १,८०० कर्मचारी और उनका समस्त परिवार त्राहि त्राहि कर रहा है । सैकड़ों कर्मचारियों पर अनियमित जुरमाने किये हैं । लगभग ७ कर्मचारी बरखास्त कर दिये गये हैं और इनका एक-एक माह का वेतन नहीं दिया गया है और न ही रोलर ड्राइवरों को तरक्की जो नियमानुसार होती है वह सन् १९६१–६२ की दी गयी है ।

इस घटना चक्र से समस्त उत्तर प्रदेश पी० डब्ल्यू० डी० की यूनियन शाखाओं के लगभग २० हजार और उनके परिवार के लगभग लाखों की संख्या में लोगों में घोर असंतोष का वातावरण व्याप्त है । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मंत्री जी से स्पष्टीकरण की मांग करता हूं ।"

इस संबंध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री अपना वक्तव्य देंगे ।

रामपुर में रजा हाकी टूर्नामेंट के टिकट सरकारी अधिकारियों द्वारा बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक और माननीया बेगम किश्वर आरा का है । वह इस प्रकार है—

"रामपुर में इस समय रजा हाकी टूर्नामेंट हो रहा है । यह टूर्नामेंट जिला स्पोर्टस एसोसियेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है । यह एसोसियेशन एक गैर सरकारी संस्था है जिसके अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र मोहन सिन्हा, जिलाधीश, रामपुर है । आजकल इस टूर्नामेंट में १० रुपया से लेकर १०० रुपया तक के टिकट पटवारियों से लेकर परगनाधीश तक के समस्त सरकारी

आफीसरों तथा जिला स्तर के सभी विभागों के इन्स्पेक्टरों, सुपरवाइजरों व अफसरों विशेष रूप से जिला सप्लाई अफसर द्वारा तो जबरिया बेचे जा रहे हैं। साथ ही जुडीशियल अफसरों, परगनाधीशों व तहसीलदारों तथा आनरेरी मजिस्ट्रेटों आदि की अदालतों के जरिये भी लिटीगेन्ट पब्लिक को जबरदस्ती बेचे जा रहें हैं। यहां तक कि जब तक कोई टिकट नहीं खरीद लेता है तब तक उसकी जमानत की दरख्वास्त ही मंजूर नहीं की जाती है और यदि मंजूर की भी जाती है तो जमानतनामों को प्रावीजनली मंजूर किया नहीं जाता है तथा मुकदमों से संबंधित और दरख्वास्तों के मामलों में भी यही होता है। टिकट बेचने वाले अफसर उस वक्त तक कोई काम नहीं करते जब तक संबंधित व्यक्ति टिकट न खरीद ले। इस तरह सारे जिले में बेजा व नाजायज दबाव देकर जबरदस्ती टूर्नामेंट के टिकट बेचे जा रहे हैं जिससे सारे जिले में आतंक-सा फैला है और इस कारण यह विषय लोक महत्व का ऐसा विषय बन गया है कि विधान सभा में तत्काल इस विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत विचार किया जाये अथवा संबंधित मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण मांगा जाय।"

इसी सम्बन्ध में एक श्री रियासत हुसेन का है। इस पर मंत्री जी १९ तारीख को वक्तव्य देंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, आयुर्वेदिक कालेज का जो मामला था उस पर मैं केवल वक्तव्य चाहता था, कोई विवाद नहीं चाहिये.....

श्री अध्यक्ष---

वह तो आ रहा है, उस को बाद में देखेंगे।

श्री उग्रसेन---

वह कल दिलायेंगे ? आप पढ़ लें हमें सन्तोष हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---

आप अब बैठें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

हमारा जो दफा ५२ का नोटिस है उस पर वक्तव्य की कौन सी तारीख आपने रखी है, वह लड़कों की फीस का जो मामला है।

श्री अध्यक्ष---

१९ तारीख रखी गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

एक बात और....

बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)---

अध्यक्ष महोदय, रामपुर में रजा हाकी टूर्नामेंट चलने वाले हैं वह जल्द ही शुरू होने वाले हैं और २४ तारीख तक वह चलेंगे, जबरिया अफसरों द्वारा वहां टिकट जनता को बेचे जा रहे हैं इसलिये इस का स्टेटमेंट आप कल ही दिलवा दें वर्ना वहां इस पीरियड में और अधिक टिकट बेच दिये जायेंगे और पब्लिक लुट जायगी।

श्री अध्यक्ष---

कल तक वह शायद न दे सकें, लेकिन सूचना भेज दी जाय ताकि वहां इस तरह की चीज हो तो रोक दी जाय, इस की सूचना वह मंगा लें ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

१९ तक तो हो सकता है कि टूर्नामेंट हो चुके और काफी टिकट बेचे जा चुके, इसलिये आप कल ही मंगा लें ।

श्री अध्यक्ष---

आप खुद मिलकर मंत्री जी से बात कर लें । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी फौरन सूचना दें कि ऐसा प्रश्न आया है और अगर वाकई ऐसी बात वहां हो रही है तो वह न होने पावे ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

सूचना तो हम दे देंगे, लेकिन वक्तव्य तो १९ को ही होगा ।

सदन का आगामी कार्यक्रम

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सप्ताह का कार्य-क्रम सदन के सम्मुख आप की आज्ञा से रखना चाहता हूं :---

१६ तारीख को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर विचार होगा और उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६३ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात पुरःस्थापन । १७ तारीख को उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विधेयक, १९६३ पर विचार एवं उसका पारण । १८ तारीख को विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रथम से चतुर्थ, षष्टम तथा सप्तम प्रतिवेदनों पर विचार । १९ तारीख को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार एवं उसका पारण व उत्तर प्रदेश कार्निवल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिये विधान परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव से सहमति के प्रस्ताव पर विचार और उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण ।

श्रीमन्, इस संबंध में इतना और निवेदन है कि स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार १९ दिसम्बर, १९६३ को असरकारी दिवस था, परन्तु उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक को दोनों सदनों से दिनांक २४ दिसम्बर, १९६३ से पहले पारित होने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि दिनांक १९ दिसम्बर, १९६३ सरकारी कार्य के लिये ले लिया जाय और उसके स्थान पर दिनांक २३ दिसम्बर, १९६३ को असरकारी दिवस के लिये दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी का प्रस्ताव यह है कि २३ तारीख को, जो आपने विधायी कार्य के लिये कहा था, वह नहीं होगा, बल्कि वह असरकारी दिवस होगा ?

श्री बनारसीदास---

जी हां ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

यह तो श्रीमन्, ऐडवाइजरी कमेटी में तय नहीं हुआ था ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, मेरा विरोध है। हम लोगों को जो कार्यक्रम मिला था उसमें निश्चित किया गया था कि गोरखपुर गोलीकांड जांच कमीशन की रिपोर्ट पर विचार होगा। यह बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है, बहुत से मामले वहां नहीं आये हैं। तो उस पर विवाद होना चाहिये। बहुत से माननीय सदस्य उसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो किसके आदेश से, किस मतलब से उसको काट दिया ?

श्री बनारसीदास---

जहां तक गोरखपुर गोली कांड रिपोर्ट का सवाल है उसके लिये कोई एक दिन निश्चित नहीं है। आप अगर कार्यक्रम देखेंगे तो अध्यक्ष महोदय बता सकेंगे। एक दिन गोरखपुर गोली कांड के लिये निश्चित नहीं था क्योंकि केन पर दो दिन बहस हुई तो यह तय हुआ कि गैर सरकारी दिवस १९ को दे दिया जाय और बिक्री-कर संशोधन विधेयक ऐसा है कि फाइनेंस बिल है और २४ तारीख को दोनों सदन उठ रहे हैं इसलिये अगर १९ को उसको ले लेते हैं तो काउन्सिल में भेजना सम्भव हो सकेगा और जहां तक गैर सरकारी दिवस है वह १९ के बजाय २३ को देना चाहते हैं।

श्री उग्रसेन---

हमारी बात का जवाब नहीं हुआ कि कार्यक्रम से गोरखपुर गोली कांड रख कर क्यों हटा दिया ? इसका हम सख्त विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष---

मेरी बात सुन लें। कार्य मंत्रणा समिति में यह बात हुई थी, क्योंकि केवल १२ दिवस हैं अतः उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाय। यह विचार कार्यमंत्रणा समिति में हुआ और चूंकि शक्कर, गुड़ और खांडसारी के लिये दो दिन देना आवश्यक हो गया इसलिये १ दिन १२ दिन में से निकल गया। तो यह हुआ कि गोरखपुर गोली कांड को इसमें न रखा जाय बल्कि आगामी बैठक में रखा जायगा। ऐसी वहां बातचीत हुई थी। अब जो माननीय राधेश्याम जी कह रहे थे वह ठीक कह रहे थे, २३ में विधायी कार्य रखा था। अब मंत्री जी का यह प्रस्ताव है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, २३ तारीख को विधायी कार्य नहीं होगा बल्कि असरकारी दिवस होगा जो १९ को होना था। अब क्यों यह कर रहें हैं उसको भी समझ लें। इनका कहना है कि १९ तारीख इसलिये कर रहे हैं कि अगर यहां विधेयक पास हो गया तो परिषद् में भेज सकेंगे। यही मंशा है न ?

श्री बनारसीदास---

जी हां।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, कार्य मंत्रणा समिति में यह तय हुआ था कि आज मंडी वाला बिल आयगा और कल होम गार्डस वाला आयेगा। वह भी चेंज कर दिया।

श्री अध्यक्ष---

नहीं नहीं, होम गार्ड्स से संबंधित विधेयक कल है। आज कृषि उत्पादन मंडी विधयक है, परसों के लिये विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन है। केवल १९ तारीख को बदल रहे हैं कि उस दिन बिक्री-कर विधेयक ले लिया जाय और असरकारी दिवस २३ को कर द।

श्री बनारसीदास----

१९ तारीख को जो गैरसरकारी दिवस था और २३ का निश्चित करने वाले थे कि क्या लेजिस्लेटिव बिजनेस हो। सिर्फ निवेदन यह है कि १९ को विधायी कार्य हो और २३ को गैर सरकारी दिन हो। इसके अलावा कोई कार्य-क्रम में अन्तर नहीं है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

गोरखपुर गोली काण्ड स्थगित करने की कोई बात नहीं हुई थी, बल्कि उस पर भी बहस होगी यह विचार कर रहे थे और इसी हफ्ते में होगी। यह बात विचारणीय है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

जो विधेयक माननीय बनारसीदास जी ने कहा १९ को बिचार हो उसके संबंध में कार्य मंत्रणा समिति के सामने उनकी ओर से कोई एजेन्डा नहीं रखा गया और मैं समझता हूं कार्य मंत्रणा समिति के सामने इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं हुयी है । अब यहां प्रस्ताव द्वारा उसको ला कर बहुमत का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं ।

दूसरी बात यह है कि वह विधेयक लोगों के अन्दर इतना मतभेद पैदा करने वाला है कि जिसके लिये एक दिन का समय कम है। इसलिये इसको कार्यमंत्रणा समिति में भेजे, वहां फैसला हो तब विचार होना चाहिये। १९ और २३ का फैसला अपने मन से न करें।

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, इस वक्त प्रश्न तो केवल यह है कि मैंने कार्य परामर्शदात्री समिति के फैसले के समय....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

क्या ?

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, सदन में आपने यह व्यवस्था दी थी कि जब तक मैं किसी को न बुलाऊं तो उसका कहना प्रोसिडिंग में न आवे। माननीय बनारसीदास बार बार खड़े हो रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसका प्रश्न .....

श्री नेकराम शर्मा---

जब तक आप माननीय बनारसीदास नहीं कहेंगे तब तक वे नहीं बोलेंगे। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रोसीडिंग से आप इसे हटवा दें ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने इशारा कर दिया था, जो बुलाने के समान है ।

श्री बनारसीदास---

बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के फैसले पर कोई परिवर्तन का सवाल नहीं। जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि प्रश्न केवल इतना है कि जो कार्य २३ को लिया जाने वाला था उसको १९ को ले लिया जाय और १९ के स्थान पर २३ को असरकारी दिवस मान लिया जाय।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। जिस आधार पर यह मसला आया है, मैं माननीय मंत्री जी से विवरण में जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

क्यों घबरातें है। मैं बताता हूं। आप बैठ जाइये। कुछ हमारे आदरणीय सदस्यों की तरफ से यह सुझाव हुआ कि पहले सरकार की तरफ से क्या विचार है उसको सुन लिया जावे तब आप अपना निर्णय दिया कीजिए। आप दोनों बातें कर लीजिए। मैं निर्णय दे दूंगा।

श्री बनारसीदास—

यह तो हमारी प्रक्रिया नियमावली में दिया हुआ है कि प्रत्येक सोमवार को सप्ताह का कार्यक्रम रखना चाहिये। उसी के अनुसार मैंने कार्यक्रम रखा। जैसा माननीय राम सुन्दर पाण्डेय ने कहा कि किस-किस बिल को कितना-कितना समय मिलना चाहिये यह तो बिजिनस एडवाइजरी समिति का ही कार्य है। आज तो मैंने निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित किया जाय। १९ तारीख को इस पर विचार किया जाय। बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी गौर कर लेगी कि एक दिन का समय इसके लिये काफी है। तो मैंने निवेदन किया कि १९ को विधि कार्य और २३ तारीख को असरकारी दिवस कर लिया जाय। यह संशोधन, जो कार्यक्रम बना था, उसमें मैंने पेश किया। परामर्शदात्री समिति में इस संबंध में तय कर लिया जाय कि कितना समय चाहिये

श्री राधेश्याम शर्मा—

मेरे विचार में माननीय मंत्री जी का विचार यह था कि २३ तारीख को गोरखपुर गोली काण्ड ले लिया जाय। इसके बाद हमको बुलाकर पूछा गया कि हम २३ को गोलीकाण्ड पर बहस करेंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

श्रीमन्, १९ तारीख को विचार करवा लें कि यह बिल एक दिन चलगा या दो दिन चलेगा। पहले १३ तारीख को गैरसरकारी दिन था। उसको बदला और हमें १९ तारीख को गैर सरकारी दिन था। उसको बदला और हमें १९ तारीख का दिन असरकारी दिवस के लिये दिया गया। अब यह १९ को भी बदल कर २३ किया जा रहा है। तो मेरा विचार है कि जो गैर सरकारी दिवस निर्धारित है उसी पर हमें चलना चाहिये। अगर उनका बिल लेना है तो फिर बाद में ले लें और एसेम्बली को पुनः बुलावें, लेकिन जो सरकारी दिवस है उसको बदलने पर मैं फिर विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

तो अब मैं यह तय करता हूं कि विधेयक प्रस्तुत कर दिया जाय। कल कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक साढे ९ बजे हो जाय तो हम इस पर विचार कर लेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

निवेदन मुझे यह करना है कि गोरखपुर गोली काण्ड के सिलसिले में पिछले सेशन में भी विचार होना था, लेकिन उस समय स्थगित हो गया तो कब तक इस पर विचार किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति में इसे रख दीजिय और उस पर विचार हो जायगा। आप का प्रतिनिधि तो आता ही है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

पिछले ५, ६ महीने से विधान सभा का सेशन एक या दो हफ्ते के लिये चलता है। कई महत्वपूर्ण तथा आवश्यक प्रश्न है जिन पर विचार करना है। इस वक्त मुख्य मंत्री तथा संसदीय मंत्री दोनों मौजूद हैं। गोरखपुर फायरिंग की रिपोर्ट को आये ६, ७ महीने हो गये, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट भी सदन के सामने आ चुकी है, थर्ड फाइव ईयर प्लान पर भी विचार करना है, उसे केवल चन्द्रभानु गुप्त जी ने प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन उस वक्त हम उस पर विचार नहीं कर सके थे और एमर्जेन्सी का भी मिसयूज हो रहा है तो इन तमाम विषयों पर सदन में विचार करना है। जनता चाहती है कि इन विषयों पर विचार हो, लेकिन अगर सरकार इस तरह से सेशन टाइट रखेगी तो कैसे विचार हो सकेगा ? तो क्या सेशन को २, ४ दिन के लिये बढ़ा कर इन विषयों पर विचार नहीं किया जा सकता ?

श्री बनारसीदास--

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा सेशन ९ तारीख से शुरू हुआ है और २४ तक चलेगा और जो भी कार्य थे उनको माननीय सदस्यों के सामने रख दिया गया है। माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने जो प्रश्न उठाये है तो रोज हमें नियम ५०, ५२ और ५३ के अन्दर मौका मिलता है। फिर सेशन का क्या बिजनेस हो नियम २५ के अनुसार लीडर आफ दी हाउस का यह कर्तव्य है कि वह तय करे। फरवरी से सेशन होने जा रहा है उसमें भी काफी मौका मिलेगा। उस समय बजट सेशन होगा और एमजेन्सी का मिसयूज हो रहा है या नहीं आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। २५ का बड़ा दिन है लिहाजा २४ के बाद इस सेशन को बढ़ाने में बड़ी कठिनाई है। सेशन नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—

आप सब लोगों के प्रतिनिधि होंगे ही। उसमें हम लोग इस बात पर विचार करेंगे और मैं सहानुभूति पूर्वक चाहूंगा कि इस आदरणीय सदन के सामने जो प्रश्न हो जिनके ऊपर वह बहुत महत्व दे रहे हैं उन पर विचार किया जा सके।

श्री चन्द्रजीत यादव—

कार्य मंत्रणा समिति इस बात पर विचार नहीं करती कि कितने दिन का सेशन हो, इसे सरकार तय करती है। आप हम लोगों की बातों को ध्यान में रख कर सरकार को परामर्श दें। माननीय बनारसी दास जी ने भी मेरे प्रश्नों का ठीक उत्तर नहीं दिया। पी० ए० सी० की रिपोर्ट, गोरखपुर फायरिंग की रिपोर्ट, थर्ड फाइव ईयर प्लान और एमजेन्सी का मिसयूज-इन सब विषयों पर नियम ५२, ५३ अथवा ५०' में विचार नहीं हो सकता।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय सुचेता जी ने एक बात की परिपाटी डाली कि पहले से वह सूचना दे देती है कि कब तक सदन चलेगा, कितना समय किस विषय पर लगेगा, लेकिन बीच में माननीय बनारसी दास जो कटौती करते हैं तो यह जनहित की कटौती करते हैं। अपनी पार्टी के दृष्टिकोण की कटौती वह क्यों नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष--

कटौती नहीं है, केवल परिवर्तन है।

श्री दीपनारायणसिंह—

इससे सदन के कामों के बीच में रुकावट पड़ती है और यह कंटेम्प्ट आफ दी हाउस है।

श्री अध्यक्ष—

कार्यमंत्रणा समिति के सामने जब ये बातें आयेंगी तो फिर कोई सवाल पैदा नहीं होता।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

कार्य मंत्रणा समिति के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है यह मैं जानना चाहता हूं ? गोमती का बांध टूटने की रिपोर्ट भी आ चुकी है और सदन के सदस्यों को वह वितरित की गयी....

श्री अध्यक्ष---

सवाल सिर्फ यह है कि १९ और २३ में परिवर्तन किया जाय या नहीं। गोमती क बांध टूटने का सवाल इस वक्त नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा---

अभी चन्द्रजीत यादव जी ने थर्ड फाइव ईयर प्लान, पी० ए० सी० की रिपोर्ट, गोरखपुर फार्यारिंग की रिपोर्ट पर विचार करने की बात कही, तो हमारे विद्वान् बनारसी दास जी ने कहा कि नियम ५२ में वह आ सकते हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये चीजें नियम ५२ के अन्दर आ सकती हैं और उन पर विचार किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ में उनको नहीं लिया जा सकता है। हो सकता है कि कार्य मंत्रणा समिति में कुछ प्रोग्राम बन सके जिससे सब कार्य सुविधापूर्वक हो।

श्री कल्पनाथसिंह---

यह जो गैर सरकारी दिवस को लेने का प्रस्ताव चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

कोई प्रस्ताव इस समय नहीं चल रहा है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३†

*कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ को इस सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करे। अध्यक्ष महोदय, मैं समिति के सदस्यों के नाम बाद म पेश कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, किसान को अपनी पैदावार बढ़ाने के लिये जहां बहुत-सी बातों की आवश्यकता है वहां इस बात की भी आवश्यकता है कि उसको इनसेंटिव भी हो। उसको रिसोर्सफुल फेसिलिटीज मिलें तो उनको इस्तेमाल करने के लिये इनसेंटिव चाहिये। सब से बड़ा इनसेंटिव यह है कि उसको अपनी पैदावार का उचित दाम मिले यह निर्विवाद सत्य है, इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। किसान को अपनी पैदावार का उचित दाम मिले इसके सिलसिले में राय आम्मा या जनमत जनता में नहीं तो इनटलेक्चुअल सरकिल में है कि गवर्नमेंट मिनीमम एग्रीकल्चर प्राइसेज निर्धारित कर दे। अगर कीमतें नीचे जायं तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से खरीदे और फिर उसको कंज्यूमर्स को फरोख्त करे। ऐसी एक राय है और ऐसा मालूम होता है कि करीब-करीब सभी राजनीतिक दल इसको मानते हैं और अक्सर इसकी चर्चा होती है।

अब एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि मेरी अपनी निजी राय भी इस सिलसिले में कुछ है। लेकिन उसका जिक्र बेकार है। मेरी राय यह है कि यह सम्भव नहीं है, लेकिन मैं इसकी बहस में पड़ना नहीं चाहता हूं। यह खतरा मैं उठाने के लिये तैयार हूं कि चन्द्रजीत यादव जी भले ही मुझे प्रतिक्रियावादी कहें, लेकिन तफसील में अगर मैं गया तो इस बिल की जो असली मंशा है उससे दूर हट जाऊंगा। मैं दुहराना चाहता हूं कि हम अपनी परिस्थिति में आइस

---

†९ दिसम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

सपोर्ट का जो नीति है । जिस पर अक्सर व्याख्यान भी होते है, वह वांछनीय भी हो तो प्रैक्टीकेबिल नहीं है । खैर इस बिल का इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि अच्छा दाम किसान को उसकी उपज के मिलने चाहिये । यह इस बिल का उद्देश्य है । इसलिये जो मुझे आल्टरनेटिव बताया जाता है उसका मैंने जिक्र किया ।

दूसरा रास्ता यह है कि कोआपरेटिव मारकेटिंग हो । किसान लोग अपनी-अपनी कोआपरेटिव सोसाइटी बनायें और सीधा सम्बन्ध कंज्यूमर्स से जोड़ें और बीच में जो मिडिल मैन है उसको गायब कर दें । यह एक आदर्श स्थिति है । अगर ऐसा हो जाय तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है । उनमें इतनी कांशसनेस डेवलप हो जाय, इतनी शिक्षा हो जाय, इतनी ईमानदारी हो, इतना समय देने के लिये तैयार हो तो कोआपरेटिव सोसाइटीज से अपने प्रोड्युस का मार्केटिंग करें और इसको बीच में एलीमिनेट कर दें । बट इट इज ए फार क्राई (but it is a far cry) बहुत दिनों में जा कर यह बात पूरी होगी । कोआपरेटिव मूवमेंट जब सफल होगा, जब कोआपरेटिव सोसाइटीज इनर अर्ज के आधार पर बनेगी जबकि आर्गेनिक ग्रोथ होगी । गवर्नमेंट केवल उनको सुविधायें दे सकती है उनके रास्ते के कांटे बीन सकती है । गवर्नमेंट के बनाने से या उसकी प्रोबिंग से बनेंगी तो उनकी सफलता संदिग्ध होगी । तो कोआपरेटिव सोसाइटीज बन जायं और कोआपरेटिव मारकेटिंग हमारे यहां होने लगे यह दूर की बात है । लिहाजा जो मौजूदा सिस्टम किसान का अपनी पैदावार बेंचने का है उसमें जितना संशोधन संभव है उसके करने की कोशिश की जाय । इस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, १९२८ में रायल ऐग्रीकल्चरल कमीशन की रिपोर्ट हुई । १९२६ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे कायम किया था । लार्ड लिलिथगो, वायसराय उसके चेयरमैन थे । बड़ी अच्छी रिपोर्ट है । उसमें उन्होंने यह सिफारिश की थी कि मारकेटिंग प्रैक्टिसेज को रेगुलेट करने को गवर्नमेंट की कोशिश होनी चाहिये, मंडियों में जो अन्याय और बेईमानी होती है उससे बचा जाय । १९३५ में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक मारकेटिंग डिपार्टमेंट अपने यहां कायम किया और उन्होंने कुछ अफसरों को मुकर्रर किया मार्केट्स के सर्वे के लिए । १९३७ में व्हीट मार्केटिंग सर्वे की रिपोर्ट पब्लिश हुई । जो माननीय सदस्य मार्केटिंग से दिलचस्पी रखते हैं उनसे मैं सिफारिश करूंगा कि उस रिपोर्ट को पढ़ें । मैंने १९३७ में पढ़ा था और १९३८ में इस आशय का मैंने एक बिल पेश किया था । मैं भी ठाकुर साहब के साथ था । उनमें से ८–९ आदमी सारे हाउस में रह गये है । मैं भी उनमें से खुशकिस्मत हूं । प्राइवेट बिल था । सेलेक्ट कमेटी में गया । माननीय डाक्टर काटजू ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर थे । सेलेक्ट कमेटी में वह गवर्नमेंट मेजर मान लिया गया, लेकिन किसानों की बदकिस्मती से अक्तूबर, १९३९ में कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो गया । वह बात जहां की तहां रह गयी । फिर उसके बाद १९४६ में जब फिर मिनिस्ट्री बनी तो गवर्नमेंट आफ इंडिया से कई बार कहा गया कि इस तरह का बिल आना चाहिये, लेकिन किसी न किसी कारण वह नहीं आ सका । मैं उस बीच के इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे खुशी है कि आज वह समय आ गया जब यह बिल पेश किया जा सका । बहुत पहले हो जाना चाहिये था, लेकिन कुछ बातें हुईं जिनकी वजह से पहले नहीं आ सका ।

१९९८ मे 'बाम्बे" काटन मारकेट्स रेगुलेशंस' बाम्बे के काटन मार्केट को रेगुलेट करने के लिये उस वक्त की गवर्नमेंट ने बनाये थे । उसके बाद इस सिलसिले में फिर लेजिस्लेशन हुए सन् १९३३ और ३५ में । बरार में जो बहुत ज्यादा कपास होती थी उस कपास की खरीदारी और विक्रय मे जो ज्यादती होती थी उसको रेगुलेट करने के लिए यह ऐक्ट बना । हैदराबाद और मद्रास की गवर्नमेंट ने सन् १९३५ में वहाँ के टुबैको मार्केट्स और काटन मार्केट्स दोनों को कंट्रोल करने के लिये छोटे छोटे ऐक्ट बनाये थे । अध्यक्ष महोदय, आज सूरत यह है कि केवल चार स्टेट्स आसाम, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सब स्टेट्स में

इस तरह का लेजिस्लेशन है। बल्कि सन् १९३८ में ही हमसे इस बिल की बहुत से स्टेट्स ने कापियां मंगाई थीं और उन लोगों ने अपनी यहां कानून बना लिया। लेकिन हमारे यहां मामला पिछड़ गया। खैर, अब यह आ गया।

अध्यक्ष महोदय, इसका मंशा मालूम करने के लिये माननीय मित्रों से यह कहूंगा कि वह इसके स्टेटमेंट आफ आबजेक्टस ऐंड रीजन्स को देखें। इसके अर्ज करने के पहले मैं जरूरी समझता हूं कि एकाध चीज और बता दी जाय और वह यह कि मारकेट को रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिये एक समिति कायम होगी १५ आदमियों की। इस विधेयक की दफा १३ में उस कमेटी का जिक्र है। उसमें एक तो अगर वहां कोई टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया हुआ तो उसका प्रतिनिधि होगा। एक अगर कोआपरेटिव मारकेटिंग सोसाइटी हुई तो उनका प्रतिनिधि होगा। एक सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन अगर वहां कोई हुआ तो उसका प्रतिनिधि होगा। तीन मेम्बर दूकानदार और दलाल आदि के होंगे। आठ मेम्बर किसानों के होंगे और एक आदमी गवर्नमेंट नामिनेट करेगी। इस तरह से १५ आदमी हुये। हर मारकेट में एक कमेटी मुकर्रर होगी। मारकेट एरिया किस तरह कायम किया जायगा इसके खंड ५ में इसका जिक्र है कि गवर्नमेंट नोटीफाई करेगी किसी एरिया को कि यह एरिया आज से नोटीफाइड एरिया हुआ। पब्लिक को एतराज करने का मौका दिया जायगा और उसके बाद वह फाइनल हो जायगा। वह कहलायेगा मारकेट एरिया। दस-दस, बारह बारह मील का एरिया इस तरह से गजट में नोटीफाइड करके मारकेट एरिया एनाउंस हो जायगा। उसके अन्दर फिर मारकेट यार्ड नोटीफाई होगा कि ऐक्चुअल मंडी यह होगी, यहां किसान के माल की खरीद फरोख्त होगी। फिर धारा ९ में जिक्र इस बात का है कि कोई साहब, या कोई लोकल बाडी या कोई और अथारिटी इस एरिया के अन्दर कोई दूसरा बाजार या मंडी कायम नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट की इजाजत के, क्योंकि मान लीजिये, हमने एक मारकेट एरिया करार दे दिया और १०, १२ मील के रेडियस के अन्दर एक मारकेट यार्ड हमने बना दिया। अब इसके बाहर कोई साहब और चार दूकान खोलकर बैठ जायं और कहें कि यह मंडी होगी तो कोई ऐसा नहीं कर सकेगा। बिना गवर्नमेंट की इजाजत के कोई नयी मंडी या नया मार्केट कायम नहीं हो सकेगा इस मार्केट एरिया के अन्दर, सिवाय उसके कि जो आलरेडी एक मार्केट यार्ड या मंडी हमने कायम कर दी है और इस मारकेट यार्ड के अन्दर कोई भी व्यक्ति बहैसियत दूकानदार, दलाल, कमीशन एजेंट, सर्वेयर बेयरहाउसिंग, तौला, पल्लेदार या और किसी भी हैसियत से जिसका कि वास्ता किसान की पैदावार की खरीद फरोख्त से है, काम नहीं कर सकेगा जब तक कि वह गवर्नमेंट से लाइसेंस न ले ले। लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। खंड ९ के उपखंड २ के अन्तर्गत एक मारकेट एरिया हो गया। उस मारकेट एरिया में जो मंडी हो गई या मारकेट यार्ड हो गया उस मारकेट एरिया में दूसरी मंडी कायम नहीं हो सकती। जो आज है, वह है। उसका नोटिफिकेशन हो गया। दूसरा कोई व्यक्ति उस एरिया के अन्दर किसान का सामान नहीं खरीद सकता नई मंडी कायम नहीं कर सकता। इन मंडियों के अन्दर जो लोग आज काम करते हैं दुकानदार की हैसियत से दुकानदार, व्यापारी, दलाल, आढ़तिया, सर्वेक्षक और गोदाम परिचालक, पल्लेदार और भी कई हैं, कोई आदमी इस तरह से काम नहीं कर सकेगा। इस खरीदने के सिलसिले में किसी भी हैसियत से जब तक कि उसको गवर्नमेंट से इसके लिये लाइसेंस न मिल जाय।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

एक मारकेट यार्ड से किसान दूसरी मंडी में अपना माल ले जा सकेगा या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

किसान के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है। जो पाबन्दी है वह दूकानदार पर है और दूकानदार के मददगार पर है।

अब इसके बाद दफा १२ है जिसमें यह है कि कमेटी कैसे बनाई जाय, वह मैं बतला चुका। इसमें म्युनिसिपैलिटी के प्रतिनिधि कैसे आयेंगे, कोआपरेटिव मारकेटिंग सोसाइटी के प्रतिनिधि कैसे आयेंगे और कमीशन एजेंट के प्रतिनिधि कैसे आयेंगे. . .

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

कोई इंडिविजुअल दुकान पर नहीं जा सकता। उसको ४,५ मन की जरूरत है तो क्या वह सीधे किसान से खरीद सकेगा ?

श्री चरणसिंह—

कोई कंज्यूमर खरीद सकेगा। कोई दुकानदार खरीद यह बात दूसरी है। मैं यह कह रहा था कि इस कमेटी में प्रतिनिधि किस प्रकार से आयेंगे। लोकल म्युनिसिपैलिटी, मारकेटिंग सोसाइटी, कमीशन एजेंट, वेयर हाउस मेन, पल्लेदार वगैरह जो होंगे और जो प्रोड्यूसर हैं उनके ८ नुमाइन्दे होंगे। उनके चुनाव किस प्रकार से होंगे यह नियम के लिये रखा गया है। मसलन सबसे पहला प्रश्न यह है कि किसानों के नुमाइन्दे कैसे आयें। अब हम इस सिलसिले में फिर इलेक्शन कराना और फिर एडल्ट फ्रेन्चाइज पर इलेक्शन करना एक मुसीबत मोल लेना है। आज कितने इलेक्शन हो रहे हैं उनमें ही काफी बरबादी हो रही है। कुआं बनाने के लिये उनके पास पैसा नहीं है और पंच सरपंच के लिये पैसा लग जाता है तो फिर इलेक्शन में पड़ जायेंगे। हम बहुत हद तक लोगों को इलेक्शन से बचाना चाहते हैं। आज मैं यह सोचता हूं कि अभी तो नियम बनेंगे, लेकिन मेरा अपना विचार यह है कि इस एरिया के अन्दर जो गांव पंचायतें हैं या वे लोग कुल मिलकर, या उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है तो उनके प्रतिनिधि मिलकर, इन्डाइरेक्ट तरीके से ८ आदमी चुनकर भेज दें। इन लाइंस पर मैं सोच रहा हूं एडल्ट फ्रैन्चाइज वोटिंग हम नहीं कराना चाहते हैं। यह इलेक्शन तो है, लेकिन इन्डाइरेक्ट इलेक्शन है.....

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

मैं आपका ध्यान धारा १२ की उपधारा (४) की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें यह है कि मंडीक्षेत्र में व्यापारी, दलाल, आढ़तिया, सर्वेक्षक आदि के ३ प्रतिनिधि रखे गये हैं, ये प्रतिनिधि ३ प्रकार के लोगों के अलग-अलग होंगे या वह व्यापारियों के ही होंगे ?

श्री चरणसिंह—

इस समय मैं केवल कानून की रूपरेखा समझा रहा हूं। जो तफसील की बात है वह सेलेक्ट कमेटी में या रूल्स में आ सकती है और वहां उस पर विचार किया जायगा। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस पर खूब विचार करें और उसके बाद अपनी बात बतलायें। कानून में सुधार हो सकता है और होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जो पहली कमेटी बनेगी उसे गवर्नमेन्ट नामिनेट करेगी, क्योंकि उसके पहले इलेक्शन वगैरह का प्रबन्ध नहीं हो सकता। अब उस कमेटी के जो काम होंगे वे खंड १५ में गिना दिये गये हैं, लेकिन हमारे माननीय सदस्य इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को देखें। उसमें सरल भाषा में उनका उल्लेख किया गया है। मैं उसे पढ़ कर सुना देता हूं। इसमें पहला है कि "ऐसे बहु-स्थानीय व्यापार-परिव्ययों, उद्ग्रहणों तथा आहरणों को कम करना जो इस समय उत्पादक-विक्रेताओं से लिये जाते हैं"। जो टैक्स वगैरह लिया जाता है उसको कम करना। और इस सम्बन्ध में मैं बाद में अर्ज करूंगा। दूसरा है सही बांटों तथ तराजुओं के सत्यापन की व्यवस्था करना और यह देखना कि उत्पादक-विक्रेता अपने उचित भाग से वंचित न हों। बहुत जगह बांट कमोबेश होते हैं। उनका वेरीफिकेशन होना चाहिये और यह काम इस कमेटी की तरफ से होगा। तीसरा है मंडी समितियां स्थापित करना जिन में कृषि उत्पादक को उसका उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। चौथा है यह सुनिश्चित करना कि समस्त रूप से मंडी की उन्नति के लिये मंडी-निधियों का उचित उपयोग करने के सम्बन्ध में कृषि उत्पादक की बात भी सुनी जाय। उत्पादक का रिप्रेजेन्टेशन होगा ताकि जब आमदनी हो उसको सही तरीके से खर्च किया जाय। पांचवां है, कृषि उत्पादन के विक्रय के संबंध में विवादों को न्यायोचित रूप से निपटाने की व्यवस्था करना, दूकानदार और किसान में

अगर कोई झगड़ा हो जाय तो यह कमेटी वह झगड़ा तय करेगी। इसके बाद उत्पादक-विक्रेता के लिये मंडी में सुविधाओं की व्यवस्था कर।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा अक्सर होता है कि किसान अपनी माल बैलगाड़ी में रख कर मंडी पहुंचा और भाव कल तो १० रुपये था, उस दिन ८ रुपये रह गया और ऐसे में उसके पास दो चारे हैं। या तो वह ८ रुपये में माल बेचे या फिर २० मील वापस ले जाय माल को। तो बड़े असमंजस में किसान ऐसे समय में पड़ जाता है। उसे वहां सामान रखने की कोई सुविधा रहती नहीं और वह उसी दाम पर माल बेचने को मजबूर होता है। तो मंडी की तरफ से उसे गोदाम की सुविधा दी जाय, माल रखने की, और अगर वह चाहता है ७ दिन बाद माल बेचना तो वह कर सके, भले ही इसके लिए कमेटी उससे कुछ चार्ज कर ले। इसके लिये उसे सुविधा मिलनी चाहिये और जहां जहां इस तरह का ऐक्ट है वहां इस तरह की सुविधायें हैं। इसके अलावा मार्केट इंटेलीजेंस रेडियो लगा हुआ है उन मंडियों में जो कि बड़े बड़े बाजारों के भाव सुनाता है किसानों को। उससे किसान को मालूम हो जाता है कि भाव यह है, तो वह सोच ले कि आया इस भाव पर बेचना वह चाहता है या नहीं। इसके अलावा हमने देखा है और गुड़ की गाड़ी पर बैठ कर मैं खुद गया हूं कि जहां खरीद फरोख्त होती है, वहां इतनी भीड़ होती है कि बैलों के खड़े होने तक की जगह नहीं होती और बहुत सी जगह उन के चोट आ जाती है। किसान भूसा भी लेकर चलता है, पानी का कोई इन्तजाम नहीं और अगर बारिश आ जाय तो खड़े खड़े चाहे गुड़ बह जाय या गेहूं और धान गीला हो जाय। कोई शेड नहीं बने हुए हैं। बस यह होता है कि दूकानदार ने उसको हुक्का दे दिया—अगर वह अपने साथ नहीं लाया है—और तम्बाकू दे दिया, अब वह अलग बैठ गया, जो भी भाव मिल जाय, उस पर भी बिक जाय। जब बाहर से खरीदार आता है तो जिस दूकान पर माल आता है उस पर कोई बोली नहीं बोली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि रूमाल के अन्दर उंगलियों से भाव तय हो जाते हैं, नीचे हाथ दिया उसने और अढ़तिये ने भी और सौदा हो गया। कौन किस भाव उसका माल लेता है किसान को कोई वास्ता नहीं। वह नहीं जानता कि कितनी बोली-बोली गयी है, दूसरा आदमी आया है तो उसका इन्तजार किया जाय, वह कितना देने को तैयार है, उसकी कोई बिजनेस नहीं है। मालूम ऐसा होता है कि उसको केवल खेत पर मेहनत करने का अधिकार है।

सारी प्राब्लम किसानों की यह है कि वह छोटे छोटे किसान गरीब और अशिक्षित हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, आर्गेनाइज नहीं हो पाते। अखबार वाले भी वहां नहीं जाते हैं। १०–५ हजार लेबरर्स की मांग होती है तो दिन-रात पब्लिसिटी और दिन-रात हमारे मित्रों की तरफ से तरह तरह के प्रस्ताव और नोटिस नियम ५२ के आ जाते हैं। मैं नहीं कहता कि नहीं होना चाहिये, जरूर होना चाहिए, लेकिन जो उनसे ५०–१०० गुना बेजबान किसान हैं उनकी आवाज अपेक्षया कम सुनी जाती है। उसका कारण है उनका लैक आफ आर्गेनाइजेशन। इसी संगठन की कमी की वजह से उनकी वीक बारगेनिंग पावर है। किसान अकेला है, वह एफर्ड नहीं कर सकता, सामान को अपने घर पर रख नहीं सकता, इसलिए दुनिया भर म ट्रेडर के मुकाबले में वह वीकर पोजीशन में पड़ जाता है। इस सब का बेस्ट इलाज यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज हों, लेकिन जब तक वह कायम हों हम इंतजार नहीं कर सकते कि इस तरीके से उसके साथ अन्याय होता रहे। जिस हद तक मुमकिन है उनकी कठिनाइयों को और अन्याय को दूर करने के लिये यह बिल लाया गया है। तो उत्पादक विक्रेता के लिये मंडियों की सुविधाओं की व्यवस्था करना, इसमें स्टोरेज और मार्केटिंग की सुविधायें, शेड बनाना, यह सब आ जाता है।

उसके बाद है जो ट्रेड चार्जेज हैं उनको रिड्यूस करना। इससे मतलब यह है कि उनके रेट्स ले डाउन कर देना और कुछ को अनअथराइज करना और अथराइज जो चार्जेज हैं उनकी लिस्ट बना देंगे कि इसके अलावा नहीं ले सकेंगे और जो ले सकेंगे वह जो रेट मुकर्ररा है उससे ज्यादा नहीं ले सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज धर्मादे के नाम से काफी रुपया रख लिया जाता है। यही नहीं, अगर मैं नाम गिनाऊं कि किस-किस नाम से उनसे रुपया लिया जाता है तो हो सकता है कि

[श्री चरण सिंह]

माननीय मित्रों को इल्म में कुछ इजाफा हो जाय। बहरहाल, मेरे इल्म में तो हुआ है। एक बात तो आज ही हमारे सचिव ने सुबह बतायी कि नोट बट्टा भी एक चीज होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सन् १९३७ की सर्वे रिपोर्ट का जिक्र किया था। उसमें यह लिखा है, जो मैं आप की आज्ञा से पहले अंग्रेजी में सुनाता हूं, बाद में उसका खुलासा हिन्दी में कर दूंगा। वह इस प्रकार है :—

"Having laboured for months to produce Rs. 100 worth of wheat the grower takes it to the market where he meets with the *Kachcha arhatia*, the *dalal* the *rola*, who dresses his wheat the *weighman*, the *charhawa* who fills the scale pan, the *ota* who holds open the mouth of the bag. These and the *munim* (the *arhatiya's* clerk), the chaukidar, the sweeper, the watchman, the *arhatiya's* cook and the horde of beggars of every description all regard themselves entitled to a share of his produce."

इसका अर्थ, अध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि महीनों की मेहनत के बाद तो उसने थोड़ा बहुत पैदा किया उसको जब वह मंडी में लेकर पहुंचता है तो उसको कच्चे आढ़तिये से वास्ता पड़ता है, उसका दलाल मिलता है, रोला मिलता है, तौला मिलता है, चढ़ैया मिलता है, ओटा मिलता है। उसके अलावा मुनीम, अढ़तिये का रसोइया, भंगी और भिश्ती, उसका चौकीदार सब मिलते हैं और बड़ा अच्छा लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है कि सब अपना हक समझते हैं कुछ न कुछ किसान की पैदा वार में।

एक सदस्य—

धर्मादा अलग है।

श्री चरणसिंह—

जी हां, धर्मादा अलग, गौशाला अलग, रामलीला अलग।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

बोरे जब इधर से उधर किये जाते हैं तो उनमें से जो दाने निकल जाते हैं, गिर जाते हैं वह दाने सब चौकीदार के होते हैं।

श्री चरणसिंह—

यही नहीं, मथुरा की मंडी से सम्बन्धित एक बिल जब १९३८ में पेश था, उस वक्त के आंकड़ों को लेने के लिये मैंने वहां के कलेक्टर से एक रिपोर्ट मंगाई। उन दिनों मैं और मथुरा के कृष्णचन्द जी, एम० पी० दोनों एक कमरे में रहते थे, खूब बातें होती थीं। कोसी की मंडी की बात है। हिन्दू मुसलिम रायट हो गया। दूकानदार उस वक्त मंडी में मौजूद थे उनकी मदद काश्तकारों ने कर दी थी। कुछ कत्ल हो गये, कुछ आग लग गयी। यह सन् १९३१-३२ की बात है जब हिन्दू मुस्लिम रायट्स बहुत होते थे। किसानों का चालान हुआ, कुछ एक-आध दुकानदारों का भी हुआ था। इन काश्तकारों के पास पैसा नहीं था। दूकानदारों ने पैसा लगाया और अन्त में हाईकोर्ट से वह छूट गये। उसमें जो खर्चा हुआ था वह दूकानदारों ने किसानों से वसूल किया था। किसी नाम से उन पर कर या टैक्स या लेवी लगायी गयी थी। माननीय केशव गुप्त भी उसी कमरे में रहते थे, उनको याद होगा, इस बात का जिक्र हुआ था। उस रुपये की वसूलयाबी कोसी के इलाके के किसानों से होती रही। हर आदमी चाहता है बिना मेहनत किये पैसा लेना और जहां मेहनत करने वाला जाहिल हो तो वह सब की खूराक है। हमारे किसानों की यही दशा है। धर्मादे में लड़कियों की शादियां हो जाती हैं। गया का श्राद्ध भी उसी में हो जाता है। कोई कांग्रेस वाला या किसी पार्टी का चला जाय तो उसको दान भी उसी खाते में। नाम दूकानदार का और पैसा किसान का है।

जो लोग ईमानदारी से हिसाब रखते हैं वहां लाखों रुपया इकठ्ठा हैं, उसका कोई इस्तेमाल ऐसा नहीं हो रहा है जो पब्लिक के या किसानों के काम आता हो। आज मुझे मालूम हुआ कि एक नोट बट्टा भी होता है। बड़े नोट के बदले में छोटे नोट भी लेना भी है। ढलता कोई चीज है। कहते हैं कि यह चीज आपकी खराब किस्म की है, उसे १ मन के बदले ४१ सेर लेते हैं। खराब क्वालिटी के भाव तो कम हो ही गये, लेकिन तौल में भी अधिक लेते हैं। करदा ज्यादा मिट्टी या कंकड़ का है। तो यह एक बड़ी भारी रकम हो जाती है। इस तरह के चार्जेज में कितनी कमी मंडियों में हुई है, इसकी बम्बई, अहमदाबाद और पंजाब के दो मार्केट्स की हमारे पास रिपोर्ट है। मूंगफली में फी मन ६ रुपये, १ आना, साढ़े ४ पाई थे, जो मंडी ऐक्ट बनने पर १ रुपया १० आना ३ पाई रह गये, ७३ फी सदी कम हो गया। गुड़ में ३ रुपये ४ आने पहले पड़ते थे, वह १ रुपये ९ आने रह गये, ५०.५ परसेन्ट की कमी हुई। अहमदाबाद में कपास पर नाग में ७ रुपये १४ आने के बजाय १ रुपये १० आने १० पाई रहे, ७९ फी सदी की कमी हुई। लिन्टेड पर नाग, कोई कपास होती होगी, इसमें ८ रुपये की जगह १ रुपये ७ आने साढ़े ४ पाई रह गये। ८१.४ परसेंट की कमी हुई। पंजाब में दौराहा के मार्केट में फूडग्रेन्स में ४ रुपये १३ आने के बजाय १ रुपया ९ आने रह गया है, ६३.५ परसेंन्ट की कमी है। और कोई मंडी है, वहां फूडग्रेन्स में ४ रुपये १ आना पहले लिये जाते थे, अब १ रुपया ९ आना, यानी ६१.५ परसेंट कम हुआ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

जिस समय किसान अपनी पैदावार मंडी में लाता है तो उसे पैसे की आवश्यकता तुरन्त होती है। क्या इस बिल में इसकी सुविधा करने जा रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---

जैसा मैंने अर्ज किया, इस बिल का उद्देश्य बहुत सीमित है। वह काम कोआपरेटिव सोसाइटीज का है। अगर हमने इस में किया तो हमारे करने का मललब यह है कि गवर्नमेंट ने यह काम किया और गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी ले। गवर्नमेंट सिर्फ उस कमेटी की मदद करने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहती है। अगर कमेटी ऐसा करना चाहती है तो करे, गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कमेटी इसे कर नहीं पायेगी। गवर्नमेंट के लिये तो मुशकिल होगा और बहुत पेचीदगियां आवेंगी। माननीय सदस्य बिल का देख लें। अगर ऐसी आर्थिक हालत कमेटी की हो जाय तो वह करे।

इस बिल के उद्देश्य और कमेटी के अधिकार मैंने कुछ बतला दि ए। हर कमेटी में एक सेक्रेटरी होगा जिसे गवर्नमेंट मुकर्रर करगी, वह राज्य कर्मचारी होगा। उसका एक्सटर्नल, कंट्रोल नियंत्रण, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का होगा, डाइरेक्टर का होगा। चेयरमैन, सेक्रटरी के क्या अधिकार होंगे, कोई वैकेन्सी हो तो वह कैसे भरी जायगी, किस तरह कर्मचारी रखे जायेंगे, कौन रखेगा, उसकी अपील कहां होगी, जो कानून को तोड़गा उसको क्या सजा होगी, अधिनियम में जो प्राविधान किये गये हैं ये सब उसमें दिये गये हैं, लेकिन मुख्य बातें मैंने अर्ज कर दी हैं। कोई २५० मंडियां हमारी ऐसी हैं जिन्हें हम इस कानून से रेगुलेट करना चाहते हैं। ५० मंडियां हम ऐसी समझते हैं कि अगर उन्हें लेंगे तो गवर्नमेंट उन्हें कर्जा देगी और वे अपनी आय से उसे बेबाक करेंगे। उसके अलावा और मंडियों की हालत ऐसी नहीं होगी कि वे बिना गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत इमदाद के अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उसके लिये हमने यह किया है कि उनको कर्ज का ५० परसेन्ट सबसीडी के तौर पर ५० परसेन्ट लोन पर देगी। इन ५० मंडियों को जिनकी हालत अच्छी है उनको सेंट परसेंट लोन पर देगी सबसीडी का आधा हिस्सा गवर्नमेंट आफ इंडिया देगी हमको। २०० मंडियों को २५ परसेंट हम ५ साल तक देंगे। ९ लाख ३८ हजार रुपये का आर्थिक भार स्टेट एक्सचेकर पर पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने मोटी-मोटी सी बातें, जो उसूल थे। जो उनके पीछे विचारधार है उसको मैंने सदन के सामने रख दिया है। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि माननीय सदस्य अपने सुझाव सदन के सामने रक्खें। उन पर विचार किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि २५० मंडियों, जिनका जिक्र मंत्री जी ने किया है, उनकी नामावली छपवाकर बटवा दी जाय।

श्री चरणसिंह—

इस समय तो मेरे पास नहीं है, बाद को दे सकता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से यह सूचना देता हूं कि—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३, जो विधान सभा द्वारा १० दिसम्बर, १९६३ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी सिफारिश के आज (दिनांक १६ दिसम्बर, १९६३) को वापस प्राप्त हो गया है।"

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३—(क्रमागत)

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब ने जो विधेयक पेश किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिये उसके विषय में कोई दो रायें नहीं हैं, सभी इसके उद्देश्य और कारणों से सहमत होंगे, लेकिन फिर भी मैं जनमत जानने के लिये इसे भेजना चाहता हूं। पहले मैं यह बताऊं कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि सन् १९३७-३८ में सर्वे हो गया, लेकिन आज तक कांग्रेस हुकूमत जो थी ....

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आप अपना प्रस्ताव पेश कर दें।

श्री हिम्मतसिंह—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ को जनमत जानने के लिये एक मास तक घुमाया जाय।

मैं अभी बता रहा था कि आज कल कांग्रेस हुकूमत सो रही थी, किसान दबाया जा रहा था। एक तरफ तो उसको पहले जमींदार सता रहा था, वह उसको चैन नहीं लेने देता था, वह दिन रात उसको लूट रहा था, दिन में ही उसको रात हो रही थी, इधर यह आढ़ती और दलाल हैं यह लोग भी उसको दिन दहाड़े लूट रहे हैं। जमींदारों की लूट तो सन् १९५३ से खत्म हो गई, लेकिन यह आढ़तियों और दलालों, व्यापारियों की लूट अभी जारी है। आज ११ साल बाद अब सरकार को होश आया है कि दूसरी जगह भी किसान लूटा जा रहा है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उसको लूटने न दिया जाय । लेकिन "देर आयद दुरुस्त आयद" । चलिये, अभी सही । चौधरी साहब कहानी बताते-बताते रुक गये, परन्तु सवाल यह है कि इस सरकार ने किसान को इन ११,१२ साल से क्यों लूटने दिया ? अगर वह इस कहानी को बता देते तो मैं जनमत के लिये इसको भेजने की बात वापस लेता । बड़े दर्द की कहानी है । किसान का माल मंडी पहुंचता है, वह बेचारा बैठा रहता है । उसको होश नहीं कि दूसरे लोग उसके माल को किसके हाथ कितने में बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं ? किसान का तीन चौथाई माल तो यह लोग गांव में ही ले लेते हैं और उसे मनमाने दाम देते हैं और जो एक चौथाई माल उसके पास बचता है केवल वही मंडी में आता है । उसको तो होश ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है, कितने दाम लग गये, क्या हो रहा है । आज बाटों का मामला क्विन्टल या किलो का वह नहीं जानता, नये बांट आये हुये हैं, वह तोल भाव कुछ नहीं समझता है और बीच के कच्चे और पक्के आढ़ती दलाल जो चाहें करते हैं और उसके हाथ में मनचाहे दाम धर देते हैं । आपने जो कमेटी की बात रखी है उसमें गांव के जो मनीलेंडर हैं और जिनको काफी असर होता है वह भी उसमें चुन कर आ सकते हैं। वह उस समिति में आ गये तो जरूर घपला करेंगे ।

तो इन सारी बातों को जानने के लिये , जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं उनके बारे में किसान क्या राय रखता है, यह जानना बहुत जरूरी है । मंत्री जी अभी निर्णय नहीं कर पाये हैं कि चुनाव पद्धति क्या होगी । सेक्शन ५ में मार्केटिंग एरिया कितना बड़ा होगा कुछ क्लीयर नहीं है । केवल इतना कहा गया कि "वह स्थल जहां पर खरीद फ़रोख्त होती है" । इस विधेयक के सेक्शन्स से स्थिति साफ नहीं होती । भावों का काश्तकार को कुछ पता नहीं रहता, आढ़तिये चुपचाप मिलकर भाव तय कर लेते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि उसको कास्ट आफ प्रोडक्शन भी नहीं मिल पाता । काश्तकार जानना चाहता है कि कास्ट आफ़ प्रोडक्शन दिलाने के लिये सरकार क्या सोच रही है, ताकि उसको उचित कीमत बाजार में मिल सके । इस बिल में कहीं नहीं है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या उसको मिलेगी जिस से उसको मुनाफा हो । जो समिति होगी वह भी उसको कास्ट आफ प्रोडक्शन दिला पायेगी कि नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिये । मंत्री जी ने कहा कि बाजार भाव टंगे होंगे। ठीक है, लेकिन सरकार को बताना चाहिये इस प्राइस से अगर भाव नीचे जायेगा तो हम इस कीमत पर सारा का सारा माल खरीद लेंगे और कास्ट आफ प्रोडक्शन काश्तकार को दिलायेंगे और एक निश्चित स्तर से नीचे भाव नहीं जाने देंगे । इन्हीं कारणों से मैं चाहता हूं कि इसको जनमत के लिये भेजा जाय ।

बिल के उद्देश्य और कारण अच्छे हैं । सरकार ने कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायीं और उनके द्वारा गल्ला खरीदवाया, खरीफ का ११ प्वांइट कुछ और रबी १३ प्वांइंट कुछ, लेकिन उससे काश्तकार को फायदा नहीं हुआ । ऐसे ही मंडी में समिति अगर काश्तकार की राय से नहीं बनेगी तो इंडीविजुअल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई किया जायगा । इसलिये इसको जनमत के लिये भेजा जाय जिस से काश्तकार का भला होगा ।

(श्री कमलासिंह का नाम पुकारा गया)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कमलासिंह जी, एक काम रह गया है बिक्री-कर संशोधन बिल का इंट्रोडक्शन हो जाय तब आप बोले ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ....

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मैं व्यवस्था चाहता हूं श्रीमन्, क्या यह उचित है कि जब एक बिल पर बहस हो रही हो उसके बीच में नया विधेयक पुरः स्थापित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

ऐसा नहीं हो सकता, माननीय कमलासिंह फ्लोर के पजेशन में हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दे दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलदेवसिंह आर्य—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरः-स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ १३०९–१३११ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३—(आगत)

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन तीन मास के अन्दर प्रस्तुत करे और जिसको इसकी परिधि भी बढ़ाने का अधिकार होगा ।

जहां तक प्रवर समिति में इस विधेयक को भेजने का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसको माना है कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय । इसके बारे में कुछ कहने के पहले, श्रीमन्, मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं कि देर आयद दुरुस्त आयद । अगर उन्होंने देर हो ने पर भी सदन में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है तो वे बधाई के पात्र हैं । मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं इस बिल का आधा भाग चौधरी साहब और आधा भाग माननीय बनारसी दास जी, जो उनकी बगल में बैठे हैं, द्वारा पेश किया गया । मैं यह अवश्य चाहता हूं कि कृषि और सहकारिता का एक ही मंत्री होना चाहिए और खासकर सहकारिता और कृषि विभाग को भी मिला दिया जाय । इस समय इन विभागों को अलग-अलग दो पर्सनैलिटी रिप्रिजेन्ट करती हैं ।

श्रीमन् जहां तक इस विधेयक का प्रवर समिति में भेजने का प्रश्न है अभी ज्ञान से यह मालूम होता है कि यह फाइनेंस बिल है और सदन के सामने पहले पहल इन्ट्रोडयूस किया गया है । अगर विधान परिषद् के मेम्बरों को भी शामिल कर लिया जाय, इस प्रवर समिति में, तो मैं समझता हूं कि सदन का खर्चा भी बच जाय और टाइम की भी सेविंग की जा सकती है । मुझे उम्मीद है कि माननीय चौधरी साहब इस मामले में विचार करेंगे और हमारे इस संशोधन को कि इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाय, अवश्य मान लेंगे ।

अब इसके बाद जहां तक इस विधेयक के सम्बन्ध में यह देखा जा रहा है कि जहां तक सजाओं का सवाल है कि इस विधेयक में एक ही तरह की सजा दी है । अगर पंजाब और बम्बई के विधेयकों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को देखा जाय तो ज्ञात होगा कि उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की सजायें दी गयी हैं, लेकिन इसमें एक ही प्रकार की सजा दी है ५०० रु० और अगर कन्टीन्युअस ब्रीच होगा तो उसके अन्दर ५० रु० तक हो सकता है और मैं तो यह उम्मीद कर सकता हूं कि शायद प्रवर समिति में ५० प्रतिशत हो जाय, जैसा कि माननीय चौधरी साहब की परिपाटी है।

अभी जब चौधरी साहब भाषण कर रहे थे मुझे बहुत खुशी हुई कि किसान के जो दुःख हैं, उस पर जो ज्यादती हर धर्म के ठेकेदार या मुनीम करते हैं, उसको चूसते हैं और उसकी गाढ़ी कमाई को, जो वह खून पसीना बहाता है उसका सारा धन इस तरह से लूट लिया जाता है, उसे अपने काम का पूरा परिणाम नहीं मिलता है, उसके धन को बांट लेते हैं। उसके संकटों की ओर क्या ध्यान गया? माननीय कृषि मंत्री जी ने, जब वे पहले रेवेन्यू मंत्री थे तो भूमिधर और सीरदार की परिभाषा दी थी। चकबन्दी जब हुई तब एक ही खेत पर आधे का काश्तकार और दूसरे आधे का सीरदार बनाया गया। जो भूमिधर हुआ उसका लगान १, २ रुपया प्रति एकड़ है और जो सीरदार है उसका हैरिडिटरी रेट का दूना, यानी ८–१० रुपये तक जाता है। तो मैं समझता हूं कि एक किसान होते हुये राजस्व मंत्री जी उस वक्त भूल गये कि एक ही किस्म की जमीन ....

श्री चरणसिंह—

मैं नुक्तये तरतीब, पेश करता हूं। इस बिल से और भूमिधरी और सीरदारी से क्या वास्ता?

श्री कमलासिंह यादव—

इसका कारण यह था कि किसान पर जो ज्यादती हो रही है वह जब अपनी फसल बाजार में ले जाता है तभी नहीं होती, बल्कि शुरू से ही वह पीसा जा रहा है और यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिये मैं बता रहा था कि जब चकबन्दी हुई तो एक ही किस्म के आधे खेत का १, २ रुपये लगान और आधे का ८–१० रुपये। तो आप यह सोचें कि १ रुपया मालगुजारी देने वाला किसान ज्यादा फायदा उठायेगा उस खेत से और ८–१० रुपये मालगुजारी देने वाला किसान परेशान होगा कि किस तरह से मालगुजारी दे। तो एक तो कानून के जरिये हमने उसके ऊपर परेशानी डाली और अब हमारी सरकार को यह सूझा है कि कम से कम उसकी उपज का दाम तो ठीक मिले, इसीलिये मैं माननीय कृषि मंत्री को धन्यवाद देता हूं। लेकिन किसान की परेशानी का कारण केवल टैक्स ही नहीं है, बल्कि एक और कारण है और वह है इस सरकार की बुनियादी नीति। इस सरकार का कैलेन्डर इयर पहली अप्रैल से शुरू होता है और ३१ मार्च को खत्म होता है। नतीजा यह होता है कि लगान या तकावी की वसूली ३१ मार्च के पहले होती है। चाहे रबी की हो चाहे खरीफ की हो किसान से वसूली उस वक्त होती है जबकि उसकी फसल खेत में खड़ी होती है। पहले भी बहुत से विधेयक पास हुये, लेकिन इस बात की किसी में कोशिश नहीं की गयी कि किसान की इस दिक्कत को दूर करें।

श्री चरणसिंह—

मैं फिर प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं। आखिर किसान तो एक ऐसा मजमून है कि उस पर हर महकमा कवर हो सकता है। पुलिस ज्यादती करती है किसान पर, कभी कभी बिना शहादत के डिग्री हो जाती है, उससे मालगुजारी वसूल की जाती है, आबपाशी वसूल की जाती है। मेरी दरख्वास्त यह है कि इस तरह से बिलकुल एक रैम्बलिंग और एक रैन्डम बहस हो जायगी, उससे फायदा क्या होगा? किसका मैं जबाव दूंगा?

उपाध्यक्ष—

उनकी मंशा सिर्फ यह है कि अगर फाइनैन्शल इयर का महीना बदल जाय तो उससे किसान को सहूलियत हो जायगी।

श्री चरणसिंह—

रबी तो ३० जून तक चलती है और १५ अप्रैल को १ महीने का नोटिस दिया जाता है। वसूलयाबी जून में होती है मालगुजारी की और १५ मई से पहले तो होती ही नहीं। तो अगर यह बात है तो वह भी गलत है।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमन् को धन्यवाद देता हूं कि आपने सही बात सदन के सामने रखने की कोशिश की। जहां तक इस विधेयक का सवाल है एक बात यह रखी गयी कि कमेटी बनायी जायगी और उस कमेटी की धारणा क्या होगी उसके बारे में माननीय मंत्रीजी ने यह रखा है कि हम उसको फेयर प्राइस दिलाने की कोशिश करेंगे और फेयर प्राइस उनकी यह होगी कि जिस मंडी में किसान बेचने आयेगा वहां के दलाल वगैरह से बचाने की कोशिश की है और वह यह कि १२ परसेंट कानून के अन्दर रखा है। इसमें यह भी प्राविधान किया है कि सरकारी अधिकारी उस काम को करें और उसका पेमेंट मंडी कमेटी के फंड से हो। हम लोगों ने अभी तक देखा है कि कोआपरेटिव सोसायटीज की कितनी बुरी हालत हुई है। सुपरवाइजर्स उनका दिवाला पिटा देते हैं और उनकी तनख्वाह वगैरह देने में ही सारी आमदनी खत्म हो जाती है। तो अगर आप ईमानदारी से किसानों की भलाई करना चाहते है तो सबसे पहले यह करना चाहिये कि सरकार की तरफ से इस चीज को चलाये और उसके बाद जनता के अन्दर इस बात की प्रेरणा लायें कि वह इनिशिएटिव ले कि सरकार ने जो यह योजना शुरू की है उसको खत्म करके जनता की तरफ से उसे लागू किया जाय। अगर माननीय मंत्री जी यह भावना किसानों में पैदा करें तो मैं उनको फिर बधाई दूंगा कि वाकई इस विधेयक का उद्देश्य पूरा हुआ। अगर यह भावना किसान के अन्दर नहीं आती है और जबरदस्ती उस के ऊपर यह लादा जाता है, जैसा कि यह विधेयक के अन्दर है, तो वह चीज बहुत बढ़िया नहीं होगी।

श्री चरणसिंह—

इस मामले को जरा तशरीह कर दीजिये, मेरी समझ में आया नहीं।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा मतलब यह है कि जैसा कि कनाडा में है। वहां एक ह्वीट बोर्ड है और गवर्नमेंट की तरफ से यह चीज चलायी जाती थी और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसान अपने सरप्लस ह्वीट को मार्केट के अन्दर पूल करते थे और पूलिंग स्टेशन में वह एक मैनेजर के अन्डर रखा जाता था और समय समय पर देखा जाता था कि कितनी खपत है उतना ही सामान निकाला जाता था, उसको बेचा जाता था और बाकी बचे हुये सामान को, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि इस विधेयक के अन्दर भी रखा गया है कि अपने देश के अन्दर क्या क्या भाव है, उनका पता लगाया जाता था। इसी तरह से कनाडा में पता लगाया जाया करता था और जहां पर सामान ऊंचे भाव पर बिकता था वहां वह पहुंचाया जाता था ताकि किसान को बढ़िया कीमत मिल सके। मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि वहां यह होता है कि किसान पूल कर दे अपनी पैदावार लाकर। इसके बाद जिस कीमत पर उसका माल बिकता था उसमें से मारकेटिंग का जो खर्चा होता था उसको काट कर बाकी धन जो उसे मिलता था वह एवरेज प्राइस के नाम से दी जाती थी। इसका नतीजा यह होता था कि पहले माल कम कीमत पर बिक सकता था और बाद को ज्यादा कीमत पर बिक सकता था। इससे हर एक किसान को ऐवरेज प्राइस मिल जाती थी। इसी भावना से मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कनाडा में जो ऐसी चीज है उसको यहां भी कार्यान्वित करने की कोशिश करें।

इसके साथ ही साथ श्रीमन्, यह भी देखा गया है कि हर किसान में एक चीज होती है, वह यह चाहता है कि जो कुछ हम पैदावार करें उसको हमको, मैक्जीमम प्राइस मिले। जहां

तक पूर्वी और पश्चमी किसानों को देखा जाय तो एक फर्क है। पूर्व के किसान ज्यादा से ज्यादा गल्ला पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पश्चिम का किसान अधिक पैदा करता है और यह भी चाहता है कि उसे अधिक से अधिक कीमत मिले। इस चीज को दूर करने की कोशिश की जाय और पूर्वी क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा मंडियां स्थापित कर दी जायं ताकि जो छोटे छोटे किसान हैं उनमें यह प्रेरणा पैदा हो कि वह सरप्लस को बचा कर पूल करें जिससे उनको भी अच्छी से अच्छी कीमत मिल सके।

श्री चरणसिंह—

इसमें गवर्नमेंट की तरफ से मंडिया कायम नहीं हो रही हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि आपको कायम करनी चाहियें।

दूसरी बात, श्रीमन्, इलेक्शन के बारे में है। समिति का जो संगठन है उसके अलावा जो समिति होगी, उसके इलेक्शन की बात कही गई है और यह कहा गया है कि एक लोकल बाडीज का नामनी होगा। इसके बारे में मुझे यह कहना है कि जहां तक जिला परिषद् का सवाल है, देखा जाता है कि इलेक्शन में वह आलरेडी मेम्बर होता है या उस क्षेत्र का एम० एल० ए० भी हो सकता है। तो जो कि आलरेडी चुनाव के जरिये आते हैं उसकी जगह दूसरा चुनाव होगा तो उचित नहीं होगा बल्कि जो चुने हुए हैं उन्हीं को इसमें मेम्बर बना लें।

श्री चरणसिंह—

एम० एल० एज० को ?

श्री कमलासिंह यादव—

एम० एल० एज० को नहीं, ब्लाक का नामिनी जो होता है उसको रखें तो ज्यादा सुन्दर होगा।

जहां तक प्रथम समिति के संगठन का सवाल है इसमें चौधरी साहब ने बताया है कि इसमें पहले पहल नामिनेट करेंगे। लेकिन इसमें कोई भी प्राविधान नहीं है कि बाद में किसी तरीके पर इन स्थानों की पूर्ति कर सकें, जैसा कि दूसरी कमेटियों में होता है, इसलिए इसमें शुरू में तो हो सकता है कि वह कर लें किसी को एतराज नहीं हो सकता, लेकिन बाद में ऐडहाक कमेटी बनाने के बाद फिर लाना चाहिए जिसमें लोगों का चुनाव हो सके, सही तरीके पर रिप्रेजेंटेशन उनका हो सके।

खंड १८ में यह दिया हुआ है—

"Every Committee shall, out of its funds, pay to the State Government the cost of employment of any personnel appointed by the State Government under sub section (3) of section 21."

इसमें अगर यह कोशिश की जाय कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स इसमें न आएं, बल्कि मैनेजर्स जिनको गवर्नमेंट ट्रेन कर दे, वही एम्प्लाय किये जायं तो ज्यादा सुन्दर होगा। इसमें खर्चे की भी बचत हो सकती है, क्योंकि अगर अधिकारी पहले रख दिये जायंगे तो खर्चा अधिक होगा। नतीजा यह होगा कि जो फाइनेंस सरकार द्वारा होता है उससे कमेटियों की मदद नहीं हो पायेगी और थोड़े दिनों में सब कमेटियां फेल हो जायंगी। जिस तरह से सुपरवाइजर्स होते हैं उसी तरह की ट्रेनिंग कर दें और मैनेजर्स के रूप में काम करें। इसमें बचत भी हो सकती है और सुपरवीजन भी हो सकेगा।

दूसरी चीज इंजीनियर्स और टेक्निकल परसोनेल के रखने की है। जहां तक फ़ारेन कंट्रीज की बात है वहां गोडाउंस वगैरह बनाये जाते हैं जहां गल्ला रखा जाता है। वहां पर टेक्निकल आदमियों की जरूरत है। जो बात माननीय मंत्री जी ने बतायी है उसमें

[श्री कमलसिंह यादव]

ज्यादा कांस्ट्रक्शन नहीं है जिसमें टेक्निकल परसोनेल रखने की जरूरत हो। हर जिले में पी० डब्लू० डी०, जिला परिषद्, और इरीगेशन के इंजीनियर्स हैं। उन्हीं से काम चल सकता है। ऐसा करने से अलग स्टाफ पर जो खर्चा होता है वह बच सकता है। ऐसा कहीं न हो कि सारा रुपया नौकरशाही में खत्म हो जाय और जिस लक्ष्य को लेकर विधेयक आया है उसकी पूर्ति भी न हो सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और सदन से भी उम्मीद करता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति को भेजने के लिए तैयार हो जायं क्योंकि इससे दोनों सदनों का खर्चा कम हो जायगा और समय में बचत होगी। उम्मीद है कि कृषि मंत्री जी इससे सहमत होंगे।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का कृषक होने की हैसियत से और लेजिस्लेटर होने की हैसियत से, दोनों तरह से आदरणीय कृषि मंत्री को इस कृषक हितकारी विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने भाषण में भी फरमाया और बिल उद्देश्य और कारणों में भी दिया हुआ है कि इस बिल का श्रीगणेश १९३८ में हुआ। इतना ही नहीं प्लानिंग कमीशन ने देश के विभिन्न प्रदेशों पर यह जिम्मेदारी आयद की कि इस प्रकार के विधेयक १९५५-५६ तक पारित हो जाने चाहिए और इस देश के केवल दो तीन प्रदेशों को छोड़ कर जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, बाकी और सब प्रदेशों ने यह विधेयक पारित भी कर लिया। श्रीमन्, मुझे खेद है कि उत्तर प्रदेश ने जो इतना प्रगतिशील प्रदेश है कृषि और कृषक हितकारी इस विधेयक को लाने में इतनी देर की। माननीय कृषि मंत्री जी ने उन कारणों पर प्रकाश नहीं डाला। अगर वह उन कारणों पर प्रकाश डालते तो इस बिल को इतनी देर से लाने से जो नुकसान प्रदेश के किसानों और कृषि का हुआ है उसकी जिम्मेदारी आंकी जा सकती थी।

मान्यवर, पेश्तर इसके कि मैं इस विधेयक में जो योजना निर्दिष्ट है उसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करूं, मैं इस विषय से सम्बन्धित ऐग्रीकल्चर मार्केटिंग के सम्बन्ध में अपने विचार जरूर व्यक्त करूंगा और वह इसलिए भी—भले ही वह इस बिल की परिधि के बाहर की बात हो—लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जब यह बिल प्रवर समिति को सौंपा जाय तो उस प्रवर समिति को बिल की परिधि बढ़ा कर उसके बाहर भी बहस करने का अधिकार हो।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज वस्तुस्थिति क्या है? पिछली दो पंच वर्षीय योजना काल में कृषि के क्षेत्र में कृषि उत्पादन के तमाम लक्ष्य हमने केवल प्राप्त ही नहीं किये बल्कि उससे ज्यादा भी उत्पादन इस प्रदेश में हुआ। परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में न केवल तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त होते नहीं दीख पड़ते बल्कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में जितना उत्पादन कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में हो चुका था वह उत्पादन भी प्रथम दो वर्षों में नहीं हुआ है। श्रीमन्, इसके कारण क्या हैं? जैसा आदरणीय चौधरी साहब ने फरमाया था कि जो १९२८ में रायल कमीशन कृषि के ऊपर बैठाया गया था, उसने स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि कृषि की उन्नति करने के विभिन्न साधन और उपाय हो सकते हैं, लेकिन उस उन्नति को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि ऐग्रीकल्चरल मार्केटिंग में भी उन्नति की जाय। श्रीमन्, वास्तव में यही उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में साइंस और टेक्नोलाजी की विभिन्न योजनायें प्रसारित करके कृषि उत्पादन में उन्नति तो की, लेकिन ऐग्रीकल्चरल मार्केटिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार पूर्णतया सोती रही जिसके फलस्वरूप, श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की जो अवस्था हुई वह मैं चन्द आकड़ों में आपके सामने रखूंगा। मेरे पास सन् ५२-५३ से ६१-६२ तक के कृषि उत्पादन सूचकांक, कृषि समता सूचकांक और किसानों को प्राप्त वास्तविक आमदनी के सूचकांक मौजूद हैं। मैं केवल आखिरी पांच सालों के आंकड़े पेश करूंगा। सन् ५७-५८ में कृषि उत्पादन इंडेक्स ११.९ था जो बढ़ कर १९६२ में १४८.७ हो गया।

६०–६१ में तो यह बढ़ कर १५०.५५ हो गया था। इससे यह प्रतीत होता है कि कृषि उत्पादन में बहुत उन्नति हुई। कृषि समता सूचकांक देखें––५७–५८ में ९९.४ था, ६१–६२ में वह घट कर ७८.२ हो गया। जिस माल की कीमत ५७–५८ में, श्रीमन्, हमको और चीजों के बनिस्बत ९९.४ मिलती थी उसकी ६१–६२ में घट कर ७८.२ मिलने लगी। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के अन्दर मोटे तौर से १ हजार करोड़ का कृषि उत्पादन होता है और इसमें से करीब ३ सौ करोड़ का कृषि उत्पादन मंडियों में बिकने के लिए जाता है। श्रीमन्, इस कृषि समता इंडेक्स के गिरने का असर क्या हुआ? आप हिसाब लगायें, ३०० करोड़ के माल पर उत्तर प्रदेश के किसानों को सामूहिक रूप से ८४ करोड़ रुपये का हर वर्ष नुकसान होता गया इन भावों के गिरने से। श्रीमन्, वास्तविक आय किसान की गिरी है यह इस इंडेक्स से जाहिर होता है। ५७–५८ में १११.१२ यह इन्डेक्स नम्बर था, पैदावार में ड्योढ़ी उन्नति हुई, लेकिन यह इंडेक्स नाम मात्र बढ़ कर केवल ११५.९ हुआ ६१–६२ में। श्रीमन् इस तथ्य को यों भी सिद्ध किया जा सकता है कि प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में कृषि उत्पादन में उन्नति हुई है लेकिन श्रीमन्, ग्रामीण जनता की आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। श्रीमन् यदि आप देखें कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट जो पैडी की मारकेटिंग के ऊपर है उसमें उन्होंने बतलाया है कि देश में पैडी के दाम जो कन्ज्यूमर देता है उसमें से केवल हिन्दुस्तान के अन्दर ५७ फीसदी कृषक पाता है और ४३ परसेन्ट यह मिडिलमैन पाता है। अब आप सोचें कि यह मिडिल मैन (यहां के कृषि उत्पादन में व्यवसाय करने वाले लोग) कम परिश्रम से, कम खतरा उठा कर, कम वक्त में ४३ फीसदी पायें जिसमें से मुश्किल से ३ परसेंट ही खर्च होता होगा और ४० फीसदी उनको नेट प्राफिट प्राप्त होता होगा और उत्तर प्रदेश का किसान तमाम प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुये, तमाम साल मेहनत करते हुये और तमाम खर्च करते हुये ७ फीसदी पाता है। जिसमें मुश्किल से १७ फीसदी उसको नेट प्राफिट मिलता है। वह मुश्किल से पाये १७ परसेंट और ये लोग ४० परसेंट प्राफिट पायें तो यह आर्थिक अन्याय है। अपने संविधान के अन्दर हमने शपथ ली है कि हम भारतीय नागरिकों को सोशल जस्टिस देंगे और पोलिटिकल और इकानामिक जस्टिस भी देंगे। मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह कृषकों को आर्थिक न्याय दिलाने की पूर्ण चेष्टा करें। मन्त्री जी जिस सीगे का लेजिस्लेशन करते हैं, पूर्ण करते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के सम्बन्ध में जो तस्वीर बनाई उसको पूर्ण तस्वीर बनाकर प्रान्त को दी। आज उसकी भूरि भूरि प्रशंसा केवल हमारा मुल्क ही नहीं बल्कि रूस के जो विशेषज्ञ आये थे, उन्होंने भी की है। उन्होंने कहा था कि कृषि पैकेज प्रोग्राम ७ स्टेट्स में चल रहा है पर लैन्ड रिफार्म केवल उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि जहां पर लैन्ड रिफार्म की तस्वीर पूर्ण रूप से रखी गई है। पंचाब के विषय में उन्होंने कहा कि वहां पर तो भूमि-सुधार अभी शुरू ही कर रहे हैं। यहां पर पंजाब के बारे में बहुत तारीफ की जाती है। लैन्ड रिफार्म के अन्दर पूरा विस्तृत लेजिस्लेशन इस प्रदेश को मन्त्री जी ने दिया है। इसी प्रकार से मार्केटिंग लेजिस्लेशन के सम्बन्ध में हमारी कृषि उत्पादन की वस्तुओं के क्रय विक्रय सम्बन्ध; जो भी आप कानून लायेंगे वह अधूरा नहीं लायेंगे। उसमें वे तमाम अंग होंगे और जो किसान की आज दिक्कतें हैं, उनका निराकरण होगा। परिश्रम जो होता है उसका पूरा पूरा फल पूर्ण रूप से उसको मिल सके, इस लिये मैं इसको आवश्यक समझता हूं। आज हमारे देश के लिये कृषि का उत्पादन जीवन-मरण का प्रश्न है और हमारे विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि कृषि उत्पादन के लिये अधिक धन की आवश्यकता है। श्री एस० के० पाटिल ने अपनी किताब 'प्रोडेक्शन एंड प्राइस आफ फूड ग्रेंस में लिखा है कि इस देश के अन्दर यदि कृषि उत्पादन को बढ़ाना है तो प्रति एकड़ ६० रुपये से लेकर १०० रुपये तक अधिक खर्च करना पड़ेगा।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपनी फार्म कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपने फार्मों पर गतवर्ष से १०० रुपया प्रति एकड़ खर्च बढ़ा दिया है। श्रीमन्, मैं, जानता चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि इस प्रदेश के अन्दर ४।। करोड़ एकड़ भूमि पर खेती होती है? उसके लिये इस तरह से ४।। सौ करोड़ रुपये की अधिक आवश्यकता है। क्या यह सही नहीं

[श्री शिवराज सिंह

है कि सहकारिता विभाग द्वारा, माल विभाग द्वारा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को कुल लगभग ५० करोड़ रुपया ऋण आदि मिलता है। तो आज हम को लगभग ४०० करोड़ अधिक रुपया किसानों की जेब में पहुंचाना चाहिये, यदि हम चाहते हैं कि कृषि में और अधिक उन्नति हो। श्रीमान्, यह इस दृष्टि से भी होना चाहिये कि कृषि उत्पादन बढ़ाना केवल कृषक के हित की ही बात नहीं है, यह राष्ट्र हित की भी बात है और इसलिये राष्ट्र हित में कृषकों को उसके उत्पादन की अधिक से अधिक कीमत मिलनी चाहिये।

जहांतक इस बिल का संबंध है इसमें चेष्टा की गयी है कि मंडियों में जो कुरीतियां हैं वह दूर हों और वहां कृषकों की असुविधाओं का निराकरण हो। मंडियों पर रोजगार करने वालों के साथ किसानों का भी कब्जा हो। श्रीमन् यह एक नयी योजना है और इसलिये इसको कार्यान्वित करते समय हमें इसको बड़े गौर से देखना होगा। इसके सेक्शन (२) मे जहां कृषि प्रोडयूस का जिक्र किया गया है उसमें तमाम कृषि उत्पादित वस्तुयें सम्मिलित कर ली गयी हैं जो खेतों में पैदा होती हैं और ऐसा लगता है कि उनके क्षेत्र में गन्ना तथा दूध भी आ जाता है। इसलिये जो विभिन्न गन्ना खरीदने के सेंटर्स हैं मिलों के या जो दूध इकट्ठा करने के केन्द्र हैं वे भी इसके दायरे में आते हैं। इसलिये यह सोचना पड़ेगा कि जब हम विभिन्न नियंत्रण निश्चित करें तो उनकी तस्वीर भी हमें सामने रखनी पड़ेगी। श्रीमन्, इसमें जो मार्केट यार्ड की परिभाषा दी गयी है इसके संबंध में हमें सोचना पड़ेगा कि मंडी के अलावा उस क्षेत्र में जो बाजार या हाट लगते हैं वहां कृषक जाकर अपनी जरूरत के लिये थोड़ा गल्ला बेच आता है उन हाटों और बाजारों के लिये आप कौन सा स्थान रखेंगे। इस बिल में यह प्राविजो दिया गया है कि किसानों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न होगा। वह चाहे तो गल्ला या दूसरी वस्तुयें बेच सकता है, परन्तु जब किसान पर प्रतिबन्ध न होगा तो खरीदने वाले पर कैसे प्रतिबन्ध हो सकेगा? शायद इस बिल का अभिप्राय यह है कि किसान अपने घर पर बेच सकता है। अगर यह कर दिया जाय कि वह अपने घर पर गल्ला बेच सकता है, तब तो बात समझ में आती है, परन्तु यदि किसान को छूट दे दी गयी कि वह किसी प्रकार भी अपनी कृषि उत्पादन वस्तुओं को बेच सकता है तो इस बिल का पूरा उद्देश्य खत्म हो जाता है। श्रीमन्, मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बिल में जो मार्केट यार्ड और सबमार्केट यार्ड नाम रखे गये है उनको बदल कर हिन्दुस्तानी नाम रखने की कृपा करें। इस बिल के सेक्शन ९ में मार्केट एरिया के डिक्लेरेशन का जो असर होगा वह दिया हुआ है, लेकिन सारे बिल में मार्केट यार्ड या सब मार्केट यार्ड स्थापित करने का क्या असर होगा वह नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि जब मार्केट यार्ड या सब मार्केट यार्ड स्थापित हो जायं तो इस बिल में यह होना चाहिये कि उसके बाद उन स्थानों के अतिरिक्त कृषि उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय किसी और स्थान पर नहीं होना चाहिये, अन्यथा जो नियंत्रण हम इस विधेयक द्वारा करना चाहते हैं वह नियंत्रण भली प्रकार हम कर नहीं पायेंगे।

श्रीमान्, मार्केट कमेटी के संविधान के संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि इसमें कृषकों के आठ नुमाइन्दे रखे गये हैं। उसके कुल सदस्यों की संख्या १५ है जाहिर है कि इस कमेटी की सारी मीटिंग्स मंडी में होंगी। आप सोचें कि आठ में से कितने ग्रामीण सदस्य वहां उपस्थित हो सकेंगे। श्रीमन्, इस वजह से कि काफी बड़े रकबे के वे प्रतिनिधि होंगे और इसलिये मैं श्रीमन् से अनुरोध करूंगा कि उनकी संख्या बढ़ा कर १५ कर दी जाय। इस तरह से कुल कमेटी के सदस्यगण १५ के बजाय २२ कर दिये जायं। इसी प्रकार से इसके सेक्शन ९ में दिया हुआ है कि अगर कमेटी से लाइसेंस प्राप्त किये हुये कोई व्यक्ति कहीं पर भी खरीद नहीं सकेगा, बेच नहीं सकेगा और उसके अतिरिक्त स्टोर नहीं कर सकेगा, प्रोसेस नहीं कर सकेगा किसी भी कृषि की वस्तु का।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बिल का उद्देश्य यह भी है कि जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट्स कृषि उत्पादित वस्तुओं को स्थापित किये जायं वह भी मार्केट यार्ड्स और सब मार्केट यार्ड्स में स्थापित किये जायं? वे तो कृषि उत्पादित वस्तुओं के क्रय-विक्रय का स्थान हैं, उनके स्टोर

करने के प्रोसेस करने के स्थान नहीं हो सकते हैं और न होते हैं। इसलिये ये शब्द निकालने पड़ेंगे। जाहिर है कि हर शहर और गांव में इस प्रकार के प्रोसेसिंग यूनिट्स लग सकते हैं और स्टोर हाउसेज बनाये जा सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि जहां इस बिल को यह प्रवर समिति को सौंप रहे हैं वहां परिधि बढ़ाने के संशोधन को भी स्वीकार कर लें। वह चेयरमैन तो उस कमेटी होंगे ही, अगर आवश्यकता न पड़े तो परिधि न बढ़ायें, लेकिन इसका अधिकार सदन से अवश्य प्राप्त कर लें ताकि ऐग्रिकल्चरल मार्केटिंग को सफल बनाने हेतु और किसानों को पूरा लाभ पहुंचाने के लिये एक अच्छा और स्वस्थ कानून इस सदन के सामने हम पेश कर सकें।

जिलाधीश मेरठ द्वारा श्री बलवानसिंह की गिरफ्तारी की सूचना न दिये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, शायद आपको खबर न मिली हो, उत्तर प्रदेश की और विधान सभा की हमारी पार्टी के नेता मुकुट बिहारी लाल जी और बलवान सिंह जी आज साढ़े ग्यारह बजे डेढ़ सौ कार्यकर्ताओं के साथ गाजियाबाद में गिरफ्तार कर लिये गये हैं गुड़ और खांडसारी आन्दोलन के संबंध में। हमने लिखकर भी आपके पास विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है। आप कृपया प्रक्रिया के नियम ८४, ८५ और ८६ को देखें और दफा ३१९ को देखें। ३१९ में साफ कहा गया है कि इस प्रकार की सूचना दंडाधिकारी या जो अफसरान हैं वह तत्काल आपको देंगे और उन्हें देनी चाहिये, लेकिन ५ घंटे का वक्त हो रहा है, कोई सूचना आपको नहीं दी गयी है। इसलिये जिन अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया वह विशेषाधिकार की अवहेलना के पात्र हैं। यह प्रश्न आपके सामने उठा देना आवश्यक था, इसलिये उठाया है, क्योंकि नियम है।

श्री उपाध्यक्ष—

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये आवश्यक है कि एक नोटिस आना चाहिये बिफोर दि कमेंसमेंट आफ दि सिटिंग। वह नहीं आया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

नोटिस तो आपको भेज चुके हैं लिखित और यह हमारा जबानी भी नोटिस है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आपका नोटिस है उस पर आज तो कुछ बात हो नहीं सकती, कल सुबह हो जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्यों कल होगी? यह तो तुरन्त की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

"तुरन्त" के माने यह नहीं है। ११ बजे तो अरेस्ट हुआ है खबर देने में कुछ समय लगेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

सवाल यह है कि आपको हमने, इस आदरणीय सदन के सदस्यों ने एक नोटिस दिया इस आशय का....

श्री उपाध्यक्ष---

१० मिनट पहले....

श्री कल्पनाथसिंह---

मैं तो १ मिनट पहले की बात कहता हूं। हम कह रहे हैं कि अभी दिया, ३ बजे दिया। मैं यह कह रहा हूं कि गिरफ्तारी के बाद इस हाउस को उसकी सूचना मिलनी चाहिये थी। अगर हाउस को तुरन्त नहीं मिलती है। यह हाउस का कंटेम्प्ट है और अगर हाउस का कंटेम्प्ट होता है तो हाउस किसी भी वक्त बिना सब्सटैन्टिव मोशन के ही उस मसले को डिसकस कर सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करें क्योंकि यह सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न है, और सदन के अवमान से बढ़कर किसी दूसरी बात पर व्यवस्था देने का बल कांस्टीट्यूशन में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

विशेषाधिकार तो सदन के माननीय सदस्य के संबंध में ही आ सकता है। नियम ६५ में लिखा है कि " before the Commencement of the Sitting " आना चाहिये, वह नहीं आया है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

कोई व्यवस्था देने के पहले मेरी बात तो सुन लीजिये कि आप जो मैजिस्ट्रेट को सफाई दे रहे हैं कि अभी ५ ही घंटे तो हुये हैं। तो अगर आप ही माननीय सदन के विशेषाधिकार पर विचार नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह जो नोटिस आपने दिया है उस पर कल विचार होगा और अध्यक्ष महोदय अपना निर्णय देंगे क्योंकि इस वक्त नियम के विरुद्ध नोटिस है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या आप यह बता देने की कृपा करेंगे कि माननीय बलवान सिंह की गिरफ्तारी की सूचना अभी तक आपके पास है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास इस वक्त तक नहीं आयी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

आप इस सूचना को नोटिस मान कर स्वीकार कर लीजिये और फिर निर्णय चाहे कल दीजिये और बहस जब चाहे करा लीजिये। यह सीधा सादा सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष---

उग्रसेन जी, आप बैठ जाइये। इस पर विचार कल सबेरे ही होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

श्रीमान्, आपने नियमों की तरफ हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के किसी भी नियम की अगर अवहेलना होती है और उसकी नोटिस किसी भी

समय होती है तो ऐसा समझा जाता है कि इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई। श्रीमन्, जो नोटिस दी गयी है इस पर आपको तत्काल विचार करना चाहिये। यह बड़ी खुशी की बात है कि ११ बजे गिरफ्तारी हुई और आपने मान लिया कि अभी तक आपको कोई सूचना नहीं मिली है। इसका मतलब है कि उनको वायरलेस पर जो स्पीकर महोदय से परमीशन लेनी चाहिये थी और तब गिरफ्तार करना चाहिये था वह नहीं हुआ। तो मेरा कहना यह है कि आपको नोटिस हो चुकी है....

श्री उपाध्यक्ष—

नोटिस हो चुकी है और इस पर कल सुबह ही विचार हो जायगा।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३—(क्रमागत)

*श्री कल्पनार्थसिंह—

श्री उपाध्यक्ष जी, मैं, माननीय कमलासिंह जी ने जो संयुक्त प्रवर समिति में इस बिल को भेजने के लिये प्रस्ताव किया है, उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं मंत्री जी का आभार मानता हूं जिन्होंने इस सदन में इतने दिनों के बाद भी इसको ले तो आये और सबसे ज्यादा अनुग्रहीत मैं इस बात पर हूं, जैसा कि मैं सुनता था मंत्री जी के बारे में, जिस ढंग से आपने अपनी बात कही, उससे मैं तो उनकी बात सुनकर मुग्ध हो गया। लेकिन जब इस पर थोड़ी बुद्धि से विचार किया तो मुझको ऐसा लगा कि यह वह जहर है जिससे उसको सही सही मंशा ही समाप्त हो जाती है। माननीय मंत्रीजी ने यह साफ साफ कहा कि स्टेट ट्रेडिंग इस मर्ज की दवा नहीं है। मैं समझता हूं कि यह मंडी विधेयक एक अच्छी चीज है, लेकिन सोलहों आना दवा नहीं है। माननीय मंत्री जी इस विषय में सहकारिता मंत्रीजी से तो सलाह कर लेते और इस बिल में इस बात का प्राविधान करते कि मार्केटिंग सोसाइटीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाय। माननीय मंत्रीजी से मैं इस बात में इत्तफाक करता हूं कि सरकार के द्वारा अगर मार्केटिंग या कोआपरेटिव सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन्स लिये जायेंगे तो तब तक काम चलने वाला नहीं है जब तक कि कोआपरेटिव लीडरशिप डेवलप न कर जाय। लेकिन यह लीडरशिप कैसे डेवलप होगी? यह फटे हुये कपड़ों में पैबंद लगाने का आइडिया तो अंग्रेजों के जमाने से ही पैदा हुआ था, लेकिन सन् ३७-३८ के बाद सन् ६१ में भी आप वही आइडिया रखें यह तो शोभा नहीं देता है।

चौधरी साहब स्वतंत्रता संग्राम के एक नेता रहे हैं और उनके नेतृत्व में देश ने बहुत से काम किये हैं। वे एक दमदार आदमी हैं और मेरी समझ में यह बात न आयी कि ऐसे दमदार आदमी द्वारा सन् ३७–३८ में लाया गया बिल इतने दिनों तक कैसे दबा रह गया? उन्होंने उसकी सफाई की, लेकिन सफाई करते करते वह रुक गये। जब सोचने की कोशिश की तो उन्होंने जिज्ञासा को और बढ़ा दिया यह कह कर कि स्टेट ट्रेडिंग इसकी दवा नहीं है। स्टेट ट्रेडिंग तो कांग्रेस का आजमाया हुआ नुस्खा है, उसकी नीति रीति और सिद्धान्त की बात है। अभी माननीय उग्रसेन जी ने पूछा था कि उनकी जो दाम बांधो नीति है, सरकार उसको मानने के लिये तैयार है या नहीं? उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस की जो नीति है उसको जरूर माना जायगा। फिर मैं नहीं समझ पाया कि कांग्रेस की स्टेट ट्रेडिंग वाली नीति कहां चली गयी? जब मैंने सुना कि मंडी विधेयक आयेगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि किसानों को लूटने वाले दल को समाप्त करने का कदम एक बुजुर्ग नेता द्वारा उठाया जायगा, जो दरअस्ल हमारी आर्थिक और राजनैतिक लड़ाई में अपने तरीके से इस देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उन का मतभेद हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा उनका मतैक्य है। मैं मानता हूं कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

कांग्रेस प्रजातन्त्र की हामी है और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी उसकी हामी है। हम प्रजातन्त्र के दोस्त हैं यह कहने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई चाहे उसका दुश्मन क्यों न हो। तो यदि मंत्री जी स्टेट ट्रेडिंग का विधेयक लाये होते तो मैं उस की तारीफ करता, लेकिन उसके बजाय मंत्री जी ने यह विधेयक लाकर रख दिया कि उसके पत्रों को हमने उल्टा तो उसमें वही आढ़तियों, वही दलाल, वही तोला रहेंगे, वही पल्लेदार रहेंगे, वही किसान होगा और किसी के स्टेटस में कोई तब्दीली मंत्री जी ने करने की गुंजायश नहीं रखी है और सब ज्यों का त्यों रख दिया है। केवल फर्क यह रहा गया कि अबतक वह रीजनल फूड कंट्रोलर से लाइसेंस लेते थे अब वह मंत्री जी के महकमे से या मंडी से लाइसेन्स लेंगे। पहले पल्लेदार या तोला लाइसेंस्ड नहीं होते थे अब वह भी लाईसेंस लेंगे और उनके कारोबार को भी रेस्ट्रिक्ट किया जायगा। यह गुंजायश इसमें जरूर की गई है।

दूसरे मंडी कमेटी बनाकर किसानों को रेडियो सुनाया जायगा कि क्या बाजार के भाव हैं। वह तो आज भी चौधरी साहब के रेडियो रोज मंडी के भाव बोलते हैं, यह मौसम का हाल है या खेती की बातें हैं। वह केवल सुरैया और नर्गिस के गाने ही नहीं सुनाते हैं वह सब आज भी बताते हैं। यह मैंने माना कि माल लेकर जो किसान मंडी में जाते हैं वह उस मौके पर सुन लेंगे, लेकिन उस के बाद भी किसान क्या करेगा? वह अपना माल किसी न किसी आढ़ती के यहां रखेगा और वह कह देगा कि मैंने तुम्हारा माल ८ आना कम में बेच दिया है क्योंकि भाव और नीचे जा रहा था यह भी खतरा है। किसान का गल्ला उसके जरिये सीधा मण्डी में नहीं पहुंचता शायद १ प्रतिशत किसान भी ऐसे न होंगे जो सीधे स्वयं अपना गल्ला मण्डी में लेकर जाते होंगे। गांव में जो छोटे-छोटे व्यापारी या मनीलैन्डर्स हैं वही मनचाहे दामों पर किसान का गल्ला खरीद लेते हैं। वही लोग ज्यादातर मंडी में माल पहुंचाते हैं। लेकिन यह लोग इतना मुनाफा कमाने वाले नहीं हैं। जो बड़े आढ़ती हैं वह लोग सब से ज्यादा फायदा उठाते हैं। जो बड़े किसान मंडी तक स्वयं माल लेकर जाते हैं उन को लाभ हो सकता है, लेकिन जो छोटे किसान हैं और जो गांव में ही अपना गल्ला बेच लेते हैं उनके लिये कोई प्राविधान नहीं है।

कृषिमंत्री (श्री चरणसिंह)---

क्या किया जाय उनके लिये जो मंडी में अपनी पैदावार नहीं ला सकते।

श्री कल्पनाथसिंह---

मैं आपका शुक्रगुजार हूं, प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव आपने पहले ही किया है, उसमें सारी चर्चा होगी। मैं कह रहा था कि जिस समय यह सवाल पैदा होता है किसान के दिमाग में कि हमको पैसा लेना है तो वह बजार से भी और गांव के छोटे बनिये से भी उसी फसल के दाम पर लेते हैं। और मार्केटिंग सोसायटीज आज भी प्रदेश में विद्यमान हैं, लेकिन कितनी काम कर रही हैं, उनका आउट पुट क्या है मंत्री जी इसके भी आंकड़े दे दिये होते तो अच्छा था। तीसरी योजना में बड़ी चर्चा है कोआपरेटिव पालिसी की, प्राइस पालिसी की, मार्केटिंग सोसायटीज की। आपने देखा होगा जो कोआपरेटिव का चैप्टर है, तीसरी प्लान में कोई किसान बचने वाला नहीं है जो कोआपरेटिव से प्रभावित न हो। लेकिन जब किसान आता ही है कोआपरेटिव के सेक्टर में, मार्केटिंग की शकल में हो चाहे प्रोसेसिंग की शकल में, मार्केटिंग से दिलचस्पी क्यों नहीं पैदा हुई। यह किसान का काम था? मैं यह नहीं कहता कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सरकार की भी आखिर कुछ ड्यूटी है? या केवल माननीय बलवान सिंह को गिरफ्तार करने या प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल को गिरफ्तार करने के लिये ही सरकार है? सरकार का यह भी काम है कि छोटे किसानों को कुछ राहत दे। मैं मंत्री जी से कहता हूं कि मेहरबानी करके किसान की फसल के वक्त जो बाजार भाव रहता है उसको स्थिर करने के लिये कुछ इन्तजाम कीजिये। चैत, बैसाख में ५ सेर का भाव रहता है और भादों में १ सेर का बिकता है। अगर इसका इन्तजाम नहीं कर सकते तो लूट आप नहीं रोक सकते। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप न कहें कि किसान को फायदे के लिये मंडी बिल लाये हैं। मैंने सोचा कि आखिर यह क्यों आया? सोचते

सोचते इस नतीजे पर पहुंचा कि उधर के बैठने वाले भाइयों में कमेटीज बनाने की प्रवृत्ति हो उठी है कि असेंसिंग, प्रोसेसिंग, इवेलुएशन, प्लानिंग कमेटीज बनाओ, तो एक मंडी कमेटी भी बन जाय। उसके काम क्या क्या होंगे, उसके उद्देश्य और कारणों में बहुत ठीक ढंग से माननीय मंत्री जी ने उसको हम लोगों के समझाने के लिये, दे दिया है। उसमें ९ उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों के लिये वह कमेटी सदैव सक्रिय रहेगी और कार्य करेगी। जितनी बातें हैं, मैं यह नहीं कहता कि ये बातें अच्छी नहीं है, ये जरूर होनी चाहिये, लेकिन जो भी यह बात लिखी हुई है इसके अतिरिक्त अगर आप केवल एक बात की व्यवस्था कर दें कि फसल के समय अनाज के दाम की कीमत और उसके बाद अनाज की कीमत अगर दोनों चीजें तय हो जायें, ज्यादा अच्छा होगा।

मैं यह भी उम्मीद करता हूं, माननीय मंत्री जी से कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाय जो ३ माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। इस समय मैं माननीय कमलासिंह यादव जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये भी खड़ा हुआ हूं जिसमें वे यह चाहते हैं कि इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाय और दूसरे इसकी परिधि बढ़ाई जाय। अगर यह प्रस्ताव मान लिया गया होता तो उनको भी समय मिल जायगा इस बिल पर सोचने विचारने का और फिर हो सकता है कि मंत्री जी की समझदारी में यह बात आजाय कि कोआपरेटिव सोसाइटीज का ज्यादा डेवलपमेंट करो। हो सकता है कि माननीय मंत्री जी यह भी तै कर लें और कोई ऐसी धारा लाकर रख दें जिसके तहत में वेयरहाउसिंग के जरिये या और जो तरीके हो सकते हैं किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिल सके। मैं और ज्यादा न कहकर पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बड़ी मेहनत के बाद, इतने दिन बाद यह विधेयक सदन में लाया गया और मुझे आशा है कि प्रवर समिति इस पर ३ महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी और यह परिधि बढ़ाने का अख्तियार अपने हाथ में सुरक्षित कर लें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि इस मंडी में बिल पर मंत्री जी को हार्दिक बधाई दूं कि उन्होंने इस बिल को पेश करके बहुत से किसानों के शोषण को जिस समय वे अपना माल मंडियों में लाकर बेचते हैं, उसकी कमी को पूरा किया। किसानों का एक नहीं अनेक प्रकार से शोषण हो रहा है। आज भाव गिर रहें हैं। उससे उसका शोषण होता है। जिस समय उसको माल दिया जाता है और जिस समय उसका माल लिया जाता है उसमें उसका शोषण होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह इस प्रदेश का भाग्य रहा है कि किसान का संबंध जिस किसी बिल से रहा हो, जिसमें इस प्रदेश के किसान का फायदा रहा हो, उसे हमारे चौधरी साहब ही लाते रहे हैं। जमींदारी उन्मूलन हो या चकबन्दी हो उन बिलों को भी मंत्री जी ही लाये थे। देश में जब रशियन टीम आई थी उसने कहा कि भारतवर्ष में कहीं लैंड रिफार्म्स कम्पलीट हैं तो वह यू० पी० के अन्दर हैं। वह श्रेय मंत्री जी को ही दिया जाता है।

मैं जब कल्पनाथ सिंह जी को सुन रहा था तो मैंने देखा कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन वह हर चीज को मंडी बिल के अन्दर लाकर कहने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सुधारवादी बिल है, विचारवादी बिल नहीं है। वह सिद्धान्तों की बात करने लगे और बतलाने लगे कि इसमें यह भी हो सकता था और वह भी हो सकता था। क्योंकि तमाम बातें नहीं की जा सकतीं इसलिये कम बातें करना उनकी नजर में उचित नहीं है। वह समझते हैं कि अगर हम किसान को थोड़ा दे सकें तो नहीं देना चाहिये, पूरा ही देना चाहिये।

एक आध बात दरियाफ्त की गयी तब उन्होंने बड़ी सुन्दरता के साथ कहा कि प्रवर समिति में बातचीत हो जायगी। लेकिन मंत्री जी ने जब स्वयं इसे प्रवर समिति में भेजने की बात की है तो विरोधी पार्टियों को इसकी दाद देना चाहिये। वहां आप विचार विमर्श कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगवीर सिंह]

इस बिल के पीछे कुछ कहानी जरूर मालूम पड़ती है। सन् ३७ से लेकर अब तक इस देश व प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या परेशानी थी जिसके कारण आज तक यह बिल नहीं आ पाया और मंत्री जी सफाई के साथ उन मुसीबतों को बतलायेंगे। अगर उन्होंने बतलाने की हिम्मत की तो राज मालूम हो सकेगा कि कौन लोग थे जो किसान के हितों के साथ खिलवाड़ करते रहे, किसने किसान का हित चाहा है और किसने किसान का हित नहीं चाहा है।

जैसा हिसाब किताब लगाया गया लगभग १६ लाख रुपये का नफा किसान को इस बिल से होने जा रहा था। भाई कल्पनाथ सिंह जी को कमेटी बनाने की बड़ी परेशानी थी। जिस समय कमटी बनने की बात आयेगी तो शायद उनकी तरफ से सुझाव आये कि उसमें एम० एल० ए०, ब्लाक प्रमुख होना चाहिये। मंत्रीजी जी भी इसमें इलेक्शन बाजी के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। मैं भी चाहता हूं कि इस मंडी बिल में इलेक्शनबाजी नहीं होनी चाहिये। इनडायरेक्ट इलेक्शंस हों, लेकिन यह जरूर है कि जिस ब्लाक के मातहत वह मंडी हो उस ब्लाक का प्रमुख उसमें होना मेरे विचार से आवश्यक है। १५ आदमी की कमेटी बनेगी। म्युनिसिपल कमेटी का १ या एक टाउन एरिया का प्रतिनिधि भी उसमें होगा।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

उसमे तो बनिये आ जायेंगे।

श्री जगवीर सिंह—

उसमे कौन आ जायगा इससे मेरा संबंध नहीं, लेकिन उनके प्रतिनिधि आ जायेंगे ऐसा मेरा विचार अवश्य है। १५ आदमियों की कमेटी में ८ प्रतिनिधि किसान के होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कह देना मैं अवश्य अपना कर्त्तव्य समझता हूं। माननीय मंत्रीजी का अपना विचार जरूर है, लेकिन कोई न कोई अगर हम ऐसी बात इसमें ला सकते जिससे किसान को उसकी पैदावार का उचित मूल्य मिल सके तो वह उचित कदम होता। मैं इस बात को इस सदन में पहले भी कई दफा कह चुका हूं। मैं मंत्री जी का आभारी विशेष कर हूं इस माने में कि मैंने इस वर्ष से पहले वर्ष मंडी बिल की मांग इस सदन में की थी। मैं भी अपने कुछ मित्रों से बात कर रहा था जो मेरे क्षेत्र से आये थे। मैंने कहा कि मंडी बिल आ रहा है। तो दो, चार जो व्यापारी लोग ठहरे हुये थे उन्होंने कहा कि मंडी बिल से हम को काफी परेशानी होगी। मैंने सीधा सीदा यह सवाल किया कि क्या मंडी बिल से किसान का लाभ होने जा रहा है या नहीं। तो उन व्यापारियों की यह राय थी कि मंडी बिल से निश्चित रूप से किसान का लाभ होने जा रहा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैं जहां का रहने वाला हूं वहां एक मंडी है, उसमें मैं आता जाता हूं। वहां जिस समय किसान से गुड़ लिया जाता है तो ४१ सेर की तौल से लिया जाता है और जब दिया जाता है तो ४० सेर की तौल से दिया जाता है। इसी तरह से धर्मादा का पैसा किसानों से लिया जाता है लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाता है शहर की पाठशालाओं और स्कूलों के अन्दर। अगर हमने कभी इस बात का प्रयत्न किया कि इस पैसे का बटवारा हो जाय तो हम उसमें असफल रहे। उस धर्मादे के पैसे से इतना ही नहीं बल्कि जैसा कि मंत्रीजी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि जो भी पार्टी मांगने पहुंचती है अगर दान किया जाता है तो धर्मादा से, अगर बाहर सफर किया जाता है तो धर्मादा से।

एक बात मैं और कह दूं कि आजतक हमारी सरकार नाकामयाब रही है इस बात के अन्दर कि सैल्स टैक्स जिसको उसने व्यापारियों पर लगाया था वह किसानों से वसूल किया जाता है। इससे न मंत्रीजी इन्कार कर सकते हैं और न मुख्य मंत्री जी इन्कार कर सकते हैं। अगर वहां पर मंडी कमेटी होगी तो मेरा विश्वास है कि व्यापारी की हिम्मत नहीं होगी कि सैल्स टैक्स किसान से वसूल करे। बड़ा आढ़ती दे, पक्का आढ़ती दे, चाहे कच्चा आढ़ती दे इससे हमारा संबंध नहीं, लेकिन जो कानून का मन्शा है उसको सैल्स टैक्स देना होगा। इस प्रकार एक नहीं

अनेक तरह से इस विधेयक से हम किसानों का शोषण रोकेंगे। मैं चाहता हूं कि जब मंत्रीजी इस पर प्रवर समिति में विचार करें तो कुछ और बातें अगर उसमें आ सकेंगी जो हमारे भाई कल्पनाथजी को पसन्द होंगी, तो हो सकता है कि और भला हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर मंत्रीजी को इस बिल के लिये हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय श्री कमलासिंह जी यादव ने जो संशोधन प्रस्ताव उपस्थित किया है उसी के समर्थन में आपके माध्यम से मैं माननीय कृषि मंत्रीजीके समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसके पहले कि मैं इस संशोधन के समर्थन में कुछ कहूं जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के संबंध में अपनी प्रसन्नता प्रकट की है, उनके कथन से मैं भी अपने को संबद्ध करता हूं और खास तौर से हमारी पार्टी के सदस्यों ने मंत्री जी की बड़ी प्रशंसात्मक चर्चा की है और हमारे नेता ने भी मुझसे बातचीत करते समय बड़ी प्रसन्नता प्रकट की है। सब से बड़ी बात यह है कि इस मंत्रिमंडल में एक ऐसे जागरूक और जनता का हित चिंतन करने वाले मंत्री हैं जो इस विधेयक के उपस्थित हो जाने पर, कुछ त्रुटियां मालूम पड़ने पर, इसके पहले कि सदन में शोरगुल मचता और तब वे उसे वापस लेते, उन्होंने स्वयं उसको प्रवर समिति में ले जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक अच्छी परम्परा का प्रचलन किया है। इसके लिये मैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रवर समिति में माननीय सदस्यों के सुझावों को सुनकर वह इस विधेयक को अधिक से अधिक किसानों के हित में बनाने का प्रयत्न करेंगे। श्री कमलासिंह जी का प्रस्ताव संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का है। यह उचित है कि दोनों सदनों की समिति इस पर विचार करे जिससे दोनों सदनों में इसका स्वागत हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि मंत्री ने स्वयं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है और तीन महीने की अवधि मांगी है, अगर इसकी परिधि बढ़ाई भी जाय तो यह उनके अनुकूल बात होगी और जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में स्वयं कहा है कि उनको किसान की कितनी चिन्ता है और किसान के शोषण के बारे में वे कितना अनुभव रखते हैं। अगर इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार प्रवर समिति को दे देंगे तो वे और लाभ उठा सकेंगे। यदि वह परिधि बढ़ाने की बात मान लें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह मान लेंगे, तो किसानों के हित में यह विधेयक बहुत अच्छा हो जायगा।

इसी के साथ साथ, श्रीमन्, मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं। यदि उनका ध्यान इन त्रुटियों की ओर जायगा तो ज्यादा लाभ होगा। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय जगवीर सिंह जी ने इस विधेयक की मंडी से संबंधित व्यापारियों की प्रतिक्रिया मंत्री जी के सामने व्यक्त की है तो निश्चित रूप से इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद मंडी के व्यापारी, आढ़तिए, दलाल, जो किसानों का शोषण किया करते हैं, जब उनका शोषण बन्द हो जायगा तो उन पर एक बुरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। उनमें झुंझलाहट पैदा होगी और वह कुछ ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे जिनसे किसानों को परेशान करें। न मालूम कितने षडयंत्र रचेंगे। न कुछ होगा तो किसान की चीजों के दाम का भुगतान करने में भी देरी करेंगे। अगर वह दस दिन या बीस दिन भी पैसा रोक लेंगे तो उस पैसे को अन्य काम में लगा कर बड़ा बड़ा सूद ले सकते हैं। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान गन्ना विनियम अधिनियम की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें अगर गन्ना किसान का फैक्टरी वालों पर बकाया रह जाय तो इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि किसानों के गन्ने का दाम, यदि फैक्टरी के मालिक के पास बकाया पड़ जाय या देने में देरी करे तो गन्ना कमिश्नर की रिपोर्ट पर वह कानूनी कार-वाई से उसी तरह से वसूल किया जा सकेगा जैसे किसान का लगान वसूल किया जा सकता है। जब आपने इतना बड़ा काम किसानों के परम्परागत शोषण को समाप्त करने के लिये उठाया है तो उनकी परेशानी जो इस रूप में बढ़ेगी, उसको भी आपको देखना पड़ेगा इसलिये ऐसी कोई

[श्री रघुनाथसिंह]

विधि इस विधेयक में लानी चाहिये जिसमें सरकार द्वारा मंडी के संचालन में जो अधिकारी नियुक्त होंगे वे किसानों का दाम तुरन्त दिलवा सकें। इस पर आप विशेष ध्यान दें।

इस विधेयक में जो दो चार त्रुटियां दिखायी दे रही हैं उनकी ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। विधेयक में समिति के संगठन की जो बात है उसमें जैसा कि माननीय शिवराजसिंह जी ने बताया वह बात मुझे पसन्द आयी। मंडी क्षेत्र बहुत व्यापक होगा। किसान कई तरह के होंगे। फल के किसान, तरकारी के किसान, गल्ले के किसान, कई तरह से किसान होंगे। समिति में उनकी संख्या बढ़े तो अच्छा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। धारा १२ की पहली उपधारा में स्थानीय निकायों में से गांव सभा को निकाल दिया गया है। गांव सभाओं में भी मंडियां बन सकती हैं जब अन्य निकायों में बनती हैं। अगर गांव सभाओं में मंडियां बन जायं तो गांव सभाओं को इस खंड के अधिकार से वंचित करना उचित नहीं है जब कि पंचायत राज के अनुसार गांव सभाओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय बना दिया है। इसके अतिरिक्त उपधारा चार में जो व्यापारी, दलाल, आढ़तिया, सर्वेक्षक, गोदाम परिचालक तोलक या पल्लेदार आदि के तीन प्रतिनिधि रखने का जो प्रावधान है उसमें तोलक या पल्लेदार आदि जो मजदूर हैं उनका जरूर प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इस पर भी विधेयक में कोई प्रतिबंधात्मक कथन जोड़ने का मंत्री जी ध्यान दें।

एक निवेदन यह भी है कि एक मंडी की चुनी हुई समिति बनाने की बात आपने रखी है, इसके पहले ही जो सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम समिति आपने बनायी है तेरहवीं धारा की उपधारा में उसका कार्य काल बढ़ाने की बात आपने रख दी है। तो सरकार के द्वारा जो समिति नियुक्त की जाय, इस विधेयक में चुनी हुई समिति के बन जाने के बाद नियुक्त समिति के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाय। इस प्रकार की छूट मेरी समझ से बहुत अधिक जनतांत्रिक न होगी जब कि उसके चुनाव की आपने १२ वें खंड में व्यवस्था की है।

अब इसी के साथ एक बात और भी आती है सोलहवें खंड और उसके बाद जहां जहां समिति की चर्चा आपने की है जैसे समिति के अधिकार का उपशीर्षक, समिति की ओर से संविदाएं उपशीर्षक आदि तो वहां पर जैसा कि दूसरे खंड के (च) में दिया है—समिति का तात्पर्य अधिनियम के अध्याय ३ के अधीन संघटित समिति से है, इसका तात्पर्य यह होगा कि धारा १२ में जिस समिति के चुनी हुई होने, उसके संघटन की बात कही गई है धारा १६ और उसके बाद की चर्चा उसी समिति से है, तो आपकी यह प्रथम सरकार द्वारा नियुक्त समिति जो है इसका फिर कार्य और अधिकार क्या होगा? अगर मैंने पढ़ने या समझने में कोई असावधानी नहीं की है तो मुझे लगता है कि आपकी प्रथम समिति के कार्य, उसके अधिकार और कर्त्तव्य की इस विधेयक में विशेष चर्चा नहीं हो पायी है और कुछ उस चुनी हुई समिति और आपके द्वारा नियुक्त की हुई समिति इन दोनों के अधिकार और कर्त्तव्य में कुछ घपला सा मालूम होता है। तो इसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरी बात, श्रीमन्, यह है कि २३ वें खंड के (क) में यह जो चुनी हुई समिति का सभापति होगा उसकी आज्ञा अगर अप्रिय हो, अवांछनीय हो, तो उस को न मानने वाले उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को आपने यह छूट दे रखी है कि वह निदेशक के यहां अपील कर सकते हैं। आपने समिति के सचिव को जिसको सरकार नियुक्त करेगी उसको तो इस आज्ञा की परिधि के बाहर रखा ही है, समिति के अधीन कार्य करने वाले अन्य छोटे कर्मचारियों को भी छूट दे रखी है। इससे ऐसी ध्वनि निकलती है कि गोया समिति का सभापति जो चुना हुआ होगा और मंडी के हित में, किसानों के हित में, मंडी की व्यवस्था में जो उसको जो बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, उसके अधिकार से आप अपने छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी मुक्त करना चाहते हैं और इस प्रकार से एक चुनी हुई समिति और उसके कार्य के समानान्तर आप अपने कर्मचारियों का एक समानान्तर वर्ग तैयार कर रहे हैं जो उनके कामों में समय समय पर दखल देंगे। सभा-

पति की आज्ञा में, उसकी पकड़ में नहीं आयेंगे और इस तरह से दोनों में आपस में क्लैश पैदा होगा, मनमुटाव पैदा होगा। अगर मेरी यह आशंका सत्य हो तो इसमें भी आप संशोधन करने की कृपा करें।

तीसरी बात, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं और इस पर मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा २८ वें खंड के उपखंड (२) के खंड (ख) को मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं---'समिति के कृत्यों के सम्पादन के लिये ऐसा प्रबन्ध कर सकती है जो वह उचित समझे और इस प्रयोजन के लिये निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन समिति और उसके सभापति के सभी कृत्यों का सम्पादन, अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किया जायगा, जिसे राज्य सरकार तदर्थ नियुक्त करे, इस प्रकार राज्य सरकार किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी। श्रीमन्, जो सभापति से सभी कृत्यों के सम्पादन, अधिकारों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन कराने का अधिकार पा जायगा। तो ऐसी स्थिति में, सरकारी अधिकारी को सभापति के ऊपर भी अधिकार देने का प्राविधान, जब इस विधेयक में किया गया है तो मेरी समझ से आपने इस मंडी विधेयक को लाकर के और बहुत ही अच्छी चुनी हुई समिति और उसके अधिकारों और कर्त्तव्यों को बाकायदे बनाने का जो एक अच्छा सा कार्य कियाहै, उस कार्य में इससे बाधा पड़ेगी और धीरे धीरे सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी समिति और उसके अधिकारियों के स्थान पर काम करने की एक परम्परा सी कायम कर लेंगे और मैं यह कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपको इसके विरुद्ध एक संशोधन विधेयक लाने की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसी बात है तो इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

इसके बाद मैं अपनी बात थोड़े में कहना चाहता हूं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पता नहीं कि हमारे विधेयक के बनाने वाले कानून विभाग के कर्मचारी हिन्दी का कितना कम ज्ञान रखते हैं। हिन्दी के अच्छे जानकार और अच्छे हिन्दी के पढ़े लिखे लोग भी जब आपके हिन्दी के विधेयक को पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। उसकी शब्द रचना ऐसे विचित्र ढंग से होती है कि प्रत्यय लगाकर संज्ञाओं के विशेषण और विशेषण की संज्ञा अशुद्ध बनाई जाती है और फिर उसको ऐसे विचित्र ढंग से इस्तेमाल किया जाता है कि जिसका प्रयोग समझ में नहीं आता है। उनका समास ऐसे विचित्र ढंग से बनाकर रखा जाता है कि उसकी शब्दावली विचित्र ढंग की हो जाती है और उसके वाक्यों की रचना इस प्रकार की हो जाती है कि जिसको हिन्दी के पढ़े लिखे लोग भी समझ नहीं पाते हैं। जब अंग्रेजी के विधेयक को पढ़ते हैं तब वह समझ में आती है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि कम से कम हिन्दी, जो इस देश की राष्ट्रभाषा है, हमारे प्रदेश की राज्य भाषा है, लिखने पढ़ने की भाषा है और हमारी मातृभाषा भी है तो उसका आदर होना चाहिये और वह इस प्रकार से लिखी जानी चाहिये कि दूसरे लोगों के पास जब वह जाय, दूसरे प्रान्त के लोगों के पास जब वह जाय तो वे कठिनाई का उदाहरण किसी के सामने न रख सकें। आप कम से कम ला डिपार्टमेन्ट में ऐसे अच्छे हिन्दी के जानकार रखें जिनको भाषा का अच्छा ज्ञान हो और भाषा पर अधिकार रखते हों। जब आप यहां पर विधेयक लायें तो उसकी भाषा, उसके शब्दों की रचना और शब्दों का निर्माण उसके भाव के अनुकूल हो। ऐसा नहीं होना चाहिये कि हरएक पढ़ने वाले को ऐसा मालूम हो कि अंग्रेजी में ही विधेयक बनने चाहिये। बनाने वाले उसको अंग्रेजी में बनाते हैं फिर उसका शब्दिक अनुवाद कर देते हैं। इससे यह मालूम होता है कि हिन्दी के साथ यह कोई षड़यन्त्र किया जा रहा है और हिन्दी में उसका उल्था करके अंग्रेजी मनोवृत्ति को लाकर हिन्दी को शैली में गुलाम बनाने की प्रवृत्ति उसके साथ जुड़ी हुई है। जब यह विधेयक अधिनियम बनकर कचहरी में जायेंगे तो कचहरी में अधिकारीगण और जज लोग वहां पर इंगलिश का वरजन पढ़कर फैसला करेंगे। यदि आपने हिन्दी के लिये इस बुराई को दूर नहीं किया और ला डिपार्टमेंट में हिन्दी के अच्छे जानकर रखकर हिन्दी में ही उसका वरजन तैयार नहीं किया तो यह ऐसी बुराई पैदा होगी कि हम अपने यहां सेअंग्रेजी का चलन कभीनहीं हटा सकेंगे। यह हिन्दी, जो आज कल विधयकों

[श्री रघुनाथसिंह]

में लिखी जाती है, अस्पष्ट है और गुमराह करने वाली है। यह वकील लोगों की समझ में नहीं आयेगी।

इस विधेयक के खंड ३२ के उप खंड ४ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इसको मैंने पढ़कर समझने का प्रयत्न किया किन्तु मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यदि मेरी अपने विषय की बात को अनुचित न माना जाय तो मैंने अधिक से अधिक हिन्दी में ही पढ़ाई की है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी हम समझ नहीं सके। इसका अंग्रेजी वरजन लेकर जब पढ़ा तो तुरन्त समझ गये। हालांकि मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं जानता, लेकिन हिन्दी की पी० एच० डी० करने के बाद भी मैं उस हिन्दी को समझ नहीं पाया। एक प्रगतिशील मंत्री इस विधेयक के माध्यम से जो चीज जनता के सामने रखना चाहते हैं, तो वह भाषा में भी स्पष्ट होनी चाहिये। यदि आप कोई चीज अपनी राष्ट्रभाषा में रखना चाहते हैं और अपनी भाषा को गौरवपूर्ण बनाना चाहते हैं तो कम से कम अपने घर में अपनी मातृभाषा को इस प्रकार से अपमानित न होना चाहिये कि इस तरह के लापरवाह लोगों के हाथ में विधेयक की हिन्दी में रचना का काम दे दिया जाय। मैं समझता हूं कि ला डिपार्टमेंट यह षड़यन्त्र कर रहा है, इसको रोकने का। निश्चय रूप से आप उपक्रम करें जिससे राष्ट्रभाषा का हित हो। इस बात को जोरदार शब्दों में कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में श्री हिम्मतसिंह तथा श्री कमलसिंह यादव ने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं मैं, उनका विरोध करता हूं। श्रीमन्, एक प्रस्ताव है कि इस विधेयक को एक मास के लिये जनमत संग्रह हेतु घुमाया जाय। इससे मतलब उनका अगर रेंफेरेंडम से है कि यह बिल लाया जाय अथवा नहीं तो दूसरी बात है और यह उसी समय हो सकता है कि जब इसमें कोई ऐसी बुनियादी बात हो कि जिससे प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा अहित होने वाला हो। उसका मतलब लोगों को इसकी जानकारी कराने से भी हो सकता है और मैं समझता हूं कि जब मंत्री जी ने इसे यहां पेश कर दिया तो यह पब्लिक बिल हो गया, लोगों को इसकी जानकारी हो गयी और सभी लोग इस पर अपने सुझाव और संशोधन दे सकते हैं इसलिये मैं समझता हूं कि वह प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं है। दूसरा प्रस्ताव कमला सिंह जी का है वह इस लिये अर्थहीन हो जाता है कि प्रवर समिति में ले जाने के लिये मंत्री जी ने स्वयं ही प्रस्ताव किया है। किन्तु जब मंत्री जी ने इसे प्रवर समिति में ले जाने का प्रस्ताव किया है, तो आवश्यक हो जाता है कि इस सम्बन्ध में जो आपत्तियां अथवा, सुझाव हों वे उनके सामने रख दिये जायं।

श्रीमन्, मुझे इस बिल के सम्बन्ध में कुछ बुनियादी आपत्तियां हैं। इसके उद्देश्य और कारणों में तो पूरा सदन एक मत है और चाहता है कि कृषकों पर जो टैक्स आदि मंडियों में लगते हैं उनसे उनको छुटकारा दिलाया जाय और क्रय विक्रय पर--जो नियंत्रण है वह उनका ही रहे और इस सम्बन्ध में कोई दो मत नहीं हो सकते, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि मंडियों पर नियंत्रण की बात किस के अधिकार की परिधि में आती है? मैं मानता हूं कि जहां तक कृषि विभाग का सम्बन्ध है उसकी स्थापना एक विशेषज्ञ के रूप में, टेक्निशियन के रूप में हुई है। कृषि का उत्पादन कैसे बढ़े, बीज का मल्टीप्लीकेशन कैसे हो, स्वायल कंजरवेशन कैसे हो, इस सब के लिये कृषि विभाग है और कृषि के प्राविधिक पहलुओं को लेकर इसकी स्थापना हुई है। उसका काम है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाये, नयी तरह की कृषि प्रणाली अपनाने के लिये कृषकों को वह प्रोत्साहित करे, कृषकों को टेक्निकल तथा प्राविधिक जानकारी कराये, यह उसकी स्थापना के ध्येय हैं और उसकी सहायता के लिये रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटीज हैं, एग्रीकल्चर डाइरेक्टर हैं और ये सब प्लानिंग कमिश्नर के अन्तर्गत काम करते हैं। यह खाद,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बीज, खेती के उपकरणों आदि के सम्बन्ध में रिसर्च करते हैं और किसानों को उनकी जानकारी कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो बिल आने वाला है मंडियों पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार सीमा के अन्दर का है। यह कोई प्राविधिक काम नहीं है। वह खेत जोतने, उसमें बीज डालने के काम नहीं है। वह जनरल प्रशासन का काम है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत आता है।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, मंडियों के सम्बन्ध में अब तक जितने कानून रहे हैं ऐतिहासिक काल से अब तक, अला-उद्दीन से लेकर और चन्द्रगुप्त मौर्य के काल से लेकर, उनमें मंडियों का नियंत्रण दंडाधिकारी या जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत रहा है। चाणक्य के समय में भी जो कम-तोल के सम्बन्ध में और व्यापार-नियंत्रण सम्बन्धी कानून थे उनमें भी यह काम सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रहा। कृषि विभाग का काम तो एक्सपर्ट्स का, प्राविधिक नेचर का रहा है। अगर एक्सपर्ट लोग शासक के रूप में काम करेंगे तो प्रशासन के काम में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जो कृषि निदेशक हैं वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी न बनाये जायं। इस सम्बन्ध में ३-४ विकल्प हो सकते हैं। एक तो यह है कि सहकारी विभाग द्वारा यह कार्य हो और मंडियों का नियंत्रण हो जिसमें सहकारी समितियां डेवलप हो जायं। उनमें उत्पादक भी शामिल होगा और स्वयं नियंत्रण-कर्ता के रूप में आगे आयेगा। अगर यह संभव नहीं है तो इसका वाया-मीडिया में समझता हूं यह होना चाहिये कि सामान्य प्रशासन में भी जिनका हाथ है और उत्पादन में भी जिनकी रुचि है....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सदन में वार्ता बहुत हो रही है, आप सब शान्त रहें। माननीय टम्बेश्वरी जी, आप जरा बैठकर बात करें।

श्री बेचनराम—

नियोजन विभाग द्वारा यह काम हो सकता है। उसमें बी० डी० ओ० हैं, कमिश्नर्स, डिवीजनल कमिश्नर्स हैं, बहुत बड़े कर्मचारियों का वर्ग है। उनको तहसीलदारों के बहुत से अधिकार मिल गये हैं और एक्सपर्ट्स का भी वह काम करते हैं। तो जहां पर निदेशक, कृषि के लिये कहा गया है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होंगे, वहां पर "कमिश्नर" शब्द रखा जाय। वह विकास आयुक्त या डिवीजनल कमिश्नर, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर या बी० डी० ओ०, इस तरह से यह रखा जाय जिससे वह नियंत्रण का काम ठीक तरह से कर सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो ब्लाक-लेविल पर आप देखें कि जैसे पंचायतें हैं, पंचायतराज के अधिकारी होते हैं, उनको वह एक्सपर्ट्स ही सलाह देते हैं। अगर ऐग्रिकल्चर विभाग का काम भी उनको नियंत्रण का नहीं दिया गया तो उन विभागों के अन्तर्गत जो समन्वय की भावना है प्लानिंग की, उसमें कठिनाई उपस्थित हो सकती है। इसलिये मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर वह विचार करें और जो कुछ कर सकते हैं, करें।

मंडी समितियों के बनाने की बात इस विधेयक के खंड ११ में है। मैं इसके बारे में एक बुनियादी बात बताना चाहता हूं। दो ही प्रकार की समितियां बन सकती हैं। एक स्टैट्यूटरी और दूसरी एडवाइजरी, खंड ११ से मालूम होता है कि यह बाडी स्टैट्यूटरी होगी। यह बुनियादी किस्म की समिति होगी। यह अधिकारों से लैस होगी और परचेजिंग लाइसेंस भी देगी। मंडी का एरिया ब्लाक से बड़ा भी हो सकता है। वह समिति वहां के किसानों और व्यापारी वर्ग के जन-जीवन तथा सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगी। यह अप्रासांगिक नहीं होगा कि हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार के स्तर से लेकर अपने स्तर तक पंचायती राज्य की भावना को स्वीकार किया है। उसने निश्चय किया है कि हम पंचायती राज्यों की शृंखला

[श्री बेचनराम]

के माध्यम से सारे क्रांतिकारी परिवर्तन लावेंगे, कृषिकों की सफाई, शिक्षा या निर्माण का कोई काम उस श्रृंखला से बाहर नहीं जायगा । जिला परिषदों को टैक्सेशन का और नियोजन का अधिकार है । डी० पी० ओ० उसके मातहत कर दिया गया है । एग्रीकल्चर और कोआपरेटिव विभाग के अफसर उसके नियंत्रण में ला दिये गये हैं । तो जाहिर है कि सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता, गृह निर्माण इन तमाम कार्यों को जिला परिषद् नियंत्रित करता है । उसका प्रतिनिधित्व ऐसा है कि उससे कोई संस्था नहीं छूटती है । पंचायती राज्यों के सहकारी समितियों के सभी के सदस्य उसमें हैं, सरकार के कोआप्टेड लोग भी हैं, इसलिये जिला परिषद् से इस समिति को सम्बद्ध करना चाहिये । यह समिति जिला परिषद् को जवाबदेह हो, उसके सामने समिति का बजट जावे । अगर कोई साइंटीफिक रिसर्च की बाडी हो तो उसके लिये तो हम कह सकते हैं कि वह जिला परिषद् के मातहत न रहे । लेकिन जिसका सम्बन्ध कृषकों की उन्नति से है, ऐसी समिति का सम्बन्ध जिला परिषद् से अवश्य होना चाहिये । मंत्री जी कोई ऐसी श्रृंखला बनावें कि जिला परिषद् के प्रति यह कमेटी उत्तरदायी हो । खंड ७ व २८ में सरकार को अधिकार है कि वह समिति को ठीक कर सके ।

एक परिभाषा के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने उत्पादक की परिभाषा खंड २ के उपखंड (१) में यह रखी है कि "उत्पादक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कृषि-उत्पादन को या तो स्वयं या पारिश्रमिक पर रखे गये श्रमिकों के माध्यम से उगाये, पाले-पोषे या पकड़े या उस पर प्रक्रिया करे, किन्तु ऐसे उत्पादक से नहीं है जो व्यवसायी, दलाल या आढ़तिया के रूप में भी कार्य करता हो, या जो साधारणतया कृषि-उत्पादन का अन्य प्रकार से संग्रह करने का कारबार करता हो ।" मुझे यह निवेदन करना है कि इसमें भूमिहीन भी होना चाहिये । माननीय मंत्री जी ने जमींदारी अबालिशन के समय कहा था कि असली कृषक वही है जो खेत जोतता हो । तो इसकी परिधि में भूमिहीन किसान आने चाहिये । मैं प्रतीक रूप से कहता हूं कि ऐसे लोगों को भी सम्मिलित किया जाय जो खेत जोतते हैं चाहे उनके पास जमीन न हो । अगर वे समिति में चुनाव से आ जावें तो बहुत अच्छी बात है वरना सरकार को उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिये ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अधिष्ठाता महोदय, बावजूद इसके कि इस विधेयक में काफी कमियां हैं, मैं इसके उद्देश्यों का स्वागत करता हूं । माननीय मंत्री जी ने जो इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये कहा है कि मैं उसका समर्थन करता हूं ।

जैसा मंत्री जी ने बताया, इसी प्रकार का एक विधेयक जब पहले कांग्रेस सरकार बनी थी, सन् ३९ में इस सदन में पेश किया गया, लेकिन उस पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व ही सरकार ने इस्तीफा दे दिया । मुझे वह बिल तो देखने को नहीं मिला, लेकिन जो भी रिपोर्ट देखने को मिलीं उनसे यह अवश्य मालूम हुआ कि जिन रीतियों को लेकर आज यह बिल पेश किया गया है यही बिल आज से २४ साल पहले भी पेश किया गया था । यह उन्हीं आउटलाइन्स पर है । २४ साल पहले से सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में, मंडियों की दशाओं में, किसानों की दशा में और सरकारी नीतियों में काफी अन्तर हो गया है । सरकार ने अपनी नीति के अनुसार राजकीय व्यापार को स्वीकार किया है । उसने कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज को भी इसे को पहले ही स्वीकार किया था । इस विधेयक में इन दो बड़े पहलुओं को छोड़ देना, मैं समझता हूं, आज की परिस्थिति में उचित नहीं होगा । माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि राजकीय व्यापार को व्यापक तरीके पर स्वीकार करने के लिये लागू करना, उसके काबू से बाहर दिखाई देता है ।

दूसरी बात जो कोआपरेटिव मार्केटिंग के सिलसिले में बतलाई कि वह एक बहुत देर की बात है लेकिन अगर सरकार अपनी तरफ से किसानों पर लादे तो नहीं लाद सकती जब तक कि

किसानों में इंसेंटिव न हो कि मार्केटिंग सोसायटीज से हर चीज बन सकती है और उन्हें कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटीज बनाना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं। जब तक कि हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते कि हमारे प्रदेश में स्टेट ट्रेडिंग और कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटीज का जाल बिछ जाय जब तक उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक अन्तरिम काल के लिये जो इस विधेयक की रूपरेखा है वह ठीक है लेकिन अगर उन दोनों दिशाओं से यह विधेयक बिलकुल कट जाय और कोई सम्बन्ध में न हो और उस अन्तिम लक्ष्य से इसका कोई लगाव न हो तो यह बिल अपूर्ण रह जायगा। इस बिल उसका कोई प्राविधान होना चाहिये कि आखिर हमारी दिशा क्या हो और हम किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं? इस बिल में वह लक्ष्य नहीं है।

आप चाहते हैं कि किसानों को उसकी पैदावार की उचित कीमत मिले। उसके दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो आप कीमत नियत करके किसानों को उसकी पैदावार को उचित कीमत पर बेचने का अवसर दें लेकिन अगर सरकार ऐसा करने के लिये अपने को असमर्थ समझती है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि उत्पादक और उपभोक्ता का सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जाय यानी किसान अपना माल सीधे कंज्यूमर को बेचें और यह कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटीज के माध्यम से ही सम्भव हो सकता है। उसमें बहुत देर है। लेकिन यह मानते हुये कि उसमें देर है अगर हम उसको छोड़ दें, और उसका लिंक मंडी विधेयक से बिलकुल ही स्थापित न करें तो यह उचित नहीं है। जहां तक मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है सन् ३९ का विधेयक पेश जब हुआ था उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं था। जब प्रवर समिति में वह बिल गया तो उसमें उसने संशोधन किया और उसका सम्बन्ध कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटीज से जोड़ा गया लेकिन प्रवर समिति के उस तजुर्बे से भी मंत्री जी ने कोई लाभ नहीं उठाया और उस पहलू को छोड़ दिया। इस बिल में उसका जिक्र आना चाहिये और इससे उसको सीधा सम्बन्ध जोड़ना चाहिये। यह मेरा अनुरोध है।

तीसरी बात खंड ९ के सम्बन्ध में है। इसमें यह है कि मंडी के क्षेत्र में कोई स्थानीय निकाय बगैर समिति की आज्ञा के न तो कोई क्रय-विक्रय करेगा, न किसी किस्म का कोई व्यापार या रोजगार कर सकेगा। पंचायत राज्य ऐक्ट की धारा १५ में गांव सभाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के मार्केट्स को रेगुलेट कर सकती हैं। इस के मातहत वह अपने यहां के बाजारों का नियंत्रण करती हैं, यहां तक कि यह बाजार उसकी आमदनी का जरिया भी है। वह अपनी तरफ से किसानों की पैदावार को बेंचने का, उसको तौलने का प्रबंध करती हैं। इसमें उनको कुछ न कुछ आमदनी होती है। इस तरीके के प्रतिबन्ध करने से एक अलगाव पैदा होगा जो अनुचित होगा। ऐसे छोटी बाजारों के नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी गांव सभाओं के ऊपर छोड़ देना चाहिये। उन पर कोई रेस्ट्रिक्शंस, इस किस्म का जैसा आप कहते हैं, अनुचित हैं। हर किसान के पास न इतने साधन होते हैं कि वह अपनी पैदावार मंडी ले जाय और इसलिये वह किसी न किसी आदमी को गांव में ही बेचने के लिये मजबूर रहता है। अब कोई गांव का महाजन या व्यवसायी उसको खरीदता है। व्यवसायी को आप खरीदने नहीं देंगे, उस पर आप पाबन्दी लगायेंगे। यद्यपि यह सही है कि आपने खंड ९ में एक प्राविजो लगाया है कि किसान अपने गांव में अपनी पैदावार को बेंच सकेगा, लेकिन यह सम्भव नहीं है कि पूरे माल को उपभोक्ताओं को ही बेचा जाय और इस आधार के अनुसार जब कोई व्यापारी उसको नहीं खरीद सकेगा तो इन किसानों को परेशानी अवश्य होगी इसलिये इन बाजारों पर पंचायतों का नियंत्रण होना चाहिये वर्ना उनकी आय भी कम हो जायगी और किसानों को गांव के स्तर पर परेशानी हो जायगी।

चौथी बात में मंडी क्षेत्र की घोषणा के बारे में कहना चाहता हूं कि धारा ५ में मंडी क्षेत्र की घोषणा राज्य सरकार करेगी और वही मंडी का क्षेत्र निश्चित करेगी। वह किस आधार पर करेगी इसका कोई जिक्र इसमें नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव दूंगा कि मंडी क्षेत्र की घोषणा करने से पहले वहां के स्थानीय निकायों, नगरपालिका आदि या जिला परिषद् से सलाह

[श्री भीखालाल]

ले लें तो क्षेत्र अच्छे बन सकेंगे और वहां जो चीजें पैदा होती हैं उनका भी ज्ञान उनके द्वारा हो सकेगा। दूसरी स्टेट्स में ऐसा प्राविधान है और वह एक हेल्दी चीज होगी। इसका खयाल रखा जाय, यह एक छोटी-सी बात है कि स्थानीय निकायों से घोषणा से पहले मशविरा कर लिया जाय।

कमेटी के गठन के सम्बन्ध में इस में है कि १५ सदस्यों की कमेटी होगी, उसमें ८ प्रतिनिधि किसानों के रखे जायेंगे। मैं श्री शिवराज सिंह यादव जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ८ सदस्यों का १५ में बहुमत अवश्य है लेकिन यह कमेटियां मंडियों के स्थानों पर होंगी, वह शहरों में होंगी, जहां कि मुमकिन है कि किसानों के कुल प्रतिनिधि पहुंच सकें या न पहुंच सकें। अतः मेरा सुझाव यह है कि माननीय मंत्री जी इस १५ की संख्या को बढ़ाकर २० या २२ कुछ भी करें, लेकिन किसानों के प्रतिनिधित्व को देखते हुये उनकी संख्या को तिहाई करें ताकि उन की आवाज सही रूप से हर कमेटी में रहे और पहुंचे। जो अधिकार सरकार ने इसमें लिये हैं उस में यह भी है कि इस कमेटी में एक सरकार का नामजद सदस्य भी होगा। मैं नहीं समझ पाता कि यह प्रथा क्यों चली आती है कि जितनी भी कमेटियां बनेंगी उसमें सरकार के नामिनेटेड सदस्य जरूर रखे जायं। इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि अगर सरकार को इस बात का अहसास हो कि कोई कमेटी ऐसी बनी है कि जिस में किसी एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस वर्ग में से भेज दिया जाय ताकि प्रतिनिधित्व इस तरह से हो जाय। असल में होता यह है कि इसमें केवल शासकीय पार्टी का ही प्रतिनिधित्व होता है। मिसाल के तौर पर मैं बता दूं कि उन्नाव जिले में जिला परिषद् में नामिनेशन हुआ, वहां पर पहले ब्लाक प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ तो एक माननीय सदस्य प्रतिनिधि के रूप में खड़े हुए लेकिन वहां के ब्लाक मेम्बरों ने उनको ठुकरा दिया और वह हार गये। मतलब यह कि वहां के सारे जन प्रतिनिधि उनके खिलाफ थे, लेकिन ४ दिन बाद उन्हीं को जिला परिषद् के लिये नामिनेट कर दिया गया। जनता की निगाह में वह नाकाबिल साबित हुए, लेकिन सरकार की निगाह में वही काबिल जंचे। तो इस तरह से नाकाबिल आदमियों को नामिनेट करना मुनासिब नहीं है। इस अधिकार को सरकार को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये। जहां आपकी विकेन्द्रीकरण की नीति है, जहां आप जनता के हाथ में अधिकार दे रहे हैं और जनता के कार्यों को उसी के हाथ में सौंपना चाहते हैं वहां सरकार को इस तरह के हस्तक्षेप के द्वारा अपने आदमियों को घुसेड़ने की नीति को छोड़ना चाहिये।

इसके अलावा और बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं उनका जिक्र मैं यहां वक्त कम होने की वजह से नहीं करूंगा और अगर मुझे मौका मिला तो उनको प्रवर समिति में या सदन में आगे रखने का प्रयत्न करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

श्री सोहनलाल धुसिया अब बोलेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

अब तो मैं माननीय सदस्य को बुला चुका हूं।

*श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, मैं चौधरी साहब को धन्यवाद देता हूं और समझता हूं कि सभी तरफ के सदस्य उनको बधाई देंगे। इस बिल की मंशा है किसानों को इंसेंटिव देने की और उनको अच्छी कीमत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिलाने की। अगर कीमत अच्छी मिलेगी तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और अपनी प्लान को सफल बनाने में मदद देंगे। अभी तक मंडियों में हम देखते थे कि किसान जब गल्ला लाता था तो अंदाज नहीं लगाया जा सकता कि कितनी तरह से वह ऐक्सप्लायट किया जाता था, रास्ते से ही लोग लग जाते थे। मंडी में स्वीपर, मुनीम, चौकीदार, धर्मशाला वाला आदि लोग उसको चूसते थे। इस विधेयक से यह सब चीजें दूर हो जायेंगी और उसको नुकसान नहीं होगा। उसको कीमत अच्छी मिलेगी और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की स्थापना में मदद दे सकेंगे। इस विधेयक में सरकार को कुछ और लाना चाहिये। आज किसान मजबूर होता है गांव में गल्ला बेचने के लिये। अगर गांव में वहां ढाई सेर बेचता है तो मंडी में उसे कुछ और ज्यादा ही पैसे मिल सकते हैं, लेकिन यातायात के साधन अच्छे न होने के कारण उसको मजबूरन गांव में ही बेचना पड़ता है। इस विधेयक के जरिये जो आप मंडियां बना रहे हैं, गांवों से मंडी तक आने जाने के लिये सड़कों का इंतजाम होना चाहिये ताकि सामान किसान ला सके। और अगर बैलगाड़ी नहीं है उसके पास तो किराये पर ला सके। आज तो उसको सवारी ही नहीं मिलती और मजबूरन गांव में कम दाम पर बेचना पड़ता है।

दलाल ऐसा शब्द है जिसको अंग्रेजी में कुछ दूसरी तरह से कहा जा सकता है, लेकिन वह भाव नहीं आता। एजेन्ट और दलाल में बहुत फर्क है। दलाल किसान से कुछ भाव तय करते हैं और पर्चेजर के पास जाने नहीं देते। अगर दलाल ने तय किया कि तुम्हारा गल्ला २ सेर पर बिकवा देंगे तो पर्चेजर से कहेगा कि डेढ़ सेर पर मिलेगा। इस तरह से आधा सेर का मार्जिन वह खुद खा जाता है। इसलिये दलाल शब्द को निकाल दिया जाय।

इस विधेयक के लाने में जो देर हुई है उसके लिये कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी कुछ इशारा कर देते कि इसके लाने में देर क्यों हुई तो इससे कांग्रेस की प्रेस्टीज बढ़ेगी ही। व्यक्ति की कोई परवाह नहीं होती है सरकार को बनाये रखने के लिये हमने खून बहाया है और बहायेंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि चौधरी साहब कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे तो गवर्नमेन्ट की प्रेस्टीज बढ़ेगी।

सर्वेयर्स के लिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि उनका इंतजाम ठीक तरह से होना चाहिये वर्ना किसान लूट लिया जायगा। सर्वेयर्स पर ध्यान नहीं दिया गया तो जो किसान का फर्स्ट क्लास गेहूं होगा उसे वह सैकिंड तथा थर्ड क्लास कह कर किसान को कम दाम दिलवायेंगे।

चैप्टर ३ में १५ आदमियों की कमेटी में किसान को रिप्रेजेंटेशन दो तिहाई मिलना चाहिये। देहात से किसान हर मीटिंग में नहीं आ सकेगा, उसके पास हर वक्त काम रहता है। शहर के बिजनेस वाले मौजूद रहेंगे। दो तिहाई किसानों के प्रतिनिधि रहेंगे तो किसी भी हालत में शहर वाले उन्हें डामिनेट नहीं कर सकेंगे और सही रिप्रेजेन्टेशन उनका होता रहेगा।

बेलदार के लिये लाइसेंस न रखा जाय। वह छोटे किस्म का मजदूर टाइप का आदमी है। उसे भी लाइसेंस लेना होगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी।

इंजीनियरिंग स्टाफ यहां से न रख कर जिला परिषद् या जिला बोर्ड से रखा जायगा तो खर्चे में कमी हो सकेगी। यह भी इंतजाम करने की कृपा की जाय कि किसानों का माल अगर बाजार में पहुंचे तो उनको कैश रुपया मिले, यह नहीं कि ६ महीने तक पेमेंट रुका रहे। इससे किसानों को राहत मिलेगी।

(श्री टम्बेश्वरप्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

श्री टम्बेश्वप्रसाद, आपको कुछ कहना है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आप इंस्टीगेट क्यों करते हैं जब इतने लोग बोलने के लिये खड़े हुए हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

मैंने इंस्टीगेट नहीं किया है ।

श्री मैनेजर सिंह—

आपने टम्बेश्वरी प्रसाद जी से कहा कि आपको कुछ कहना है । यह गड़बड़ी की व्यवस्था उचित नही है । वैसे आप जो चाहें करें, लेकिन इस से परम्परा बिगड़ती है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैनेजर सिंह को याद होगा कि धुसिया जी के बोलने के पहले भी क्लोजर का मोशन आया था, लेकिन मैंने धुसिया जी को उस वक्त बुला लिया था ।

श्री मैनेजर सिंह—

जिस वक्त धुसिया जी के साथ दूसरे सज्जन क्लोजर के लिये खड़े हुये थे, वे अब खड़े नहीं हुए ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं निवेदन कर दूं कि जनसंघ प्रमुख विरोधी दल है । एकमात्र विरोधी दल है इस विधान सभा में । उनके सदस्य खड़े हुए हैं इसलिये उसे रखना होगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

"एकमात्र" शब्द आप निकाल दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

"एकमात्र" शब्द वापस लेता हूं । प्रमुख विरोधी दल तो है ।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

मैं बहुत सीरियसली आपके इन शब्दों को लेता हूं । चूंकि और लोग जो समाजवादी विचार के अपोजीशन में बैठे ह वे सत्ताधारी दल का किसी अन्य दृष्टिकोण से विरोध करते हैं और जनसंघ का पूंजीवादी दृष्टिकोण है । आपने जो यह कहा कि एकमात्र विरोधी दल जनसंघ है उसका मतलब है कि आप यह समझते हैं कि कांग्रेस और इनके सिद्धांतों में कोई पूंजीवादी गठबन्धन है और आप अपोजीशन का अपमान कर रहे हैं और आपने यह कह कर यह साबित कर दिया कि आप में और जनसंघ में कोई मेल है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं । यह एकमात्र विरोधी दल नहीं है, प्रमुख विरोधी दल है ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

मैंने लगभग सभी मित्रों से बातचीत कर के ही यह पेश किया है और चूंकि कमला सिंह जी को बोलने का मौका मिलेगा कोई ऐसी बात नहीं है कि बिना किसी दल की राय के यह प्रश्न मैंने उपस्थित कर दिया है ।

श्री अधिष्ठाता—

मेरी भी यही धारणा थी कि आपने सभी दलों से राय लेकर ही उपस्थित किया है ।

श्री मैनेजरसिंह---

मुझ से भी सलाह की थी और मैंने कहा था कि चार मिनट का समय लूंगा तो उन्होंने कहा कि ठीक है ।

श्री दीपनारायणसिंह---

मैं समझता हूं कि जिस कुर्सी पर आप आसीन हैं, आपने जो वाक्य कहा है कि एक मात्र विरोधी दल है.....

श्री अधिष्ठाता---

उसको तो मैंने वापस ले लिया । माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी, आप इस प्रश्न को रखना चाहते हैं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

बिल्कुल ।

श्री चरणसिंह---

मैं तो एक वैधानिक आपत्ति पेश कर रहा था कि जब एक सज्जन बोल रहे थे तो तीन सज्जन और कह रहे थे । मेरी दरख्वास्त आपसे यह है कि जब ऐसा हो तो आप बाकी सब लोगों को बैठने के लिये कहें और केवल एक की बात सुनें ।

श्री अधिष्ठाता---

नियम तो आप ठीक ही कह रहे हैं और सब लोग इस नियम को जानते भी हैं, लेकिन कभी कभी कठिनायी हो जाती है कि लोग नियम का पालन नहीं करते हैं जोश में । माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी, अगर आप अपने प्रस्ताव को प्रेस करते हैं तो मैं उसको रखूंगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैंने आपसे निवेदन किया कि वापस लेने का आग्रह नहीं कर रहा हूं । वे तो यह बताते हैं कि चार मिनट का समय चेयर से मिला था । अगर चेयर से कोई ऐसी स्वीकृति है तो दो, चार मिनट दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता---

मेरी राय में ऐसा कोई आश्वासन चेयर से नहीं दिया गया । तो मैं प्रश्न तो पेश कर रहा हूं ।

श्री मैनेजरसिंह---

माननीय टम्बेश्वरी जी आपसे बात कर के आये और मुझसे बात की । मैंने कहा कि मैं चार मिनट लूंगा ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

जब आप यहां बैठे थे तो आपने प्रेरणा दी थी कि इस बिल को आप पढ़िये, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है ।

श्री अधिष्ठाता---

वहां पर बैठ कर जो मैंने कहा वह इस चेयर पर बैठ कर लागू नहीं होता ।

श्री नेकराम शर्मा---

माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी के प्रस्ताव को अगर आप पेश कर रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है । अगर नहीं पेश कर रहे हैं तो मैं दो, चार मिनट भाषण देने के लिये खड़ा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी, मेरी समझ में थोड़े से लोगों को और समय दें, बाद में पेश कर दें ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

ठीक है ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने विधेयक को प्रवर समिति में प्रस्तुत करने का जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं स्वागत करता हूं । उनकी नेकनीयती, ईमानदारी और साहसपूर्ण कदम की मैं तारीफ करता हूं । मैं समझता हूं कि प्रदेश के किसानों की दुर्दशा का जो चित्रण उन्होंने अपने भाषण में किया है वह अक्षरशः सत्य है । उनके द्वारा प्रस्तुत अधिनियमों की भी चर्चा हुई और मैं यह भी मानता हूं कि भूमि सुधार के कई कानून बनाये उनमें भी जिस लगन और ईमानदारी से उन्होंने प्रयास किया किसानों की भलाई के लिये और खासकर शिकमी काश्तकारों के उपकार के लिये, उसकी मैं सराहना करता हूं । पुलिस मंत्री और सिंचाई मंत्री के रूप में जो भ्रष्टाचार मिटाने का इन्होंने प्रयत्न किया उसका भी प्रशंसक हूं । आज जो विधेयक पेश किया है उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं । लेकिन खेद है जहां भी इन्होंने साहसपूर्ण कदम उठाये हैं, हर जगह इन्हें असफलता हाथ लगी है और प्रदेश के किसानों की भलाई नहीं हुई । हमारे भाई शिवराजसिंह जी ने जो कहा उसकी मैं सराहना करता हूं । लेकिन शिकमी काश्तकारों में जिनके नाम दर्ज थे उनका बिलकुल सफाया हो गया । हमारे यहां बलिया तहसील में श्री बिदेशीराम तहसीलदार थे उनके खिलाफ इंक्वायरी कराई जाय । उन्होंने शिकमी काश्तकारों के नाम काटकर एक लाख से भी अधिक रुपया पैदा किया । माननीय मंत्री जी के लाख प्रयास के बावजूद भी शिकमी काश्तकार मिट गये । प्रशासन की भ्रष्ट इकाई के सामने नेकनीयती कारगर नहीं हो पाती है । सिंचाई विभाग में इन्होंने सफाई करने की कोशिश की और कई अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने जांच कराई, लेकिन वह भी इनके हाथ से निकल गया । इसी तरह पुलिस विभाग में इन्होंने प्रयास किया, और थोड़े समय में ही जनता का विश्वास प्राप्त किया, लेकिन वहां पर भी उनका पत्ता गोल हो गया ।

आज जो किसानों की गाढ़ी कमाई की लूट होती है उसका जो दर्द है, वेदना है, वह सही है, उससे मैं इंकार नहीं करता हूं । आप एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो किसानों की तकलीफ को महसूस करते हैं और उनकी भलाई के लिये सोचते हैं । लेकिन इस विधेयक से किसानों की भलाई नहीं होना है । आपने कहा है कि जो कमेटी बनेगी उसको पूरे टर्म यानी तीन साल के लिये नामीनेट करेंगे । मैं समझता हूं कि यह विधेयक जैसा कि भाई बेचन राम जी ने कहा कि यह पंचायत राज की भावनाओं पर कुठाराघात है । ग्राम समाज को आपने अलग कर दिया । मैं उदाहरण के लिये मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में २,३ मंडी हैं । रानीगंज मंडी है और दूसरी चितबड़ा गांव की मंडी है । रानीगंज मंडी कोटवा ग्राम सभा के अन्दर है। १५ हजार रुपया वहां ठेके से गांव सभा को आमदनी होती है । लाइसेंस की रकम भी अलग से मिलती है । लगभग २० हजार रुपया रानीगंज बाजार से कोटवा ग्राम सभा को प्रति वर्ष आय होती है । वहां की उस बड़ी मंडी से उस ग्राम सभा को अलग कर दिया गया । जिस ग्राम सभा को उस बाजार से आय होती थी और जिस गांव सभा से एक एक आदमी का संबंध है वह ग्राम सभा वहां से अलग कर दी जायगी । मैं समझता हूं । इसमें काफी भल है और त्रुटि है । यह उचित होगा कि जब यह प्रवर समिति में जाय तो गौर किया जाय ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने नाली और सड़क फैलाने का प्राविधान कर दिया। मैंने इसकी कुल धाराओं को नहीं देखा। केवल सरसरी निगाह से देखा है। इसमें कहीं पर गोदाम की चर्चा नहीं है। यह समिति गोदाम बनायेगी या नहीं? इसका कहीं विधेयक में चर्चा हो तो मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। इस विधेयक में यदि ऐसी दफायें हों जो हमारे पंचायत राज की भावनाओं को अतिक्रमण करती हों, हमारी पंचायत राज की संस्थाओं की इकाइयों के अधिकार का अपहरण या अतिक्रमण करती हों तो ऐसी व्यवस्थाओं को आप इसमें से निकालने का प्रयत्न करने की कृपा करें जिससे पंचायतों के अधिकार का अतिक्रमण न हो। जैसे लाइसेंस की व्यवस्था है जिसको देने का अधिकार क्षेत्रीय समिति को है और जिसको इसी सदन ने स्वीकार किया है। यदि मंडी समिति को यह अधिकार रहेगा तो क्षेत्रीय समिति के अधिकारों का अपहरण होगा और पंचायत राज पर इसका असर पड़ेगा। ऐसी व्वयस्थाओं को आप निकालें जिससे पंचायत राज संस्थाओं के अधिकार का अतिक्रमण न होता रहे।

दूसरी बात यह कहना है कि कोआपरेटिव मारकेटिंग सोसाइटी की व्यवस्था में ऐसा तालमेल होना चाहिये, ऐसा संबंध बैठाइये जिससे किसानों को कुछ राहत मिले। जो किसानों का माल लेते हैं, आढ़तिये माल लेते हैं और कुछ पैसा अग्रिम देते हैं, तो आगे के लिये ऐसी व्यवस्था करें जिससे जो किसना गल्ला ले आयें तो समिति अपने गोदामों में रखे और समिति उनको आधा तिहाई दे दे। यह काम तभी होगा जब आप क्रय विक्रय के लिये ताल मेल बैठायेंगे और तभी इस कमी को पूरा करेंगे। मैं यही बात कहना चाहता था। आपकी नीयत पर मुझे शुबहा नहीं है। आपके साहसपूर्ण कदम उठाने के लिये मुझे अविश्वास नहीं है, लेकिन आप किसानों के भले के लिये कदम तो उठाना चाहते हैं पर किसानों का भला नहीं हो पाता है। आप सोच समझकर कदम उठायं तो हमें विश्वास है कि अपको अपने कदम उठाने में सफलता मिलेगी।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

अधिष्ठाता महोदय, जब हमने देखा कि यह बिल प्रवर समिति में जाने वाला है तो दरअसल ऐसा विचार हुआ कि कुछ कहूं। कुछ ज्यादा इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भावनायें हैं उनको व्यक्त करने की आवश्यकता समझता हूं। सबसे पहले मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से इस बिल को शुरू से आखिर तक देखा है, लिखा है, समझा है, दर असल इसकी बड़ी भारी आवश्यकता थी। जैसा इसमें है सन् १९३८ में एक बार इस प्रकार का बिल आया था, लेकिन उस मिनिस्ट्री को ज्यादा दिन रहना नहीं पड़ा, त्यागपत्र दे दिया इसलिये वह बिल रह गया। तो यह बीच का जो गैप है जिसके लिये हमारे माननीय सदस्यों ने आपत्ति की कि इतने दिनों तक बीच में पड़ा रहा, इतना जनप्रिय बिल पड़ा रहा तो वह क्यों रहा? मैं भी किसान हूं और किसानों की जो हालत है उसको जानता हूं। गल्ला पैदा करता है किसान और किसान जो अच्छा गल्ला होता है, गेहूं, चावल या गुड़, वह इस दृष्टि से सुरक्षित रखता है कि उसको मंडी में ले जाकर ज्यादा दाम मिलेगे, जिससे वह अपना लगान देगा, कर्जा देगा। इस प्रकार वह मोटा अनाज खाता है, चना, जौ, मटर खा कर गुजर करता है और अच्छा अनाज इस भावना से प्रेरित होकर कि उसको मंडी में उसका अच्छा दाम मिलेगा सुरक्षित रखता है। लेकिन जब वह मंडी में जाता है तो व्यापारी उसके साथ बड़ी बड़ी चालें खेलता है और उसको किसी न किसी तरह से क्षित कर देता है। तौल में गड़बड़ करता है, भाव में गड़बड़ करता है, और उनकी गरज को खरीदता है। वह अच्छी तरह से उसका अध्ययन करता है और उसके बाद फिर उसके गल्ले को खरीदता है। दरअसल यह इतना आवश्यक बिल है कि इसकी आलोचना नहीं की जा सकती। यह बात सही है कि माननीय मंत्री जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि इसको अधिक जनप्रिय बनाना है इसलिये यह आवश्यक नहीं समझता कि थोड़े समय में इसको विचार करके पूरा कर लेंगे। उन्होंने स्वयं प्रवर समिति के सामने भेजने की इच्छा प्रगट की। लेकिन जितना यह पेश किया गया है उतना ही हो जाता तो किसानों की विपदायें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथ सिंह वैद्य]

दूर हो जातं । मैं अध्यक्ष मै तो प्रशंसा करने का आदी नहीं हूं । माननीय मंत्री जी से मिलता जुलता भी नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि किसानों की बात अगर किसी के समझ में आयी है, किसानों के दुख दर्द को अगर किसी ने ठीक से समझा है तो वह माननीय कृषि मंत्री जी हैं । चाहे पुलिस मंत्री रहे हों, या कृषि मंत्री, चाहे कोई मंत्री रहे हों, उनके भाषण इस प्रकार से आते हैं जिनमें दरअसल ऐसा लगता है कि किसानों का जनहित उनमें निहित हुआ है।

श्री अधिष्ठाता---

कोई सुझाव देना हो तो दे दें ।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य---

जहां तक मंडियों को बनाने का प्रश्न है उसमें चुनाव होगा । उसमें जो लोग प्रतिनिधि होंगे वह बैठकर इस मंडी के बारे में विचार करेंगे कि किस प्रकार से किसानों का गल्ला खरीदा जाय, बेचा जाय, किस प्रकार मूल्य निर्धारण किया जाय, किस प्रकार की त्रुटियां, जिनके कारण किसान का शोषण होता है, वह दूर हों । तो मेरा सुझाव यह है कि हमारे किसी भाई ने कहा था कि जो खेतिहर मजदूर हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा खेतों में है । वह गल्ला बेचता है और खरीदता भी है । जो उसको गल्ले के रूप में मजदूरी मिलती है उसको वह बेचता है और आवश्यकताओं की वस्तुयें खरीदता है । इस बिल में उनलोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये । हर किसान दो तीन हलवाहे रखता है । बड़े किसानों के यहां तो दस हलवाहे रहते हैं और उन सबके पीछे एक एक परिवार होता है, पांच पांच, दस दस और आठ आठ के वह परिवार होते हैं । तो हम समझते हैं कि उनका भी उनमें स्थान होना बहुत आवश्यक है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात और भी बहुत आवश्यक है कि जब किसानों के घर में गल्ला पैदा होता है और पैदा होने के साथ ही उसे बेचकर के दूसरे कार्यों में पैसा खर्च करने की आवश्यकता उसे पड़ती है तो उस वक्त उसका गल्ला मंडी के भाव चला जाता है । वह बाजार में गल्ला जब ले जाता है तो इतने गिरे हुए भाव पर, इतनी बेरहमी से उसका गल्ला खरीदा जाता है कि वह बेचारा मजबूर होकर बेचकर चला जाता है । लेकिन जब वह खरीदने जाता है तो बेतहाशा दाम उसको लिया जाता है । तो इस पर इस तौर पर नियंत्रण होना चाहिए कि जब वह गल्ला बेचने जाय तो उसका एक निश्चित मूल्य होना चाहिये जिससे कि उनका शोषण न हो सके ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह देख रहा हूं कि आप कह तो नहीं रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा न बोलूं । बहरहाल मैं मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि यह जनप्रिय बिल उनका और आगे जाकर सेलेक्ट कमेटी में और भी अधिक जनप्रियता प्राप्त करेगा और इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं ।

श्री नेकराम शर्मा---

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात केवल दो ही मिनट में कहकर खत्म कर दूंगा । मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी को हमारे कांग्रेस दल की तरफ से और विरोधी दल की तरफ से जब ई ही सिर्फ नहीं मिली, बल्कि इस बात का संकेत भी यह है कि इस प्रदेश में यदि कोई भी सही ढंग से राज्य का संचालन करने वाला या किसानों का सच्चा हितैषी है, उनके दुख दर्द को समझने वाला है तो वह चौधरी भगवान सिंह जी हैं और वह समय दूर नहीं जब कि इस प्रदेश का नेतृत्व मुख्य मंत्री बनकर वह सम्हालेंगे क्योंकि जो सच्चे की आवाज होती है वह पूरी होती है और मुझे उम्मीद है कि जो माननीय सदस्यों की आवाज है वह जनता की आवाज है ।

मान्यवर, मैं माननीय कृषि मंत्री से दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक बात तो अभी एक माननीय सदस्य ने कही है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विधेयक में किसान जो अपना प्रोड्यूस बेचेगा उसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन मान्यवर, यह सही है और मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं (व्यवधान) कि किसान तो मंडी तक गल्ला लाता नहीं है, छोटा व्यापारी लाता है और यदि किसान का गल्ला छोटा व्यापारी उससे खरीद कर मंडी में लायेगा तो किसान का भला होने वाला नहीं है। तो आप इस बात के ऊपर सोचें कि अगर यह अपने साधन से मंडी तक गल्ला नहीं ला सकता है तो किस तरह से उसको उसका लाभ पहुंचे। एक सुझाव यह हो सकता है कि जो कमेटी है वह एक परचेजर नियुक्त करे जो कि गांव-गांव में जाकर किसानों को गल्ले का रेट बतायें और फिर कमेटी की तरफ से दिन नियत कर दिया जाय कि इस दिन आपका गल्ला भरा जायगा। इस तरह गल्ला सीधे पहुंच सकता है।

दूसरा सुझाव यह है कि अगर वह अपना गल्ला मंडी में ले आये और न बिक सके तो उस वक्त उसको रुपये की जरूरत हो तो अगर आप उसकी सही मदद करना चाहते हैं तो ८० प्रतिशत, ७० प्रतिशत नहीं तो कम से कम ५० प्रतिशत उसकी कीमत आप उसी समय उसे दे दें और फिर जब अच्छा भाव गल्ले का हो, तो उसे बेंचकर बाकी कीमत उसे अदा करें। उस मुनाफे में से आप कुछ ले सकते हैं। यह दो व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। अगर माननीय कृषि मंत्री जी इस बिल को सफल बनाना चाहते हैं तो एक तो किसान का गल्ला सीधे मंडी तक पहुंचाने की व्यवस्था करें और छोटे-छोटे व्यापारी बीच में न आ सकें। और दूसरी चीज यह है कि जब मंडी में वह गल्ला ले आवे तो ५० परसेंट या ३० परसेंट ही सही, उसकी कीमत उसको दे दी जाय और उसका गल्ला जब भाव अच्छा हो तब बेचकर बाकी दाम उसे दिया जाय। स्वीडेन में यह प्रथा है, मैंने देखा कि वहां किसान गल्ला ले जाता है, तो ५० परसेंट उसका दे दें और जो प्राफिट हो तो उसमें से भी कुछ दे दें तो भी किसान को बचत हो जाती है।

तीसरे यह कि खंड (२) में जिला परिषद् और गांव सभा का जिक्र है। शायद मंत्री जी ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी को भूल गये हैं। उसको भी इसमें रहना चाहिये। खंड (३) में प्रादेशिक सरकार और भारत सरकार को छूट दी गयी है कि वह इस कानून से मुक्त होंगे टैक्स देने में। मैं समझता हूं कि यह एक्जेम्शन उनको नहीं मिलना चाहिये। इसके अलावा १५ सदस्यों की कमेटी होगी जिसमें ८ किसान होंगे, लेकिन खंड १२ (६) में जो दिया है उसके अनुसार उसका चेयरमैन किसान को ही बनना चाहिये। इसके अतिरिक्त सेक्रेटरी को जो अधिकार दिये गये हैं खंड (३) में कि यह सिग्नेचर करेगा उसमें चेयरमैन का भी नाम ऐड कर देना चाहिये। इसके अतिरिक्त सेक्रेटरी का चुनाव कमेटी को ही करना चाहिये। यह ठीक है कि ट्रेनिंग देने के बाद पहली बार आप उसको नियुक्ति कर दें, लेकिन फिर कमेटी को अधिकार होना चाहिये। इसके अलावा कमेटी की अवधि ५ साल की होनी चाहिये। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है किसानों को ८ व्यक्तियों का, उसमें आफिस बियरर्स किसान होने चाहिये। अगर कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया तो प्रादेशिक सरकार को अधिकार है कि वह नामिनेट करेगी। मैं चाहता हूं कि इसमें नामिनेशन किसान का ही होना चाहिये।

अन्त में मेरा निवेदन है कि ३६,३७ खंडों में २४ खंड ऐसे हैं कि जिसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। कृषि मंत्री जी से हमें कोई डर नहीं है, लेकिन सरकार की आदत है कि डेलीगेटेड पावर्स हर बिल में वह ले लेती है और यह बात प्रजातंत्र की विरोधी है। आप रूल्स बना लेंगे, लेकिन उनके हाउस में आने के पहले ही ऐक्ट लागू हो जायगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि विधेयक के साथ ही जैसे बाईलाज का वर्णन दिया है वैसे ही रूल्स का भी एक नक्शा मिल जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि १९६२ के पहले डेलीगेटेड पावर्स इतनी ज्यादा नहीं ली जाती थीं, लेकिन आजकल एक आदत सी पड़ गयी है। इसे समाप्त होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि मैंने इजराइल, स्वीडन आदि में देखा है कि

[श्री नेकराम शर्मा]

हर किसान के पास एक फार्म होता है जिसमें किसान के पास कितना खेत है, कितने जानवर हैं, उसने क्या-क्या फसल बोई है, कितनी पैदावार होगी, इस बात का आंकड़ा होता है। उससे मंत्री जी को पता हो सकता है कि प्रदेश में कितना गेहूं पैदा होगा, कितनी बचत होगी और उसके बाद आप किसानों को एक प्लानिंग के हिसाब से सलाह दे सकेंगे कि वे क्या बोयें? आज वे बिना सलाह के बोते हैं। कोई प्लानिंग उनमें नहीं है। मैंने सुना है कि माननीय मंत्री जी कृषि विभाग को ओवरहाल करने जा रहे हैं। नीति बदलने जा रहे हैं, बड़ा ठोस कदम उठाने वाले हैं तो माननीय मंत्रीजी के सामने नक्शा हो कि कितनी किसानों को जरूरत है और कहां गन्ना बुवायें और कहां कितना गेहूं बुवायें और जिसकी प्रोड्यूस ज्यादा हो तो वैसे और जगह प्राइस सपोर्ट दी जाती है, आप भी दें। तीसरी प्लान समाप्त हो रही है, ऐग्रिकल्चरल प्रोड्यूस नहीं बढ़ा। आप प्रदेश का कल्याण कर सकते हैं, आप ही किसानों के मंत्री हैं, अन्य मंत्रियों में से ५० फीसदी महाजन हैं और ५० फीसदी में कुछ और हैं। अगर ऐग्रिकल्चर में आपने नया मोड़ नहीं दिया और इस विभाग को ओवरहाल नहीं किया तो प्रदेश का भला मुश्किल से होगा। मंत्री जी के विधेयक का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और जो मेरे सुझाव हैं वे उनको सिलेक्ट कमेटी में भेजता रहूंगा।

श्री बैजनाथसिंह बेदी--

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं कि अब विवाद बन्द किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट मिश्र जी और दो मिनट दीक्षितनारायण जी बोल लें, तब आप प्रश्न उपस्थित कीजियेगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

अधिष्ठाता महोदय, जब प्रश्न उपस्थित होता है तो आप लेते नहीं हैं....

श्री अधिष्ठाता--

मुश्किल यह है कि जब मैं प्रश्न लेता हूं तब भी विरोधी दल की ओर से संघर्ष होता है और नहीं रखता हूं तब भी होता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैंने तो इस समय कोई संघर्ष की बात नहीं की, आपने ही इस वक्त संघर्ष के मूड में उसको लेकर संघर्ष उपस्थित कर दिया।

श्री अधिष्ठाता--

आपने जब प्रश्न रखा तो विरोधी दल के लोगों ने उसका विरोध किया था। माननीय मिश्र जी, आप दो मिनट ही बोलेंगे।

श्री जे०पी० मिश्र (सिताहरदोई)--

मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह पहला विधेयक है उत्तर प्रदेश का जिसमें किसान को बहुमत मिला है, इसके लिये कृषि मंत्री को हार्दिक बधाई है। कुछ आलोचनाएं और आलोचना का जवाब मंत्री जी देंगे अन्य बातें प्रवर समिति में तय होंगी। २-४ बातें मुझे कहनी हैं। जो मंडी विधेयक लाये हैं इसमें स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की एक शाखा आप निश्चित कायम करें। मार्केटिंग सोसाइटी इस मंडी में निश्चय हो, धर्म कांटा निश्चय हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही जरूरी हैं और मंडी के चारों तरफ कांक्रीटकारी हो उपज को पहुंचाने के लिये रास्ते जरूर हों। पांचवीं बात जो आपसे कहनी है वह यह कि यह मुकदमा

काश्तकार का है, इसमें आप ऊपर से नीचे तक काश्तकारों के बेटों के लिये नौकरी का रिजरवेशन कर दें और हर जिले में एक कृषि कालिज की स्थापना अगर आप न कर पायें तो मुझे शुबहा है कि शायद गाड़ी आगे न चल पाये।

आखिरी बात यह कहनी है कि पिछले वर्षों में प्राइसेज के एलकचुएशंस बहुत हुए। उसको रोकने के लिये आप यह आदेश भिजवा दें कि बुवाई के वक्त उपज की कीमत निर्धारित हो जाय। बुवाई के बाद नहीं, जब मंडी में गल्ला आये उस वक्त नहीं। जब वह बोने जाता है उस वक्त उसकी उपज का रेट मुकर्रर कर दिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री के समाजवादी दृष्टिकोण का और समाजवादी कदम का स्वागत करता हूं और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी सब एक राय है। आपने जो कदम उठाया है वह किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री दीपनारायणसिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको बधाई देता हूं और आपके बाद चौधरी साहब को अंशतः बधाई देता हूं। मैं चापलूसी नहीं करूंगा। चौधरी साहब किसानों के सही नुमाइन्दे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनके सुझाव पुलिस में भ्रष्टाचार को मिटाने में असमर्थ रहे, उसी प्रकार कहीं मंडियों के विरुद्ध के सुधार भी अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उसी तरीके से आपके इस कदम से अंशतः लाभ होगा। केवल जो लूट आढ़तिया करते हैं, दाने और करदे में, उसमें कुछ सुधार होगा, लेकिन उत्पादक के सामान जो मंडी तक जाते हैं उसमें बिचौलिया को आप खत्म नहीं कर पावेंगे।

आप ने जो यू०पी० ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग बिल मार्च १९३८ में रखा था, उसके बाद परिस्थितियां बहुत परिवर्तित हुई हैं। जब आपने तौल स्टैंडर्ड रख दिया फिर तौलने की बात जो आप बिल में रख रहे हैं उसकी क्या आवश्यकता हैं? टाउन एरियाज, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायतों से इसका क्या संबंध होगा, इसका भी विश्लेषण आपने नहीं किया है। अगर इन्डाइरेक्ट चुनाव आपने कराये तो चौधरी साहब, मैं बाअदब पूछता हूं कि क्या आप जिला परिषदों में इंडाइरेक्ट चुनाव कराकर एक भी अछूत का सही नुमाइंदा ला सके हैं? जो ऐग्रीकल्चरल लेबरर है उसको आपने इसमें खत्म कर दिया है। उसका नुमाइन्दा कोई नहीं आ पावेगा। जो अपने हाथ से हल चलाते हैं और जो अपनी पैदावार का बहुत थोड़ा सा अंश बेंचते हैं उसके लिये इसमें कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

जरा समय का ध्यान रखिये।

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं इन पर सीधे अटैक कर रहा हूं कि आप पूंजीवाद के अन्दर से समाजवाद को लाना चाहते हैं, वह उसके पेट से कैसे आवेगा, यह मैं जानना चाहता हूं? इसीलिये आप २४ साल तक नहीं कर पाये इसे और अभी भी अधूरा ला पाये। ठीक उसी प्रकार से जैसे एलिजाबेथ और क्वीन विक्टोरिया के जमाने में इंगलैन्ड में कुछ थोड़ा सा सुधार हुआ, उसी तरह से आप थोड़ा सा सुधार इसके जरिये से कर पावेंगे। मैं आपके सामने चौधरी साहब कुछ आंकड़े रख रहा हूं। ऐग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज इस प्रदेश में ५९–६० में ५०५ थीं। उनकी शेयर कैपिटल ६८.८४ लाख थी और उसमें जो ओन्ड लेबर थी वह ३० थी और हायर्ड लेबर १६४, यानी एक काम करने वाला अपना तो ५ किराये के टट्टू रखे गये। आपकी कोआपरेटिव सोसाइटीज फेल क्यों होती हैं? इसलिये कि चुराने वाले उनके अगुआ बन गये हैं। यही कोआपरेटिव सोसाइटीज की सबसे बड़ी कमी है। आंध्र प्रदेश में २०४ सोसाइटियां हैं। इनमें जब ९७ ओन्ड लेबर काम करते हैं तो किराये के सिर्फ १६२ यानी २ और ३ के अनुपात में। यू०पी० में असली काम करने वाले बहुत कम हैं। आपकी

[श्री दीपनारायण सिंह]

सोसाइटियों में हर एक असली काम करने वाला है तो पांच या साढे पांच किस्से के टट्टू लगे हुए हैं। यह तो मालूम होता है कि गुप्ता जी की छाया नहीं रही है रानी लक्ष्मी नारायण का सारा खत्म हुआ, अब सुचेता जी के साये में आप कुछ थोड़ा सा सुधार करना चाहते हैं, यह तो ठीक है। मौजूदा ढांचे को कोआपरेटिव सोसाइटियों में बनियों का काम बनेगा, उनका लड़का जाकर उनके यहां नौकरी करने लगे और निगरानी करने लगे। तो गल्ला उनके पास ही रहेगा, और वह सारा हड़प जायेंगे। इस तरह से आप ही कहते हैं कि मारकीटिंग सोसाइटीज में बनियों को खुली छूट दे दी है। इसलिये समाजवादी ढांचे को लाना है तो क्रय विक्रय की सोसाइटियां बनवाइये विशुद्ध किसानों द्वारा नियंत्रित, वह जनता तक आपकी सोसाइटियां पहुंचे, वह जनता की बनें। अनाज रखने के लिये खत्तियां बनाइये . . .

श्री अधिष्ठाता---

अब आप अपना भाषण समाप्त करें, बहुत समय हो गया।

श्री दीपनारायण सिंह---

मेरे पास वह आंकड़े इस समय नहीं है, इसलिये ज्यादा नहीं कहना चाहता, अगर वक्त और मौका कभी आगे मिला तो आपके सामने उन को रखूंगा लेकिन समाजवादी दृष्टिकोण इसका होना चाहिये था।

श्री बैजनाथ सिंह बैद्य---

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री हिम्मत सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक पर वैसे तो बहुत विचार किया गया और इसके उद्देश्य और कारणों से मैं सहमत हूं, लेकिन अन्त में थोड़े में मैं केवल इतना कहूंगा कि जो नामिनेटेड कमेटी है उस में किसानों के प्रतिनिधि कैसे हों, चाहे इस में गवर्नमेंट को कुछ भी करना पड़े या कोई कठिनाई हो, लेकिन किसानों, कृषि पंडितों, सहकारी समितियों के नुमाइन्दों को, उस में लिया जाय और इस दृष्टि से मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री कमलासिंह यादव---

अधिष्ठाता महोदय, एक बात मुझे यह कहना है कि इस में किसानों का प्रोटेक्शन नहीं है, व्यापारियों के मुकाबले के लिये इस में उचित प्रतिनिधित्व किसानों का होना चाहिये। दूसरे मुझे यह कहना है कि जब माल की डेलीवरी किसान के द्वारा की जाय तो उस इनिशियल स्टेज पर उस को डेलीवरी आफ स्टाक के साथ कमेटियों के साथ ऐसी कोई व्यवस्था की जाय कि किसान अपना गल्ला आढ़त पर दे तो उस को कुछ थोड़ा इनिशियल पेमेंट हो जाय। तीसरे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि किसी तरह से किसान अपने गल्ले को सीधे बाजार में ले जाकर बेंच सकें।

श्री अधिष्ठाता---

जवाब भी आप सुन लें, अब साढे ५ हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव---

सरकार की विकेंद्रीकरण की नीति है, लेकिन मंडी का क्षेत्र घोषित करने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, अगर यह अधिकार कलेक्टरों को दिया जाय तो अच्छा है, वह मौके पर जाकर देख सकते हैं, सब की बातें भी सुन सकते हैं और अगर किसी को आबजेक्शंस हों तो उन्हें भी सुन सकते हैं । सरकार यहां बैठ कर ठीक से निर्णय न कर सकेगी और अच्छा है कि जिलाधीश को यह चीज सौंप दी जाय । इसमें पेंशन देने का भी जिक्र है, हम तो समझते थे कि कोई रिटायर्ड लोग इसमें रख दिये जायंगे । हम नहीं चाहते कि इस में पेंशन का प्राविधान रखा जाय । जब कि अस्थायी लोग रखे जायंगे तो कैसे यह रखा गया है ? इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाय ।

श्री चरणसिंह---

अधिष्ठाता महोदय, मैं बोलने से पहले यह जानना चाहता हूं कि कितना समय मेरे लिये दिया जायगा ?

श्री अधिष्ठाता---

अब तो १० मिनट ही हैं क्योंकि साढ़े ५ बजे से दूसरा आइटम है ।

श्री चरणसिंह---

मैं चाहूंगा कि २५ मिनट तो कम से कम मुझे मिलें ही, दस ही मिनट अब वैसे बाकी हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

अब समय इतना ही है.....

*श्री चरणसिंह---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय तो मुझे २५ मिनट मिल जायेंगे ।

श्री उग्रसेन---

अधिष्ठाता जी, आपको पहले से मौका रखना चाहिये था । साढ़े ५ बजे से राजनीतिक हत्यायों के ऊपर विवाद है ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री जी साढ़े ५ बजे के बाद राजनीतिक हत्यायों पर नियम ५३ में विवाद है । अतः संक्षेप में ही भाषण कर दें ।

श्री उग्रसेन---

कल के लिये रख दें ।

श्री अधिष्ठाता---

मंत्री जी समाप्त कर देंगे ।

श्री चरणसिंह---

श्रीमन्, मैं मुख्तसरन अपनी बात कहूंगा, क्योंकि समय कम है । मैं सब दोस्तों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बुनियादी तौर पर हमारे प्रस्ताव तथा विधेयक का समर्थन किया है क्योंकि बिल महत्वपूर्ण है और काफी दूर तक इसके असरात होंगे । अतः जितने मेम्बरान ने दिलचस्पी ली

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चरणसिंह]

है वह उचित है और मैं सबको धन्यवाद देता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरा सुझाव तो है कि सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, तो सलेक्ट कमेटी के मेम्बरान को ज्यादा मौका होगा ही अपनी बात कहने का, लेकिन और भी माननीय मित्रों से मेरा अनुरोध है कि वह अपने विचार लिख कर मुझको भेज दें इस से कमेटी को और भी सहायता मिलेगी। मुझको इस बात की जल्दी नहीं है कि जहां २५ साल बीत गये वहां २, ४ महीने बीत जायं क्योंकि इम्पार्टेन्ट बिल है इसलिये उसके सभी पहलुओं पर विचार हमको करना चाहिये।

एक बात कई दफा कही गयी कि २५ साल इसको लाने में क्यों लग गये? १९३९ में पोपुलर सरकार का इस्तीफा हुआ, सात साल के लिये सरकार खत्म हो गई। १९४६ में फिर पौपुलर सरकार आयी। उसके बाद १९५१-५४ तक यह महकमा मेरे पास रहा और १९६१-६३ से है। इन ६ सालों में नहीं आ सका तो मेरी गलती है। और इसकी वजह में नहीं आ सका तो सारी सरकार की गलती है, किसी एक की नहीं। एक बात और है कि जिन लोगों ने उलाहना दिया है उनको कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसे बिल की आवश्यकता की ओर मेरा या सरकार का कभी ध्यान आकर्षित नहीं किया। अतः उनको शिकायत का मौका नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पहले क्यों नहीं कहा? शायद भी तो रिप्रेजेन्टेटिव हैं। कैनाडा की मिसाल का मेरे पास जवाब नहीं है कोई। कैनाडा की बात कहते हैं कि किसान ऐसा करे, सरकार न करे, तो किसान करें। लेकिन उन्होंने अब तक नहीं किया। यहां की और कैनाडा की परिस्थितियों में बुनियादी फर्क यह है कि वहां ५००, ५०० एकड़ के काश्तकार हैं। जिन लोगों ने वहां के बारे में पढ़ रखा है तो वहां की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिये। यहां वे बातें लागू नहीं होतीं। हमारा सबका दिमाग योरोपियन राइटर्स की किताबें पढ़ कर प्रिजुडिस्ड हो गया है। ४ एकड़ के किसान की तुलना ५०० एकड़ के किसान से कैसे कर सकते हैं?

कोआपरेटिव सोसाइटीज की बात कही गयी है। कौन नहीं चाहता कोआपरेटिव सोसाइटीज बनें? लेकिन कोआपरेटिव सोसाइटीज बहुत मुश्किल बात है। योरोप और जर्मनी और इंगलैंड में जहां कोआपरेटिव मूवमेंट हुआ पहले इंडस्ट्रियल और कामर्शियल फील्ड में कोआपरेटिज बनी, एग्रीकल्चर फील्ड में कोआपरेशन आने में इंडस्ट्री और कामर्स से मुकाबिले में बहुत समय लगा। माननीय श्रीखालाल जी ने कहा कोआपरेटिव सोसाइटीज का इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। सम्बन्ध है, उनका एक नुमाइन्दा इसमें होगा, और किस प्रकार का सम्बन्ध हो सकता है अगर कोई माननीय मित्र मुझे बतायें तो मैं उसके लिये तैयार हूं?

किसी भी बिल में मेरा माइंड क्लोज्ड नहीं है। जो भी सुझाव ऐसा आयेगा उस पर आगे किया जा सकता है और अपनी परिस्थिति को देख कर किसान की सहायता की जा सकती है, वह मुझे मंजूर होगा।

यह बात कही गयी कि बहुत से किसान अपना प्रोडक्शन देहात में बेच देते हैं। दो तिहाई किसान के पास ऐग्रीकल्चरल सरप्लस है। एक तिहाई किसान उसे गांव में रखता है और एक तिहाई मंडी में ले जा कर बेचता है। ३३ परसेंट किसान गांव में दूसरे किसानों को बेचते हैं, उनके लिये क्या किया जा सकता है? कहां तक कानून उसे देख सकेगा और कितना हस्तक्षेप उसके लिये चाहिये? तो जो बात हम कहें उसे अपने रिसोर्सेज को देख कर कहें।

कल्ला सिंह जी ने पूर्व में मंडियों को कायम करने की बात कही। क्या गवर्नमेंट मंडियां कायम करेगी और क्या यह कानून मंडियां कायम करने जा रहा है? मंडियां अपने आप कायम हो जायेंगी। जब किसान जरूरत से ज्यादा पैदा करेगा तो मंडियां अपने आप कायम हो जायंगी। किसान के पास सरप्लस होगा तो बेचेगा ही। इसलिये किसान की पैदावार को बढ़ाना है।

ब्लाक का नामिनी हो मुझे आपत्ति नहीं है । यह बात ऐसी है जो विचार के योग्य है। यह कहा गया कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट नहीं होना चाहिये । एक गवर्नमेंट नामिनी रखा गया है १५ की कमेटी में । हमारे यहां एग्रिक्लचर मार्केटिंग सेक्शन है डिपार्टमेंट आफ एग्रिक्लचर में । उसका एक नामिनी रखा गया है । उनका जाल फैला हुआ है बड़ी-बड़ी मंडियों में, बड़ा उनको एक्सपीरियन्स है जिस से किसानों को गाइड करने में उनके द्वारा मदद मिलेगी । इसलिये उसे हम रखना चाहते हैं ।

ज्वांइट सलेक्ट कमेटी की मैं जरूरत नहीं समझता । गांव सभा का प्रतिनिधित्व इसमें हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । छोटी-मोटी मंडियां गांव सभा के जुरिडिक्शन में हैं और बड़ी मंडियां बहुत कम हैं, अगर उसकी भी जरूरत हो तो सलेक्ट कमेटी में उसे रखा जा सकता है।

पेमेंट आफ दि प्राइस की जो बात है पृष्ठ १७ में जो रूल्स हैं उनमें रखा गया है प्राम्प्ट पेमेंट करने के सिलसिले में रूल्स बनाये जायं । कमेटी उनके दामों की अदायगी करा देगी ।

श्रीमन्, ५ मिनट का समय और बढ़ा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं ५ मिनट इसके लिये बढ़ा देता हूं । ३ मिनट में आप समाप्त कर देंगे और दो मिन्ट में मैं प्रश्न उपस्थित कर दूंगा ।

श्री चरणसिंह—

डाक्टर रघुनाथ सिंह ने हिन्दी की बात कही । मैं उनसे सहमत हूं कि अगर हम ओरिजिनली हिन्दी में विधेयक बनायें तो भाषा अच्छी होगी । लेकिन हमारे जितने अफसरान हैं और अफसरान को मैं क्यों दोष दूं, हम सब लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी है, हमारी थिंकिंग, हमारी भाषा की रचना, वह पहले हम लोग अंग्रेजी में सोचते हैं उसके बाद हिन्दी में तर्जुमा होता है । तो जो उन्होंने सुझाव दिया वैसा हो जाय तो बड़ी अच्छी बात है, कोशिश करेंगे लेकिन वह आसान काम नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मंत्री जी ने पहले हिन्दी पढ़ी थी या अंग्रेजी ?

श्री चरणसिंह—

फिर रद्दा अंग्रेजी का ज्यादा चढ़ गया ।

हमारे दोस्त, बेचनराम जी ने कहा कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का यह काम नहीं है, इसमें उसे नहीं पड़ना चाहिये, लेकिन ऐग्रीक्लचर डिपार्टमेंट तो इसमें पड़ा ही है । एक डिप्टी डायरेक्टर हैं ऐग्रीक्लचर के जो ऐग्रीक्लचरल मार्केटिंग अफसर कहलाते हैं और बड़ी-बड़ी मंडियों में काम करते हैं । मैंने शुरू में अर्ज किया था कि बिहार और राजस्थान में कानून नहीं बना है, लेकिन मुझे अभी मालूम हुआ है कि वहां ऐक्ट्स बन चुके हैं । अब केवल वेस्ट बंगाल रह गया है । आज १८ प्रदेशों में ऐग्रीक्लचर प्रीड्यूस मार्केटिंग ऐक्ट है । इनमें से पंजाब और हिमाचल प्रदेश में तो मार्केटिंग बोर्ड है जो ऊपर से संचालन करता है मंडी कमेटीज का और मैसूर में रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज की देख रेख में काम करता है । बाकी १५ जो और प्रदेश हैं, जहां यह ऐक्ट है, वहां सब डायरेक्टर आफ ऐग्रीक्लचर के मातहत हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ही अधीन है यह काम । इसलिये यह कहना कि वह केवल टैक्निकल ऐडवाइस देता है ऐग्रीक्लचर डिपार्टमेंट का काम कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं ।

अब रहा यह कि बिल १९३८ का ही रखा गया, कोई तब्दीली तो होनी चाहिये, तो मैं समझता हूं कि बिलकुल १९३८ का पासिबिली नहीं है । मैंने तो १९३८ का देखा भी नहीं है । जब पेश किया था उसके बाद कभी देखने का मौका नहीं आया । दूसरी जगहों में जहां ऐक्ट्स बने हुये हैं, उन पर जो अमल हो रहा है, हमने दो, तीन साल हुये एक अफसर को भेज कर उन सब की स्टडी करायी और लेटेस्ट नालेज और एक्सपीरियन्स की रोशनी में जो हो सकता था उसको हमने बनाया । लेकिन बुनियादी बात सही है कि मार्केटिंग कमेटी उसमें भी थी और

[श्री चरणसिंह]

इसमें भी है। मगर बुनियादी बातें तो हमेशा एक रस रहती हैं, दो और दो हमेशा चार रहते हैं। एक स्कूल आफ थाट यह है कि There is no new truth तो कोई जरूरी नहीं है कि १९३८ में जो बात सही थी आज वह गलत हो जाय। कहा गया कि सोसायटी बहुत बदल गयी। सोसायटी ज्यों की त्यों है, उसमें कोई चेन्ज नहीं हुआ, हां पोलिटिकल शेप बहुत बदल गयी।

एक बात यह कही गयी कि नामिनेटेड कमेटी के लिये हमने तीन साल की अवधि रखी है। वह बेशक रखी है मुझको यह बात जब भी खटकी थी, लेकिन हमारे सलाहकारों ने कुछ मजबूरियां बतलायीं। लेकिन सेलेक्ट कमेटी में हम विचार करेंगे। मुझे खुशी होगी अगर उसका पीरियड कम हो जाय।

रूल्स के बाबत नेकराम जी ने कहा कि हमारे सामने नहीं आते। लेकिन आखिरी खंड में आप देखेंगे कि रूल्स जो बनेंगे तो सदन के सामने आयेंगे, उस वक्त जो सुझाव आप देना चाहेंगे उस पर विचार हो जायगा।

मुझे अफसोस है कि जो सर्कुलेशन का मोशन है जनमत जानने के लिये वह मुझे मंजूर नहीं है और जो कमला सिंह जी ने कहा ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की बात, अच्छा होता अगर वह हो जाता, लेकिन मैं समझता हूं कि अब इस स्टेज पर मेरे लिये उसे मंजूर करना मुश्किल होगा। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सदन मेरे प्रस्ताव को मंजूर करेगा कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक १९६३ को इस सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन महीने के अन्दर प्रस्तुत करे। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(१) कृषि मंत्री,
(२) श्री शिवराज सिंह,
(३) श्री जमीलुर्रहमान,
(४) श्री जगवीर सिंह,
(५) श्री बिशन लाल,
(६) श्री सोहनलाल धुसिया,
(७) श्री गणेशचन्द्र काछी,
(८) श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी,
(९) श्री राजनारायण मिश्र,
(१०) श्री डूंगर सिंह,
(११) श्री लक्ष्मीशंकर यादव,
(१२) श्री बंकटासिंह,
(१३) श्री टम्बेश्वरीप्रसाद,
(१४) श्री कल्पनार्थसिंह,
(१५) श्री रघुनार्थसिंह,
(१६) श्री भगवान सहाय,
(१७) श्री भानुप्रतापसिंह,
(१८) श्री भीखालाल,
(१९) श्री बलदेव सिंह आर्य, उपमंत्री।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ को इस सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन ३ महीने के अन्दर प्रस्तुत करे। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(१) कृषि मंत्री,
(२) श्री शिवराज सिंह,
(३) श्री जमीलुर्रहमान,
(४) श्री जगवीर सिंह,
(५) श्री बिशनलाल,
(६) श्री सोहनलाल धुसिया,
(७) श्री गणेशचन्द्र काछी,
(८) श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी,
(९) श्री राजनारायण मिश्र,
(१०) श्री डूंगर सिंह,
(११) श्री लक्ष्मीशंकर यादव,
(१२) श्री बंकटासिंह,
(१३) श्री टम्बेश्वरीप्रसाद,
(१४) श्री कल्पनार्थसिंह,
(१५) श्री रघुनार्थसिंह,
(१६) श्री भगवान सहाय
(१७) श्री भानुप्रतापसिंह
(१८) श्री भीखालाल,
(१९) श्री बलदेव सिंह आर्य, उपमंत्री।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

नियम २०२ के अन्तर्गत मैं माननीय चरण सिंह जी को इस समिति का सभापति मनोनीत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३

श्री अधिष्ठाता—

सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३ सदन की मेज पर रखेंगे ।

सचिव, विधान सभा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३, सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १३१२–१३२३ पर)

कानपुर जिले में हुयीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याओं के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आज अत्यन्त दुख और गम्भीरता के साथ यह विषय सदन के समक्ष विवाद के लिये रखता हूं ।

श्री बलवानसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक घटना और घट गई है । माननीय बलवान सिंह जी गाजियाबाद में गिरफ्तार कर लिये गये हैं । पुलिस मंत्री जी के पास कोई सूचना हो तो देने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता—

देखिये, विवाद शुरू हो गया है । आप नियमतः लिख कर दे दें तो देखा जायगा ।

श्री कल्पनाथसिंह—

आपको कोई सूचना उनकी गिफ्तारी की मिली है ?

श्री अधिष्ठाता—

हमारे पास कोई सूचना नहीं है । माननीय अध्यक्ष जी के कमरे में आई हो तो हम नहीं कह सकते हैं । लेकिन सदन की मेज पर कोई सूचना नहीं आयी है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, पता लगा लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

जी हां, पता लगा रहे हैं ।

कानपुर जिले में हुयी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याओं के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा--(क्रमागत)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

अधिष्ठाता महोदय, म उसको पढ़कर सुना देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि "कानपुर जिला अन्तर्गत ९ नवम्बर, १९६३ को बिल्हौर थाने से १०० गज की दूरी पर प्रसिद्ध समाजवादी कार्यकर्त्ता श्री अर्जुनसिंह जो मोहिनुद्दीनपुर के निवासी थे लगभग ८ बजे रात को हत्या कर दी गई। ईश्वर दयाल सक्सेना मशहूर सोशलिस्ट मजदूर नेता की हत्या कानपुर शहर में गोली मार कर कर दी गई। इसके पहले कानपुर में ही सर्वश्री सुखवासी सिंह घाटमपुर, देवीदयाल कटियार, चन्द्रशेखर तिवारी, श्री सूबदार सिंह तथा बाबूराम की हत्या हो चुकी है। श्री चन्द्रशेखर तिवारी की हत्या करने वाले चार अभियुक्तों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा उत्तर प्रदेश की सरकार के कर्णधारों ने माफ कर दिया। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में सर्वत्र राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं पर प्रहार और हमले हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रदेश के अन्दर शोषित पीड़ित और गरीब जनता की आवाज उठाने वालों और उनकी समस्याओं के लिये लड़ने वालों की जिन्दगी सुरक्षित नहीं है और इस प्रकार की घटनाओं से यह भी स्पष्ट है कि लोकतंत्र इस प्रदेश में नहीं चल सकता और यदि इन घटनाओं पर काबू नहीं किया गया तो प्रदेश के अन्दर अराजकता और गृह युद्ध फैलने की संभावना है।

देहरादून में नित्यानन्द स्वामी पर हमला और रामलीला में एक स्वयं सेवक की हत्या, बलिया, गोरखपुर देवरिया आदि पूर्वी जिलों में गुंडों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की पिटाई और हत्यायें रोजमर्रा की घटनायें हो गई हैं।

श्रीमन्, मेरी बात दो हिस्सों में होगी। एक तो घटनाओं का क्रम और दूसरे सिद्धान्तों का क्रम। मैं दुख के साथ कहता हूं कि ३० अप्रैल, १९५९ को देवीदयाल कटियार जी की हत्या थाने से १०० गज की दूरी पर कर दी गई। जब घायल शरीर को ले कर रिपोर्ट लिखाने थाने गये तो थानेदार ने रिपोर्ट नहीं लिखी। अस्पताल में अधमरी लाश को ट्रक में ले गये तो नहीं लिया गया। हमारे साथी उनको टांगकर कानपुर लाये और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके मुकदमे में हाई कोर्ट जज ने क्या लिखा है, उसको एक लाइन में पढ़ देना चाहता हूं। "मुलजिम से ज्यादा अपराधी वहां की पुलिस और डाक्टर हैं। यदि समय से डाक्टरी सहायता उन्हें मिल गयी होती तो उनकी जान न जाती।" यह तो देवीदयाल की घटना के बारे में है।

अर्जुन सिंह के बारे में ९ नवम्बर की घटना है। थाने से १० गज दूर बिल्हौर में रामलीला हो रही है, चन्दा मांगने जाते हैं। लौटते हैं तो भाले से उन्हें मार कर ढेर कर दिया जाता है। उनके भाई विश्वम्भर सिंह उसी दिन घर से चलते हैं, उसी गोल के आदमी उनको रास्ते में घेरते हैं, उन पर बल्लम चलाते हैं, उनको चोट आती है। वह उसी बिल्हौर थाने में रपट लिखाते हैं कि हम को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन सिंह ने पुलिस के खिलाफ कई दरख्वास्तें दी थीं। सरकार को लिखा। जगदीश अवस्थी जो पहले पी० एस० पी० के एम० पी० भी थे एस० एस० पी० से मिले और एक रजिस्ट्री बिल्हौर थाने के दरोगा के नाम से किया कि मनोहर सिंह दरोगा हमारी जान के पीछे हैं। अगर मेरी जान पर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस पर है। फिर भी यह सरकार उनकी जान नहीं बचा पायी। उसके बाद १९-३-६३ को सूबेदार सिंह की हत्या की गयी। गेहूं के खेत में जा रहे थे, वहीं उनकी हत्या की गयी। सरकारी पक्ष के प्रमुख सदस्य सब उस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। मेरे पास ए० सी० ओ० का खत है। गेहूं के खेत में दूसरी फसल दिखलाना चाहता था। ए० सी० ओ० जयनारायण की चिट्ठी प्राप्त है। उसमें लिखते हैं कि लेखपाल को बुला कर तुम यहां आ जाओ। ७-क नम्बर का रक्बा ऊपर से तलब किया गया है। मदद में लेखपाल को भी लाना। २५-८-६३ को लिखते हैं और ३१-१-६३ को उसका प्रकाशन

हो चुका था। एस० एस० पी० टंडन से कहा गया, लेकिन फिर भी टंडन साहब उनकी जान नहीं बचा पाये। और उनकी हत्या हो गयी।

माननीय चन्द्र शेखर तिवारी कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि श्री बलवान सिंह के संबंध में अभी कोई भी सूचना स्पीकर साहब के पास नहीं आयी है।

श्री उग्रसेन—

वह राज्य सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य थे और कार्य समिति के भी सदस्य थे। गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने वाले थे। मामूली आदमी नहीं थे। हाई कोर्ट से चार मुलजिमों को फांसी की सजा हुई—रामसनेही, रामसेवक, नन्हीं, देवीचरण। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बहाल की। उसके बाद हर एक मुलजिम ने मरसी पेटीशन दी। विश्वस्त सूत्र से पता लगा है कि पहली बार राष्ट्रपति ने उनको खारिज कर दिया। एक सोशलिस्ट होने के नाते मैं फांसी की सजा में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि राजनीतिक हत्याएं इस तरह से हों और चार के चारों के मरसी पेटीशन खारिज होने के बाद फिर मंजूर हो जायं। राष्ट्रपति ने जब उनको खारिज कर दिया तो जिला कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता लोग माननीय गुप्ता जी के पास दौड़े। माननीय अली जहीर पहले नहीं करना चाहते थे। कैसे तिकड़म से हो गया, माननीय राज्यपाल भुवनेश्वर को जा रहे थे। जो गलत शपथ हुई थी उसी को वह फिर शपथ दिलाने आये और उन्हीं से यह गलत काम करवाया गया। माननीय राज्यपाल जब बापस जा रहे थे भुवनेश्वर तब यह हुआ। एक आदमी ने यहां कहा, कि दिखला भी गये कि इस कागज पर दस्तखत करवाना चाहते हैं। हम तो सोशलिस्ट हैं। हमने तो जान देना सीखा है। आपके सामने लल्ला बाबू की हत्या हुई। वह जिन्दा जला दिये गये। सियाराम जिन्दा जलाये गये। आज उनकी फांसी की सजा माफ कर दी गयी। यही नहीं कि केवल सोशलिस्ट मारे जाते हों। वहां पर एक कांग्रेसी नेता थे। उनका नाम था मानक सिंह। बहुत अच्छे कांग्रेस में काम करने वाले थे। अकबरपुर के थे। एम० एल० ए० के चुनाव में उनको टिकट मिलने वाला था। १९५८ में उनको मार डाला गया क्योंकि लोग चाहते थे कि वह रास्ते से हट जायं और कांग्रेस विधायक रामदुलारे मिश्र जो थे कि उनके खिलाफ कोतवाल ने पैरवी की थी और वह राजनीति से हटा दिये गए। भगवती प्रसाद शुक्ल एम० एल० ए० मार डाले गए। चारों तरफ पिटाई हो रही है। अब माननीय शिवनाथ सिंह, एम० एल० ए०, राम लाल यादव हमारे सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी और रामस्वरूप वर्मा भूतपूर्व विधायक को धमकी दी जा रही है कि तुमको भी राजनीति से हम खत्म कर देंगे। इस प्रकार से हत्यायें की जा रही हैं। श्रवण कुमार टंडन जी तीन चार साल से वहां एस० एस० पी० बने हुए हैं। माननीय मंत्री जी, वह आपके लाड़ले होंगे, बड़ी काबलियत उनकी होगी, लेकिन उनके काले कारनामे देखिए। उनके जमाने में कितने लोग वहां मारे गये? चन्द्र शेखर तिवारी, देवीदयाल कटियार और सूबेदार सिंह, इन लोगों की हत्यायें हुईं। देवीदयाल कटियार के कत्ल में वीरबहादुर सिंह दरोगा पर दफा ७ चला लेकिन एस० एस० पी० ने उनको दफा सात से छोड़ दिया। मैं आपसे यह मांग करूंगा कि एस० एस० पी० को मुअत्तल करके सी० आई० डी० से इसकी इंक्वायरी कराइए। क्यों? क्या बात है कि वह इतने दिनों से वहां पड़े हुए हैं और क्यों ऐसी घटनायें वहां घट रही हैं? श्रीमन्, कोई बन्दूक तलवार लेकर तो हम चलते नहीं हैं। हमारा तो नारा है हम मारेंगे नहीं, लेकिन मंत्री जी, हम मानेंगे नहीं। हममें से कोई भी यह नहीं चाहेगा, और न जनतंत्र में विश्वास करने वाला कोई भी आदमी ऐसा चाहेगा कि इस प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा हो। नहीं तो, हमने भी हथियार देखा है, रिवाल्वर हमने भी देखा है और आपके ही जिले के राजदेव सिंह जो हमारे साथी थे, बचपन में जब हम लोग विद्यार्थी थे तो उन्होंने हम लोगों को भी रिवाल्वर दिखाया

[श्री उग्रसेन]

था। लेकिन हम उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहते। आज कांग्रेस पार्टी के लोग एक विरोधी को अगर खत्म कर देंगे तो राज कौन करेगा और किसके लिए राज करेगा? हमारी बड़ी मजबूरी है। देवरिया में एक छोटी सी घटना हो गई। सोशलिस्ट पार्टी के मन्त्री हरीकेवल को बी० डी० ओ० सलेमपुर ने मारा। उस पर जिलाधीशने कहा कि यह मेरी इज्जत का सवाल है और बी० डी० ओ० पर मुकदमा नहीं चलने दिया। इसी तरह छात्र नेता मारे गये। पुलिस के लोग सोते रहे। आप पुलिस के मन्त्री हैं अगर आप नहीं सम्भाल सकते, तो शराफत की बात है कि आप इस्तीफा दें। अगर जनतंत्र में हमारा विश्वास न होता तो हम भी रिवाल्वर मांगते। यह तो राजपूतों का इतिहास है, जिससे आप अपना सम्बन्ध कभी-कभी बताते हैं, राजपूत कभी पीछे नहीं भागते हैं—

दाता जयसिंह दो ये बातें काहु दीनी नाहिं,
बैरिन को पीठ और दीठि परनारिन को।

तो अगर यह शान है तो मैं आपसे पूछता हूं कि यह क्या हो रहा है? यह कभी राजपूतों के इतिहास में नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। आज देखिए, किस तरह से फांसी वालों को छोड़ा जा रहा है, हर तरह की सुविधायें दी जा रही हैं और यह कहा जा रहा है कि फलां व्यक्ति चुनाव में आगे बढ़ने वाला है, इसको मार कर खत्म करो। इस तरह अगर चलता रहा तो जनतंत्र में जनता का विश्वास कतई ही नहीं रह जायगा। इसलिए हम आप से कहते हैं कि आप हमारी आहें तो सुनिये—

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बनदाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो शिकवा नहीं होता।

आज हर एक दरोगा एक तानाशाह बन गया है। सारी चादर जनतंत्र की फटी हुई है और मंत्री जी एक जगह जाकर पैबन्द लगा कर चले आते हैं। अभी वह बलिया गये थे। वहां के दरोगा ने हमारी पार्टी के शम्भूनाथ चतुर्वेदी को धमकी दे रखी है। ३०० बोरे चावल शम्भूनाथ चतुर्वेदी ने पकड़वाकर वहां रखवाये, उस पर रोज कोतवाल धमकी दे रहा है कि शम्भूनाथ चतुर्वेदी को मार डाला जायगा।

कानपुर के आई० डी० सक्सेना का बड़ा ही दर्दनाक किस्सा है। २१-२२ नवम्बर की बात है। लेनिन पार्क के पास कानपुर में उनको गोली से मार डाला गया। चमड़े और लोहे की मिलों में जो मजदूरों का दम मारा जाता था उसके सम्बन्ध में बनारसी दास जी से वह मिलने वाले थे। कई मुकदमों की फाइलें तलब कराने के लिए हम लोग बनारसी दास जी के पास दरख्वास्त लेकर आये थे। तलबी का आर्डर भी चला गया था। आपके उन जगदीश रोलिंग मिल और दूसरे मिल मालिकों को मुकदमों में ५० हजार रुपया देना पड़ा। ईश्वर दयाल सक्सेना को खत्म कर दिया गया। इन मिलमालिकों ने मिलकर उसको खत्म करवा दिया। इन मजदूरों में काम करने के लिये कौन सामने आयेगा? मजदूरों के हित के लिये अगर कोई बात कही जाती है तो लोहे मिल वाले, टैक्सटाइल मिल वाले मामूली बात भी नहीं मानते हैं। ये लोग मिलकर हत्या करा देते हैं। इसी प्रकार से इन ईश्वर दयाल सक्सेना की हत्या कर दी गई। अगर यही दशा रहेगी तो फिर कौन मजदूरों में काम कर पायेगा? झारखंडे राय जी मजदूरों में नेतागीरी करेंगे? क्या नरसिंह नारायण जी मजदूरों की नेतागिरी करेंगे या ये कल्पनाथ सिंह जी करेंगे? कौन मजदूरों की नेतागिरी करेंगे? अगर ये पूंजीपति इस तरह से मारेंगे तो फिर कैसे देश का जनतंत्र चलेगा? हमने भी हड़ताल की है और हमने भी मजदूरों में काम किया है सुरजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ हमने भी हड़ताल की है पर क्या इस तरह से देश का काम चलेगा? मैं बहुत ठंडे दिल से कहता हूं कि आप इस स्थिति को सम्भालें। यदि आप इसको नहीं सम्भालेंगे तो इस प्रदेश का भला नहीं होगा। हम भी मरेंगे और आप भी मरेंगे। आज हालत यह हो गई है कि इस प्रदेश की ७॥ करोड़ जनता असुरक्षित अपने को महसूस करती है। अभी

उस दिन सहदेव सिंह की हत्या कर दी गई। उसने एक गिलास पानी मांगा तो इतने ही में उसकी हत्या कर दी गई। वह कलकत्ता के बहुत बड़े व्यापारी थे। इसमें कांग्रेसी का हाथ था। इसलिये मैं कहता हूं कि यह राजनीतिक लोग जो देश की सेवा करना चाहते हैं उनकी इस प्रकार से हत्या की जा रही है। गांधी जी भी जेल गये थे और उन्होंने भी देश की सेवा की मगर आज यदि उस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता है तो किस प्रकार से देश क... चलेगा? कौन देश की सेवा करेगा? क्या जवाहरलाल देश की सेवा करेंगे? यह हो सकता है कि देवी दयाल की हत्या कर दी जाय। अर्जुन सिंह की हत्या कर दी जाय लेकिन सोशलिस्ट सिद्धान्तों की हत्या नहीं की जा सकती। उसके सिद्धान्तों की हत्या नहीं कर सकते। आज जहां पर आप बैठे हैं यह ज्वालामुखी पहाड़ है। अगर ऐसा होता रहा तो यह किसी दिन फट सकता है और सारे देश में आग लग सकती है। आज जो आपके नीचे कर्मचारी काम कर रहे हैं वे अंग्रेजों के दरबारी रहे जिन्होंने अंग्रेजों से मिलकर हमारे देश को लूटा है, बलिया जिले को लूटा है और जवाहरलाल जी के राज्य में उनके सहारे पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं। इसलिये मैं यह मांग करता हूं कि टंडन को मुअत्तिल किया जाय। अगर सरकार ऐसा न करे तो सरकार खुद इस्तीफा दे।

(श्री मुरलीधर कुरील का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

समय का किस प्रकार से बटवारा है। इसके लिये तो २ घंटे का समय निर्धारित है? अध्यक्ष महोदय १ घंटे का समय निश्चित कर चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता—

इसके लिये केवल १ घंटे का समय निर्धारित है और एक घंटा दिये जाने का प्रस्ताव भी श्री काशीनाथ मिश्र ने अपने प्रस्ताव में किया है।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हत्या हुई हैं मैं समझता हूं कि कोई भी समझदार व्यक्ति उनका समर्थन नहीं करेगा। वे हत्यायें रुकनी चाहिये और लोगों की सुरक्षा होनी चाहिये। इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो यह कहा जाता है कि ये सारी हत्यायें राजनीतिक हत्यायें है, ऐसा मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। अभी जो जिक्र किया गया उनमें देवी दयाल और अर्जुन सिंह का नाम लिया गया। अर्जुन सिंह मेरे निर्वाचन क्षेत्र थाना बिल्हौर के हैं। इनके सम्बन्ध में जहां तक मैं जानता हूं वह यह है कि ये जो हत्यायें हुई हैं वे राजनीतिक हत्यायें नहीं हैं। ये आपसी वैमनस्य से हुई हैं और मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति किसी तरह से इनसे सम्बन्धित नहीं है। जहां तक और बातें कही जाती हैं वे असत्य हैं, निराधार हैं। कांग्रेस का उनकी पैरवी से कोई संबंध नहीं रहा। व्यक्तिगत चीजों को देखा जाय तो पता चलेगा कि अर्जुन सिंह हिस्ट्रीशीटर थे। डाके के सजा-याफ्ता थे और उन पर ३०७ का मुकदमा चल चुका था। सोशलिस्ट पार्टी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है कि जिनसे जनता की सुरक्षा को खतरा हो गया है। उनमें कांग्रेस का कोई चार आने का भी सदस्य नहीं है। (व्यवधान) उनकी पैरवी करने वालों को आप अपनी पार्टी का सदस्य मानें, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन यह देखिये कि वे कैसे हैं, उनका चाल-चलन कैसा है और क्या उनकी आदतें हैं? वह थाने के सामने अड्डा जमाये बैठे है और भले आदमी वहां जाकर अपनी बात नहीं कह पाते। ऐसे लोग, जिनको दबाया जाना चाहिये उनको बिल्हौर में बढ़ावा मिल रहा है। उनके कारनामों से लोग त्रस्त हैं। (व्यवधान) मैं मांग करता हूं कि सरकार इस मामले में सी० आई० डी० से पता लगाये कि इसमें कौन-कौन हैं? (व्यवधान)

[श्री मुरलीधर कुरील[

चूंकि इस मामले को अदालत में जाना है इसलिये मैं अधिक कुछ नहीं कहता, लेकिन सी० आई० डी० की रिपोर्ट से पता चलेगा कि यह गलत हल्ला मचा रखा है जिसके कारण पुलिस अपनी कार्यवाही नहीं कर पा रही है ।

यहां पर सुखबीर सिंह का नाम लिया गया जिसका कत्ल ७, ८ साल पहले हुआ था । मनोहर सिंह का तबादला वहां से कई माह पूर्व हो चुका था और उस समय वे वहां नहीं थे ।

(व्यवधान)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

मेरे साथी को ४ मिनट और दिये जायं ताकि सोशलिस्ट पार्टी का नकशा खुल जाय ।

श्री मुरलीधर कुरील---

इसी तरह देवी दयाल के कत्ल की बात कही गयी जो चार साल पहले हुआ था । जो लोग उस कत्ल में मुलजिम थे वही आज अर्जुन सिंह के पैरोकार हैं और वे ही आज सोशलिस्ट पार्टी के साथी हैं । इन्हीं लोगों की वजह से आज वहां की जनता भयभीत है, त्रस्त है ।

श्री अधिष्ठाता---

कुरील जी, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मुरलीधर कुरील---

एक मिनट मुझे और दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता---

मैं आपको ८ मिनट दे चुका हूं । अच्छा १ मिनट में खत्म कर लीजिये ।

श्री मुरलीधर कुरील---

डेराडुर की जो बात कही गयी, तो वहां पर एक कांग्रेसी कार्यकर्त्ता नर्वदा प्रसाद थे उनका कत्ल पहले हुआ । वह खाना खा रहे थे और उनके घर में घुसकर जबरन उनका कत्ल किया गया । मैं नहीं कहता कि वह राजनीतिक कत्ल था, आप लोग उसे भले ही राजनीतिक वातावरण पहनायें, लेकिन चन्द्रशेखर और उनका परस्पर वैमनस्य चल रहा था और उसके कारण सबसे पहले नर्वदा प्रसाद का कत्ल हुआ । हो सकता है कि उसके बाद दूसरे लोगों ने उनका कत्ल किया हो, यह सही है कि दूसरे दिन चन्द्रशेखर का कत्ल हुआ । तो हर चीज में राजनीतिक आवरण पहनाना, चीज की असली शक्ल को छिपाता है और सही जानकारी सदन के सामने नहीं होने देता और सरकार भी सही कार्यवाही जो होनी चाहिये वह नहीं कर पाती । इसलिये असली कार्यवाही होने के लिये ऐसा वातावरण न पैदा किया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े ध्यान से वादविवाद को सुन रहा था और आशा कर रहा था कि इस बड़े महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बड़ी गम्भीरता से विचार करेंगे । मैं जो समझ पाया इसके अन्दर वह इतना ही समझ पाया कि यह जो कत्ल हुये हैं, जो प्रदेश में कत्ल बढ़ते जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की अपात्रता पर है । परन्तु मुझे यहां यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस पार्टी का नकशा खोला जाय और उस पार्टी का नकशा खोला जाय, मानो कोई क्रिमिनल जाग्रफी का लेसन यहां बन रहा हो ।

श्री जे० पी० मिश्र---

यहां यही हो रहा है बराबर ।

श्री अधिष्ठाता—

मिश्र जी, आप शान्त रहिये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मुझे ध्यान है कि पिछली बार जब डिबेट हो रही थी तब मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पुलिस की अपात्रता और उसको कंट्रोल करने की पात्रता दोनों एक मात्रा में घटती जा रही हैं। अगर प्रशासन की अपात्रता घट रही है तो उसी मात्रा में पुलिस की अपात्रता बढ़ रही है और यह इस सूबे के लिये बड़ी दुर्भाग्यजनक और चिन्ताजनक अवस्था है। आज भी मैं कहता हूं कि पुलिस को सम्भालने के लिये, पुलिस को ठीक से दबा कर अनुशासन के अन्दर रखने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन स्वयं पुलिस के द्वारा आबलीगेशन लेना बन्द करे। श्रीमन्, अगर आबलीगेशन लिये गये, दरोगा को घर पर बुला कर कहा गया कि इसके ऊपर ११० चलाओ और इसके ऊपर १०७ चलाओ तो निश्चित है कि दरोगा आपके कहने से ११० चलावेगा परन्तु वह कल ३०२ की भी कार्यवाही कर सकता है। यह बन्द होनी चाहिये। इसको बन्द करने की ओर सरकार ने क्या कदम उठाया है यह मेरा एक सीधा सा सवाल है ? आज जब मैं यहां सबेरे बैठा था, प्रश्नों के समय में, तब मंत्री महोदय से यह प्रश्न हुआ कि क्या देहरादून के एक प्रतिष्ठित वकील को चोटें लगीं ? जहां तक मेरी याददाश्त है, और अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मंत्री जी मुझे सही कर देंगे, उन्होंने कहा कि नहीं चोट की रिपोर्ट नहीं है। फिर जब प्रश्न हुआ कि आखिर मेडिकल रिपोर्ट क्या है तो बताया गया कि २८ चोटें लगी हैं। कन्ट्यूशन शब्द का वेब्सटर डिक्शनरी से पढ़ कर और अर्थ का अनर्थ किया गया। मंत्री जी ने कहा कि घोड़ा बमक जाने से तांगा उलट गया और उसके कारण यह चोटें लगीं। अब सवाल उठता है कि घोड़े ने बमक कर कितनी जबरदस्त लात आखिर मारी होगी हो सकता है किसी थानेदार का घोड़ा हो, बहुत चने खाकर आया हो और उसकी बमक ने पीछे बैठे हुये आदमी को २८ चोटें मारी हों। या श्रीमन्, अगर वह तांगा उलटा होगा, कितनी बार लुढ़का होगा कि उस आदमी के शरीर पर खाली २८ कंट्यूजन आये, हड्डी नहीं टूटी, पसली नहीं टूटी, मानो। वह तांगा क्या था, एक बड़ा जीवित-जाग्रत व्यक्ति था जिसने तोल तोल कर कंट्यूजन-लगाये। अगर यह व्हाइट-वाशिंग नहीं है तो क्या है ? शासन के द्वारा पुलिस के कुकृत्यों का व्हाइट-वाशिंग निन्दनीय है। जितना आप व्हाइट-वाशिंग करेंगे उतनी ही यह पुलिस आपके सर पर चढ़ती जायगी, यह मैं स्पष्ट कहता हूं। आज हमारे सर पर डंडा पड़ सकता है तो कल आपके सर पर भी पड़ सकता है। अगर एक निमट के लिये मान भी लिया जाय कि राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित हो कर ये हत्यायें होती हैं तो यह शस्त्र आपके ऊपर भी आ सकता है। इसे आप रोकें ।

श्री सक्सेनाजी के विषय में कुछ कहा गया। वह कानपुर के श्रमिक नेता थे, बड़े प्रतिष्ठित नेता थे। इनसे अच्छा लेबर कानून जाननेवाला मेरी समझ से कानपुर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। उन्होंने श्रमिकों की बड़ी सेवा की। उन्हें गोली से मार दिया गया। उसका थोड़ा सा विवरण मैं आपकी आज्ञा से दिये देता हूं। इनके कार्यालय में इन्हें बुलाने के लिये दो व्यक्ति जाते हैं और जब यह चलने लगते हैं तो एक व्यक्ति इनकी साइकिल ले लेता है और दूसरा आधे रास्ते से गायब हो जाता है। थोड़ी दूर जा कर सड़क पर गोली मारी जाती है। जो आदमी साइकिल पकड़े था, जनता ने उसे पकड़ा है और वह अपने बयान में कहता है कि मुझे फलां मिल-मालिक का ५०० रुपया देना था ,उसके इशारे पर यह हत्या हुई और गोली उसने मारी है जो आधे रास्ते से गायब हो गया। क्या वह व्यक्ति पकड़ा गया जिसने गोली चलाई ? क्या कानपुर में इतने अन्डर-ग्राउन्ड हैं कि वह आदमी पकड़ा नहीं जा सकता है ? क्या उस मिल-मालिक को भी अचैटमेंट में पकड़ा गया ? नहीं पकड़ा गया। मैं ७ वर्ष से इस सदन में बराबर देखता चला आ रहा हूं कि फिदवी की रिपोर्ट बड़ी पौलिपूड आती है। ननकू पासी की बात यहां आती है जिससे स्पष्ट पुलिस ने मार-मार कर मार डाला। जब यहां प्रश्न उठाया गया तो

[श्री यादवेन्द्रदत्त

रिपोर्ट आती है कि थाने में स्थित कुंवे में कूदकर उसने जान दे दी। अगर यह सुसाइड है तो क्यों ? इतनी मार पड़ी होगी कि घबराकर वह कुंवे में कूद पड़ा। वास्तविकता यह है कि उसे मारकर लाश फेंक दी। अगर यहां लीपा-पोती की गई और कोई स्टैप नहीं लिया गया। इस प्रकार पुलिस का मन बढ़ाया गया है। मैं गृह मंत्री से यह आशा करूंगा कि वह अपनी स्पष्टवादिता के लिये प्रसिद्ध हैं तो जरा स्पष्ट दंडिता के लिये प्रसिद्ध हों विभाग में, क्योंकि यह विभाग बड़ा अनटेम्ड हो रहा है। और पुलिस विभाग का, पुलिस का जो कंट्रोल है वह बहुत ढीला है और वह उस की अपात्रता के कारण ढीला है। इस तरफ सरकार ने क्या कदम उठाया ? अगर उठाया तो वह मंत्री जी अपने बयान में बतायें, लेकिन अभीतक वही घटनाचक्र हमारे सामने है और उससे यह मालूम पड़ता है कि कोई कदम इस के लिये नहीं उठाया गया है। यहां तक कि जुडीशियल प्रोनाउन्समेंट भी पुलिस के खिलाफ इस बीच में हुये हैं। झांसी में एडीशनल सेशन्स जज श्री प्रेमचन्द्र रस्तोगी ने प्रोनाउन्समेंट जयनारायण वैश्य रेलवे कर्मचारी के केस में किया है और कहा है कि उन को २८ जनवरी सन् ६३ को झूठा फंसाया गया। न्यायाधीश के अनुसार बिनौरा ग्राम के प्रधान का दामाद थानेदार है और सम्भवतः इसी कारण पुलिस ने झूठा मुकदमा जयनारायण पर चलाया है। इस तरह से उसकी रोजी छीनने की कोशिश बहुत ही लज्जाजनक है। इस तरह की स्ट्रिक्चर्स की परिपाटी चली आती है, लेकिन क्या एक भी केस में सरकार ने संबंधित अधिकारियों को दंड दिया ? आप कहेंगे कि उसका तो विभाग का लीगल प्रोसीजर है .....

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना भाषण केवल राजनीतिक हत्याओं के संबंध में ही सीमित रखें, पूरे पुलिस के भ्रष्टाचार का विषय नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

मैं यही बता रहा था कि ऐसे कार्य हत्या के करने के लिये कैसे लोगों को और पुलिस को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप जरा हमारी बात सुनने का धैर्य रखें तो आपकी समझ में आ जायगा कि तमाम जुडीशियल प्रोनाउन्समेंट हुये, लेकिन लालफीताशाही में तमाम गोलघपाला कर के सब खत्म कर दिया गया और किसी को कोई दंड नहीं दिया गया। तब अफसर और विभाग के आफिसर समझते हैं कि कोई दंड नहीं दिया जायगा और उन की स्वच्छन्दता और उच्छृंखलता की मनोवृत्ति को रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। यह चीज तभी दूर हो सकती है जब कि प्रशासन अधिकारियों से आब्लिगेशन लेना छोड़ दें। डी० एस० पी० को बुला कर कहा जाय कि तुम फलां आदमी को फंसाओ तो किस तरह से प्रशासन ईमानदार रह सकता है ? आप इस अपनी नीति और ढील को समाप्त करें और इस दिशा में गृह मंत्री जी कठोर कदम उठावें अन्यथा वह दिन दूर नहीं है कि इस प्रदेश में यह जो पुलिस का गिरता हुआ मारल है, यह जो भ्रष्टाचार है जिस के फलस्वरूप तमाम हत्यायें हो रही हैं और जिस से सूबे में घोर अराजकता खड़ी हो सकती है वह सारे यहां के जनजीवन को खत्म कर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय गृह मंत्री जी से मांग करूंगा कि उन का पुलिस विभाग की ओर इस दृष्टिकोण से विशेष ध्यान होना चाहिये और कड़ाई के साथ कदम उठाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि गृहमंत्री जी आधा घंटा उत्तर के लिये चाहते हैं। (श्री जे० पी० मिश्र के खड़े होने पर) मिश्र जी बैठ जांय, यह जरूरी नहीं है कि आप हर विषय पर बोलें। यह बहस ५:३५ पर आरम्भ हुई है और १ घंटा ६:३५ तक चलेगी। गृहमत्री जी का उत्तर काम की चीज होगी इसलिये ५--१० मिनट में सब लोग २२ मिनट बोल लें जो बोलना चाहते हैं। समय में बढ़ा भी नहीं सकता हूं चूंकि अभी इस के बाद सलेक्ट कमेटी की मीटिंग होने वाली है।

*श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

मैं मान्यवर.....

श्री अधिष्ठाता--

केवल एक दो जरूरी बात आप कहकर समाप्त कर दें ।

श्री झारखण्डेराय--

हमारे प्रदेश में राजनीतिक कत्लों के बारे में अलीगढ़ ज्यादा मशहूर था और वहां की चर्चा सदन में कई बार हो चुकी है और वहां के कई चेयरमैन परस्पर विरोधी लोगों के द्वारा मारे गये, लेकिन यह रोग अब प्रदेश के अनेक भागों में फैल रहा है यह बहुत ही चिंता का विषय है और इस ओर सरकार और माननीय गृहमंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिये । हत्यायें तो बुरी हैं ही, लेकिन राजनीतिक हत्यायें और भी बुरी हैं । मुझे याद है कि हमारे इसी सदन में सन्, ५७ के पहले एक बार दल श्रृंगार दुबे जो सोशलिस्ट दल के सदस्य थे, उन पर ऐसा घातक आक्रमण हुआ कि फिर वह जीवन भर के लिये अपंग हो कर घर बैठ गये । अवध शरण वर्मा की जीवित हत्या जला कर कर दी गई । कांग्रेस के भगवती शरण की हत्या बाराबंकी में हुई । हमारे जिले में एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता श्री शिव सम्पत्त राय की हत्या हो चुकी है । ब्लाक प्रमुख श्री जगदम्बा सिंह और जिला परिषद् के सदस्य श्री गंगा प्रसाद पांडेय की हत्या हो चुकी है और अभी अभी १ सप्ताह की बात है एक बहुत अच्छे कार्यकर्त्ता अपने इलाके में हमारे जिले की तहसील सगड़ी में श्री मंजूर अहमद की हत्या की जा चुकी है । इन राजनीतिक हत्याओं के प्रति सरकार की उपेक्षा नीति कतई नहीं होनी चाहिये । ऐसी भी सूचनायें मिली हैं कि लोग अपने पर धमकी की सूचना जिलाधिकारियों को देते हैं, सरकार के भी सामने रखी गईं, लेकिन उचित कार्यवाही उनकी सुरक्षा की कोई नहीं की गई । इसलिये इस विषय पर सरकार को अब गम्भीरता से विचार करना होगा । किसी प्रकार की कोई सूचना किसी कार्यकर्त्ता के बारे में उससे या किसी के द्वारा मिलती है तो माननीय गृह मंत्री जी को या जिलाधिकारियों को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये या सी० आई० डी० द्वारा या किसी उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा इसकी जांच करायी जानी चाहिये । अभी अभी चन्द दिन की बात है कि जालौन जिले में स्वतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता, जो ब्लाक प्रमुख थे श्री नाथू राम पर कातिलाना हमला हुआ है और वह कानपुर अस्पताल में पड़े हैं । ब्लाक के प्रमुख श्री राम स्वरूप पर गोली चलायी गई और वह चल बसे । तो सूबे के विभन्न हिस्सों में यह रोग फैल रहा है और राजनीतिक हत्यायें अगर होंगी तो प्रजातन्त्र खतरे में पड़ेगा । सामन्त युग में या दास प्रथा के जमाने में होतीं तो ठीक था, लेकिन प्रजातन्त्र के युग में, महात्मा गांधी, श्री कैनेडी की हत्या हुईं वह बहुत ही बुरी हैं, लेकिन अगर आये दिन इस तरह सियासी कार्यकर्ताओं की हत्या होने लगें तो यह चिन्ता का विषय है और प्रजातन्त्र खतरे में पड़ जायगा । इसलिये मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर कोई न कोई ऐसी मैकेनिज्म तैयार करें जिससे राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की जान माल की सुरक्षा हो सके । मैं खुद अपने केस में जानता हूं, मुझ पर खुद कत्ल का तीन बार प्रयास हो चुका है । १९५७ के चुनाव के पहले एक बार आक्रमण हुआ जिसकी चर्चा मैंने सदन में की । सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की, सी० आ० डी० तैनात की गई जिसके परिणाम स्वरूप वह षड़यंत्र बिखर गया । १९६२ के चुनाव के बाद एक कांस्प्रेसी हुई, लेकिन उसकी भी खबर मुझे मिल गई और मैंने सरकार को बताया, एस० पी० को सूचना दी ।

श्री अधिष्ठाता--

अब तो आपको खतरा नहीं रह गया, उसको क्यों दोहरा रहे हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री झारखण्डेराय---

मैं इसलिये बता रहा हूं कि अगर पोलिटिकल कार्यकर्त्ताओं पर खतरे आयेंगे और उसकी सूचना जब भी सरकार को मिले तो तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये और विशेष प्रकार का इंतजाम होना चाहिये क्योंकि ऐसी हत्याओं के बाद सियासी काम करना मुश्किल हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता---

हर दल से भी एक सदस्य को समय दे सकना तो कठिन होगा।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

श्रीमन्, विशेषरूप से कानपुर की राजनीतिक हत्याओं की चर्चा सदन में हुई। माननीय उग्रसेन जी ने बहुत विस्तार से उन हत्याओं की चर्चा की। अभी माननीय झारखंडे राय ने प्रदेश की स्थिति का चित्रण यहां रखा। मैं नहीं कह सकता कि सारी हत्यायें राजनीतिक थीं या नहीं, लेकिन एक बात मंत्री जी महसूस करेंगे कि जब किसी राजनीतिक पार्टी के किसी विशेष सम्मानित सदस्य की हत्या होती है या किसी चुने हुये जन प्रतिनिधि की हत्या होती है तो क्या काफी गुंजाइश इस बात की नहीं है कि राजनीतिक मतभेद रखने वाले लोगों ने ऐसा करने को उभाड़ा हो या सहयोग दिया हो? मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी को गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिये और इस प्रकार का वातावरण अपने प्रशासन द्वारा कायम करना चाहिये जिससे ऐसी हत्यायें न हों।

कानपुर की मिसाल ले लीजिये। माननीय कुरील जी ने कहा कि यह राजनीतिक हत्या नहीं थी बल्कि अमुक आदमी बदनाम था। यदि राजनीतिक न भी मानें तो कानपुर में दर्जनों हत्यायें हों तो क्या यह आपके प्रशासन के लिये या प्रदेश के लिये गौरव की बात होगी? माननीय गृह मंत्री जी बसेज के चेकिंग को छोड़ें। आप बड़े अधिकारियों में या बड़ी जगहों पर भ्रष्टाचार है, अकर्मण्यता है उसको चेक करें। यदि आप मेन स्विच आन कर देंगे तो सारी बत्तियां जल जायंगी। अगर एक एक सिपाही को ठीक करने लगेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक आप के आई० जी० शान्ति प्रसाद जी रहेंगे तब तक प्रदेश का पुलिस प्रशासन ठीक नहीं हो सकता है, चाहे आप लाख कोशिश करें। अगर पुलिस को सक्षम बनाना है तो आप शान्तिप्रसाद जी को चाहे भारत सरकार के पास भेज दीजिये या मणिपुर में भेज दीजिये। जब तक वे नहीं हटेंगे तब तक हत्यायें और डकैतियां खत्म नहीं हो सकती हैं। आई० जी० के डंडा लगायेंगे तो वह डी० आई० जी० और एस० पी० के डंडा लगायेगा और ये लोग नीचे वालों के डंडा लगायेंगे और प्रशासन ठीक चलेगा। अगर ढीला मामला रहेगा तो सारे प्रदेश में अंधेरा रहेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। जो पुलिस विभाग के संबंध में आंकड़े हैं उनकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि वे आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि पुलिस प्रशासन में जिस तरह से आमूल परिवर्तन की और सुधार की आवश्यकता है, उसको वे स्वयं महसूस करेंगे। श्रीमन् १९५७ में १४६८ कत्ल के मामले हुये थे और इसके बाद १९६३ में १७६८ हो गये। यह श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने जो भाषण पुलिस परेड में दिया था उसमें यह आंकड़े दिये थे। इसमें श्रीमन्, २०० कत्ल सिगनीफिकेंट हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से संबंधित जो लोग हैं उनकी हत्यायें की गई हैं। मैं यह नहीं कहता कि कौन आदमी कैसे थे और कौन-कौन उनकी हत्या के कारण थे,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन यह गम्भीर बात है और यह जो २०० हत्यायें हुई हैं यह राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की हुई हैं और सीरियस चीज है और इसकी तरफ मैं समझता हूं कि मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि आज असामाजिक तत्व बढ़ रहे हैं, आज विभिन्न प्रकार के वेस्टेड इंटरेस्ट्स बढ़ रहे हैं। अगर कोई भी राजनीतिक कार्यकर्त्ता चाहे इधर का या उधर का सच्ची बात कहने की हिम्मत करता है तो जो पूंजीवादी शक्तियां हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, वह उनका शोषण करते हैं। कत्ल होते हैं, डकैतियां होती हैं, जुर्म किये जाते हैं, विभिन्न प्रकार के हथकण्डे अपनाये जाते हैं। आज मैंने एक मामला सदन में पेश किया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, बहुत शर्मनाक बात है। मैंने इसलिये कहा था कि यह आदरणीय सदन है, इसकी एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन आपके डी० आई० जी० ने क्या कहा ? उसने कहा कि आप आर्म्स लाइसेंस ले लें। करोड़पति लोग इसमें इनवालव्ड हैं। आप डी० आई० जी० से पूछें। अपने अधिकारियों से पूछें। गांधी जी का जो प्रतीक है जिसके सामने आज आप बैठे हुए हैं, हर दूसरी अक्तूबर,को जिसके सामने आप सत्य, अहिंसा की कसम खाते हैं, आप क्या महसूस नहीं करते कि उसके सिद्धांतों पर चलने वाले चाहे उधर के बैठने वाले हों या इधर के, अपनी जिन्दगी हथेली पर लेकर चलते हैं। आपसे कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहते, लेकिन इतना चाहते हैं कि इसमें सुरक्षा की भी आवश्यकता है। उन्होंने देश को आजाद किया है। आज आपके हाथ में हुकूमत की बागडोर है। आपका कर्त्तव्य है कि आप उनकी रक्षा करें।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त। श्री ज्वालाप्रसाद, इसके बाद मंत्री जी बोलेंगे।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय ज्वालाप्रसाद बोल लेंगे तब कोई प्रस्ताव आयेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)---

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी माननीय यादवेन्द्र जी और उग्रसेन जी ने जो सुझाव दिये हैं, यह मैं मानता हूं कि राजनीतिक व्यक्तियों की हत्या किसी भी पार्टी के हों, शोभनीय घटनाएं नहीं हो सकतीं। जहां तक जिक्र किया गया है कि इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी पुलिस आफिसर्स की है, मैं उस संबंध में कहूंगा कि पुलिस से ज्यादा जिम्मेदारी संस्थाओं के वर्कर्स की है, नेताओं की है। कुछ दिन पहले लोहिया साहब ने कहा था कि हमें चरित्र के संबंध में हर पार्टी में कुछ नीति निर्धारित करनी चाहिये। परन्तु उसके संबंध में लोहिया साहब की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें पार्टी के नेताओं का मन बढ़ाने का हाथ होता है। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं उसमें मामूली हरिजन के यहां नौ छोटे छोटे नौकर हैं, उनके यहां सिलसिलेवार चार डकैतियां हुईं। घटनाओं के बाद हमारे वहां के नेता श्री शिवनाथ सिंह एम० एल० ए० सोशलिस्ट पार्टी के जो हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया पुलिस के खिलाफ और खास तौर पर मेरे खिलाफ कि ये हमारे वर्कर्स को फंसा रहे हैं। बाद में जब मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई तो मालूम हुआ कि यह सब घटनायें इसलिये हो रही थीं कि मेरा कत्ल किया जाय। मैं गांव छोड़कर बाहर रहा। नतीजा इस सबका यह हुआ कि डकैतियों के मामले की पैरवी में सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जिनके यहां डकैती हुई थीं उनको इस तरह से धमकाया गया कि वह तमाम मुकदमे कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी जिनको वह अपने वर्कर्स कहते थे उनको सात-सात साल की साज हुई।

दूसरी बात मैं निवेदन करूं मंडेपुर गांव की घटना के बारे में। (व्यवधान) .... वहां नवम्बर के शुरू की बात है, सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता श्री नवाबसिंह जी ने चार महीने

[श्री उजाला प्रसाद

पहले एक हरिजन महिला का सतीत्व भंग करने की कोशिश की जो धोबिन जाति की थी। उसके आदमी ने दरख्वास्त दी तो उसमें भी नेताओं का जोर पड़ा। मैंने लिखा कि पहरा सुरक्षा का इन्तजाम किया जाय परन्तु सोशलिस्ट पार्टी के दबाव से पुलिस कुछ भी न कर सकी और हुआ यह कि जिन हरिजनों ने विरोध किया था नवाबसिंह जी की नीति का, बड़ी निर्ममतापूर्वक सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने उन दो कार्यकर्ताओं की हत्या करवा दी और उनकी लाश को गायब करने की कोशिश की गई। दूसरे गांव वालों ने रोका इस पर भी प्रदर्शन किया गया कि पुलिस निकम्मी है और सोशलिस्ट वर्कर्स को फंसाना चाहती है। उग्रसेन जी ने यह कहा कि सूबेदार सिंह जी के कत्ल में कांग्रेस वालों ने साथ दिया है। मैं निवेदन करूं कि सूबेदार सिंह जी की घटना कोई अच्छी घटना नहीं है। हमें उससे बड़ा दुख है। लेकिन जब सूबेदारसिंह जी का कत्ल हुआ तो यहां मिनिस्ट्री को फोन हुआ सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से और यहां से ऐसी मदद की गई कि हंडन जी और सी० ओ० मुकाम पर पहुंचे। ११ बजे दिन की घटना थी और १२ बजे रात को उसकी रिपोर्ट लिखी गई और उसमें समय पहले का लिखा गया। मैंने कहा कि यह घटना गलत लिखी गई है और ऐसा नहीं होना चाहिये, तो कहा गया कि नहीं सही दर्ज हुई है। (व्यवधान) घबड़ाइए मत। सुन लीजिये। मैं आपको सब बता रहा हूं (व्यवधान)... सुनिये न, क्यों घबड़ा रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि रिपोर्ट इतनी देर से दर्ज हुई और इस तरह से सोशलिस्ट पार्टी के कुछ लोगों को गवाह बनाकर जो निर्दोष व्यक्ति थे उनको फंसाया गया। आज भी पुलिस वहां की शर्मा जाती है जब मैं उनसे यह कहता हूं कि तुमने पाप किया है, भगवान के घर तुमको इसका जवाब देना पड़ेगा जो तुमने निर्दोष आदमियों को फंसाया है। गेहूं के खेत की बात कही जाती है। घटना जरूर सही है। खुले रास्ते में उनका कत्ल हुआ है। गेहूं का खेत कोई ऐसा नहीं था कि कोई उसमें छिप सके। बारूद का निशान उनकी सदरी पर लगा हुआ था। कैसे यह कहा जाता है कि खेत से निकलकर उनको मारा? इस तरह से गलत केस बनाकर फंसाया गया है।

(श्री अधिष्ठाता ने गृह मंत्री को बोलने के लिये पुकारा)

एक सदस्य---

मेरा प्रस्ताव था कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

मैंने गृह मंत्री जी को बुला लिया है।

श्री लखपतराम शर्मा---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

मैं आप लोगों की भावनाओं को समझ रहा हूं.....

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

मेरी पार्टी की तरफ से आधा आदमी भी नहीं बोला है, पूरे को कौन कहे (व्यवधान)... आधा मिनट मुझे दे दीजिये.... (व्यवधान) मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं लेकिन मैं यह नहीं समझता कि आप हमारी भावनाओं को क्यों नहीं समझते? क्योंकि आप गद्दी पर बैठे हैं.....

श्री अधिष्ठाता---

यह कोई ऐसी गद्दी नहीं है, यहां तो आप भी बैठ सकते हैं.....

श्री प्रेम सिंह--

मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे आधा मिनट का समय आप दे दें। जितना समय इस तरह आप मुझे दे रहे हैं इतने में तो मैं अपनी बात कह भी चुका होता।

श्री अधिष्ठाता--

समय नहीं है, अभी आपको मंत्री महोदय को भी सुनना है.....

एक सदस्य--

समय तो बढ़ भी सकता है.....

श्री अधिष्ठाता--

पन्द्रह मिनट तो मैं अपने अधिकार से बढ़ाने जा रहा हूं और उस पन्द्रह मिनट में आप गृह मंत्री को सुन लीजिये। अगर पन्द्रह मिनेट भी आप उत्तर नहीं सुनेंगे और अपनी ही बात कहते रहेंगे तो उससे क्या लाभ होगा ?

श्री दीपनारायणसिंह--

एक गम्भीर बात आपने फिर कह दी। सवाल यह है कि आपने इस तरीके से बहस करायी कि शान्ति प्रसाद जी जैन, आई० जी० पुलिस को और उत्साह हुआ कि और हत्याएं वह करायें यह हमारी तू तू और मैं मैं पुलिस के लिये प्रोत्साहन देने वाली बात होगी। इस विषय पर आप गम्भीरतापूर्वक सोचें।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठ जायं।

श्री लखपतराम शर्मा--

मैंने माननीय गृह मंत्री को बुलाने से पहले आपसे यह प्रस्ताव किया था कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय। आपने कहा था कि इसको बाद में देखेंगे। आपने आश्वासन दिया था।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यदि मैं आपकी बात मानूं तो ७ बजे तक सदन का समय हो जायगा। माननीय गृह मंत्री स्वयं चाहते हैं कि आधा घंटा उनको दे दिया जाय। तो यह जनहित में अच्छा होगा कि आप उनको सुन लें। इस तरह से आपको उनसे आश्वासन मिलेगा। सदन का समय १५ मिनट के लिये मैं अपनी ओर से बढ़ाता हूं।

श्री प्रेमसिंह--

हमको भी बोलने का समय मिलना चाहिये। हमारी पार्टी को समय नहीं मिला।

श्री अधिष्ठाता--

अब समय नहीं है। गृह मंत्री जी बोलेंगे।

श्री प्रेमसिंह--

अगर आप मुझको समय नहीं देते हैं तो मैं सदन का त्याग करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

अब घर जाने का समय भी हो गया है ।

श्री प्रेमसिंह---

अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाता हूं । (व्यवधान)

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---

आप हमारी बात सुन लें । जितने दल हैं सभी दलों के सदस्य बोले हैं, लेकिन हमारे दल का कोई नहीं बोला है । हमारे दल के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है । ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता---

अगर आप लोग इस तरह से बोलते रहना चाहते हैं तो फिर माननीय गृहमंत्री जी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री श्यामलाल---

आप हमारी बात सुन लें (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया बैठ जांय । मुझे आपके दल से कोई विरोध नहीं है ।

*गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

इसका मतलब यह है कि मुझे १५ मिनट का समय मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता---

५--१० से यह विवाद शुरू हुआ था और १५ मिनट का समय मैं अपनी तरफ से बढ़ाता हूं तो इस तरह से आपको २५ मिनट बोलने का समय मिल जायगा क्योंकि १० मिनट उसमें से निकल चुका ।

श्री हरगोविन्दसिंह---

अधिष्ठाता महोदय, किसी देश के लिये और विशेषकर हमारे देश के लिये वह बड़ी दुखद बात होगी कि यदि इसकी सुरक्षा और शांति को किसी राजनीतिक विचारों का अखाड़ा बनाया जाय । इसलिये जो देश में और विशेषकर हमारे प्रान्तों में जरायम हो रहें हैं, बढ़ रहे हैं, ये सब के लिये बराबर चिन्ता का विषय होना चाहिये । मैं अपनी तरफ से आपको, श्रीमन्, और आपके द्वारा सदन के सभी सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह मेरे लिये चिन्ता का विषय है । आज जब उस विवाद की सूचना मुझे मिली तो सचमुच में यह सोचने लगा कि क्या यह वास्तव में सत्य बात है कि हमारे प्रान्त में कुछ राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं । हत्यायें हुई हैं यह तो निश्चित रूप से सत्य है । शायद कमोबेश संख्या बढ़ रही है और यह संतोष की बात नहीं है । लेकिन मैं आपसे और माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि राजनीतिक हत्याओं की उनकी परिभाषा क्या है ? एक व्यक्ति जो देश की राजनीति बदल सकता हो अगर उसकी हत्या हो जाय तो उसे राजनीतिक हत्या की संज्ञा दी जा सकती है ? जैसे कैनेडी की हत्या हो गयी, ट्राटस्की, बुखारिन और गांधी जी की हत्या इस श्रेणी में आ सकती हैं, लेकिन जब इस विवाद को हम राजनीतिक हत्याओं की परिभाषा में लाने का प्रयत्न करें तो हमें अपने मस्तिष्क में साफ होना चाहिये कि हमारा इससे मतलब क्या है । आपके यहां जनतंत्र है और हर व्यक्ति को कुछ राजनीतिक स्वतंत्रता भी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपके देश में दल भी बहुत से हैं। जनतंत्र के लिये यह लक्षण शुभ हो या न हो यह बात दूसरी है, लेकिन इतना तो है ही कि इसके कारण हर व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य है। अगर यह बात हो कि किसी दल का सदस्य और कुछ नहीं है सिवाय उस दल के सदस्य के, तब तो बात दूसरी है और तब उसकी हत्या राजनीतिक हत्या हो जाती है, लेकिन सोचिये कि क्या उसकी हत्या इसलिये हुई है कि वह सोशलिस्ट पार्टी या जनसंघ का या कांग्रेस का सदस्य था? जो नाम मुझे मिले, उनमें सभी पार्टियों के सदस्य हैं, तो फिर हत्या करने वाले कौन हैं ? क्या हम कांग्रेस वाले इसलिये हत्या करेंगे कि आप पी० एस० पी० के हैं या सोशलिस्ट पार्टी के हैं? अगर यह बात हो तो हम उस पर विवाद कर सकते हैं ? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आज का विषय बजाय राजनीतिक हत्याओं पर विवाद के होना चाहिये था प्रान्त में बढ़ती हुई जनहत्या पर विचार। श्रीमन्, हत्यायें हो रहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथमिश्र (जिला बलिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सारी बहस को मंत्री जी ने समझा नहीं है। समाज में जोर जुल्म करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने वालों की आपके राज में हत्या हो रही है, चाहे वह कांग्रेसी हो या कम्युनिस्ट हो या सोशलिस्ट हो और ऐसी हत्यायें राजनीतिक हत्याएं कहलाती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये आप अपना बयान दें।

श्री हरगोविन्दसिंह—

५ मिनट आपने ले लिये। तो मैं यह कह रहा था कि यहां जनतंत्र है और उसमें जब तक हम इतना नियंत्रण नहीं रखेंगे कि हम दूसरों के विचारों का मनन करें, और उनके लिये अगर इसमें टालरेंस न होगी तब तक हो सकता है कि इस प्रकार की हत्यायें होती रहें। लेकिन यहां जितनी हत्यायें बतायीं गयीं वे राजनीतिक दृष्टि से नहीं हुईं और न राजनीतिक लोगों ने उनको किया।

श्री काशीनाथमिश्र—

अवधशरण वर्मा और भगवतीप्रसाद शुक्ल जी की राजनीतिक हत्यायें हैं।

श्री हरगोविद सिंह—

मैं झारखंडेराय, दुबेजी और पांडेय जी का बड़ा अनुगृहीत हूं कि उन्होंने इस विषय से अलग लेकिन एक ठोस बात कही.....

श्री काशीनाथमिश्र—

राजनीतिक हत्या आप किसे कहते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रजातंत्र में टालरेंस की जरूरत है। अगर हम इसलिये राजनैतिक हत्या की संज्ञा दें कि हम ४ आना पैसा देकर कांग्रेस के मेम्बर बनगये या ६ आना दे कर किसी और पार्टी के मेम्बर बन गये तो वह राजनीतिक हत्या नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस है, मैं कहना नहीं चाहता था, मगर जिस आदमी की हत्या हो गई, जो मृत हो गया, उसके बारे में हम कोई कटु बात कहें, मैं इसे उचित नहीं समझता। इस प्रान्त में न राजनीतिक हत्याएं होती हैं और न जिनके नाम लिये गये वे राजनीतिक हत्यायें हैं। .....

श्री राधेश्यामशर्मा (जिला मथुरा)—

क्या मोहनलाल गौतम के ऊपर अहेन में गोली का वार नहीं किया गया ? ३, ४ साल पहले अलीगढ़ में वह बालबाल बचे थे, हाई कोर्ट में मुकदमा गया और माननीय जवाहरलाल नेहरू

[श्री राधेश्याम शर्मा]

ने फैसला कराया : राजनीतिक हत्यायें इस प्रदेश में होती हैं। परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि माननीय हरगोविन्द सिंह नहीं समझते, तो हम कैसे उन्हें समझावें ?

श्री अधिष्ठाता---

आप उनका विचार तो सुनें ।

श्री हरगोविन्दसिंह---

अगर दो राजनीतिक आदमी एक दूसरे को मारते हैं तो वह राजनीतिक हत्या नहीं होनी चाहिये। यह भी हो सकता है कि दोनों आदमी एक ही राजनैतिक दल के हों। मैं यह कहना नहीं चाहता था...

श्री उग्रसेन---

आप उसूल बतलाइये। परिभाषा हम बहुत पढ़े हैं। नहीं तो गोविन्द सहाय जी का स्कूल खुला है, उसमें पढ़ लीजिये ।

श्री हरगोविन्दसिंह---

स्पष्ट कहने में किसी को असन्तोष नहीं होना चाहिये। जितने राजनैतिक दल हैं सब इस बात का प्रयत्न करते हैं कि हमारी संख्या बढ़ जाय और कितने ऐसे लोग हमारे पास आ जावें जिनकी गणना हम और आप अपनी परिभाषा में गुंडा कहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कमोबेश कोई भी इससे मुक्त नहीं हो सकता, हर एक पार्टी के लोग अपने मेम्बरशिप का फार्म लेकर उनके पास जाते हैं।

श्री झारखण्डेराय---

कम्यूनिस्ट पार्टी के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। आप २, ४ सबूत दीजिये।

श्री हरगोविन्द सिंह---

आप वक्त देंगे तो मैं बहुत से सबूत दूंगा, बहीखाता खोल दूं इस बात का।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

हर एक पार्टी आपकी पार्टी की भांति नहीं है।

श्री हरगोविन्द सिंह---

आज तक, किसी भी पार्टी के इतिहास में ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई मेम्बर बनने गया हो और उसको कह दिया हो कि हम मेम्बर तुमको नहीं बनायेंगे।

श्री चन्द्रजीतयादव---

आपको मालूम नहीं है।

श्री हरगोविन्दसिंह---

आपके रजिस्टर में नहीं है, यह तो तब मालूम हो जब यह लिखा हो कि कोई आया हो उसे आपने इन्कार किया हो।

श्री चन्द्रजीतयादव---

फर्जी मेम्बर हम नहीं बनाते ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

अब फर्जी मेम्बर्स की बात तो और किसी पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं, अगर किसी ने निकाला है तो कांग्रेस ने ही निकाला है कि अगर इस तरह का आदमी आयेगा तो वह मेम्बर नहीं हो सकता ।

श्री उग्रसेन--

आपके साथ वह मंत्री हैं जिन्होंने डाकू की जमानत ली थी । आप उनको क्यों नहीं निकाल देते । बदमाशों को निकालेंगे नहीं, पुलिस को निकालेंगे नहीं और न आप निकलेंगे और सारे प्रदेश को परेशान करके रख देंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

(अत्यधिक व्यवधान होने पर) आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री हरगोविन्द सिंह--

एक मृतात्मा के बारे में कहना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जिस पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है और जिस हत्या के निस्बत यह कहा जा रहा है उसके बारे में मैं क्या श्री उग्रसेन जी से पूंछ सकता हूं कि सन् १९४० में वह महाशय स्टार्ड हिस्ट्री शीटर नहीं थे ? जब सोशलिस्ट पार्टी का जन्म नहीं हुआ था तब वह हिस्ट्रीशीटर थे और उनकी निगरानी की जाती थी । उसमें उनकी यह कैफियत थी जो आज बरसाती सोशलिस्ट वर्कर हो गये हैं ।

श्री उग्रसेन--

श्यामलाल बजाज को लड़की फंसाने के अपराध में सजा हुई थी, एस० के० पाटिल हिस्ट्री-शीटर थे और संपूर्णानन्द जी हिस्ट्रीशीटर थे ।

श्री शारदाभक्तसिंह--

मैं एक मिनट आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं । जिस प्रश्न पर हम इतनी गंभीरता से विचार करना चाहते थे, लोग उत्सुक थे हम उस संबंध में माननीय मंत्री जी से कुछ सुनने के लिये । लेकिन एक हुतात्मा जिसके लिये यह सारा सदन चिन्तित है उनके लिये हम ऐसा कहें जिस प्रकार मंत्री जी कह रहे हैं, तो वह शर्म का विषय होगा और हमारे लिये दुख का विषय है । इसलिये जिस स्तर पर विवाद पहुंच गया है वह कोई विवाद नहीं है कि हमारे जितने आदमी मार डाले गये उनको आप कहें कि वह खराब थे और उधर के लोगों को हम कहें कि वह खराब आदमी थे, यह अच्छे स्तर की बात नहीं है । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा मंत्री जी से कि वे हमें पुलिस के बारे में बतावें । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

वाद-विवाद का प्रश्न ही नहीं रहा । मुझे स्वयं ही बड़ा दुख है और मैंने तो पहले ही कहा कि अगर.....

श्री काशी नाथ मिश्र--

हमारा मंत्री जी पर आरोप है कि वह इस तरह का बयान देकर पुलिस द्वारा और गुंडई करायेंगे, कत्ल करायेंगे ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)--

जब उधर से बयान श्री उग्रसेन जी ने दिया तो उसका जवाब सुनने के लिये भी सकून और शांति से बैठना चाहिये, उनमें कुछ गंभीरता होनी चाहिये, दूसरे की बात भी तो सुनें, उनका यह तरीका सही नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

जी हां, ठीक कहा आपने ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं इस बात का प्रयत्न कर रहा था कि आपके द्वारा सदन के सामने यह स्पष्ट करूं कि यह जो घटनायें हुई हैं और हत्यायें हुई हैं यह हमारे लिये बहुत ही दुखद बात है और शर्म की बात है हम सब के लिये, लेकिन इसको राजनीतिक संज्ञा देकर हम सूबे का भला नहीं करेंगे। हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं और यह जो घटनायें हो रही हैं उनको अगर राजनीति की संज्ञा दी गई तो हम इस सदन में भी और इस के बाहर भी कुछ ऐसा वातावरण पैदा करेंगे कि जो राजनीतिक हत्यायें अभी आज नहीं हो रही हैं वह २—४ बरस बाद होने लगें, इसलिये राजनीतिक संज्ञा इसको आप न दें। मैंने आरम्भ में ही कहा था कि सुरक्षा और शांति राजनीति का विषय नहीं होना चाहिये। सुरक्षा और शांति में ही सब राजनीतिक दल फलफूल सकते हैं। बहुत से माननीय सदस्य इसको सुनने को तैयार नहीं थे, सोशलिस्ट पार्टी के और वही चाहते थे कि मैं उनको हत्याओं के बारे में बताऊं। मैंने पहले ही माफी मांग ली थी कि मृतात्माओं के स्तर के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बार-बार पूछा जायगा तो कुछ कहना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने केसेज हैं अगर कोई सदस्य उन को शुद्ध हृदय से देखना चाहें तो वह देख सकते हैं और अगर उनकी विवेक बुद्धि ठीक रहे तो मैं उनको दिखा सकता हूं कि वह स्वयं कहेंगे कि उसमें कोई राजनीतिक चीज नहीं है.....

श्री प्रेमसिंह—

श्रीमन्, १५ मिनट जो बढ़ाये गये थे वह खत्म हो गये, अब सदन नहीं बैठ सकता। मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री हरगोविन्दसिंह—

माननीय दुबे जी ने पुलिस के बारे में कहा, मैं उनको बता दूं कि हमने पुलिस को यह आर्डर्स इश्यू कर रखे हैं कि जब तक मैं यहां हूं और आपका यह विभाग मेरे सुपुर्द है तो मेरे यह आर्डर हैं कि कहीं भी कोई पोलिटिकल सबसरवियेंस होगी तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी। मुझे एक बात श्री झारखंडेराय की सुनकर ताज्जुब हुआ,। उन्होंने कहा कि जल्दी होनी चाहिये। चूंकि उन्होंने एक पत्र मेरे पास लिखा था और मैं उनको इतना सम्मानित समझता था कि उनकी बात जरूर सच होगी, इसलिये मैंने एस० ओ० को सस्पेंड कर दिया। इससे जल्दी क्या हो सकती है ?

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी के विचार आप लोग शांति से सुन।

श्री हरगोविन्दसिंह—

अगर इस प्रकार की हत्याएं होती हैं तो यह हमारे लिये आपके लिये, सबके लिये चिंता का विषय है। भवन में आइये सब काम छूट सकता है, २,४ रोज के लिये हट सकता है। यह इतने महत्व की बात है कि हम सब को ठंडे दिल से विचार करना चाहिये। मैं कह चुका हूं कि भ्रष्टाचार का नाम न लिखें, बिना नाम के दीजिये, लेकिन वास्तविकता हो उसमें।

श्री उग्रसेन—

मंत्री जी ने हम लोगों को बहुत गाली दी, लेकिन पुलिस के अफसरों को एक बात नहीं कही।

श्री हरगोविन्दसिंह---

४ आना देकर आपका मेम्बर हो गया तो वह राजनीतिक हत्या हो गई। जिस अर्जुनसिंह का हत्या का बवंडर मच रहा है उसका इतिहास हमसे सुन लीजिये.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

अभी आपने सुझाव दिया श्रीमन्, लेकिन फिर मंत्री जी अर्जुनसिंह का इतिहास सुनाने जा रहे हैं। मुझसे भी इतिहास सुन लीजिये।

श्री अधिष्ठाता---

अब ७ बजने जा रहें हैं उसके बाद समय नहीं बढ़ेगा। १, २ मिनट उनकी बात सुन लीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह---

मैं सोशलिस्ट भाइयों से कहना चाहता हूं कि वे अपने दिमाग से यह चीज निकाल दें कि उनकी राजनीतिक हत्यायें हो रही हैं। कोई इतना सबल दल नहीं है कि उनको खामख्वाह मार डालें। इसलिये वह अपने दिल से दिमाग से यह चीज निकाल दें। जिनकी हत्याएं हुईं अगर उनके बारे में वे जानना चाहते हैं तो हमारे पास चले आवें हम उनको सब कागजात दिखा देंगे और फिर उन्हीं से पूछेंगे कि इनको देख कर आप उत्तर दें कि क्या यह राजनीतिक हत्याएं हैं। बस इतना ही मुझे कहना है।

श्री अधिष्ठाता---

अब हम उठते हैं और कल १० १/२ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजकर १ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१६ दिसम्बर, १९६३।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७२ पर]

तालिका

पदों का विवरण	कुल संख्या	हरिजनों की संख्या
१	२	३
१—जिला कृषि अधिकारी	१	..
२—अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी	२	१
३—सीनियर कृषि रक्षा सहायक	१	..
४—सीनियर उद्यान निरीक्षक	१	..
५—सीनियर मैकेनिकल असिस्टेंट	१	..
६—ग्रुप २ कर्मचारी जिनमें कृषि निरीक्षक, जूनियर कृषि-रक्षा सहायक, उद्यान निरीक्षक, जूट विकास निरीक्षक, मैकेनिकल असिस्टेंट, सहायक विकास अधिकारी (कृषि), सहायक विकास अधिकारी (खाद), अधीक्षक राजकीय कृषि प्रक्षेत्र तथा वेजीटेबिल निरीक्षक आदि सम्मिलित हैं।	५८	१ (खाद निरीक्षक)
७—अधीक्षक राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, ग्रुप तृतीय ..	४	..
८—सहायक कृषि निदेशक, ग्रुप तृतीय ..	२७	..
८—(अ) सहायक जूट विकास निरीक्षक	४	..
९—सहायक कृषि रक्षा सुपरवाइजर (ग्रुप तृतीय) ..	१	..
१०—फील्ड मैकेनिक (ग्रुप तृतीय)	३	..
११—मिनिस्ट्रीयल स्टाफ	३८	..
१२—टेलिफोन सुपरवाइजर	३	..
१३—चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	९९	५
१४—हेड चौधरी	२	..
१५—क्षेत्रीय विकास अधिकारी	२५	३
१६—सीनियर विकास अधिकारी	१०३	४
१७—ग्राम सेवक	२४२	२४
१८—स्टाफमैन	५	..
१९—अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई विभाग) ..	१	..
२०—सहायक अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई विभाग) ..	३	..
२१—डी० आर० ओ०	१	..

पदों का विवरण	कुल संख्या	हरिजनों की संख्या
१	२	३
२२—ओवरसियर्स	२१	..
२३—सुपरवाइजर्स	३	..
२४—डिवीजनल एकाउन्टेन्ट	१	..
२५—जिलेदार	१	..
२६—हेड क्लर्क	३	..
२७—नोटर ड्राफ्टर	१०	..
२८—रूटीन ग्रेड क्लर्क्स	१६	..
२९—स्टोर कीपर	२	..
३०—ड्राइवर्स	६	..
३१—अमीन्स	१२	..
३२—मुंशी	११	..
३३—कम्प्यूटर	१	..
३४—ड्राफ्टसमैन	२	..
३५—ट्रेसर्स	२	..
३६—फेरो बुआय	१	..
३७—पेट्रोल्स	३१	४
३८—डाक नवीस	१	..
३९—दफादारस	६	..
४०—बरेकनदार	८	..
४१—चपरासी	११	..
४२—रनर्स	२५	..
४३—मेटल	२४	..
४४—चौकीदार	७	१
४५—गाज रीडर्स	४	..
४६—टिन दल	१०	..
४७—बेलदार	२७	२
४८—स्टेनोग्राफर्स	१	..
४९—मिस्त्री	१	..
५०—वाटरमैन	१	..

पदों का विवरण	कुल संख्या	हरिजनों की संख्या
१	२	३
५१—माली	१	..
५२—स्वीपर	१	१
५३—हेड मुंशी	१	..
५४—सीनियर यांत्रिक निरीक्षक	१	..
५५—यांत्रिक निरीक्षक	२	..
५६—बोरिंग मैकेनिक	१६	..
५७—गोताखोर	१	..
५८—फिटर (बिजली)	१	..
५९—सहायक बोरिंग मैकेनिक	१५	..
६०—हेड क्लर्क	१	..
६१—क्लर्क	१	..
६२—चपरासी	१	..
६३—चौकीदार	१	१
६४—मेट	२	..
६५—सेटलमेंट आफिसर	१	..
६६—कंसालिडेशन आफिसर	५	..
६७—सहायक कंसालिडेशन आफिसर	२७	..
६८—कन्सालिडेटर	५१	१
६९—लेखपाल (चकबन्दी)	२३२	६
७०—क्लर्क्स	४६	..
७१—ड्राफ्ट्समैन	५	..
७२—ट्रेसर्स	१०	..
७३—ड्राइवर	१	..
७४—निम्न श्रेणी कर्मचारी	१२९	१७
कुल योग ..	१,४२१	६१

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७८ पर)

नगर महापालिका के मुख्य नगर अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में तालिका

मुख्य नगर अधिकारियों के नाम	पद पर कार्यभार सम्भालने की तिथि	पद से कार्यभार से मुक्त होने की तिथि	कार्य करने की अवधि
१	२	३	४
कानपुर नगर महापालिका			
श्री जे० एन० उग्रा, आई०ए०एस०	१-२-१९६०	२३-१-१९६१	११ माह २३ दिन
श्री वीरेन्द्र कुमार आई० सी० एस० ..	९-२-१९६१	८-८-१९६२	१ वर्ष ६ माह
श्री कश्यप कृष्ण शर्मा, आई० ए० एस० ..	२०-८-१९६२	अब तक कार्य कर रहे हैं।	
इलाहाबाद नगर महापालिका			
श्री लाल रत्नाकर सिंह, आई० ए० एस० ..	१-२-१९६०	३०-४-१९६१	१ वर्ष ३ माह
श्री कश्यप कृष्ण शर्मा, आई० ए० एस० ..	१-५-१९६१	१६-८-१९६२	१ वर्ष ३ माह १५ दिन
श्री बी० डी० सेठ, आई० एस० एस० ..	१५-९-१९६२	१०-८-१९६३	१० माह २५ दिन
श्री बी० बी० टंडन, आई० ए० एस० ..	२-९-१९६३	अब तक कार्य कर रहे हैं।	
आगरा नगर महापालिका			
श्री कश्यप कृष्ण शर्मा, आई० ए० एस०	१-२-१९६०	२२-४-१९६१	१ वर्ष २ माह २२ दिन
श्री अश्वनी कुमार, आई० ए० एस०	३०-४-१९६१	१८-७-१९६३	२ वर्ष २ माह १८ दिन
श्री महेश चन्द्र शर्मा, आई० ए० एस०	१८-७-१९६३	अब तक कार्य कर रहे हैं।	

मुख्य नगर अधिकारियों के नाम	पद पर कार्यभार सम्भालने की तिथि	पद से कार्यभार से मुक्त होने की तिथि	कार्य करने की अवधि
१	२	३	४
वाराणसी नगर महापालिका			
श्री प्रताप किशन कौल, आई० ए० एस०	१-२-१९६०	८-५-१९६१	१ वर्ष ३ माह ८ दिन
श्री लाल रत्नाकर सिंह, आई० ए० एस०	८-५-१९६१	१६-८-१९६३	२ वर्ष ३ माह ८ दिन
श्री बिट्ठल दास सेठ, आई० ए० एस०	१६-८-१९६३	कार्य कर रहे हैं	
लखनऊ नगर महापालिका			
श्री सुरेन्द्र नाथ वर्मा, आई० ए० एस०	१-२-१९६०	१७-३-१९६१	१ वर्ष १ माह १७ दिन
श्री बी० पी० एस० सेठ, आई० ए० एस०	७-५-१९६१	कार्य कर रहे हैं।	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उतर पीछे पृष्ठ ११८० पर।)

क्रम-संख्या	छटनी किये गये कर्मचारियों के नाम	पद जिस पर थे	जिला जहां थे	उनके स्थान पर रखे गये व्यक्तियों के नाम तथा पद	सम्बन्धित पद पर रखने का आधार
१	२	३	४	५	६
१	श्री यदुवंशमनी त्रिपाठी।	क्लर्क	देवरिया	श्री दीपनरायन सिंह, सर्किल इन्स-पेक्टर।	डिवीजन भर में ज्येष्ठ होने के कारण
२	श्री हरी शंकर शर्मा	सीनियर एका-उन्ट्स क्लर्क।	श्री बद्री नारायन, एकाउन्टेन्ट	,,	,,
३	श्री आशा राम	क्लर्क	गोरखपुर	श्रीरामचन्द्र सिंह, सीनियर एकाउन्ट्स क्लर्क।	,, ,,
४	श्री मोहम्मद यहिया।	सर्किल इंस्पेक्टर	,,	उस समय कोई नहीं रखा गया।	.. ..
५	श्री रामभजन सिंह	सर्किल इंस्पेक्टर	,,	,, ,,	.. ..
६	श्री राजेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव।	आशुलिपिक	बस्ती	श्री रामजी लाल श्रीवास्तव, हेड क्लर्क।	योग्यता तथा डिवी-जन भर में ज्येष्ठता के आधार पर। शैक्षिक योग्यता बी० ए०, टंकन गति ४० शब्द प्रति मिनट, आशुलिपि गति १०३ शब्द प्रति मिनट।
७	श्री त्रिलोकी नाथ।	सर्किल इन्सपेक्टर	बस्ती	उस समय कोई नहीं रखा गया।	
८	श्री एस० के० भौमिक।	क्लर्क	बस्ती	श्री जे० वी० एस० चौहान, सर्किल इंस्पेक्टर।	डिवीजन भर में ज्येष्ठ होने के कारण।
९	श्री रामाशंकर सिंह।	,,	आजमगढ़	श्री मु० इस्लाम, सीनियर एकाउन्ट्स कलर्क।	,, ,,
१०	श्री नियाजअहमद	,,	,,	श्री फूलचन्द सर्किल इंस्पेक्टर।	,, ,,

क्रम-संख्या	छटनी किये गये कर्मचारियों के नाम	पद जिस पर थे	जिला जहां थे	उनके स्थान पर रखे गये व्यक्तियों के नाम तथा पद	सम्बन्धित पद पर रखने का आधार
१	२	३	४	५	६
११	श्री निसार अहमद ।	जैदी क्लर्क	आजमगढ़	श्री बनवारी लाल क्लर्क	डिवीजन भर में उपेक्षा होने के कारण
१२	श्री मारकंडे प्रसाद ।	,,	,,	श्री पदुमा नाथ राठौर, सर्किल इंस-पेक्टर ।	,, ,,
१३	श्री महमूदुल हसन ।	सर्किल इंस्पेक्टर	,,	उस समय कोई नहीं रखा गया	.. ..
१४	श्री पी० एम० सिंह ।	सर्किल इंस्पेक्टर	,,	,,	.. ..

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५–१६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८२ पर)

सूची "क"

जिला फतेहपुर में जून, १९६२ से पहले तथा वर्तमान समय में ईंटों के भाव

जून, १९६२ से पहिले ईटों के भाव

ईंटों की किस्म	दाम (प्रति हजार)
	रु०
प्रथम श्रेणी	२०
द्वितीय श्रेणी	२६
तृतीय श्रेणी	२२

वर्तमान भाव जो १–४–१९६३ से लागू है

प्रथम श्रेणी	३०
द्वितीय श्रेणी	२८
तृतीय श्रेणी	२२

सूची "ख"

जिला फतेहपुर में रेल द्वारा लाये गये तथा सड़क द्वारा लाये गये कोयले से पकायी गयी ईंटों के दामों में अन्तर

ईंटों की श्रेणी	रेल कोल से पकी ईंटें	रोड कोल से पकी ईंटें	अन्तर
	(प्रति हजार)	(प्रति हजार)	(प्रति हजार)
	रु०	रु०	रु०
प्रथम	३०	३७	७
द्वितीय	२८	३५	७
तृतीय	२२	३१	९

नत्थी 'घ–१'

(देखिए तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८४ पर)

सूची फुटकर शकर के विक्रेता, विकास खंड बंकी, जिला बाराबंकी

क्रमांक	अदालत पंचायत	फुटकर शकर विक्रेता की संख्या
१	जहांगीराबाद	..
२	खसपरिया	१
३	गदिया	४
४	बरौली	२
५	मोथरी	२
६	बड़ेल	२
७	पाटमऊ	१
८	साहपुर	२
९	बंकी	२
		१६

सूची फुटकर शकर के बिक्रेता, विकास खण्ड हरख, जिला बाराबंकी

क्रमांक	अदालत पंचायत का नाम	फुटकर शकर बिक्रेता की संख्या
१	गोठिया	१
२	अब्दुल्लापुर	१
३	टिकरा	२
४	पडरा	१
५	मानमऊ	१
६	इब्राहीमाबाद	१
७	शरीफाबाद	२
८	हरख	२
		११

सूची फुटकर शकर के बिक्रेता, विकास खन्ड मसौली, जिला बाराबंकी, तहसील नबाबगंज ।

क्रमांक	अदालत पंचायत का नाम	फुटकर शकर विक्रेता की संख्या
१	प्रतापगंज	३
२	बड़ागांव	१
३	मयारा	२
४	भसौली	३
५	लछभरबोझा	१
६	सैदाबाद	२
७	सफदरगंज	५
८	उधौली	१
		१८

सूची फुटकर शकर के बिक्रेता, विकास खण्ड देवा, जिला बाराबंकी

क्रमांक	अदालत पंचायत का नाम	फुटकर शकर विक्रेता की संख्या
१	कोटवाकलां	१
२	खवली	१
३	गोरिया	१
४	टेराकलां	१
५	टिकरिया	२
६	तिन्दोला	१
७	मलूकपुर	१
८	मामापुर	१
९	रसूलपुर किदवाई	२
१०	हरई	१
		१२

सूची फुटकर शकर के बिक्रेता, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला बाराबंकी
तहसील फतहपुर

क्रमांक	अदालत पंचायत का नाम	फुटकर शकर बिक्रेता की संख्या
१	बेलौली	५
२	बेलहरा	..
३	रिया	३
४	रसूलपनाह	२
५	साढेमऊ	१
६	सिरौली सिरजनपुर	१
७	शाहपुर	१
८	हसनपुर टांडा	१
९	हापुरवा खानपुर	१
१०	फुतलूपुर	१
११	मदनपुर	१
		१४

सूची फुटकर शकर के बिक्रेता, विकास खण्ड निन्दौरा, जिला बाराबंकी

क्रमांक	अदालत पंचायत का नाम	फुटकर शकर बिक्रेता की संख्या
१	अनवारी	१
२	अटहरा	२
३	कुर्सी	४
४	खझना	१
५	कतुरीकलां	२
६	रीन पनाह	१
७	गौरहरा	१
८	निन्दौरा	१
९	झड़ागांव	१
		१४

सूची फुटकर शकर के बिक्रेता, विकास खण्ड सूरतगंज, जिला बाराबंकी
तहसील फतेहपुर

क्रमांक	अदालत पंचायत का नाम	फुटकर शकर विक्रेता की संख्या
१	गोंडा	१
२	छेदा	२
३	जुरौधा	१
४	डिहवा	२
५	दुर्गापुर	१
६	बसारी	१
७	बसौली	१
८	मिटौली	१
९	मो० पुर कलां	१
१०	रहरा	२
११	सूरतगंज	२
१२	सुमराई	२
		१७

सूची फुटकर शकर के बिक्रेता, विकास खण्ड रामनगर, जिला बाराबंकी

क्रमांक	अदालत पंचायत का नाम	फुटकर शकर विक्रेता की संख्या
१	बरौलिया	३
२	बुढवल	२
३	अमदी कलां	२
४	किन्दूर	२
५	गनेशपुर	३
६	बिछलका	२
७	शेकपुर	२
८	मरकामऊ	३
९	सआदतगंज	२
१०	सुरवारी	१
११	तिलोकपुर	१
		२३

फुटकर शक्कर के विक्रेता, विकास खंड, दरियाबाद, जिला बाराबंकी

क्रमांक	अदालत पंचायत का नाम	फुटकर शकर विक्रेता की संख्या
१	दुरौली भवानीपुर	२
२	मीलारायगंज	१
३	चौखंडी	१
४	बिरौली	१
५	कमौली	१
६	खजुरी	१
७	गाजीपुर	१
८	हमीदनगर	१
९	कोटवाधाम	१
१०	मियांगंज	१
११	लालगंज	१
		१२

फुटकर शक्कर के विक्रेता, विकास खंड, मवई, जिला बाराबंकी

क्रमांक	अदालत पंचायत का नाम	फुटकर शकर विक्रेता की संख्या
१	अमहिया	१
२	गनेशपुर	१
३	देवैत	१
४	मकदूमपुर	१
५	मवई	१
६	रानीमऊ	१
७	लखमीपुर	१
८	रामैपी	१
९	सिपाहिया कोटवा	१
		१४

सूची फुटकर शकर के विक्रेता, विकास खंड पूरे डलई, जिला बाराबंकी

क्रमांक	अदालत पंचायत का नाम	फुटकर शकर विक्रेता की संख्या
१	सेमरी	१
२	पूरे डलई	१
३	उदयमऊ	१
४	मझोला	..
५	सिवा	३
६	समौली	१
७	चिर्रा	१
८	बरई	१
९	अहियाबाद	२
१०	कस्बा इचौली	१
११	सराय दुनौली	२
		१४

फुटकर शक्कर के विक्रेता, विकास खंड रुदौली, जिला बाराबंकी तहसील रामसनेही घाट

क्रमांक	अदालत पंचायत का नाम	फुटकर शकर विक्रेता की संख्या
१	फिरोजपुर पचारा	१
२	अलीम नगर	२
३	फिरोजपुर मालूली	१
४	गरोठा	२
५	भरौली	२
६	लैसपुर	१
७	घिरामऊ	१
८	कैथर	१
	योग ..	११

सूची फुटकर शकर के विक्रेता, विकास खंड सिद्धौर, जिला बाराबंकी

क्रमांक	अदालत पंचायत का नाम	फुटकर शक्कर विक्रेता की संख्या
१	उदयापुर	१
२	उमरपुर	१
३	हुसैला	१
४	बोरेपुर	१
५	टिकरा	१
६	ओलाबाद	३
७	भविगा	१
८	रामपुर	१
९	मनोटी	१
१०	सीसोखर	१
	योग . .	१०

सूची फुटकर शक्कर के विक्रेता, विकास खंड त्रिवेदीगंज, जिला बाराबंकी तहसील हैदरगढ़

क्रमांक	अदालत पंचायत का नाम	फुटकर शकर विक्रेता की संख्या
१	शेरा कनक	१
२	बलवट्ट	२
३	बहट'	२
४	त्रिवेदीगंज	१
५	दहल'	१
६	रामनगर	१
७	शिवराम	१
	योग . .	१०

सूची फुटकर शक्कर के विक्रेता, विकास खंड सिद्धौर, तहसील हैदरगढ़ जिला बाराबंकी

क्रमांक	अदालत पंचायत का नाम	फुटकर शकर विक्रेता की संख्या
१	कोठी	१
२	नवछना	२
३	कुडरी	१
४	बिजियापुर	१
५	बीबीपुर	२
६	मौसारा	१
७	शेखपुर दामोदरा	२
८	सादुल्लापुर	२
९	सिद्धौर	२
१०	सेमराया	२
		१६

सूची फुटकर शक्कर के विक्रेता विकास खंड हैदरगढ़, जिला बाराबंकी

क्रमांक	अदालत पंचायत का नाम	फुटकर शकर विक्रेता की संख्या
१	कमेला	२
२	खरसोतिया	२
३	चौबीसी	१
४	दतौली चन्द्रा	१
५	पलिया	१
६	बराया	१
७	सराय गोपी	१
८	सुबेहा	१
९	हैदरगढ़	९
	योग ..	१९

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९० पर)

नाम तहसील	नाम ब्लाक		आरम्भ से अक्तूबर १९६३ तक की गई शक्कर की मात्रा (बोरियों में)
१—बदायूं ..	(१) कुमर गांव	.. ..	२१६
	(२) जगत	.. ..	१२२
	(३) कादर चौक	.. ..	९४
	(४) उझानी	.. ..	२७६
	(५) बदायूं नगर	.. ..	४३९९
	(६) उझानी नगर	.. ..	११०८
२—बिसौली ..	(१) बिसौली	.. ..	१३८
	(२) बजीरगंज	.. ..	२६८
	(३) आसफपुर	.. ..	२१८
	(४) इसलामनगर	.. ..	७०
	(५) बिसौलीनगर	.. ..	११८२
	(६) इसलामनगर ..	.. ..	२६८
	(७) मुडियानगर ..	.. ..	२२
३—दातागंज ..	(१) दातागंज	.. ..	१०६
	(२) झकसा	.. ..	२८
	(३) उसावां	.. ..	९८
	(४) म्याऊं	.. ..	९१
	(५) दातागंज नगर	.. ..	५६५
	(६) कुराला नगर	.. ..	१७३
	(७) उसहत नगर ..	.. ..	७५
	(८) अलापुर नगर ..	.. ..	१८
४—गुन्नौर ..	(१) गुन्नौर ..	.. ..	१८१
	(२) जनामई	.. ..	५५
	(३) रजपुरा	.. ..	१४४
	(४) गनौर नगर	.. ..	२७७
	(५) गंवा नगर ..	.. ..	७७
५—सहसवान ..	(१) अम्बियापुर	.. ..	२६३
	(२) सहसवान	.. ..	२२५
	(३) दहगवां	.. ..	२४१
	(४) सहसवान नगर	.. ..	१३०४
	(५) बिल्सी नगर ..	.. ..	४१९

ARTICLES OF AGREEMENT made the 11th day of June, 1963, between Messrs. Karamchand Thaper and Bros.(Coal Sales) Ltd., Registered office 25, Brabourne Road, Calcutta (hereinafter called' "the contractor", which expression shall where the context admits or implies be deemed to include its successors) of the one part AND the Governor of Uttar P.adesh (hereinafter called "the Governor" which expression shall where the context so admits or implies be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part ;

WHEREAS the Contractor has agreed with the said Governor to procure, transport and deliver coal of Grade II from the Bengal Bihar coal fields by road up to Barauni Junction in Bihar State and thereafter in N. E. Railway wagons to selected destinations in Uttar Pradesh in the manner set forth in the conditions of contract annexed hereto and at the rates set forth in the schedule annexed hereto ;

NOTE THESE PRESENT WITNESSES that in consideration of the Governor permitting tthe Contractor to import coal in the State of Uttar Pradesh in the manner provided in the conditions of contract annexed and to distribute the coal so imported to the nominees as provided in the said conditions of contract, the Contractor will duly procure and supply the said goods and sh ll do and perform all other things in the conditions of contract mentioned, which said conditions will be deemed to be taken to be a part of this contract as if the same had been fully set out herein.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have set their hands on the day and year first above wri ten.

(Sd.) by
for *and on behalf of the Governor.*

(Sd.) B. S. SETH,
Commissioners,
Civil Supplies, U. P., Lucknow.

Witness :
(Sd.) T. N. MISRA.

For *Karam Chand Thapar and Bros. (C, S.) U. P.*
(Sd.) SARDAR DALIP SINGH,
Attorney Manager,
for *and on behalf of the Contractor.*

Schedule of Rates

Grade II Slack Coal at Rs. 55.91 nP. per metric ton f. o. r., Barauni.
Grade II Steam Coal at Rs. 56.91 per metric ton f. o. r., Barauni.

For *and on behalf of*
Karam Chand Thaper and Bros.
(Coal Sales) Ltd.,
(Sd.) DALIP SINGH,
Manager.

(Sd.) B. S. SETH.
Commissioner,
Civil Supplies, U. P.,
Lucknow.

CONDITIONS OF CONTRACT LAID DOWN BY GOVERNMENT

1. The successful tenders (hereafter called "the Contractor") will make arrangements at his own cost for the items mentioned in clause 2 hereinafter :

2. (i) The Contractor shall—

(*a*) Purchase coal up to grade II from the collieries nearest to the railhead as may be specified by State Government, and shall pay sales-tax, if any, thereon ;

(c) Arrange trucks for carrying the said coal to Barauni Junction in Bihar State and load the same in trucks arranged by him.

(c) Transport the said coal in trucks up to the aforesaid railhead ;

(d) Unload and dump the coal after stacking it at a suitable site (to be arranged by the contractor) near the existing coal loading railway siding of the railhead as aforesaid, and shall arrange for its watch and ward there till the coal is booked with the railways :

(ii) After indenting for adequate number of railway wagons according to availability on the railway system concerned the Contractor shall—

(a) Lift coal from dump point to railway wagons siding and load it into wagons ;

(b) Book freight-paid coal wagons to consignees f. o. r. destinations according to instructions from the State Government or the Provincial Iron and Steel Controller, Uttar Pradesh, Kanpur, as may be issued from time to time ;

(c) Deliver railway receipts to the consignees against payment either directly or through local bankers. The consignees shall be those who may be named under sub-clause (*b*) above.

3. The State Government, or the Commissioner, Food and Civil Supplies, Uttar Pradesh or the Provincial Iron and Steel Controller or the District Magistrate (which includes the District Supply Officer) shall not be liable either for the price of coal or any other charges connected therewith.

4. All disputes arising in respect of the filing, acceptance or rejection of the tenders, shall be decided by the Secretary to Government of Uttar Pradesh in the Food and Civil Supplies Department whose decision shall be final and binding on all the tenderers.

5. The State Government shall have the right to appoint more than one contractor for one and the same job, or for different items of works mentioned in the tender from hereto annexed as Schedule.

6. It is expected that on an average 40 to 60 metre-guage wagons may be made available to the State Government for coal loading every day to meet the need under this Agreement, but this cannot be guaranteed, and the State Government, or any officer acting in this behalf, will have no liability or non-availability of wagons or for any fluctuations in the day to day availability.

7. If during the continuance of the contract there is any rise or fall in the price of coal, railway freight, or taxes which are duly notified, a proportionate increase or decrease in the contracted rates shall be made by the State Government either themselves or at the instance of the contractor.

8. The contractor will have to arrange for stacking and storing of different graces of coal separately at the dumping point and he shall not load and book two grades of coal in one and the same wagon.

9. Every dispute, difference or question touching or arising out of this Agreement or the subject matter thereof (except as to matters the decision of which is specifically provided for in this Agreement) shall be referred to the arbitration of the Secretary to Government, Food and Civil Supplies (B) Department, Uttar Pradesh, and his decision thereon shall be final and binding on the parties.

10. The Consignee may, if he doubts about the quality of the coal received by him in wagon-load, take a sample out of the loaded wagon in the

presence of the District Supply Officer of the destination or any other person authorised by him in that behalf, and send the same to the Coal Contro ler for analysis at his own cost and if the result of such analysis shows that the goods supplied by the co ntractor are at variance from those charged by the contractor, the payment made by the consignee to the contractor shall be liabile to adjustment according as the analysis may reveal.

11. In case the soft coke (ZUP) consigned by the contractor is found by the consignee to be below the standard coal saleable in the market for domestic consumption, the consignee may report the matter to the District Supply Officer of the destination who may, if so satisfied, reject the co ıl on the ground of inferior quality and the coal so rejected shall be removed by the contractor at his own risk and expense within ten days after notice has becn received by him of such rejection. In the event of non-removal by the contractor as aforesaid within the said period of ten days it shall be lawful for the District Supply Officer concerned to sell by publicau tion any such rejected coal, and in such case the contractor shall be credited with the sale proceeds thereof if the payment of the goods has not till then been made by the consignee, but if payment is made to the contactor in respect of goods so rejected, the sale proceeds thereof shall be credited to the consignee who will be entitled to recover from the contractor any deficiency resulting on such sale. If the sale proceeds shall exceed the payment made by the consignee, the balance shall be payable to the contractor. If the contractor is not satisfied with the decision of the District Supply Officer concern ed in respect of rejection of goods, he may appeal to the Provincial Iron and Steel Controller, U. P., within 5 days of the receipt of such notice and the decision of the Provincial Iron and Steel Contioller, U. P., will be final in such cases.

12. The contractor shall not sublet or assign this contract without the permission in writing of the State Government.

13. If the contractor shall fail to load the railw ıy wagons when such wagons are made available, he shall be liabile for all demurrage and other charges that may be payable to the railway authorities on account of such neglect.

14. In case of non-performance in any form or shape of the covenants and conditions of this contract, the Commissioner, Food and Civil Supplies, U. P., shall have power to annul, rescind or cancel this contract, and upon his notifying in writing to the contractor that he has so done this contract shall absolutely determine, and the said sum of Rs. 10,000 deposited as security for due performance of this contract may be forfeited by him and upon his doing so shall become the property of the Governor.

15. Without prejudice of condition no. 14, if the movement arranged by the contractor is either slow or is c mpletely stopped, the Government will have the right to get the work done through any other agency on such terms and conditions as may be obtaining at that time and the loss so suffered, if any, will be recoverable from the defaulting contractor, as arrears of land revenue.

16. The Contractor shall simultaneously with the execution of these presents, deposit as security for the due performance of the contract a sum of Rs. 10,000 in cash or other approved form of Government securities. If not confiscated under the provisions of this contract, the security money or such balance thereof as may be left after making the deduction or deductions aforementioned will be returned to the contractor 3 months after the

expiry of this contract and after the Commissioner, Food and Civil Supplies, U.P., shall have satisfied himself that all the terms of this contract have been duly and faithfully carried out by the contractor.

17. Each indent for the sale and despatch of the said coal forwarded for execution in pursuance of this Agreement shall be deemed a separate transaction and the default in respect of any such indent by the parties or the consignees shall not entitle the contractor to repudiate the contract with regard to the remaining quality saleable under this Agreement.

18. The supply of the coal shall be at the risk of the contractor till the goods reach the railway station of destination and the contractor shall be responsible for the goods till delivery at destination station.

19. The contract will remain in force up to March 31, 1964, but the State Government may, if they so decide in their discretion, renew or extend either whole or part of the contract for a further period of three months ; and for such period thereafter as may be mutually agreed upon between the State Govrernment and the Contractor.

20. The State Government shall not be liable for the payment to the contractor of any compensation or other loss arising out or on account of the failure on the part of the consignee to perform his obligations in connexion with or relating to any indent.

21. The stamp duty on this Agreement shall be payable by the contractor.

22. The contractor shall also pay to the Government Conveyancer, U. P., Lucknow, a sum of Rs. 32 for vetting the form of agreement as required by the rules of the State Government.

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९५ पर)

प्रश्न संख्या ६० से संबंधित तालिका

तालिका 'अ'

जिला	बड़े-बड़े केन्द्रों के नाम	वार्षिक व्यय का विवरण (रुपये लाखों में)		
		१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४ (३० सितम्बर, १९६३ तक)
झांसी ..	माता टीला ..	.५७६	.३६१	.३६७
पीलीभीत ..	शारदा सागर ..	.३५१	.४१५	.२१६
मिर्जापुर ..	सिरसी ..			
	धनरौल ..	..	.१८२	.३२८
	रिहेन्ड बांध ..			
गोंडा ..	पार्वती ..			
	अरगा ताल ..	..	.२१८	.१६५
	कोन्डर ताल ..			
आगरा ..	कीथम ..		.१५७	.०६७
हमीरपुर ..	अर्जुन डैम ..	..	.०१५	.०३८
	मझगवां करवई ..		..	
वाराणसी ..	चन्द्र प्रभा ..	..	.१८१	..
	योग ..	.९२७	१.५२९	१.११८

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९५ पर)

क्रम संख्या	सस्ते गल्ले की दूकानों के निर्धारित सेन्टर	वह स्थान जहां यह दूकानें कार्य कर रही हैं
१	जिगनी ..	.. भटनी बाजार ।
२	पिपरा देवराज ..	.. नूरी गंज ।
३	चांदपार ..	.. भटनी बाजार ।
४	केलवा बाबू ..	.. नूरी गंज ।
५	बरईपार	.. बहियारी बघेल ।
६	रोहनिया ..	.. पदरी ।
७	भवानी छापर ..	.. सिरसिया पवार ।
८	टीकमपार ..	.. अहिरौली तिवारी ।
९	धरम खोर करन ..	.. खनपार ।
१०	रहीमपुर ..	.. न्यूरहा ।
११	जगाथा	.. लखना उर्फ डोमडीह ।
१२	कोठिलवा ..	.. भाटपार रानी ।

निम्नांकित हिसाब से किराया दिया जाता है:

उपर्युक्त क्रम संख्या १२ पर अंकित भाटपार रानी की दूकान को छोड़ कर समस्त दूकानों का भाड़ा उस स्थान तक का दिया जाता है, जहां वे स्थित हैं । चूंकि भाटपार रानी में सरकारी इश्यू गोदाम है, अतः वहां की दूकान को किराया नहीं दिया जाता है ।

उपर्युक्त क्रम संख्या १–४ पर अंकित दूकानों को पक्की सड़क पर ०.०३१० नये पैसे प्रति क्वीन्टल प्रति मील की दर से तथा कच्ची सड़क पर ०.०४९५ नये पैसे प्रति क्वीन्टल प्रति मील की दर से किराये का भुगतान किया जाता है ।

उपर्युक्त क्रम संख्या ५–११ पर अंकित दूकानों को पक्की सड़क पर ०.०४९५ नये पैसे प्रति क्वीन्टल प्रति मील की दर से तथा कच्ची सड़क पर ०.०८९५ नये पैसे प्रति क्वीन्टल प्रति मील की दर से किराये का भुगतान किया जाता है ।

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२०५ पर)

नाम ब्लाक	नाम न्याय पंचायत	स्वीकृत दुकानों की संख्या	ग्राम जिसमें स्थिति हैं	दुकानें
(१) गुन्नौर ..	(१) असवपुर सुखेला ..	१	असदपुर सेखेला	
	(२) बबरौला ..	२	बबरौला	
	(३) मकर ली ..	१	मकरोली	
	(४) सनवर सराय ..	१	खलीलपुर	
	(५) गोठना ..	१	बहलोलपुर	
	(६) रसूलपुर ..	१	गुन्नौर अब्दुल हई	
	(७) धनौरी पट्टी वालू शंकर	१	पीपल वाला ससतपुर	
(२) जुनामई ..	(१) नगला अजमेरी ..	१	नगला अजमेरी	
	(२) रिवारी ..	१	जुनामई	
	(३) घोसली राम सहाय ..	१	परेंतपुर	
	(४) जलालापुर ..	१	कलथा	
	(५) देवर कंचन ..	१	बन्द्रई	
	(६) पुसावली ..	१	पतरया	
	(७) खैरक वउरी टप्पा वैश्य ..	१	मउकावली	
	(८) गढ़ी बि ौला ..	१	सुलतान गढ़	
	(९) दवधरा स्याम ..	१	दवथरा शर म	
(३) पिसौली ..	(१) खजुरिया ..	१	मोहम्मदपुर मई	
	(२) जसरतपुर ..	१	जसरतपुर	
	(३) शरह बरौलिया ..	१	शरह बरौलिया	
	(४) रावी ..	१	दिलवारी	
	(५) हतसा ..	१	पनोड़ी	
	(६) करखेरी ..	१	पपगोव	
	(७) मानपुर ..	१	परौली	
(४) इसलामनगर..	(१) ईकख खेरा ..	१	इकखखेरा	
	(२) करिया मई ..	१	करिया मई	
	(३) चन्दाई ..	१	चन्दाई	
	(४) दियरा हेमपुर ..	१	खदायन	
	(५) सिठौलिया ..	१	अलाहपुर शमसपुर	
	(६) मितरौली ..	१	जखोरा	
(५) आसफपुर ..	(१) आसफपुर ..	१	आसफपुर	
	(२) निजामपुर ..	१	निजाममुद्दीनपुर शाह	
	(३) भुसिया नगला ..	१	बवतौरी	
	(४) मिर्जापुर बेहटा ..	२	मिर्जापुर बेहटा	
	(५) पृथ्वं पुर ..	१	प सिया	
	(६) सिसरकी ..	१	सिसरका	
	(७) गेलडिया ..	१	अम्बयारपुर	

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६३ के ४थे सोमवार के लिये निर्धारित श्री सूरजपाल सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३ व ४ के उत्तर

प्रश्न	उत्तर
३—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के ब्लाकों में चीनी की कितनी दुकानें खोली गई हैं और उसमें गुन्नार व जुनावाई व इसलामनगर व सिसोली व आसफपुर ब्लाक में अलग-अलग कितनी दुकान चीनी की खोली गई हैं और वे किस-किस ग्राम में हैं ?	३—जिला बदायूं में २८ ब्लाक हैं जिन में (म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया के अतिरिक्त) कुल १५३ दुकानें चीनी की स्वीकृत हो चुकी हैं । सरकारी आदेश के अनुसार एक न्याय पंचायत में एक दुकान खुलनी चाहिये । आवश्यक सूचना संलग्न है ।
४—क्या सरकार बतायेगी कि जिला बदायूं के जुनवाई ब्लाक में चीनी बेचने की दुकान के लाइसेंस के जो प्रार्थना-पत्र दिये गये थे उन पर आज तक क्यों आदेश नहीं हुए जबकि उस क्षेत्र में ६.७ मील तक दुकान नहीं है ?	४—जुनामई ब्लाक में कुल १० न्याय पंचायत हैं जिसमें से ९ न्याय पंचायतों में दुकानें स्वीकृत की जा चुकी हैं । शेष एक न्याय पंचायत में भी शीघ्र ही दुकान खोलने के आदेश जारी किये जा रहे हैं। दुकानों के खुलने में देरी इसलिये हो गई कि उनके जांच करने में समय लगा और कुछ न्याय पंचायतों के प्रार्थना पत्र देरी से प्राप्त हुए । जुनामई ग्राम पंचायत, रिवाडी न्याय पंचायत के अन्तर्गत है और इस न्याय पंचायत में एक दुकान चीनी का वितरण कर रही है जो ग्राम जुनामई में ही है । जगमोहन सिंह नेगी, मंत्री, खाद्य ।

उत्तर प्रदेश अभिलेखागार

नत्थी "ब"

(देखिये पीछे पृष्ठ १२३० पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३

कतिपय प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को और संशोधित करने का — सं० प्रा० ऐक्ट नं० १५, १९४८ ई०

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

सं० प्रा० ऐक्ट नं० १५, १९४८ ई० की धारा ८ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ८ में, उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय—

"(१-क) यदि उपधारा (१) के अधीन देय-कर का भुगतान, कर-निर्धारण और मांग के नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के अथवा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६३ के प्रारम्भ होने के, इसमें से जो भी बाद में हो, छः माह के अन्दर न किया जाय तो, किसी ऐसे अन्य दायित्व या शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो बाकीदार को इस प्रकार भुगतान न करने के परिणाम-स्वरूप इस अधिनियम के अधीन उठानी पड़े, तत्समय देय शेष धनराशि पर, उक्त नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के दिनांक से, अथवा उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने से, जैसी भी दशा हो, अठ्ठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा, और कर की धनराशि में जोड़ दिया जायगा और सभी प्रयोजनों के लिये कर का भाग समझा जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अपील, पुनरीक्षण या निर्देश के, अथवा किसी सक्षम न्यायालय या अधिकारी के किसी अन्य आदेश के, परिणामस्वरूप कर की धनराशि में परिवर्तन हो जाय, तो ब्याज का तदनुसार फिर से हिसाब लगाया जायगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि कर की धनराशि बढ़ाने के किसी आदेश के अधीन देय कर की अधिक धनराशि पर ब्याज उक्त आदेश के दिनांक से लगेगा, यदि ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान आदेश के पश्चात् छः माह के अन्दर न किया जाय ।"

नयी धारा ३३ का बढ़ाया जाना

३—मूल अधिनियम की धारा ३२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय:—

वसूली के सम्बन्ध में अतिरिक्त उपबन्ध

"३३—इस अधिनियम के अधीन मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूली होने योग्य किसी धनराशि के सम्बन्ध में कर-निर्धारक अधिकारी, अपने हस्ताक्षर से, कलेक्टर को एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है जिसमें देय धनराशि निर्दिष्ट होगी । ऐसा प्रमाण-पत्र दायित्व की विद्यमानता, उसकी धनराशि तथा देनदार व्यक्ति के सम्बन्ध में निश्चायक साक्ष्य होगा,

और प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर कलेक्टर, उसमें निर्दिष्ट धनराशि, को उस व्यक्ति से वसूल करने की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा, मानो वह मालगुजारी का बकाया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर को, प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि वसूल करने के प्रयोजनों के लिये, वे समस्त अधिकार भी प्राप्त होंगे, जो—

ऐक्ट १, १८९० (क) किसी कलेक्टर को रेवेन्यू रिकवरी ऐक्ट, १८९० के अधीन प्राप्त हों, और

ऐक्ट ५, १९०८ (ख) किसी दीवानी न्यायालय को किसी डिगरी के अधीन देय धनराशि की वसूली के लिये कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन प्राप्त हों।

स्पष्टीकरण—पद "कलेक्टर" के अन्तर्गत कोई अपर कलेक्टर या कोई अन्य अधिकारी भी है जो राज्य में मालगुजारी से सम्बद्ध तत्समय प्रचलित विधि के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत हो।"

उद्देश्य और कारण

राज्य बिक्री-कर की बहुत बड़ी धनराशि बकाया है। सरकार अपने अधिकारों के भीतर बकाया धनराशि के चुकता किये जाने के सम्बन्ध में भरसक प्रयास कर रही है, किन्तु जो परिणाम अब तक प्राप्त हुये हैं वे बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं हैं। इसलिये, यह अनुभव किया गया है कि जब तक कोई कठोर उपाय न किये जायें, देय धनराशि को वसूल करने के प्रयासों में वांछित सफलता मिलने की संभावना नहीं है। तदनुसार, इस दिशा में कार्यवाही करने के लिये यह प्रस्ताव किया जाता है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट को उपयुक्त रीति से संशोधित किया जाय और जो देय धनराशियां निर्दिष्ट अवधि के भीतर चुकता नहीं की जाती हैं, उन पर ब्याज लेने की व्यवस्था की जाय। वसूल करने के सम्बन्ध में वर्तमान प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने का भी प्रस्ताव किया जाता है।

२—अतएव, यह विधेयक, पुरः स्थापित किया जाता है।

वित्त मंत्री

कमलापति त्रिपाठी

विवरण-पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट १९४८ ई० की उन संगत धाराओं को दिया गया है जिनमें संशोधन करने का प्रस्ताव है

कर का भुगतान तथा उसकी प्रगति

८—(१) इस ऐक्ट के अधीन निर्धारित कर का भुगतान ऐसे ढंग से तथा ऐसी किस्तों में, यदि कोई हो, तथा ऐसे समय के भीतर जो कर-निर्धारण और मांग के नोटिस की तारीख के पश्चात् १५ दिन से कम न होगा, जैसा कि नोटिस में दिया हुआ हो, किया जायगा। ऐसा भुगतान न करने की दशा में फिर जो रकम शेष रह जायगी उपधारा (८) के अनुसार वसूल की जा सकेगी ।

* * *

(८) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय कोई कर या अन्य धनराशियां या कोई धनराशि जिसे कर निर्धारक अधिकारी को देना किसी व्यक्ति से उप-धारा (३) के अधीन अपेक्षित हो या जिसके लिये वह उपधारा (६) के अधीन कर-निर्धारक अधिकारी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो, मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

विवरण न प्रस्तुत करने के लिये दंड

धारा १५—(क)(२)—कोई भी धनराशि जो उपधारा (१) के आदेशों के अधीन दंड के रूप में लगाई गई हो, उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह मालगुजारी का शेष (बकाया) हो, यदि उसका भुगतान, ऐसे समय के भीतर, जो दंड लगाये जाने के दिनांक से तीस दिन से कम न होगा, जैसा कि कर-निर्धारक अधिकारी, अनुज्ञात करे, नहीं किया जाता ।

सत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १२६५ पर)

उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९

उत्तर प्रदेश गोदाम अधिनियम, १९५८ को संशोधित करने का

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की प्रस्तावना का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गोदाम अधिनियम, १९५८ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"यह इष्टकर है कि गोदामों में माल को वैज्ञानिक और स्वास्थ्यकर ढंग से जमा करने को प्रोत्साहित किया जाय और उक्त माल के निक्षेप्ताओं के हितों की सुरक्षा की जाय तथा गोदामों के उचित पर्यवेक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था की जाय।"

३—मूल अधिनियम की धारा २ में—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा २ का संशोधन

(१) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

ऐक्ट संख्या ५८ १९६२

"(ग) 'माल' का तात्पर्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स ऐक्ट, १९६२ की धारा २ के खंड (ए) में यथा परिभाषित कृषि उत्पादन (agricultural produce) और ऐसी अन्य वस्तुओं से है जो नियत की जायें ;"

(२) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(झ) 'गोदाम' का तात्पर्य किसी ऐसे भवन, इमारत अथवा अन्य पटे हुये घेरे से है जो माल रखने के काम में लाया जाता है ;"

(३) खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(ञ) 'गोदाम परिचालक' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो गोदाम रखने का व्यवसाय करता हो और जिसके अन्तर्गत उस व्यवसाय का प्रभारी व्यक्ति भी है;" और

(४) खंड (ञ) के पश्चात् नये खंड (ञञ) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"(ञञ) 'गोदाम रखने' (warehousing) का तात्पर्य परिरक्षण (preservation) या सुरक्षित अभिरक्षा (safe custody) के लिये निक्षेप्ताओं की ओर से माल जमा रखने के व्यवसाय से है;" तथा

४—मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ३ का प्रतिस्थापन

"३—उस दिनांक से जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञापित करे, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत लाइसेंसों की शर्तों के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल न गोदाम रखेगा और न गोदाम रखना जारी रखेगा ।"

लाइसेंस के बिना गोदाम का न रखा जाना ।

५—मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ४ का प्रतिस्थापन

"(१) लाइसेंस के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र नियत प्रपत्र में नियत शुल्क और प्रतिभूति के साथ, लाइसेंस-प्राधिकारी को दिया जायगा : प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रार्थी, वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स ऐक्ट १९६२ अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य सेन्ट्रल ऐक्ट के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझा जाने वाला वेयरहाउसिंग कारपोरेशन हो तो कोई प्रतिभूति अपेक्षित न होगी ।

लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर लाइसेंस-प्राधिकारी उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये यथाशक्य शीघ्र प्रार्थी को, ऐसे प्रपत्र में और उन ब्योरों के साथ लाइसेंस देगा जो नियत किये जायें ।

(३) यदि लाइसेंस प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि—

(क) प्रस्तावित गोदाम, नियत शर्तों के अनुसार, उस वर्ग विशेष का माल जमा रखने के उपयुक्त नहीं है, जिसके लिये वह अभिप्रेत है; या

(ख) प्रार्थना-पत्र के साथ, नियत शुल्क या प्रतिभूति नहीं है और उक्त शुल्क या प्रतिभूति पन्द्रह दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर नहीं दी गयी है जिसकी अनुमति लाइसेंस प्राधिकारी दे,

तो लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है ।"

६—मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ७ का प्रतिस्थापन

"७—(१) लाइसेंस के लिये या लाइसेंस के नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र अस्वीकार करने के पूर्व लाइसेंस प्राधिकारी प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देगा ।

प्रार्थना-पत्र अस्वीकार करने तथा धनराशि वापस करने की प्रक्रिया

(२) यदि लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस के लिये या लाइसेंस के नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र अस्वीकार करे तो वह ऐसी अस्वीकृति के कारण अभिलिखित करेगा और अपनी आज्ञा की एक प्रति प्रार्थी को भेजेगा ।

(३) कोई व्यक्ति जिसका लाइसेंस के लिये या लाइसेंस के नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर अपने द्वारा जमा की गयी या दी गयी प्रतिभूति को, यदि कोई हो, और उस अवधि के लिये जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र हो जमा किये गये शुल्क को भी, यदि कोई हो, वापस पाने या लौटाये जाने का हकदार होगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ८ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ८ का खंड (ङ) निकाल दिया जाय ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ९ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"९—(१) यदि लाइसेंस समाप्त हो जाय या निलम्बित अथवा रद्द कर दिया जाय तो गोदाम परिचालक, गोदाम रखने का कार्य बन्द कर देगा, किन्तु अपने इस व्यवसाय का उपसंहार करने के लिये उसे ऐसी अवधि स्वीकृति की जा सकेगी जो नियत की जाय। गोदाम परिचालक, लाइसेंस समाप्त होने के, या उसे निलम्बित अथवा रद्द किये जाने के, जैसी भी दशा हो, दिनांक से नब्बे दिन के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी को लाइसेंस लौटा देगा ।

(२) यदि गोदाम परिचालक उपधारा (१) के अधीन अपेक्षित लाइसेंस नहीं लौटाता है तो लाइसेंस प्राधिकारी, इस अधिनियम द्वारा व्यवस्थित किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह आज्ञा दे सकता है कि उसके द्वारा यह जमा की गयी पूरी प्रतिभूति यदि कोई हो या उसका कोई भाग, जब्त कर लिया जाय ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा १५ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा १५ के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"स्पष्टीकरण—सूखने अथवा सुकड़ने के कारण भार या परिमाण की हानि अथवा नमी सोख लेने के कारण परिमाण या भार की वृद्धि इस धारा के अर्थों में क्षीण होना समझा जायगा, यदि हानि या वृद्धि, ऐसी सीमाओं से अधिक हो जिन्हें लाइसेंस-प्राधिकारी विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर, समय-समय पर, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, नियत करे ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा १७ का संशोधन

१०— मूल अधिनियम की धारा १७ में—

(१) उपधारा (२) में शब्द "रसीद" तथा शब्द "उसके द्वारा" के बीच में कामा तथा शब्द "उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये" बढ़ा दिये जायें ; और

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय: —

"(३) यदि निक्षेप्ता द्वारा माल आंशिक रूप से ही वापस लिया जाय तो गोदाम परिचालक रसीद में इस आशय की एक प्रविष्टि करेगा और उसे निक्षेप्ता को लौटा देगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा १८ का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा १८ में—

(१) उपधारा (१) में जहां-जहां भी शब्द "नियत सीमाओं" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित की गई सीमाओं" रख दिये जायें; और

(२) उप-धारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(२) यदि यह विवाद उत्पन्न हो कि भार अथवा परिमाण में लाइसेंस-प्राधिकारी द्वारा निश्चित सीमा से अधिक कमी या वृद्धि, सूखने या नमी सोख लेने के कारण अथवा ऐसे अन्य कारणों से

है जो गोदाम परिचालक के वश के बाहर थे तो वह विवाद लाइसेंस-प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायगा जो उस पर निर्णय देगा और उस का निर्णय अन्तिम व पक्षों पर बन्धनकारी होगा किन्तु यदि सम्बद्ध पक्ष लिखित रूप में अपना यह विचार प्रकट करें कि उक्त विवाद धारा २९ के अधीन नियुक्त मध्यस्थ-मंडल को अभिदिष्ट किया जाय तो उस दशा में उसे इस प्रकार अभिदिष्ट किया जायगा ।"

१२—मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या ३, १९५९ की धारा १९ का प्रतिस्थापन

"१९—प्रत्येक गोदाम-परिचालक ऐसी रीति से और ऐसी घटनाओं गोदाम के माल के लिये जो नियत की जायें, अपने गोदाम में जमा का बीमा माल का बीमा करायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात गोदाम में जमा किये गये उस माल पर लागू न होगी जो वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ अथवा तत्समय प्रचलित किसी सेन्ट्रल ऐक्ट के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझे जाने वाले वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का हो, यदि ऐसे वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ने उक्त घटनाओं से उत्पन्न होने वाली हानि या या क्षति के लिये नियत रीति से निक्षेप्ता को प्रतिकर देना स्वीकार कर लिया है । ऐक्ट संख्या ५८, १९६२

१३—मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या ३, १९५९ की धारा २१ का प्रतिस्थापन

"२१—(१) कोई भी गोदाम-परिचालक अपने गोदाम में जमा गोदाम में जमा माल से व्यापार करने व उस पर रुपया उधार देने पर निर्बंधन करने के लिये प्राप्त माल से अपनी ओर से या किसी अन्य की ओर से, जिसके अन्तर्गत माल का स्वामी भी है, न व्यापार करेगा और न उस पर रुपया उधार देगा, भले ही किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात भी हो ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्ध—

(१) वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझे जाने वाले किसी वेयरहाउसिंग कारपोरेशन पर, सिवाय उस निर्बन्धन के जो उसके गोदाम में निक्षेप के लिये उसके द्वारा प्राप्त माल पर रुपया उधार देने के उसके अधिकार पर लागू हों ; या ऐक्ट संख्या ५८, १९६२

(२) किसी सहकारी समिति पर लागू न होंगे ।"

१४—मूल अधिनियम की धारा २५ की उपधारा (२) में शब्द "धारा २९ के अधीन मध्यस्थ मंडल में की गयी अपील के" स्थान पर शब्द "धारा २९ में अभिदिष्ट शिकायत पर मध्यस्थ मंडल द्वारा किये गये" रख दिये जायें । उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या ३, १९५९ की धारा २५ का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा २७ में शब्द "अथवा आंशिक प्रतिभूति जब्त की जा सकेगी" के स्थान पर शब्द "प्रतिभूति अथवा उसका कोई भाग लाइसेंस प्राधिकारी के विवेक से जब्त किया जा सकेगा" रख दिये जायें । उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या ३, १९५९ की धारा २७ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा २७ के पश्चात् नयी धारा २७—क का बढ़ाया जाना

१६—मूल अधिनियम की धारा २७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय :

तौलने वाले आदि को लाइसेन्स की दूसरी प्रति

"२७—क—यदि तौलने वाले, नमूना बनाने वाले वर्गकार को दिया गया लाइसेंस खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विकृत हो जाय अथवा अन्य रूप से अपठनीय हो जाय, तो लाइसेंस-प्राधिकारी, नियत रीति से और नियत शुल्क का भुगतान किये जाने पर, लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी करेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा २९ का प्रतिस्थापन

१७—मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

मध्यस्थ मंडल का निर्णय

"२९—(१) लाइसेंस प्राधिकारी, धारा १८ की उपधारा (२) के अधीन अभिदिष्ट किसी विवाद का या गोदाम में जमा माल के प्रकार, भार या श्रेणी अथवा रसीद में उसके विवरण के संबंध में किसी तोलने वाले, नमूना बनाने वाले, वर्गकार अथवा गोदाम परिचालक के विरुद्ध किसी शिकायत का निर्णय करने के लिये, नियत रीति से एक मध्यस्थ-मंडल का संघटन कर सकता है ।

(२) मध्यस्थ-मंडल ऐसे विवाद या शिकायत का निर्णय करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय ।

(३) मध्यस्थ-मंडल का निर्णय अन्तिम तथा पक्षों पर बन्धनकारी होगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ३० का प्रतिस्थापन

१८—मूल अधिनियम की धारा ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

रसीद

"३०—गोदाम-परिचालक अपने गोदाम में प्रत्येक निक्षेप्ता द्वारा जमा किये गये माल के लिये नियत प्रपत्र में एक रसीद देगा जिसमें माल के पूरे विवरण दिये जायेंगे ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ३४ का संशोधन

१९—मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१) लाइसेंस-प्राधिकारी की, इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस स्वीकृत या नवीकृत न करने अथवा निलम्बित या रद्द करने अथवा किसी लाइसेंस के संबंध में जमा की गयी किसी प्रतिभूति को जब्त करने की आज्ञा के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को, जो सहकारी समितियों के सहायक निबन्धक के पद से नीचे के पद का न हो, और ऐसे समय के भीतर की जायगी जो नियत की जाय ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ३७ का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा ३७ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१) जो व्यक्ति—

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त किये बिना, गोदाम-परिचालक, तौलने वाले, नमूना बनाने वाले, या वर्गकार का कार्य करता है, अथवा

('ख) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों का जान-बूझकर उल्लंघन करता है अथवा अनुपालन नहीं करता है,

उसे कारावास का दंड दिया जागा जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है अथवा अर्थ दंड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दंड दिये जायंगें ।"

२१—मूल अधिनियम की धारा ३७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३७-क बढ़ा दी जाय :— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ३७ के पश्चात्, नयी धारा ३७–क का बढ़ाया जाना

वादों तथा विधिक कार्यवाहियों पर रोक

"३७— (१) इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही न की जी सकेगी ।

(२) इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में हुई अथवा संभाव्य किसी क्षति के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी ।"

२२—मूल अधिनियम की धारा ३८ में— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ३८ का संशोधन

(१) उपधारा (२) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"(घघ) लाइसेंस शुल्क या प्रतिभूति लौटाने की प्रक्रिया," और

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई वाद या दिनांक निर्धारित न किया जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कार अथवा अभिशून्यन (annulments) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

२३—मूल अधिनियम की धारा ३८ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायें :— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ में नयी धारा ३९ एवं ४० का बढ़ाया जाना

ऐक्ट संख्या १, १९४४
ऐक्ट संख्या ८, १८७८, ऐक्ट संख्या ८, १८९६

अपवाद

"३९—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी ऐसे गोदाम पर लागू न होंगे जो सेन्ट्रल एक्साइजेज ऐन्ड साल्ट ऐक्ट, १९४४ सी कस्टम्स ऐक्ट, १८७८ या इगलैन्ड बान्डेड वेयर हाउसेज ऐक्ट, १८९६ और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन लाइसेंस प्राप्त हों ।

मुक्त करने का अधिकार

४०—राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम के सभी या किसी उपबन्ध से मुक्त कर सकती है ।"

———

उद्देश्य और कारण

गोदामों के समुचित पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिये इस राज्य में उत्तर प्रदेश गोदाम अधिनियम, १९५८ बनाया गया था। अब तक, उक्त अधिनियम की केवल धारा १ प्रचलित की गयी है क्योंकि अभिप्राय यह था कि इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने के पश्चात् ही अधिनियम के मुख्य उपबन्ध प्रचलित किये जायें। नियमों का प्रारूप तैयार करते समय अधिनियम में कुछ त्रुटियां मालूम हुईं। भारत सरकार तथा सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ने भी वर्तमान अधिनियम में कतिपय परिवर्तन करने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त, जब मूल अधिनियम पारित किया गया था तो अभिप्राय यह था कि गोदाम परिचालक का लाइसेंस लेना वैकल्पिक किया जाय। अब यह अनुभव किया गया है कि वैकल्पिक लाइसेंस से कृषि संबंधी माल को वैज्ञानिक तथा स्वास्थय-कर ढंग से जमा करने का प्रयोजन पूरा न होगा। अतएव, इस विधेयक के अधीन यह प्रस्ताव किया जाता है कि मूल अधिनियम में उचित संशोधन करके गोदाम परिचालकों का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया जाय। अतएव यह इष्टकर है कि उन त्रुटियों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि गोदाम योजना का कार्य सुचारू रूप से तथा समुचित रूप से हो, वर्तमान गोदाम अधिनियम को संशोधित किया जाय। संशोधन, कतिपय परिभाषाओं के संबंध में भी हैं जिन्हें और स्पष्ट किया गया है। जिन शर्तों के अधीन लाइसेंस जारी और रद्द किये जायेंगे उन्हें और स्पष्ट कर दिया गया है। गोदामों में जमा माल के बीमे से संबद्ध खंड को इस उद्देश्य से परिष्कृत कर दिया गया है कि इस मद पर परिहार्य व्यय कम किया जा सके।

बनारसी दास,
सहकारिता मंत्री।

ज्ञापन पत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३ के ऐसे उपबन्ध दिये गये हैं जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त हैं

संलग्न उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३ के खंड ३, ५, ८, १२, १६, १७, १८ और १९ में राज्य सरकार को विधेयक के उपबन्धों में समाविष्ट विषयों के संबंध में नियम बनाने के अधिकार प्रतिनिहित किये गये हैं। प्रतिनिधान सामान्य प्रकार का है।

२—इस विधेयक और उत्तर प्रदेश गोदाम अधिनियम, १९५८ के अधीन बनाये गये नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित किया न जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यन (annulments) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबद्ध नियमों के अधीन पहले से ही की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

बनारसी दास,
सहकारिता मंत्री।

उत्तर प्रदेश गोदाम अधिनियम, १९५८ की सम्बन्धित धाराओं के उद्धरण

उत्तर प्रदेश में गोदामों के अधीक्षण तथा नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिये,

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में गोदामों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय तथा उनके उचित अधीक्षण एवं नियंत्रण की व्यवस्था की जाय ;

परिभाषाएं

२---विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :---

(ग) "माल" का तात्पर्य ऐसी वस्तु अथवा वस्तुओं से है जो नियत की जाय;

(झ) "गोदाम" का तात्पर्य किसी ऐसे भवन, इमारत अथवा अन्य घटे हुये घेरे से है जो निक्षेप्ताओं की ओर से माल जमा रखने के काम में लाया जाये या लाया जा सके ;

(ञ) "गोदाम परिचालक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अपने गोदाम के लिये इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो ; तथा

गोदाम परिचालक

३---कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत लाइसेंस तथा समय-समय पर नियत की जाने वाली तत्संबंधी शर्तों के अनुसरण के बिना गोदाम परिचालक का व्यवसाय नहीं करेगा ;

लाइसेंस की स्वीकृति

४---(१) लाइसेंस के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र नियत प्रपत्र में, नियत शुल्क के साथ, लाइसेंस-प्राधिकारी को दिया जायगा ।

(२) लाइसेंस की स्वीकृति देने के पहले लाइसेंस-प्राधिकारी इस विषय में अपना समाधान कर लेगा कि :---

(क) प्रस्तावित गोदाम उस वर्ग विशेष का माल ठीक से जमा रखने के लिये उपयुक्त है, जिसके लिये लाइसेंस की प्रार्थना की गई है ;

(ख) प्रार्थी ने प्रतिभूति की नियत राशि दे दी है;

(ग) प्रार्थी अन्य ऐसी शर्तें, जो नियत की जायं, पूरी करता है ;

(घ) ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कि प्रार्थी लाइसेंस प्राधिकारी के विचार में अनर्ह समझा जाय ।

(३) जब पूर्वोक्त सब शर्तें पूरी हो जायं तो लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है ।

लाइसेंस के नवीकरण की अस्वीकृति की सूचना

७---लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस स्वीकृत करना अथवा उसका नवीकरण अस्वीकार करे तो वह अस्वीकृति के कारण लिखेगा तथा उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि प्रार्थी को भेजेगा ।

लाईसेंस का निलम्बन तथा रद्द करना

८---लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक लाइसेंस स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रद्द अथवा निलम्बित किया जा सकता है यदि उसकी राय में लाइसेंस गृहीता :---

(क) उस गोदाम के संचालन के लिये किसी अन्य प्रकार से अक्षम हो गया है : अथवा

लाइसेंस लौटाना

९—(१) जब लाइसेंस समाप्त, निलम्बित अथवा रद्द हो जाय तो गोदाम परिचालक उस रूप में कार्य करना बन्द कर देगा तथा लाइसेंस लाइसेंस-प्राधिकारी को लौटा देगा, जो कि गोदाम परिचालक को व्यवसाय के उपसंहार (winding up) के लिये उचित समय दे देगा ।

गोदाम में माल का क्षीण होना तथा उनका निस्तारण

१५—स्पष्टीकरण—सूखने अथवा सिकुड़ने के कारण भार या परिमाण की हानि अथवा नमी सोख लेने के कारण परिमाण या भार की वृद्धि इस धारा के अर्थों में क्षीण होना समझा जायगा यदि हानि या वृद्धि ऐसी सीमाओं से जो नियत की जायं, अधिक हो ।

माल देना

१७—(२) गोदाम परिचालक को इस प्रकार दी जाने के पश्चात् प्रत्येक ऐसी रसीद उसके द्वारा निरूपित कर दी जायेगी तथा पुनः जारी नहीं की जायेगी ।

(३) जब निक्षेप्ता द्वारा माल आंशिक रूप से ही वापस लिया जाये तो गोदाम-परिचालक शेष माल की एक नई रसीद दे देगा ।

जमा किये गये माल में कमी अथवा वृद्धि के लिये गोदाम-परिचालक का उत्तरदायित्व

१८—(१) गोदाम-परिचालक निक्षेप्ता को सिकुड़ अथवा सूख जाने के फलस्वरूप माल के भार अथवा परिमाण में नियत सीमाओं से अधिक कमी हो जाने के कारण हुई उसकी हानि अथवा नमी सोख लेने के फलस्वरूप माल के भार अथवा परिमाण में नियत सीमाओं से अधिक वृद्धि होने से उसके गुण क्षीण होने के कारण हुई उसकी हानि के बदले नियत रीति से अवधारित प्रतिकर का देनदार होगा ।

(२) जब इस संबंध में विवाद उत्पन्न हो कि भार या परिमाण में नियत सीमाओं से अधिक कमी या वृद्धि, सूख या नमी सोख लेने के कारण है अथवा अन्य ऐसे कारणों से है जो गोदाम-परिचालक के वश के बाहर थे तो वह विवाद धारा ३४ में निर्दिष्ट प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका कि इस संबंध में निर्णय अन्तिम और बन्धनकारी होगा ।

गोदाम के माल का बीमा

१९—प्रत्येक गोदाम-परिचालक ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, अपने गोदाम में जमा माल का अग्नि, बर्षा, बाढ़, चोरी, दंगा या ऐसी अन्य घटना द्वारा जो नियत की जावे, हानि या क्षति के विरुद्ध बीमा करायेगा ।

गोदाम-परिचालक गोदाम में जमा माल से न तो व्यापार करेगा और न उस पर रुपया उधार देगा

२१—किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुय भी, सहकारी समिति या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट ऐंड वेयर हाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, १९५६ के अधीन स्थापित किसी सेंन्ट्रल अथवा किसी स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से भिन्न कोई गोदाम-परिचालक अपने गोदाम में जमा करने के लिये प्राप्त माल से अपनी ओर से या किसी अन्य की ओर से न व्यापार करेगा न उस पर रुपया उधार देगा ।

तोलक (weighers) नमूना बनाने वाले (samplers) तथा वर्गकार (classifiers) का लाइसेंस लेना

२५—(२) इस प्रकार दिया गया कोई प्रमाण-पत्र, धारा २९ के अधीन मध्यस्थ-मंडल में की गई अपील के आदेश के अधीन रहते हुये, गोदाम परिचालक तथा निक्षेप्ता के लिये इस प्रकार प्रमाणित माल के भार, परिमाण, प्रकार अथवा श्रेणी के विषय मे बन्धनकारी होगा ।

लाइसेंस लौटाना

२७—जब कभी तोलक, नमूना बनाने वाले अथवा वर्गकार को स्वीकृत लाइसेंस समाप्त हो जाये अथवा निलम्बित या रद्द कर दिया जाव तो लाइसेंस गृहीता उसे लाइसेंस-प्राधिकारी को लौटा देगा और उसके ऐसा न करने पर उसकी संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिभूत जब्त की जा सकेगी ।

मध्यस्थ–मंडल

२९––लाइसेंस–प्राधिकारी गोदाम में जमा माल के प्रकार, भार अथवा श्रेणी के संबंध में किसी तोलक, नमूना बनाने वाले या वर्गकार अथवा गोदाम-परिचालक के विरुद्ध किसी शिकायत का नियत रीति से निर्णय करने के लिये नियत रीति से एक मध्यस्थ–मंडल का संघठन कर सकता है। मध्यस्थ-मंडल का निर्णय अन्तिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

रसीद देना

३०––गोदाम परिचालक अपने गोदाम में जमा किये गये माल की रसीद देगा।

अपील

३४––(१) लाइसेंस–प्राधिकारी की गोदाम परिचालक का कोई लाइसेंस स्वीकृत या नवीकृत न करने तथा अथवा निलम्बित या रद्द करने की आज्ञा के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी अवधि के भीतर की जा सकेगी, जो नियत की जाय।

दंड तथा प्रक्रिया

३७––(१) जो कोई––

(क) इस अधिनियम के अधीन, लाइसेंस प्राप्त किये बिना, लाइसेंस प्राप्त गोदाम–परिचालक, तोलक, नमूना बनाने वाले या वर्गकार का कार्य करता है या अपने को ऐसा प्रकट करता है, अथवा

(ख) इस अधिनियम के या नियमों के किन्ही उपबन्धों या अपेक्षाओं का जानबूझकर उल्लंघन करता है अथवा अनुपालन नहीं करता है,

तो वह कारावास, द्वारा जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है, या अर्थ-दंड द्वारा जो एक हजार रुपया तक हो सकता है या दोनों द्वारा, दंडनीय होगा।

(२) जब उपधारा (१) के अधीन कोई अपराध करने वाला कोई कम्पनी, या कोई संस्था अथवा व्यक्तियों का समुदाय हो, चाहे वह निगमित हो या न हो तो उस कंपनी, संस्था या समुदाय के कार्यों का प्रबन्ध करने वाले प्रबन्धक, सचिव अभिकर्ता अथवा अन्य मुख्य अधिकारी को, जब तक कि वह यह प्रमाणित न कर दे कि अपराध उसकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था, उस अपराध का दोषी समझा जायगा।

नियम

३८––(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) विशेषतया और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित समस्त अथवा किन्हीं विषयों के लिये व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्––

(क) इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत लाइसेंसों का आकार (प्रपत्र) तथा उनकी शर्तें;

(ख) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंसों के स्वीकरण, नवीकरण, रद्द करने तथा निलम्बन से संबद्ध प्रक्रिया;

(ग) समय-समय पर लाइसेंसों के स्वीकरण, निलम्बन, तथा रद्द करने और गोदाम परिचालकों एवं उनके गोदामों की सूची का प्रकाशन;

(घ) प्रतिभूति की धनराशि को जब्त करने की प्रक्रिया;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन सूचनायें देने की रीति;

(च) धारा ७ के अधीन आदेशों को संदिष्ट करने की रीति;

(छ) धारा १५ के अधीन सार्वजनिक नीलाम द्वारा माल बेचने की रीति;

(ज) आकार (प्रपत्र) तथा रीति जिसमें धारा १६ के अधीन सूचना भेजी जायगी तथा उसमें निर्दिष्ट किये जाने वाले ब्योरे ;

(झ) धारा १७ के अधीन माल देने की प्रक्रिया;

(स) धारा २५ के अधीन दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का आकार (प्रपत्र)

(ट) लाइसेंस प्राप्त गोदामों में प्रयोग के लिये प्रमाणिक बांट, नाप तथा मालों का श्रेणी निर्धारण;

(ठ) धारा २९ के अधीन मध्यस्थ मंडलों की कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उनके निर्णय के निष्पादन की रीति;

(ड) अपीलों के निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ढ) सामान्यतया गोदाम परिचालक के कार्य का दक्ष संचालन, तथा

(ण) ऐसे अन्य विषय जो नियत किये जाने वाले हों अथवा जो नियत किये जा सकें ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बन जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल अपने उस सत्र में करे जिसमें वे इस प्रकार उसके समक्ष रखे जायं ।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१७७ एल० ए०—१९६४—८६०